सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# जिला आपदा प्रबन्धन योजना

# बारां

# वर्ष 2019

## जिला प्रशासन बारां

फोन – 07453–237001

फैक्स – 07453–237005

टोल फ्री नम्बर – 1077

ई–मेल –dm-brn-rj@nic.in

**श्री इन्द्र सिंह राव**
**जिला कलक्टर,**
**बारा**

## एक संदेश

कोई भी घटना चाहे वह प्राकृतिक या अन्य कारणों से हो यदि वह व्यापक रूप से जन हानि व आर्थिक नुकसान का कारक बनती है तो आपदा की श्रैणी में समाविष्ट होती है। बारां जिला भी गत अनुभवों के आधार पर सूखा, बाढ व अतिवृष्टि, जलप्लावन औलावृष्टि, आगजनी, आकाशीय बिजली आदि से प्रभावित हुआ है।

प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम एक दीर्घकालीन रणनीति एवं संरचनात्मक सुधार व उपायों का हिस्सा है। वहीं दूसरी और, आपदाओं के खतरों का न्यूनीकरण, इनसे सुरक्षा, उपायों के लिऐ प्रभावी समन्वय एवं क्षमताओं में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये एक योजना का निर्माण महत्वपूर्ण कार्य है।

आपदा के घटित होने पर उसके प्रभावों से निपटने के लिये शीघ्र कार्यवाही एवं राहत कार्यो के सम्पादन की आवश्यकता होती है। इन कार्यो को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिये आम जन की जागरूकता, प्रशासन एवं राजकीय विभागों में आपसी समन्वय, त्वरित सूचना सम्प्रेशण व रेस्क्यू टीमों का प्रभावी क्षैत्रों में शीघ्र पहुंच जरूरी कदम है। इन सभी दृष्टिकोणों से बारां जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार किया गया है। इसमें आपदाओं से बचाव के लिये पूर्व सावधानियों के साथ–साथ विभिन्न राजकीय विभागों के सम्पर्क सूत्रों, आश्रय स्थलों , उठाये जाने वाले कदमों व राहत कार्यो का वर्णन किया गया है।

आशा है यह योजना बारां जिले में आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने, आपदाओं से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुचाने में समन्वय के साथ आपदा प्रबन्धन की क्षमता अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध होगी एवं हम आम जन के सहयोग से आपदाओं से निपटने में अधिक तत्पर होगे।

मुझे विश्वास है कि सभी राजकीय विभागों के कार्मिक व अधिकारी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थायें , रेस्क्यू टीमें आमजन के सहयोग से घटित होने वाली किसी भी आपदा से प्रभावित परिवारों के जान माल की सुरक्षा बचाव व राहत कार्यो का समन्वय के साथ अधिक प्रभावी तरीके से त्वरित सम्पादन इस जिला प्रबन्धन योजना के माध्यम से कर सकेंगे।

# विषय सूची


| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| अध्याय –1 | भूमिका | 5 |
| अध्याय –2 | जिला बारां एक संक्षिप्त परिचय | 10 |
| अध्याय –3 | आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण | 21 |
| अध्याय –4 | रोकथाम एवं शमन | 35 |
| अध्याय –5 | विकास कार्यो में डी.आर.आर. का समायोजन | 44 |
| अध्याय –6 | तैयारी | 48 |
| अध्याय –7 | क्षमता वर्धन | 58 |
| अध्याय –8 | राहत एवं प्रत्याक्रमण | 62 |
| अध्याय –9 | समुत्थान एवं पुर्ननिर्माण | 65 |
| अध्याय –10 | सूखा–आपदा कार्ययोजना | 66 |
| अध्याय –11 | भूकम्प–आपदा कार्ययोजना | 71 |
| अध्याय –12 | बाढ़ फ्लेश फ्लड, बादल फटना–आपदा कार्ययोजना | 77 |
| अध्याय –13 | प्रमुख दुर्घटनाएं–रेल, सड़क कार्ययोजना | 89 |
| अध्याय –14 | अग्नि दुर्घटनाएं (शहरी, वन, तेल) आपदा कार्ययोजना | 95 |
| अध्याय –15 | खदानों में दुर्घटनाएं–आपदा कार्ययोजना | 104 |
| अध्याय –16 | आंधी तूफान, आकाशीय बिजली–आपदा कार्ययोजना | 106 |
| अध्याय –17 | आतंकवाद /बम विस्फोट –आपदा कार्ययोजना | 110 |
| अध्याय –18 | नाभिकीय दुर्घटनाएं–आपदा कार्ययोजना | 117 |
| अध्याय –19 | ताप लहर–आपदा कार्ययोजना | 120 |
| अध्याय –20 | शीतलहर, पाला–आपदा कार्ययोजना | 122 |
| अध्याय –21 | ओलावृष्टि–आपदा कार्ययोजना | 125 |
| अध्याय –22 | रासायनिक–आपदा कार्ययोजना | 127 |
| अध्याय –23 | बायोलॉजिकल– आपदा कार्ययोजना | 130 |
| अध्याय –24 | योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण | 134 |
| अध्याय –25 | समन्वय और क्रियान्वयन | 135 |
| अध्याय –26 | उपसंहार | 136 |

# परिशिष्टों की सूची


| परिशिष्ट नम्बर | विवरण | पृष्ठ सं0 |
|---|---|---|
| परिशिष्ट नं. 1 | महत्पूर्ण अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों की सूची | 137 |
| परिशिष्ट नं 2 | चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं की सूची | 147 |
| परिशिष्ट नं 3 | चिकित्सकों की सूची | 153 |
| परिशिष्ट नं 4 | आश्रय स्थलों की सूची | 158 |
| परिशिष्ट नं 5 | पशुओ को रखने के लिए गौशालों की सूची | 161 |
| परिशिष्ट नं 6 | बांधों/तालाबों की सूची | 162 |
| परिशिष्ट नं 7 | पेट्रोल पम्पों की सूची | 164 |
| परिशिष्ट नं 8 | गैस एजेन्सियों तथा गोदामों की सूची | 168 |
| परिशिष्ट नं 9 | गैस वेल्डर्स एवं कटर्स | 169 |
| परिशिष्ट नं 10 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 132 एवं 33 केवी जीएसएस की सूची | 170 |
| परिशिष्ट नं 11 | टैंट हाउस की सूची | 175 |
| परिशिष्ट नं 12 | स्वयं सेवी संस्थाओं एवं गणमान्य नागरिकों की सूची | 179 |
| परिशिष्ट नं 13 | दानदाताओं की सूची | 182 |
| परिशिष्ट नं 14 | हलवाईयों की सूची | 183 |
| परिशिष्ट नं 15 | नेहरू युवा केन्द्र सक्रिय मण्डलों की सूची | 184 |
| परिशिष्ट नं 16 | रक्त दाताओं की सूची | 188 |
| परिशिष्ट नं 17 | जिले में उपलब्ध तैराक/गोताखोर आदि की सूची | 193 |
| परिशिष्ट नं 18 | जिला बारां में आपदा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध संसाधनों की सूची | 196 |
| परिशिष्ट नं 19 | एस.डी.आर.एफ. सम्पर्क विवरण | 204 |
| परिशिष्ट नं 20 | बाढ कन्टीजेन्सी प्लान वर्ष 2019–जल संसाधन विभाग, बारां | 205 |

# अध्याय–1 भूमिका

आपदा को अंग्रेजी में Disaster कहा जाता है। यह दो लैटिन शब्दों –Dis (Bad) व Aster (Star) से मिलकर बना है । आपदाएं प्रगति में बाधा डालती हैं तथा बड़ी मेहनत और यत्नपूर्वक किए गए विकास संबंधी प्रयासों के फल को नष्ट कर देती हैं और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे राष्ट्रों को कई दशक पीछे धकेल देती है । पुराने समय में आपदाओं के प्रति "भाग्यवाद का दर्शन" अपनाया जाता रहा है और इन्हें "ईश्वर की नाराजगी" तथा "प्रकृति के प्रकोप" के रूप में देखा जाता था। इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है, परन्तु आधुनिक समय में प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने प्राकृतिक आपदाओं के साथ–साथ मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। अतः हाल के समय में भारत में और विदेशों में आपदाओ के घटित होने पर ही कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके कुशल प्रबंधन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है इसका कारण आपदाओं की बारम्बारता में वृद्धि और तीव्रता की बात को इसी प्रकार स्वीकार करना है क्योंकि अब यह मान लिया गया है कि जिम्मेदार और सिविल समाज में सुशासन के लिए आपदाओं के विनाशकारी प्रभाव से प्रभावी रूप से निपटने की आवश्यकता है । आपदाओं के प्रति मानव दृष्टिकोण में आए इसी बदलाव के कारण आधुनिक समय में पूर्व तैयारी करके आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने हेतु भाग्यवाद के स्थान पर "आपदा प्रबंधन" को अपनाया गया है ।

**आपदा प्रबंधनः–**

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक अथवा मानवजन्य कारणों से आने वाली ऐसी विपत्ति,दुर्घटना,अनिष्ट और गंभीर घटना से है जो प्रभावित समुदाय की सहन क्षमता से परे हो । आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित के लिए आवश्यक अथवा समीचीन योजना संचालन ,समन्वय और कार्यान्वयन संबंधी उपायों की सतत् और एकीकृत प्रक्रिया शामिल है :–

- किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम ।
- किसी आपदा की तीव्रता अथवा इसके प्रभावों का आकलन ।
- किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन अथवा न्यूनीकरण ।
- अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण ।
- किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी ।
- किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्यवाही ।
- फंसे हुए लोगों को निकालना,बचाव और राहत ।
- पुनर्वास और पुनर्निर्माण ।

आपदा प्रबंधन की विशिष्ट सतत् प्रक्रिया में छह तत्व शामिल हैं ; आपदा–पूर्व चरण में रोकथाम ,प्रशमन और तैयारी शामिल हैं जबकि आपदा उपरान्त चरण में कार्रवाई, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति की बहाली शामिल है ।

## जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

### विजन :–

जिला आपदा प्रबंधन योजना का विजन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, के अनुसार है। इस योजना में एक ऐसी प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है जो बहुआयामी, सक्रिय, बहु–आपदा, बहु–क्षेत्रीय, बहु–सहयोगी, तकनीकोन्मुखी और गतिशील हो जिससे बारां जिले को एक सुरक्षित एवं आपदा–समुत्थानशील जिला बनाया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :–

- रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करना जिससे हर स्तर पर आपदा प्रबंधन को प्रमुख प्राथमिकता दी जा सके। जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबंधन प्रक्रिया में समुदाय एक प्रमुख सहभागी है।
- आधुनिक तकनीक एवं पर्यावरण संपोषण पर आधारित शमन उपायों को बढावा देना।
- समाज के सुभेद्य वर्गो की आवश्यकताओं के प्रति बेहतर जवाबी एवं राहत प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- पुनर्निमाण को एक ऐसे अवसर के रूप में इस्तेमाल करना जिससे आपदा–रोधक आवासों का निर्माण किया जाए।
- समुत्थान के दौरान आपदा–पूर्व स्थिति के मुकाबले बेहतर सामुदायिक विकास करना।
- मीडिया की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखातैयार करना।
- आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standardisation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

## राष्ट्रीय, राज्य जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन ढांचा

### 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

**राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** देश में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाली इस संस्था के मुख्य दायित्व आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं एव दिशा–निर्देश तैयार करना और उनके क्रियान्वयन संबंधी क्रियाकलापों का समन्वयन करना है जिससे आपदा से निपटने में कारगर जवाबी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और डीएम प्लांस को मंजूरी देने की जिम्मेदारी भी एनडीएमए की है।

### 2. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)

एनईसी एनडीएमए की कार्यकारिणी समिति है जिसका मुख्य दायित्व एनडीएमए के कार्यो के निष्पादन में उसकी सहायता करना है। केन्द्र सरकार एनडीएमए द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी एनईसी की है। यह केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में काम करती है तथा अन्य मंत्रालयों के सचिव और भारत सरकार के वशिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होती है।

### 3. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (एनआईडीएम)

एनआईडीएम की प्रमुख जिम्मेदारियों में क्षमता–वर्धन ट्रेनिंग, शोध, दस्तावेज तैयार करना और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना आधार विकसित करना शामिल है। प्रशिक्षकों, डीएम अधिकारियों और अन्य सहभागियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था करना भी एनआईडीएम का दायित्व है।

### 4. नेशनल डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ)

एनडीएमए के नेतृत्व में एनडीआरएफ का गठन प्राकृतिक और मनुष्यकृत आपदाओं या जोखिमों से विशिष्ट तरीके से निपटने के लिए किया गया है। एनडीआरएफ में इस समय 8–10 बटैलियन है जो देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात है। एनडीआरएफ इकाइंया संबंधित राज्य सरकारों के संपर्क में रहेगी और आपदा की स्थिति में तत्काल सेवाएं मुहैया कराएंगी। राज्य सरकार द्वारा चयनित सहभागियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी एनडीआरएफ की है।

### 5. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीएमए की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं तैयार करना है। एनडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किये गये स्टेट प्लान को मंजूरी देना, स्टेट प्लान के क्रियान्वयन का समन्वयन, तैयारी किये

गये स्टेट प्लान को मंजूरी देना, स्टेट प्लान के क्रियान्वयन का समन्वयन, तैयारी और शमन कार्यो के लिए धन का प्रावधान करना, और राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करना भी एसडीएमए के दायित्वों में शामिल है जिससे रोकथाम, तैयारी और बचाव कार्यो में समन्वय सुनिश्चित किया जा सकें।

## 6. राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी)

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसईसी की प्रमुख जिम्मेदारी एसडीएमए के कार्य निष्पादन में उसकी सहायता करना है। राष्ट्रीय नीति, नेशनल प्लान और स्टेट प्लान के क्रियान्वयन का समन्वय और निगरानी करना भी एसईसी का दायित्व है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की होती है। केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर गठित संस्थागत प्रक्रिया किसी आपदा को कारगर तरीके से प्रबंधित करने में राज्य की सहायता करती है।

## 7. स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स (एस.डी.आर.एफ.)

राजस्थान आर्म्ड कॉस्टबुलरी (आरएसी) की सहायता से राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया है। शुरूआत में, इसमें आरएसी के 150 प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी शामिल किये गये है जो कोटा, जोधपुर और जयपुर में 50–50 की संख्या में तैनात है। आपदा के दौरान राज्य की कारगर रिसपॉन्स टीम के रूप में काम करने के लिए एसडीआरएफ को विशेषज्ञ प्रशिक्षण और उपकरण मुहैया कराये गये हैं।

## 8. सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट

स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (एटीआई) एच.सी.एम. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में स्थित सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य में क्षमता–वर्धन करना है। यह प्रशिक्षकों और अन्य सहभागियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित करता है, राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज तैयार करता है और एक नॉलेज सेंटर का कार्य करता है।

## 9. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)

**जिला कलेक्टर की** अध्यक्षता में डीडीएमए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और क्रियान्वयन संख्या के रूप में कार्य करता है। यह एनडीएमए एवं एसडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है। जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट डीएम प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी भी डीडीएमए की है।

## 10. स्थानीय प्रशासन

स्थानीय प्रशासन में पंचायती राज्य संस्थाएं, नगरपालिका, डिस्ट्रिक्ट एण्ड केन्टरमेंट बोर्ड्स और टाउन प्लानिंग ऑथोरिटीज शामिल है, जो नागरिक सेवाओं का संचालन करती है। स्थानीय प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षमता–वर्धन सुनिश्चित करना है जिससे वे आपदा प्रबंधन, राहत कार्यो, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यो का बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकें। एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने–अपने डीएम प्लान भी तैयार करते है।

## 11 नोडॅल डिपार्टमेंट्स

राज्य सरकार ने आपदा के कारगर प्रबंधन के लिए कुछ विशेष नोडॅल विभागों का चयन किया है। उसकी सूची निम्न लिखित है।

| | |
|---|---|
| आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग | सूखा, ओला–वृष्टि, गर्मी एवं शीत–लहर, बिजली गिरना, चक्रवात, भू–स्खलन एवं कीचड़ बहाव। |
| ऊर्जा विभाग | बिजली उत्पादन, वितरण एवं हस्तांतरण से जुडी आपदाएं। |
| गृह विभाग | आतंकी हमले, पुलिस विद्रोह, कानून एवं व्यवस्था का संकट, रासायनिक, जैविक, ऑणविक एवं रेडियोलॉजिकल आपदाएं, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं, त्यौहार–संबंधी आपदाएं। |
| जल संसाधन विभाग | बाढ, फ्लैश फ्लड, बांध–टूटना एवं बादल–फटना। |
| पब्लिक वर्क्स | भूकम्प, इमारत ढहना, भू–स्खलन डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) |
| खदान एवं पैट्रोलियम | खदानो में आग एवं बाढ़, तेल रिसना। |
| उद्योग विभाग | रासायनिक एवं औधोगिक आपदाएं। |
| अर्बन डिवेलॅपमेंट एण्ड हाउसिंग (यूडीएच) | शहरी अग्निदुर्घटनाएं। |
| राजस्व विभाग | ग्रामीण अग्निदुर्घटनाएं, नाव–उलटना। |
| वन विभाग | दावानल |
| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | जैविक आपदा एवं महामारी, भोजन–विषाक्तीकरण |
| कृषि विभाग | रोग–जनक जीवों का आक्रमण। |
| पशु –पालन विभाग | पशुओं में महामारी। |

# अध्याय–2 बारां जिला एक संक्षिप्त परिचय

## 1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी अंचल में स्थित कोटा जिले के दक्षिणी पूर्वी सीमान्त क्षेत्र को 10 अप्रेल 1991 से बारां जिले का स्वरूप प्रदान किया गया है। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती अंचल के मध्य भाग में मध्य–रेल्वे के कोटा–बीना रेल मार्ग पर बारां नगर की स्थापना चोदहवीं–पंद्रहवीं शताब्दी में सोलंकी राजपूत द्वारा की गई थी। बारां जिला 24.25डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25.25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 72.12डिग्री पूर्वी देशान्तर से 77.26डिग्री मानचित्रीय के मध्य स्थित है। जिले की लम्बाई पश्चिम में कालीसिंध व परवन के संगम (राजगढ़) से पूर्व में कोटा नाका (कस्बाथाना से 6 किमी. उत्तर पूर्व ) तक 120 किमी. परन्तु सड़क मार्ग से 151 किमी. है। अधिकतम चौड़ाई उत्तर में भावपुरा ( बम्बोरी कला के निकट ) से दक्षिण में झाला–बामला ( कुम्भराज नाका ) तक 110 किमी. परन्तु सड़क मार्ग द्वारा 130 किमी. है। जिला मुख्यालय बारां से अधिकतम सड़क मार्ग दूरी पूर्व में कोटा नाका 111 किमी. पश्चिम में राजगढ़ 40 किमी. उत्तर में ढीबरी 54 किमी., तथा दक्षिण में कुम्भराज नाका 90 किमी. है। जिले का कुल क्षेत्रफल 6992 वर्ग किमी (नगरीय 82.18 वर्ग किमी तथा ग्रामीण 6909.82 वर्ग किमी. ) है।

## 1.2 भौगोलिक स्थितिः–

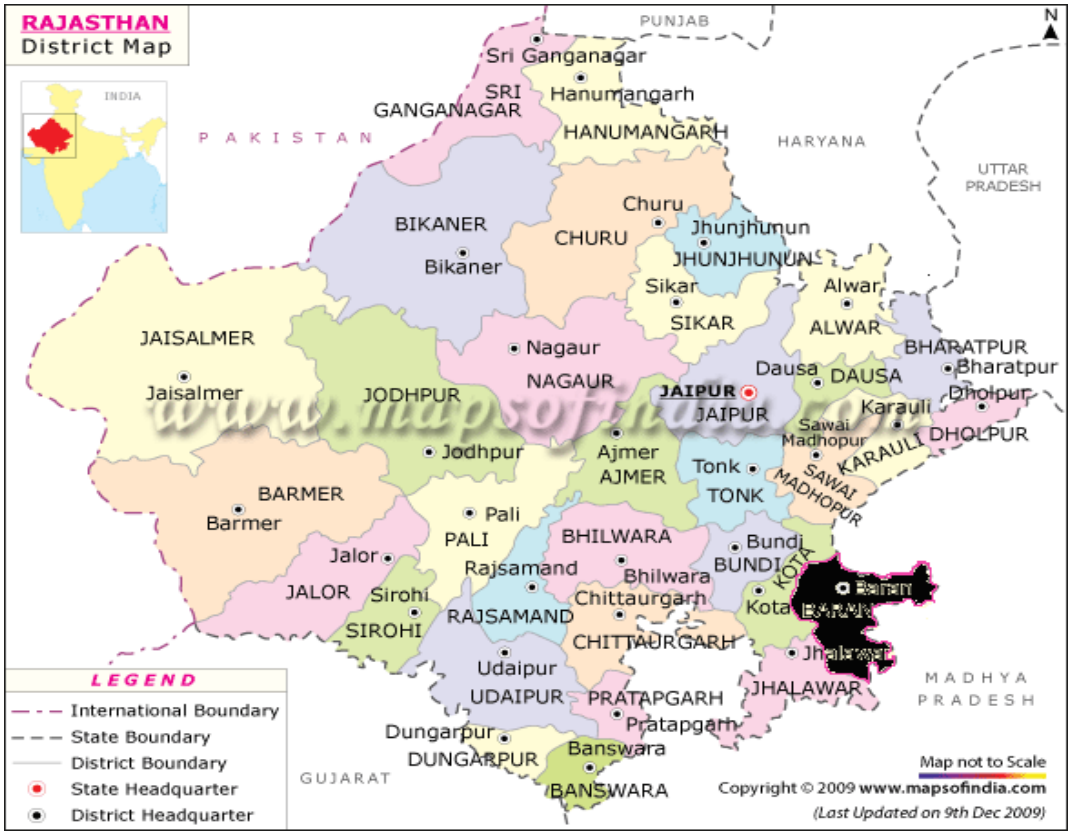

बारां जिला राजस्थान का सूदूर दक्षिणी पूर्वी सीमान्त जिला है। इसकी सीमायें अन्तर्राज्यीय सीमा में मांगरोल तहसील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर स्थित भावगढ़ से छीपाबड़ौद तहसील के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित टोल खेड़ा तक बारां जिले की उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा मध्यप्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय सीमा बनाती है। अन्तर्जिला सीमा में छीपाबड़ौद तहसील की दक्षिणी पश्चिमी तथा अटरू तहसील की आधी पश्चिमी सीमा बारां जिले को झालावाड़ जिले से पृथक करती है।

स्थल आकृति की दृष्टि से बारां जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का एक भाग है। जिसे हाड़ौती के पठार की संज्ञा दी गयी है। यह मुख्य रूप से कालीसिंध व पार्वती नदी के दोआब है। जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर है। इस मैदान का क्रमिक ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है।

हाड़ौती का पठार गोंड़वाना लैण्ड पर स्थित एवं सन्तुलित होने से भूकम्प शून्य है। अप्रवाह प्रणाली बारां जिले का क्रमिक ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। इस जिले का सम्पूर्ण जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। जिले की नदियों  की प्रणाली वृक्षसम या दुमाकार है।

**1.3 प्रशासनिक संरचनाः–**

प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से बारां जिला 8 उपखण्ड, 8 तहसील एवं 7 पंचायत समिति क्षेत्रो में विभाजित है। जिले में कुल 221 ग्राम पंचायतें तथा कुल 1250 राजस्व ग्राम हैं जिनमें से 126 गैर आबाद ग्राम हैं। जिले में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्तों की संख्या 59 तथा 242 पटवार मण्डल हैं। जिले में कुल 19 पुलिस स्टेशन तथा 28 पुलिस चौकियां हैं। जिले में चार नगर पालिकायें हैं– बारां, अन्ता, मांगरोल, छबड़ा।

| क्र.सं.. | उपखण्ड एवं तहसील का नाम | पंचायत समिति | कुल ग्राम पंचायतें | पटवार सर्किल | आबाद ग्राम | कुल जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बारां | बारां | 26 | 32 | 103 | 213555 |
| 2. | अन्ता | अन्ता | 38 | 29 | 82 | 120038 |
| 3. | मांगरोल | अन्ता | | 22 | 74 | 106963 |
| 4. | अटरू | अटरू | 35 | 34 | 144 | 149959 |
| 5. | छबड़ा | छबड़ा | 27 | 28 | 187 | 152429 |
| 6. | छीपाबड़ौद | छीपाबड़ौद | 30 | 30 | 176 | 170886 |
| 7. | किशनगंज | किशनगंज | 32 | 34 | 186 | 166864 |
| 8. | शाहबाद | शाहबाद | 27 | 33 | 168 | 142061 |
| | योग | | 221 | 242 | 1118 | 1222755 |

**5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों/नगरों का विवरणः–**

| क्र.सं. | नाम तहसील | ग्राम का नाम | कुल आबादी |
|---|---|---|---|
| 1. | बारां | बारां शहर | 117992 |
| | | कोयला | 6117 |
| | | आमापुरा | 5988 |
| | | फतेहपुर | 5833 |
| 2. | अन्ता | अन्ता शहर | 32377 |
| | | पलायथा | 5369 |
| | | बड़गांव | 6243 |
| 3. | मांगरोल | मांगरोल शहर | 25073 |
| | | सीसवाली | 12753 |
| | | बोहत | 5415 |
| 4. | अटरू | अटरू | 11141 |
| | | बडोरा | 5108 |
| | | कवाई | 9487 |
| | | खेड़लीगंज | 7022 |
| 5. | छबड़ा | छबड़ा शहर | 32285 |
| 6. | छीपाबड़ौद | हरनवावदाशाहजी | 9303 |
| | | छीपाबड़ौद | 18837 |
| 7. | किशनगंज | किशनगंज | 7944 |
| | | भंवरगढ़ | 9266 |
| | | नाहरगढ़ | 8867 |
| 8. | शाहबाद | | |
| | | देवरी | 5908 |
| | | कस्बाथाना | 5166 |
| | | घटा | 7081 |

## तहसीलवार सामान्य जानकारीः–

## (1) तहसील बारां :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 103 | 8 | 32 | 213555 | 93390 | 230082 | 230322 | 237006 | 237015 |

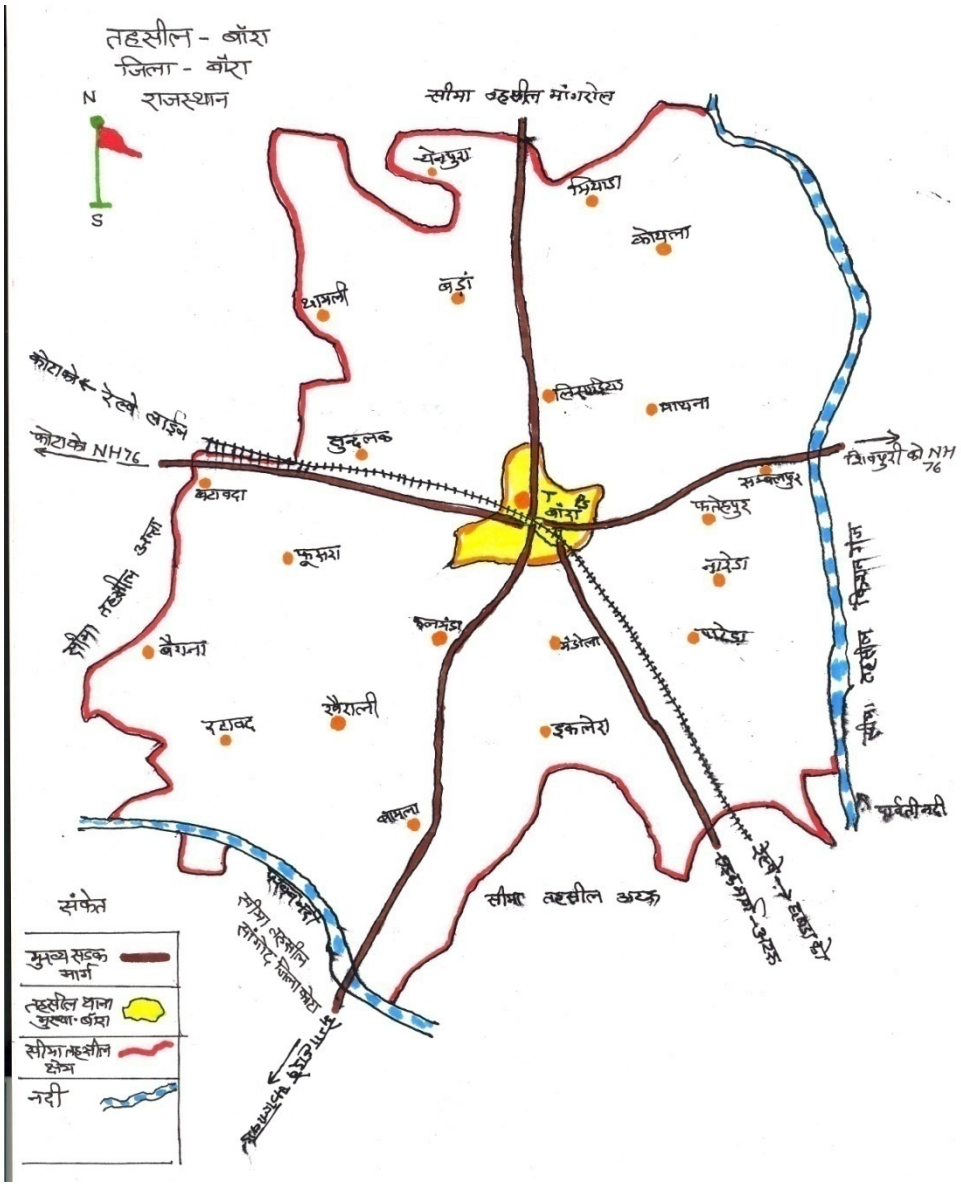

## (2) तहसील अन्ता :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 82 | 7 | 29 | 120038 | 162099 | 244253 | 232247 | 244800 | 244101 |

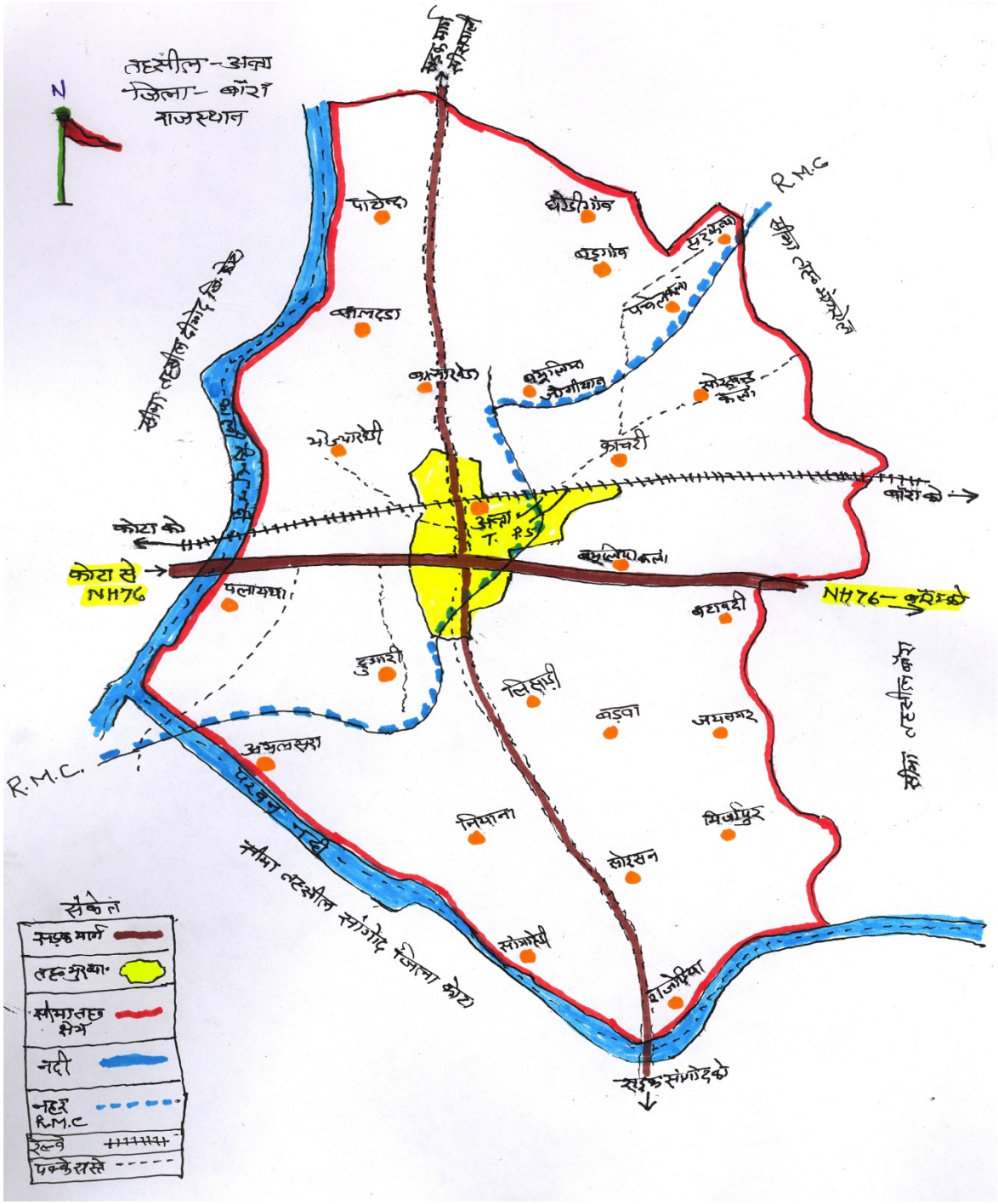

## (3) तहसील मांगरोल :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 74 | 5 | 22 | 106963 | | 225223 | 225340 | 223700 | 223229 |

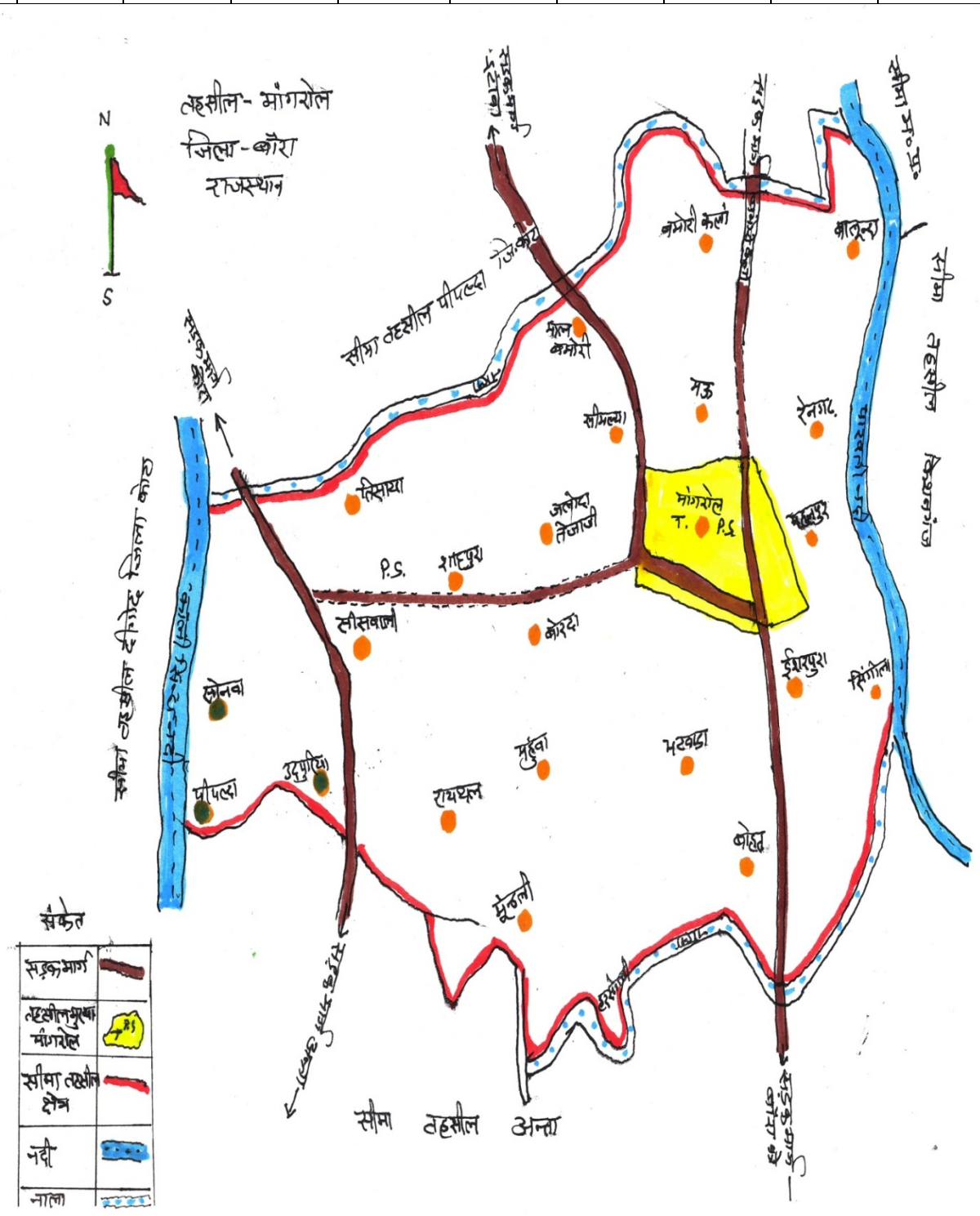

## (4)तहसील अटरू :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 146 | 8 | 34 | 149959 | 119489 | 240222 | 240215 | 240864 | 240235 |

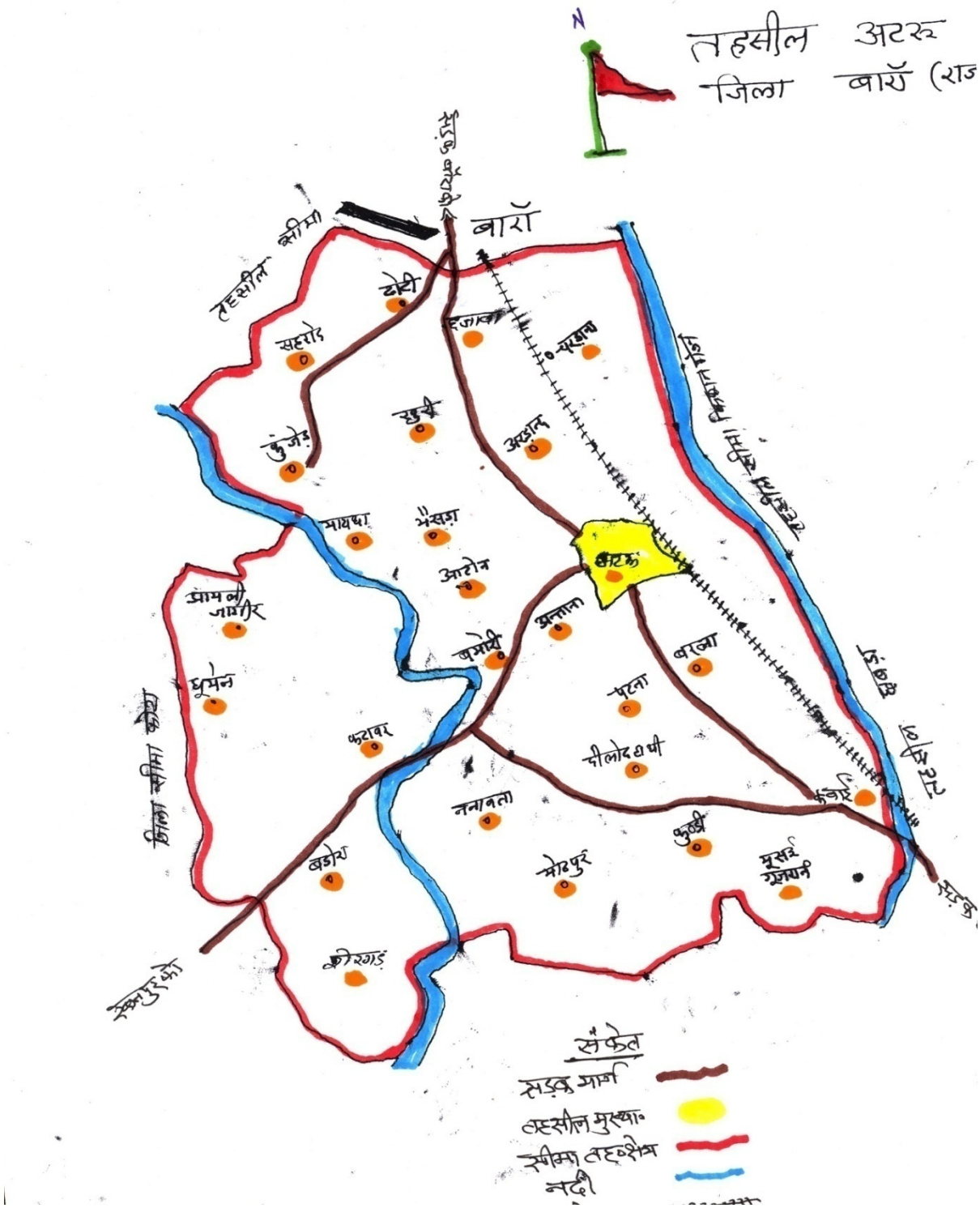

## (5) तहसील छबड़ा :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 187 | 7 | 28 | 152429 | 109083 | 222020 | 222875 | 222022 | 222028 |

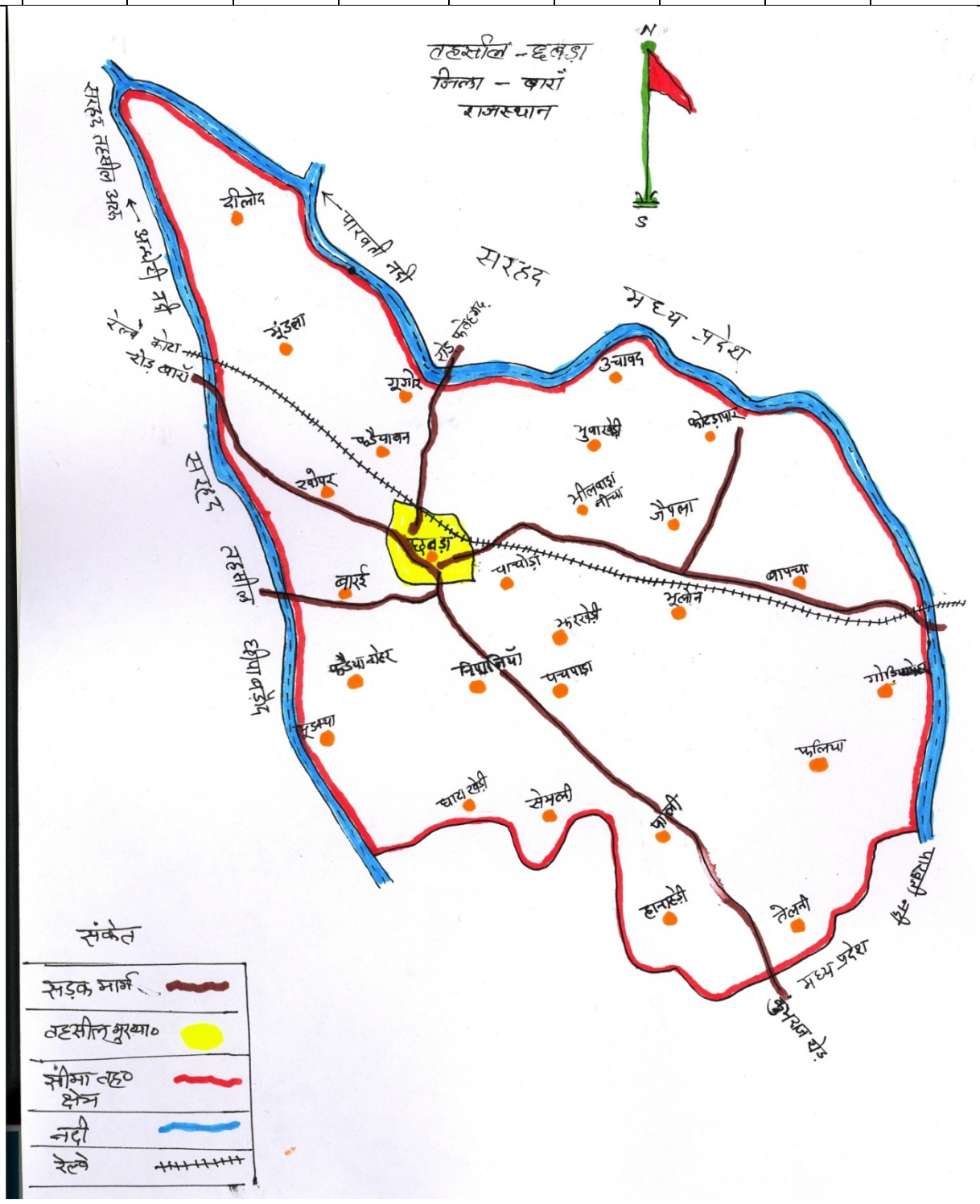

## (6)तहसील छीपाबड़ौद :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 176 | 8 | 30 | 170886 | 149510 | 285446 | 285399 | 285600 | 285424 |

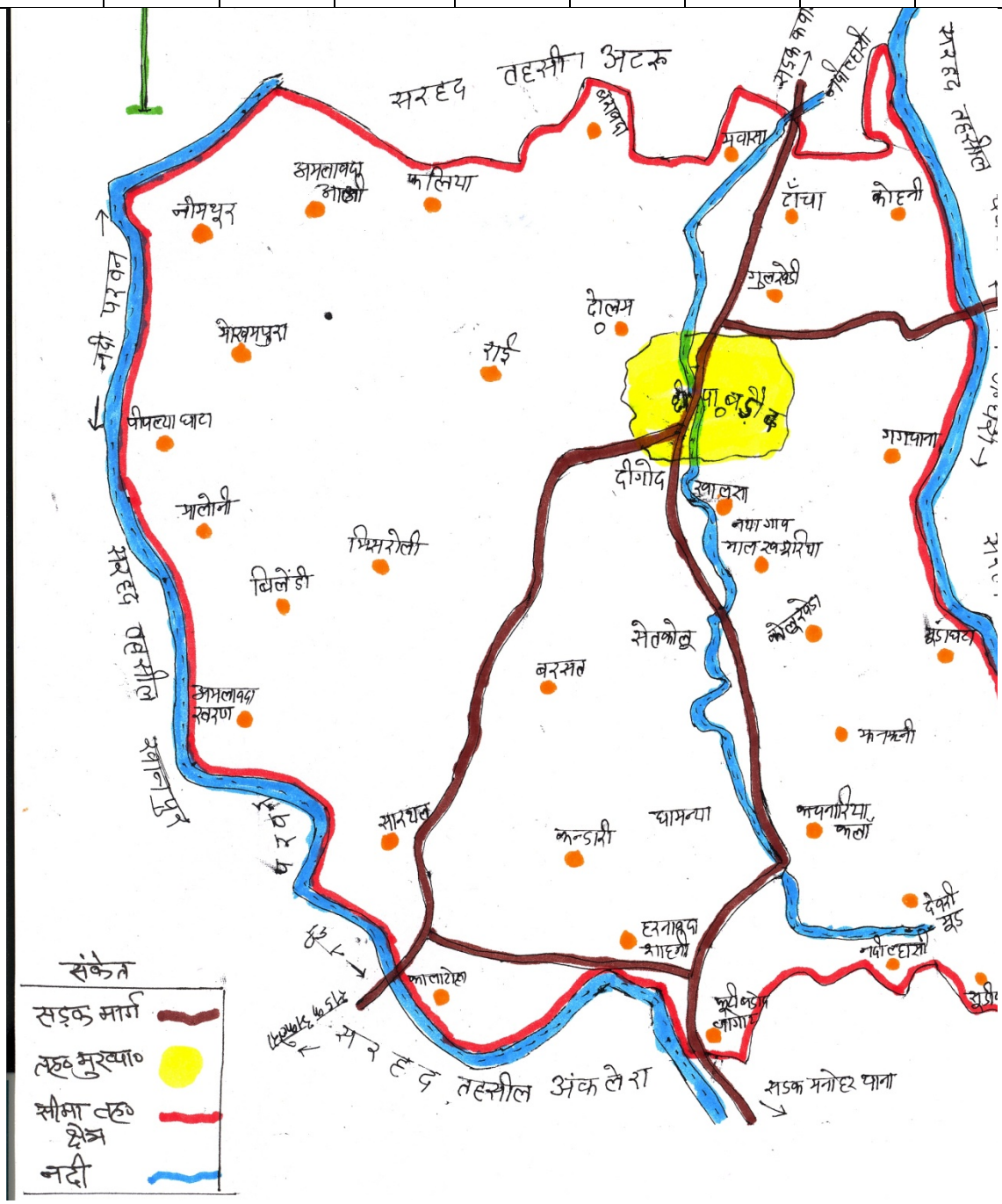

## (7)तहसील किशनगंज :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 186 | 8 | 34 | 166864 | 139593 | 253305 | 253380 | 253304 | 253306 |

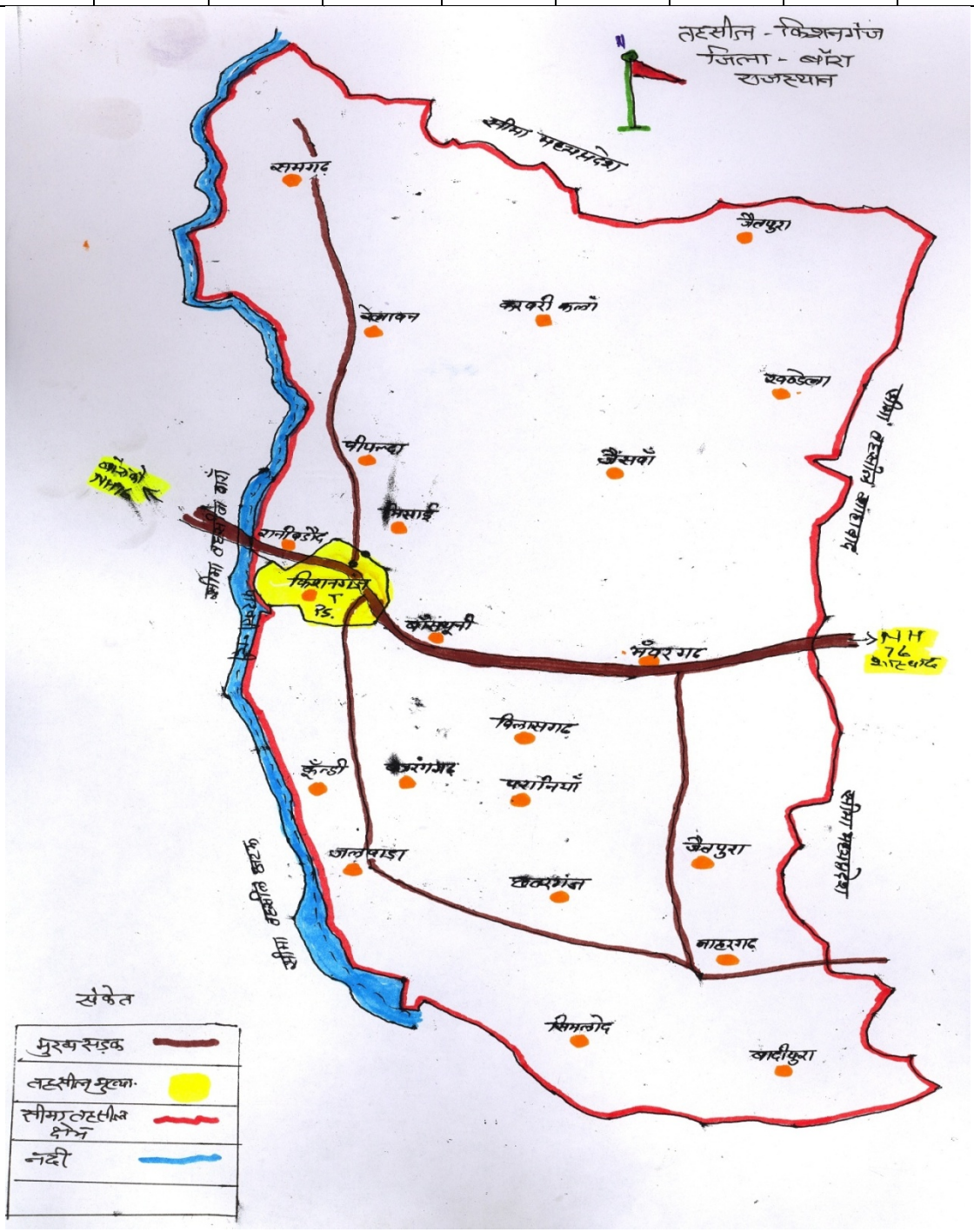

## 8)तहसील शाहबाद :–

| कुल ग्राम | आबाद ग्राम | भू.अ.नि. वृत्त | पटवार मण्डल | जनसंख्या | पशुधन | पुलिस स्टेशन दूरभाष | स्वास्थ्य केन्द्र दूरभाष | उपखण्ड अधिकारी दूरभाष | तहसीलदार दूरभाष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 168 | 8 | 33 | 142061 | 117421 | 262315 | 262490 | 262327 | 262305 |

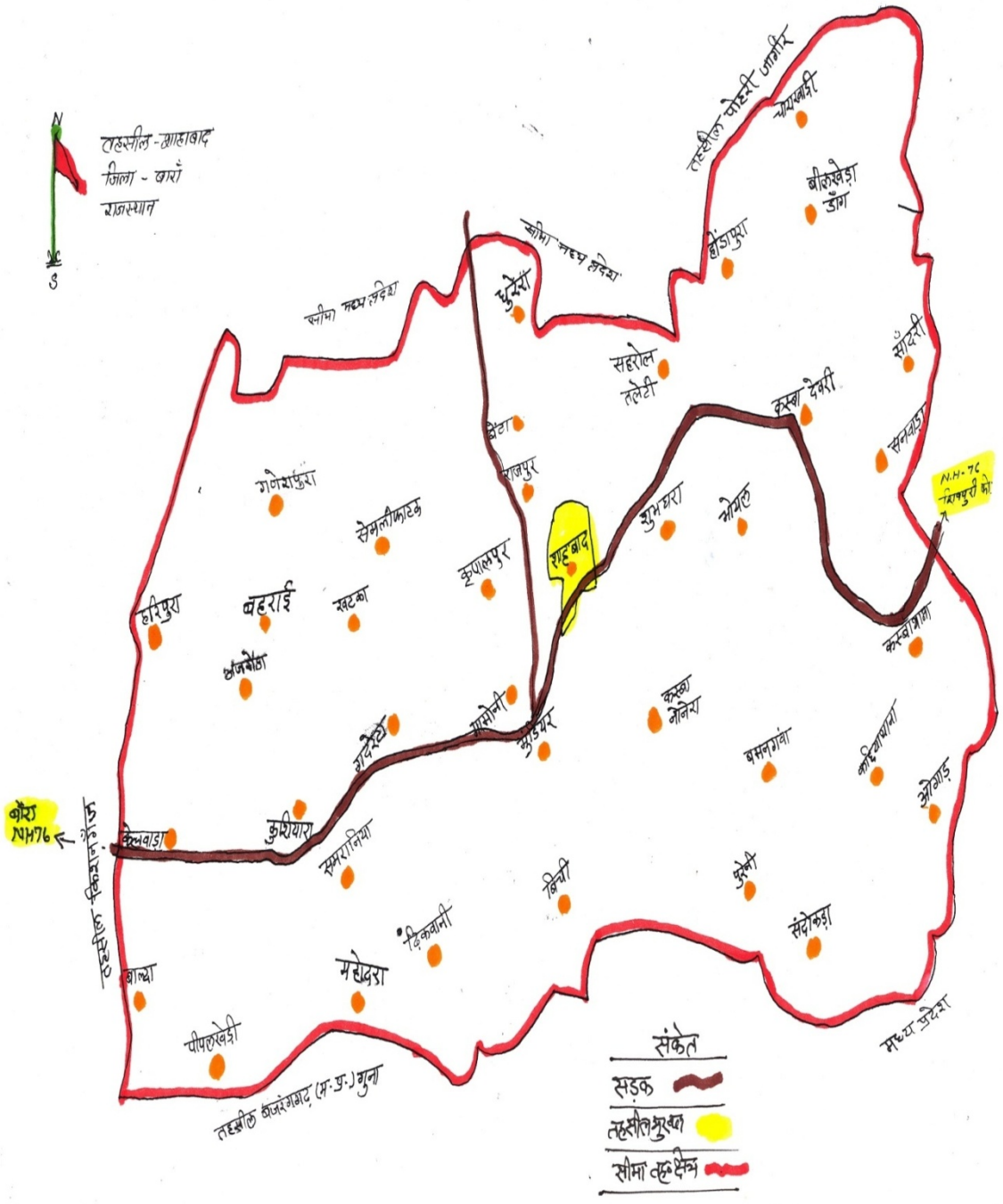

# अध्याय 3 आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण

## आपदा विश्लेषण

आपदा एक ऐसी घटना है जिसमें जान–माल को हानि पहुंचाने की क्षमता होती है। किसी आपदा की प्रमुख विशेषताओं का पता करके उसकी प्रकृति के अध्ययन को जोखिम विश्लेषण कहते हैं–जैसे उसकी प्रचंडता की मात्रा,अवधि,और प्रभावित क्षेत्र।

## जोखिम विश्लेषण

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किसी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान एक विशेष परिमाण में घटित होने वाली आपदा से होने वाले नुकसान के आकलन को जोखिम कहते है। जोखिम का स्तर आपदा की प्रकृति, प्रभावित होने वाले घटकों की सुभेद्यता और उन घटकों के आर्थिक महत्व पर निर्भर करता है। आपदा सुभेद्य स्थान, लोग, सम्पति एवं पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक परिणामों को भी जोखिम कहा जाता है।

जोखिम विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसी आपदा से होने वाले जोखिम की प्रकृति और मात्रा का आंकलन किया जाता है। इससे आपदा की क्षमता और सुभेद्यता की स्थिति का आंकलन किया जाता है जो जान–माल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते है।

इस तरह की जोखिम विश्लेषण आपदा और सुभेद्यता की ही प्रक्रिया है जो अनुमान और अनिश्चितता पर आधारित है। इसमें गलतियों की भी संभावना रहती है।

## सुभेद्यता विश्लेषण (Vulnerability Analysis)

किसी समुदाय के किसी विशेष घटक के नुकसान की मात्रा को सुभेद्यता कहते हैं जो किसी आपदा के परिणाम स्वरूप होता है। सुभेद्यता की प्रकृति और इसका विश्लेषण आपदा से प्रभावित लोगों, सामाजिक व्यवस्था,भौतिक संरचना और आर्थिक सम्पति एवं क्रिया–कलापों पर निर्भर करते है। इसलिए किसी क्षेत्र की सुभेद्यता वहां की सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक संरचना की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है कि वह किस सीमा तक किसी आपदा का मुकाबला कर सकती है।

एचवीआरए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर) की तरफ पहला कदम माना जाता है। जोखिम विश्लेषण अध्ययनों के दोनो ही,आकाशीय वं लौकिक, आयाम होते है। इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक है कि जोखिम विश्लेषण किस पैमाने पर किया जाय। समय–समय पर जोखिम मानचित्रों का आधुनिकीकरण जरूरी है।

एक मजबूत और कारगर योजना तैयार करने के लिए एचवीआरए आवश्यक है। इसमें तैयारी, रोकथाम, शमन और रिसपॉन्स संबंधी उपायों पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा। डीएम एक्ट 2005 में भी जोखिमों और सुभेद्यता का पता लगाने के लिए आपदा सुभेद्यता एवं जोखिम विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है।

## जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकुल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दूर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पूर्वस्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के प्रभाव को भयंकर बनाया है, बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःषक्तजनों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करकेजोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

### संभावित विपदाओं की पहचान

प्रमुख आपदाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः–

**1. जलवायु सम्बन्धी :–**

- बाढ़
- सूखा
- चक्रवात
- बादल का फटना
- लू, गर्म एवं ठण्डी हवाएँ, पाला, आंधियाँ, तूफान/ओलावृष्टि
- बिजली का गिरना

**2. भू–गर्भ सम्बन्धी :–**

- भूकम्प
- भूस्खलन
- बांध का टूटना
- खान में आग लगना

**3. रसायनिक, औद्यौगिक एवं परमाणु सम्बन्धी :–**

- रसायनिक विपदा
- औद्योगिक विपदा
- परमाणु विपदा

4. **दुर्घटना सम्बन्धी :–**

- आग
- बम विस्फोट
- सड़क, रेल, वायु दुर्घटना
- खान मे बाढ़ आना एवं ढहना
- मुख्य भवनों का ढहना

5. **जैविक आपदाओं सम्बन्धी :–**

- महामारी
- टिड्डी दल आक्रमण
- जानवरों की महामारी

6. **अन्य आपदाएं :–**

- आतंकवादी गतिविधियां
- उपद्रव
- दंगे
- बलवा
- त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़
- जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा बारां जिले के लिए मुख्य आपदाएं निम्नानुसार चिन्हित की गई हैं:–1. बाढ़ 2. सूखा 3. सड़क दुर्घटना 4. आग लगना 5. भूकम्प 6. बांध का टूटना 7. आतंकी गतिविधियां(बम विस्फोट) 8. महामारी 9.शीतलहर व पाला 10. आकाशीय बिजली ।

## जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर

जिले में घटित होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मिनी सचिवालय के कमरा नम्बर 28 में जिला ईमरजेंसी सेंटर स्थापितकिया गया है तथा छह आपदा राहत केन्द्र भी जिले में स्थापित किये गये हैं । किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में

जिला ईमरजेंसी सेंटर के दूरभाष नम्बर **237081** पर सूचना दी जानी चाहिए । ईमरजेंसी सेंटर 24 घण्टे कार्यरत रहता है। इस सेंटर पर कोई भी व्यक्ति/संस्था/दुकानदार/मकान मालिक/अधिकारी/कर्मचारी जिले में किसी भी प्रकार आपदा आने पर सूचना दे सकता है। जहां पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाती है। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम मे **100** नम्बर तथा **230383** पर भी सूचना देना उचित रहता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि ई0ओ0सी0/ जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर कार्यरत स्टॉफ के पास जिले की महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा दूरभाश नम्बर उपलब्ध रहे। इस पुस्तिका की प्रति भी 24 घण्टे ई0ओ0सी0 /जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर रहनी चाहिये।

## ई.ओ.सी. में उपलब्ध उपकरण/ सामग्री

| क्र.स. | उपकरण का नाम | उपकरण की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ड्रेगन लाइट | 9 |
| 2 | वायरलैस सेट | 1 |
| 3 | सिसिल रोप | 600 मीटर |
| 4 | डिस्प्ले बोर्ड | 1 |
| 5 | कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर | 1 |
| 6 | एल.सी.डी. टी.वी. सेट | 1 |
| 7 | जेनरेटर सेट | 1 |
| 8 | टेन्ट केनवास | 1 |
| 9 | पुलिज | 5 |
| 10 | फाइबर रोंप | 60 कि.ग्रा. |
| 11 | बीओबी रोप | 100 कि.ग्रा. |
| 12 | स्ट्रेचर | 5 |
| 13 | ब्लेनकेट | 20 |
| 14 | बाल्टी (ब्यूकेट) | 10 |
| 15 | सेफ्टी हेलमेट | 20 |
| 16 | गम बूट | 20 |
| 17 | हैन्ड टूल सेट | 2 |
| 18 | लाइफ जॉकेट | 15 |
| 19 | एक्सटेन्षन लेडर 8 फीट | 4 |
| 20 | इमरजेन्सी लाइट | 5 |
| 21 | टॉर्च लाइट | 10 |
| 22 | मेगाफोन | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| **23** | फेस मास्क | 20 |
| **24** | गैंती | 20 |
| **25** | स्पेड | 20 |
| **26** | लाइट एक्स | 10 |
| **27** | रबड़ ट्यूब | 10 |
| **28** | दस्ताने | 20 |
| **29** | हैवी चैन | 5 |
| **30** | बॉक्स स्अील विद टू लॉक | 1 |
| **31** | सॉल (फावडा) | 10 |

इसके अतिरिक्त जिले में छह आपदा राहत केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक राहत केन्द्र पर केन्द्र प्रभारी के अतिरिक्त 20 प्रशिक्षित राहत कर्मियों का दल भी तैनात है । राहत केन्द्रों तथा उन पर उपलब्ध राहत उपकरणों का विवरण निम्नानुसार हैंः–

| **क्र. स.** | **केन्द्र का नाम** | **प्रभारी का नाम** | **मो. न.** | **दूरभाश न0** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्काउट–गाइड जि.मु. बारां | श्री भैरू लाल वर्मा | 9413472566 | 07453–235146 |
| 2 | रा.उ.मा.वि. रेलावन | श्री रामकेश गुर्जर | 9783457590 | 07456–251539 |
| 3 | रा.उ.मा.वि. रेलावन | श्री सत्यनारायण गालव | 9929981880 | 9929747452 |
| 4 | रा.उ.मा.वि. अटरू | श्री भूवनेश भार्गव | 9413005084 | 07451–240012 |
| 5 | रा.उ.मा.वि. शाहबाद | श्री अमजद युसुफी | 7665447474 | 07460–262329 |
| 6 | रा.उ.मा.वि. छीपाबड़ौद | श्री इन्द्र कुमार शर्मा | 9950101607 | 07454–236075 |

| क्र.स. | उपकरण का नाम | उपकरण की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | टेन्ट | 1 |
| 2 | पुलिज | 4 |
| 3 | बीओबी रोब | 100 मीटर |
| 4 | स्ट्रेचर | 4 |
| 5 | ब्लेनकेट रेड़ | 10 |
| 6 | बाल्टी (ब्यूकेट) | 10 |
| 7 | सेफ्टी हेलमेट | 10 |
| 8 | गम बूट | 5 |
| 9 | हैन्ड टूल सेट | 1 |
| 10 | लाइफ जॉकेट | 4 |
| 11 | एल्यूमिनियम लेडर | 2 |
| 12 | इमरजेन्सी लाइट | 10 |
| 13 | टॉर्च लाइट | 10 |
| 14 | मेगाफोन | 2 |
| 15 | फेस मास्क | 10 |
| 16 | गैंती | 10 |
| 17 | स्पेड आइरन | 10 |
| 18 | लाइट एक्स | 4 |
| 19 | रबड़ ट्यूब | 10 |
| 20 | दस्ताने | 5 |
| 21 | हैवी चैन विद लॉक | 2 |
| 22 | बॉक्स स्अील | 2 |
| 23 | सॉल (फावडा) | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| **24** | पर्स्ट एड़ बॉक्स | 1 |
| **25.** | रेपेलिंग रोप | 10 |
| **26.** | पिकेक्स | 10 |
| **27.** | कुल्हाडी | 10 |
| **28.** | क्लाइम्बिंग रोप | 30 |

**बाढ :–**

बारां जिला वर्ष 1957 से ही बाढ आपदा से ग्रस्त रहा हैं। जिले में पिछले 10 वर्षो में औसत वर्षा 1009.04 रही है। जिले में वर्ष 1957, 1975, 1976, 1984, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001, 2005, 2007, 2011, 2013, में मुख्य रूप से अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बनें। जिले में पार्वती, परवन, कालीसिन्ध, बाडगंगा, अन्धेरी, केथली, ल्हासी, कुनु, करई, रेपी, आदि प्रमुख नदियो के बहाव क्षेत्र में 100 से अधिक ग्रामों/शहरों में बाढ़ के हालात बनते है।

| क्र.सं. | वर्ष | बाढ/अतिवृष्टि में मृतकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | मृतक की संख्या | घायलों की संख्या |
| 1. | 2010–11 | 0 | 0 |
| 2. | 2011–12 | 15 | 0 |
| 3. | 2012–13 | 8 | 0 |
| 4. | 2013–14 | 12 | 0 |
| 5. | 2014–15 | 10 | 3 |
| 6. | 2015–16 | 1 | 1 |
| 7. | 2016–17 | 16 | 0 |
| | **योग** | **62** | **4** |

**अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण पशुधन हानि :–**

23.06.11 से 31.07.11 के मध्य अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण शाहबाद क्षेत्र में गौवंश 203, भैस वंश 18, किशनगंज क्षेत्र गौवंश 133, भेड वंश 12, बारां क्षेत्र में भैंस वंश 9, की हानि हुई।

23.08.11 से 25.08.11 के मध्य अतिवृष्टि के कारण 23 ऊॅटो की हानि पीपल्या घाटा तहसील छीपाबड़ौद के जंगलों में हुई।

23.01.14 से 25.01.14 के मध्य शाहबाद तहसील में भारी बारिस होने एवं शीतलहर की चपेट में आने से मृत भेडो की संख्या :– 153 छोटी भेडें एवं 256 बडी भेडें।

**बाढ़ के प्रमुख कारण :–**

कई दिनों तक लगातार बारिश होना।

कुछ समय के लिए तेज बारिश होना, तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होना।

नदी के अपने औसत स्तर से अधिक उपर तेजी से बहना।

बादल फटना।

बांध टूटना।

विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में अवरोध होना।
बारां जिले में बाढ़ आपदा से प्रभावित होने वाले 100 से अधिक ग्राम/शहर का उपखण्ड वार चयन किया गया है, एवं आपदा से निपटने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाई गयी है।

**ओलावृष्टि,पाला एवं आकाशीय बिजली :–**

ओलो से फसलो और पेड पोधो को भारी हानि पहुचती है, ओलावृष्टि से कुछ अनुपूरक जोखिम भी पैदा हो जाते है। जैसे पेडो के गिरने से बिजली के खम्बों का टूट जाना या संचार व्यवस्था का ठप हो जाना।
बारां जिले में ओलावृष्टि से 2010–11 में 09 ग्राम, 2012–13 में 69 ग्राम, 2013–14 में 482 ग्राम, 2014–15 में 507 ग्राम, 2015–16 में क्रमश 183 एवं 1070 ग्राम प्रभावित हुए। वर्ष 2015–16 में 183 ग्रामों के 60996 कृषक एवं 1070 ग्रामो के 360356 कृषको को मुआवजा दिया गया।

| क्र.सं. | वर्ष | आकाशीय बिजली से मृत्यु | |
|---|---|---|---|
| | | मृतक की संख्या | घायलों की संख्या |
| 1. | 2010–11 | 1 | 1 |
| 2. | 2011–12 | 10 | 4 |
| 3. | 2012–13 | 3 | 0 |
| 4. | 2013–14 | 5 | 0 |
| 5. | 2014–15 | 7 | 0 |
| 6. | 2015–16 | 3 | 3 |
| 7. | 2016–17 | 14 | – |
| | योग | 43 | 8 |

बारां जिले में ग्राम जैतपुरा कपिलधारा ग्राम पंचायत तह. किशनगंज में दिनांक 14.07.2011 को सांयकाल आकाशीय बिजली गिरने से 55 भेंडो एवं 12 बकरीयों की मौत।

**सूखा :–**

कम बरसात एवं मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है।
सूखे का असर सबसे ज्यादा लोगों एवं पशुओं पर पडता है, सूखे का सीधा असर खाद्यान्न के उत्पादन पर पडता है। जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पडता है। धीमी गति के कारण, इसका असर धीरे–धीरे महसूस होता है और लम्बे समय तक रहता है।
बारां जिले में पिछले 10 वर्षो में वर्षा का वार्षिक औसत 1009.04 रहा है परन्तु वर्ष 2001 से 2003 तक अनावृष्टि के कारण जिलें ने सूखे का सामना किया है।

**भूकम्प :–**

बारां जिला भूकम्प की दृष्टि से निम्न जोखिम क्षैत्र में आता है, जिला प्रशासन द्वारा भूकम्प के जोखिम से निपटने हेतु करो ना करों एवं भूकम्प के दौरान मिटिगेशन हेतु कार्ययोजना तैयार की है एवं सम्बन्धित विभागों को इस हेतु दायित्व सोपें गये है।

**अग्नि :–**

शहरी एवं ग्रामीण अग्नि दुर्घटनाऐं – आगजनी की दुर्घटनाऐं अक्सर भूकम्प, विस्फोट, या बिजली के शोर्ट सर्किट की वजह से होती है। गेस सिलेण्डर या पटाखें फटने से भी आग की दुर्घटनाऐं होती है। शुष्क प्रदेश होने के कारण पहाडों एवं जंगलो में पेडो के आपसी रगड़ से आग लगने की सम्भावना रहती है, एवं जंगलो में आग शीघ्रता से फेलती है।

ग्रामीण क्षैत्रो में स्थानीय लोगों के द्वारा खेतो में आग लगाकर छोड देने से, फसल पक जाने के बाद, खलिहानों में बीडी सिगरेट माचिस आदि का लापरवाही से प्रयोग करने और फसलों की कटाई के उपरान्त सूखें डंढलो को लापरवाही से जला देने के कारण भी हवा चलने से चारो और आग फेलकर भयावह रूप धारण कर सकती है।
वर्षा ऋतु में कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग सकती है।
पेट्रोल पम्पों, गेस एजेसिंयों एवं छविगृहों में भी थोडी सी असावधानी से आग लग सकती है। औधोगिक ईकाइयों में अत्यधिक रसायनों का भण्डारण अथवा असावधानी पूर्ण प्रयोग भी भंयकर आग का कारण हो सकते है।

वित्तिय वर्ष 2010–11 में 86, 2011–12 में 97, 2012–13 में 91, 2013–14 में 116, 2014–15 में 70, 2015–16 में 120, 2016–17 में 113, आगजनी की घटनाये हुई है जिन पर फायर ऑफिसर द्वारा काबू पाया गया।

## बायोलोजिकल आपदा :–

## मानव महामारी

बारां जिले में वर्ष 2010 से लेकर 2017 तक मुख्य रूप से मलेरिया, टाईफाइड एवं डेंगु के रोगी विशेष रूप से सामने आये है। जिले में आईडीएसपी योजना एवं अन्य संसाधनों से इनपर कन्ट्रोल के प्रयास किये जा रहे है। पर्यावरण प्रबन्धन से सम्बन्धित सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छ जलापूर्ति, व्यक्तिगत स्वच्छता पर प्रशासन एवं मेडिकल विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। जिले में वर्षवार रोगवार रोगियों के आकडें एवं उससे होने वाली मृत्यु की संख्या निम्नानुसार है।

| S.no. | Years | Malariya | | Dengue | | Chichanguniya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of case | No. of death | No. of case | No. of death | No. of case | No. of death |
| 1. | 2010 | 662 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2011 | 905 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2012 | 717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2013 | 917 | 1 | 351 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | 2014 | 707 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 2015 | 757 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 2016 | 606 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 8. | 2017 | 48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |

| S.no | Years | Swine flu | | Typhoid | | Jundice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. of case | No. of death | No. of case | No. of death | No. of case | No. of death |
| 1. | 2010 | 19 | 5 | 1524 | 0 | 33 | 0 |
| 2. | 2011 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 127 | 0 |
| 3. | 2012 | 3 | 2 | 680 | 0 | 831 | 0 |
| 4. | 2013 | 3 | 2 | 805 | 0 | 198 | 0 |
| 5. | 2014 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 277 | 0 |
| 6. | 2015 | 44 | 4 | 1442 | 0 | 215 | 0 |
| 7. | 2016 | 3 | 2 | 1594 | 0 | 276 | 0 |
| 8. | 2017 | 7 | 3 | 659 | 0 | 60 | 0 |

**पशु महामारी :–**

पशु गणना 2007 के अनुसार जिले में उपलब्ध पशुधन में गाय 364367, भैस 231814, भेड़ 13417, बकरी 270389, ऊंट 903, शूकर 9692 है। इस प्रकार कुल पशुधन 890585 है।

पशुओं में पायी जाने वाली बीमारियां –

| क्रमांक | बीमारी | प्रभावित जानवर |
|---|---|---|
| 1. | ब्लैक क्वार्ट (बीक्यू | मवेशी, विशेषरूप से जवान पशु |
| 2. | फुट एंड माउथ डिजीज(एफएडी) | मवेशी, विशेषरूप से संकरण जानवर |
| 3. | शीप पॉक्स | भेड़ एवं बकरियां |
| 4. | एन्टेरोटो क्सेमिआ (ईटी) | भेड़ एवं बकरियां |
| 5. | सीसीपीपी | भेड़ एवं बकरियां |
| 6. | पेस्ट्स डेस पेटिट्स रूमीनेन्ट्स | भेड़ एवं बकरियां |
| 7. | बर्ड फ्लू | पॉल्ट्रि, बतख, पीरू एवं जल मुर्गा |
| 8. | ईक्वाइन इनफ्लुएन्जा | घोड़े |
| 9. | स्वाइन फीवर | सूअर |
| 10. | स्वाइन पैस्चुरेलॉसिस | सूअर |

पशुओं में महामारी से पशुधन उत्पादको की लागत एवं नुकसान बढ जाता है, पशुओ की पैदावार घट जाती है, जानवरों की मृत्यु दर बढ जाती है। पशुपालन विभाग बारां द्वारा पशुओं की सामान्य बीमारियों एवं महामारियों के सन्दर्भ में कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाता है।

## बारां जिले के धार्मिक स्थल, मेला, विशेष आयोजन, संस्थानो का आपदा विश्लेषण

**1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (N.T.P.C.)–अन्ताः–**

एनटीपीसी अन्ता गैस पावर स्टेशन की शुरुआत 24–08–1986 से हुई। यह स्टेशन कस्बा अन्ता जिला–बारां (राजस्थान) अक्षाश 25.11.N देशांतर 76 E 19 के मध्य स्थित है। एनटीपीसी से अन्ता रेल्वे स्टेशन की दूरी मात्र एक किलोमीटर है। इसकी क्षमता 419.33 मेगावट (3 गैस टारबाईन 88.71 मेगावाट प्रत्येक एवं स्टीम टारबाईन 1583 .2 मेगावट) है। संस्था का मुख्य ईंधन प्राकृतिक गैस है। इसके अतिरिक्त दूसरा ईंधन नेफ्ता है। जल संयंत्र कोल राइट मेन कैनाल है। यहा उत्पादन की जा रही विद्युत राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को प्रदत्त की जाती हैं। उक्त प्लांट की सुरक्षा हेतु वर्तमान मे सी0आई0एस0एफ0 की 01 यूनिट सहायक डिप्टी कमाण्डेंट सहित 130 जवान है। जिनमें से 90 जवान सुरक्षा हेतु एवं 40 जवान फायर विंग हेतु लगे हुये है। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा भी गश्त व नाकाबंदी की जाती है।

**2. थर्मल पावर प्लांट मोतीपुरा छबड़ाः–**

वृत छबडा के थाना क्षेत्र बापचा में मोतीपुरा मे 250–250 मेगावाट की 4 परियोजनाऐ चालू है तथा 650–650 मेगावाट की पांचवी व छठी ईकाई का कार्य चल रहा है। सीटीपीपी परिसर में लगा हुआसंयत्रजिसकी सुरक्षा हेतु बोर्डर होमगार्ड के 100 सुरक्षाकर्मी मय हथियार एस0एल0आर0 के तैनात है तथा परिसर में बने आवासीय कॉलोनी और मुख्य प्रवेश द्वार पर प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के 106 सुरक्षमर्की तैनात है। प्लान्ट मे सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा मे लगाये गये है। प्लान्ट मे 2 फायर टेण्डर एवं 36 प्रशिक्षित स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध है।

**3. अडानी पावर प्लांट कवाई–सालपुराः–**

अडानी पावर प्लांट कवाई मे 660–663 मेगावाट की दो विद्युत इकाईयां है। वर्तमान मे उक्त प्लांट में मिशा प्राईवेट सुरक्षा कम्पनी अहमदाबाद (गुजरात) के सुरक्षा गार्ड द्वारा सुरक्षा की जा रही है। साथ ही स्थानीय पुलिस द्वारा भी गश्त व निगरानी की जाती है।

**4. जल झूलनी ग्यारस (डोल एकादशी) :–**

कस्बाबारां मेंउक्त त्यौहार बडे हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बारां नगर में देव विमान, शोभायात्रा तथा अखाडे निकाले जाते हैं। बारां शहर में इस दिन निकाली जाने वाली शोभायात्रा व लगने वाला 15 दिवसीय मेला बारां जिले का ही नहीं पूरे हाडौती क्षेत्र का महत्वपूर्ण मेला है।

इस अवसर पर बारां शहर में विभिन्न हिन्दू समाजों के मन्दिरों से देव विमान सजाकर शोभायात्रा निकाली जाती है। विभिन्न मन्दिरों से लगभग **61** विमान व 9 अखाडे चलकर श्रीजी मन्दिर के पास आकर एकत्रित होते हैं, जहां से लगभग 3.00 पी0एम0 पर रवाना होकर चौमुखा बाजार, सर्राफा बाजार, सदर बाजार, धर्मादा चौराहा, मांगरोल रोड, कोयला खिडकी होते हुए डोल मेला तालाब पर पहुंचते हैं। जहां पर सभी विमानों की पूजा–अर्चना की जाती है। तत्पश्चात सभी देव विमान अपने–अपने मन्दिरों पर चले जाते हैं। बारां शहर में निकाली जाने वाली देव विमान शोभायात्रा को देखने के लिए ग्रमीण क्षेत्रों से काफी संख्या में स्त्री–पुरूष आते हैं। जिनकी संख्या लगभग **(एक लाख)** तक हो जाती है। डोल विमान यात्रा के मार्ग में मांगरोल रोड पर भाईजान वकील के मकान से कोयला खिडकी तक मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। शोभा यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आये हुयेलोग शोभा यात्रा को देखने के लिये भवनो की छतो पर एकत्रित हो जाते है। जिससे पुराने व जर्जर भवनों के छज्जो आदि के गिरने से जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। उक्त मेले के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु जिला बारां के अलावा रेंज से भी पर्याप्त जाप्ता लगाया जाता है।

**5. सीताबाडी धार्मिक स्थल कस्बा केलवाडा पुलिस थाना केलवाडा** :–

उक्त धार्मिक स्थल के परिसर में 5 पवित्र कुण्ड एवं मन्दिर है हिन्दु रीतिरिवाज के अनुसार सुबह एवं सायः पूजा एवं आरती की जाती है। माह मई व जून के मध्य 15 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें जिले व जिले के बाहर से दुकानदार व खरीददार आते है। मेले के दौरान लगभग (40000–50000) श्रृद्वालुओ की भीड़ दर्शन व स्नान करने आती है। सीताबाड़ी कस्बा केलवाड़ा के समीप काफी प्राचीन धार्मिक स्थान है। यहां पर लक्ष्मण जी, सूर्यदेव,राम,जानकी, लवकुश,बाल्मिकी, व सीताजी के मन्दिर है। मेले के दौरान मध्य प्रदेश से काफी संख्या में श्रृद्वालु आते है।यह धार्मिक स्थल आदिवासी सहरियाओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र है।सुरक्षा की दृष्टि से धार्मिक स्थल सीताबाड़ी में पुलिस चौकी स्थापित की हुई है।वार्षिक मेले के दौरान जिला मुख्यालय से अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया जाता है।

**नोटः–**

जब कभी जिले मे स्थित धार्मिक स्थलों/संस्थानों पर आतंकवादी/बम विस्फोट की घटना होने पर जिला स्तर से त्वरित कार्यवाही हेतु आवश्यक व उपलब्ध साजो सामान लेकर पर्याप्त पुलिस बल के घटना स्थल पर रवाना किया जावेगा एवं बीडीएस/एटीएस टीम को मौके पर अविलम्ब भिजवाने हेतु उच्चाधिकारियो को अवगत कराया जावेगा।

## परिवहन दुर्घटनाऐं :–

बारां जिले की कुल जनसंख्या 12,22,755 है। बढती हुई आबादी का बोझ व्यापक परिवहन तंत्र पर पड रहा है। बढते हुये ट्रेफिक की वजह से परिवहन व्यवस्थाऐं दुर्घटना सुभेद्य बन गयी है।

## सडक परिवहन :–

शहर एवं ग्रामीण क्षैत्रों में वाहनों की बढती हुई वाहनों की संख्या और सुरक्षित वाहन चालन के प्रति बोध की कमी के कारण हर वर्ष कई दुर्घटनाऐं होती है। बारां जिले में कुल 236214 वाहन रजिस्टर्ड है।

रोड़ एक्सीडेन्ट नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे एवं अन्य रोड़ पर वर्ष 2010 से 2019

| क्र.स. | सन् | रोड का प्रकार | कुल दुर्घटना की संख्या | गंभीर एक्सीडेन्ट की संख्या | साधारण एक्सीडेन्ट कीं संख्या | मृतको की संख्या | घायलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | एन.एच. 76 पर | 139 | 51 | 88 | 65 | 227 |
| | | एन.एच. 90 पर | 56 | 15 | 41 | 17 | 71 |
| | | स्टेट हाइवे | 20 | 5 | 15 | 7 | 28 |
| | | अन्य रोड़ पर | 283 | 49 | 234 | 55 | 477 |
| | | योग | **498** | **120** | **378** | **144** | **803** |
| 2 | 2011 | एन.एच. 76 पर | 92 | 25 | 67 | 26 | 159 |
| | | एन.एच. 90 पर | 57 | 14 | 43 | 17 | 99 |
| | | स्टेट हाइवे | 29 | 5 | 24 | 6 | 36 |
| | | अन्य रोड़ पर | 320 | 73 | 247 | 85 | 517 |
| | | योग | **498** | **117** | **381** | **134** | **811** |
| 3 | 2012 | एन.एच. 76 पर | 90 | 28 | 62 | 35 | 157 |
| | | एन.एच. 90 पर | 55 | 12 | 43 | 13 | 71 |
| | | स्टेट हाइवे | 44 | 10 | 34 | 11 | 57 |
| | | अन्य रोड़ पर | 368 | 81 | 284 | 90 | 544 |
| | | योग | **557** | **131** | **423** | **149** | **829** |
| 4 | 2013 | एन.एच. 76 पर | 108 | 40 | 68 | 47 | 226 |
| | | एन.एच. 90 पर | 54 | 11 | 43 | 13 | 83 |
| | | स्टेट हाइवे | 24 | 4 | 20 | 5 | 37 |
| | | अन्य रोड़ पर | 277 | 60 | 217 | 65 | 412 |
| | | योग | **463** | **115** | **348** | **130** | **758** |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2014 | एन.एच. 76 पर | 96 | 32 | 64 | 38 | 203 |
| | | एन.एच. 90 पर | 46 | 17 | 29 | 22 | 67 |
| | | स्टेट हाइवे | 30 | 8 | 22 | 8 | 40 |
| | | अन्य रोड़ पर | 310 | 65 | 245 | 70 | 491 |
| | | योग | **482** | **122** | **360** | **138** | **801** |
| 6 | 2015 | एन.एच. 76 पर | 82 | 38 | 44 | 49 | 153 |
| | | एन.एच. 90 पर | 68 | 19 | 49 | 26 | 111 |
| | | स्टेट हाइवे | 50 | 18 | 32 | 21 | 83 |
| | | अन्य रोड़ पर | 236 | 59 | 177 | 73 | 384 |
| | | योग | **436** | **134** | **302** | **169** | **731** |
| 7 | 2016 | एन.एच. 76 पर | 86 | 36 | 50 | 45 | 186 |
| | | एन.एच. 90 पर | 65 | 21 | 44 | 24 | 134 |
| | | स्टेट हाइवे | 67 | 24 | 43 | 28 | 126 |
| | | अन्य रोड़ पर | 257 | 68 | 189 | 78 | 347 |
| | | योग | **475** | **149** | **326** | **175** | **793** |
| 8 | 2017 | एन.एच. 76 पर | 21 | 14 | 7 | 19 | 27 |
| | | एन.एच. 90 पर | 31 | 10 | 21 | 11 | 32 |
| | | स्टेट हाइवे | 22 | 9 | 13 | 11 | 35 |
| | | अन्य रोड़ पर | 90 | 21 | 69 | 21 | 116 |
| | | योग | **164** | **54** | **110** | **62** | **210** |
| 9 | 2018 | एन.एच. 27 पर | **69** | **34** | **35** | **40** | **85** |
| | | एन.एच. 90 पर | **65** | **22** | **43** | **23** | **81** |
| | | स्टेट हाइवे | **56** | **22** | **43** | **23** | **81** |
| | | अन्य रोड़ पर | **202** | **50** | **143** | **56** | **257** |
| | | योग | **392** | **128** | **264** | **142** | **504** |
| 10 | 2019 upto May 19 | एन.एच. 27 पर | **32** | **16** | **16** | **17** | **83** |
| | | एन.एच. 90 पर | **28** | **7** | **21** | **8** | **45** |
| | | स्टेट हाइवे | **11** | **3** | **8** | **3** | **12** |
| | | अन्य रोड़ पर | **124** | **38** | **86** | **41** | **151** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योग | **195** | **64** | **131** | **69** | **291** |
| **कुल दुर्घटनायें 2010–2017** | | | **4160** | **1134** | **3023** | **1312** | **6531** |

बीएमटीपीसी में विभिन्न आपदा जोखिम विशलेषण एवं अन्य सहायक सूचना के विशलेषण के बाद विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में बारां जिले की स्थिति निम्न प्रकार है

| क्र.सं. | आपदा | सुभेद्यता |
|---|---|---|
| 1. | तूफान | सामान्य |
| 2. | बाढ़ | सामान्य |
| 3. | सूखा | सामान्य |
| 4. | भूकम्प | निम्न |
| 5. | औधोगिक दुर्घटना | निम्न |

# अध्याय 4 रोकथाम एवं शमन

जिलें में होने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ शामिल है, जबकि मानवकृत आपदाओं में दुर्घटनाएं एवं आगजनी प्रमुख है। रोकथाम एक ऐसी अवधारणा एवं अभिप्राय है जिससे समय रहते कार्यवाही करके सम्भावित प्रभाव से बचा जा सकता है। मानवकृत आपदाओं की तरह, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, चक्रवात इत्यादि को टाला नही जा सकता लेकिन जोखिम भरे क्षेत्रों में विकास कार्यो की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों को आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। शमन एक ऐसा कार्य है जिसके तहत ढांचागत एवं गैर–ढांचागत उपायों द्वारा होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

## जोखिम मूल्यांकन

आपदाओं की पहचान और उनसे हाने वाले जोखिमों का मूल्यांकन आपदा को कम करने की दिशा में पहला कदम है। आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरुरी है कि सभी विभाग, एजेंसियां, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करवायें। जिलें में सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रों की संक्षिप्त जानकारी पूर्व के अध्याय में दी गई है। इसके अतिरिक्त भी जोखिम मूल्यांकन का कार्य निरंतर किया जाना चाहिए।

## तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था

आपदाओं के विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरुरी है । इसके लिए कारगर नीतियॉ एवं कानूनों के बनाये जाने के साथ विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों एवं एजेंसियों द्वारा उनकों लागू किया जाना भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वय प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।

## सुरक्षित निर्माण

भूकम्प जैसी आपदाएं लोगो को नही मारती वरन गलत तरीके से डिजाइन और कमजोर इमारतें लोगो की मौत का कारण बनती है। नई इमारतों में सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतों में रीट्रोफिटिंग को वरीयता दी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों के डिजाइन और विशेषताओं को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जांचा जायेगा। इंजीनियर्स, आर्किटेक्टस, ठेकेदारों और राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। प्रमुख इमारतों यथा विद्यालय, अस्पताल इत्यादि की भूकम्परोधी बनाया जायेगा एवं उनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाये जायेंगे।

## सभी विभाग एवं एजेंसियों के लिए आपदानुसार रोकथाम के उपाय

| क्रमांक | आपदा | उपाय |
|---|---|---|
| 1 | बाढ़ | • बाढ़ की तीव्रता कम करने हेतु भू–संरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चेक डेक के निर्माण कार्यो को बढावा एवं पुलियों अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निरंतर मरम्मत कार्य करवाना<br>• बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में समय से चेतावनी देने के लिए स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करना<br>• बाढ़ उन्मुखी क्षेत्रों में जान–माल नुकसान कम करने के लिए संबंधित कानूनो की जानकारी प्रदान करना<br>• बाढ़ की स्थिति की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों जल संसाधन, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की स्थापना<br>• जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी सर्वे अध्ययन<br>• ऐसे निर्माण कार्यो पर पाबंदी लगाना जो जल के प्राकृतिक बहाव में रुकावट डालते है<br>• बाढ़ग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यो में बाढ़ नियमावली की अनुपालना सुनिश्चित करना<br>• बाढ़ से बचाव हेतु सामग्री यथा मिट्टी के कट्टे, बांस इत्यादि का पर्याप्त भंडारण निकटतम जगह पर करवाना<br>• आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संम्भाव्य आश्रय स्थल यथा स्कूल, सामुदायिक भवन आदि की चिन्हीकरण<br>• पशु आश्रय स्थलों का निर्माण एवं चिन्हीकरण<br>• सामुदायिक जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाना |
| 2 | सूखा | • सतही एवं भू–जल का संयुक्त प्रयोग<br>• जलग्रहण क्षेत्रों का विकास<br>• सिंचित कृषि में जल प्रबंधन<br>• उचित फसल पैटर्न का चयन<br>• बरसाती जल का भंडारण एवं भू–जल का कृत्रिम रिचार्ज<br>• कुओं,तालाबों,बावडीयों आदि का जीर्णोद्धार<br>• सिंचाई जल का पुनः प्रयोग<br>• जल सम्पदा का एकीकृत डेटा बेस तैयार करना<br>• बरसात संबंधी आंकडे प्राप्ति हेतु रेन गॉज स्टेशनों का विस्तारीकरण<br>• जलापूर्ति तंत्र की स्थापना<br>• फसल एवं पशु बीमा को प्रोत्साहित करना |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | भूकम्प | • आम जनता को जागरुक करना तथा मीडिया के माध्यम से करो और मत करो कीज जानकारी देना<br>• रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना<br>• इंजीनियरों, आर्किटेक्ट और राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमतावर्धन<br>• समय–समय पर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना<br>• सरकारी इमारतों, अस्पतालों, विद्यालयों इत्यादि में निकासी मार्गो की स्थापना<br>• शहरी/ग्रामीण इलाकों में भवनों के निर्माण कार्य में भूकम्प नियमावली के अनुपालना सुनिश्चित करना |
| 4 | महामारी | • लक्षित टीकाकरण अभियान<br>• संकटकालीन देखभाल के लिए उपकरणों एवं दवाइयों का प्रबंध/भंडारण<br>• कुंओं, टयूबवेलों, तालाबों आदि के जल का नियमित उपचार<br>• मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण<br>• सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलु जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग, अन्य निरोधक दवाइयों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार<br>• वैक्टर–बोर्न बीमारियों की रोकाीम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव<br>• विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए मंच की स्थापना<br>• स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों का आयोजन |
| 5 | दावानल | • वनो में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का माइक्रो–जोनेशन<br>• पूर्व चेतावनी एवं निगरानी हेतु रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग<br>• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए चेतावनी बोर्ड आदि का प्रयोग<br>• आधारभूत संरचनाओं का अद्यततीकरण एवं नवीनीकृत आग प्रतिरोधक तकनीकों का प्रयोग<br>• आग प्रतिरोधक क्षमता वाले निर्माण सामग्रीयो का प्रयोग<br>• समुदाय के लिए आग से निपटने के प्रशिक्षणकार्यक्रमों का निरंतर आयोजन<br>• महत्वपूर्ण भवनों यथा सरकारी इमारत, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, गोदाम इत्यादि में निकासी मार्गो की सुनिश्चितता<br>• समय–समय पर मॉक अभ्यासों का आयोजन |
| 6 | औद्योगिक/ | • औद्योगिक इकाइयों, शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, |

| | | |
|---|---|---|
| | रासायनिक | सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी इमारतों की जोखिम सुरक्षा का विश्लेषण विभिन्न मानको के प्रयोग से करना<br>• उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के आस–पास मध्यवर्ती क्षेत्रों का विकास<br>• खतरनाक औद्योगिक इकाइयों के आस–पास बसावट प्रतिबंधित करना<br>• पर्यावरण पर औद्योगिक दुष्प्रभाव कम करनें हेतु आस–पास हरित पट्टी क्षेत्रों के रुप में विकास<br>• औद्योगिक इकाइयों की आपदा प्रबंधन योजनाओं का सख्ती से अनुपालन एवं उनका समय–समय पर परीक्षण<br>• औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा ऑडिट<br>• औद्योगिक इकाइयों का वैधानिक निरीक्षण |
| 7 | आतंकवाद | • इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी<br>• सभी प्रमुख सार्वजनिक सीानों,संस्थानों व होटलों में सीसीटीवी एवं एक्सेस कंट्रोल रुम की व्यवस्था<br>• सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश व्यवस्था का निर्माण<br>• गुप्त सूचना तंत्र का विकास<br>• विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के इन्टेलिजेंस विश्लेषण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग<br>• प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध<br>• मीडिया, संचार व सूचना तकनीक एवं सोशल नेटवर्क का प्रयोग |
| 8 | सड़क दुर्घटनाएं | • संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्डो, स्पीड ब्रेकर्स, गार्ड स्टोन्स का प्रयोग<br>• उच्च जोखिम क्षेत्रों में मार्गों का विस्तारीकरण, समतलीकरण एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य<br>• जेब्रा क्रासिंग का निर्माण<br>• सड़क सुरक्षा सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन<br>• वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी करने में मानकों का सख्ती से प्रयोग<br>• राजमार्गो पर सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालना हेतु पेट्रोलिंग आदि का प्रयोग |
| 9 | न्यूक्लियर एवं रेडियोएक्टिव | • मजबूत पूर्व चेतावनी सिस्टम<br>• इंफ्रास्ट्रक्चर(निकासी के लिए सड़के आदि) का विकास<br>• पडौसी जिलों के साथ बेहतर तालमेल<br>• मीडिया, संचार व सूचना तकनीक एवं सोशल नेटवर्क का प्रयोग<br>• सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम एवं जुर्माने का प्रावधान |

## शमन

## विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के आपदानुसार शमन उपाय

| आपदा / संबंद्ध विभाग | ढांचागत उपाय | गैर–ढांचागत उपाय |
|---|---|---|
| बाढ़ (संबद्ध एजेंसियाःजिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग,सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग) | • जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।<br>• प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।<br>• बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।<br>• मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।<br>• नदी के बांध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।<br>• तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।<br>• सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण<br>• निचले इलाकों में ढांचागत विकास के लिए कानूनों की सख्ती से अनुपालना<br>• बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान जलनिकासी तंत्र में क्षमतावर्धन एवं नये नालों का निर्माण<br>• सार्वजनिक सुविधा स्थलों को बाढ़ से बचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना | • बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र सुदढ़ीकरण<br>• शहरी और गांवों में बाढ शमन के लिए निर्माण कायों की विभिन्न योजनाओं में समन्वय<br>• बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का विस्तृत प्रचार–प्रसार<br>• मानव–जीवन, पशुधन एवं सम्पत्ति बीमा स्कीमों करवानें के लिए लोगो को प्रोत्साहित करवाना<br>• बाढ़ क्षेत्र का नक्शा बनाना एवं जीआईएस के प्रयोग द्वारा चिन्हिकरण<br>• स्वयंसेवकों एवं तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता वर्धन<br>• पशुधन सुरक्षा पर जागरुकता कार्यक्रम<br>• लोगों को जलग्रहण क्षेत्रों की सफाई हेतु प्रेरित करना<br>• प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं सहित प्रशिक्षित मेडिकल प्राथमिक कार्यकर्ताओं को तैयार करना। |

| | | |
|---|---|---|
| | • भूमि अपरदन से बचाव हेतु वानस्पतिकरण, वनीकरण | |
| आग(संबद्ध एजेंसियाः जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय,अग्निशमन केन्द्र, एन.टी.पी.सी. अग्निशमन केन्द्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग) | • शहरी क्षेत्रों में विशेष रुप से उंची इमारतों में, अग्नि सुरक्षा मानको की सख्ती से अनुपालना<br>• अग्नि सुरक्षा के लिए जरुरी उपकरणों का आकलन, खरीद एवं अवास्थिति<br>• अग्नि शमन उपकरणों का आधुनिकीकरण<br>• अग्नि शमन सेवाओं की पहुंच में निरंतर विस्तार करते रहना<br>• आपदा उन्मुखी क्षेत्रों का सीमांकन<br>• वन–क्षेंत्रों का निर्धारण | • समुदाय के लोगो को आग से निपटने/बचाव के तरीकों के बारें में निरंतर प्रशिक्षण<br>• समय–समय पर विभिन्न स्थानों पर वर्ष भर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना एवं उसमें आम–भागीदारी<br>• अग्नि शमन सेवाओं को एक बहु–आपदा प्रतिरोधक इकाई के रुप में तैयार करना<br>• प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रुप से अग्नि आपदा निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना<br>• अग्नि दुर्घटनाएं रोकने के लिए करो एवं मत करों का विस्तृत प्रचार–प्रसार<br>• अग्नि शमन कर्मचारियों का गहन प्रशिक्षण |
| भूकम्प(संबद्ध एजेंसियाःजिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) | • शहर, कस्बों एवं गांवों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग (पुनः–संयोजन)<br>• सभी इमारतों में भूकम्प सुरक्षा से संबंधित कानूनों का सख्ती से अनुपालन<br>• शहर, कस्बों व गांवों में भूकम्परोधी निर्माण | • प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक भवनों पर का सुरक्षा अंकेक्षण करवाया जाना<br>• भूकम्प रोधी विशेषज्ञों, रामिस्त्रियों, इंजीनियर्स का क्षमतावर्धन<br>• सभी विद्यालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक इमारतों में मॉक–अभ्यास<br>• मेडिकल पूर्व–तैयारियां<br>• रोगी सुरक्षा आधारित विकास एवं निकासी योजनाएं |

| | | |
|---|---|---|
| सूखा(संबद्ध एजेंसियाः जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, कृषि, उद्यान, विभाग, पशुपालन विभाग, भू–संरक्षण विभाग, स्थानीय निकाय, विभाग, बैंक) | • रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करना जैसे कुएं, तालाब, चेक डेम, फार्म पोण्ड इत्यादि<br>• मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय<br>• चारागाहो का विकास<br>• शुष्क कषि पद्धति को बढावा<br>• वनीकरण<br>• लम्बी अवधि की सिंचाई परियोजनाएं<br>• जल संपदा बढानें के लिए विकास योजनाओं में प्रावधान<br>• चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण | • वाटर शेड एवं वाटर हारवेस्टिंग तकनीक के बारें में प्रशिक्षण<br>• पानी की कम खपत वाली तकनीको यथा–बूंद एवं स्प्रिकंलर सिंचाई को बढावा<br>• फसलों बीमा को प्रोत्साहन<br>• सूखा प्रभावित क्षेत्रो की पहचान एवं लगातार मोनिटेरिंग<br>• किसानों को सूखे से कम प्रभावित होने वाली फसले लेने को प्रोत्साहित करना<br>• जल का उत्तम प्रयोग |
| जैविक आपदाएं | • मॉस केजुअलटी मैनेजमेंट के लिए शहर, कस्बों एवं गांवों में आधारभूत संरचनाओं का विकास<br>• विकास की विभिन्न योजनओं अन्तर्गत स्वास्थ्य संरचनाओं का विकास एंव आधुनिकीकरण | • मॉस केजुअलटी मैनेजमेंट के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों को प्रशिक्षण<br>• एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य, जल एवं सेनिटेशन के लिए गांव स्तर पर योजनाएं तैयार करना<br>• मॉस केजुअलटी मैनेजमेंट के लिए क्षमतावर्धन<br>• व्यक्तिगत हाइजिन के प्रति जागरुकता कार्यक्रम<br>• संवेदनशील क्षेत्रों के आस–पास मोबाइल मेडिकल टीमों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण<br>• पशु रुग्णता दूर करने के कार्यक्रमों का प्रावधान एवं अर्न्तजिला पशु बीमारीयों के अन्तरण की रोकथाम |
| आतंकवाद | | • सभी निजी एवं सरकारी भवनों में अनिवार्य मॉक अभ्यास<br>• सभी होटलों एवं गेस्ट हाउस में पहचान एवं पंजीकरण की प्रक्रिया का सुदढीकरण<br>• निजी भवनों की सुरक्षा हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति<br>• निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए |

| | | |
|---|---|---|
| | | प्रशिक्षण<br>• गुप्त सूचना, आंकडों का एकीकरण, विश्लेषण एवं निर्णय प्रक्रिया<br>• सभी सुरक्षा बलों एवं एजेंसियों के समायोजित प्रयासों के लिए आईसीएस का विकास |
| नाभिकीय आपदा | • इनबिल्ट सुरक्षा उपाय जैस बॉयोलॉजिकल शील्ड सुरक्षा प्रणाली<br>• इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जैसे–बचाव कार्यो हेतु सड़को आदि का निर्माण | • चिकित्सकों का क्षमतावर्धन<br>• प्रदूषण रोकने के लिए जानकारी एकत्रित करना एवं उसका समुदायों में प्रचार–प्रसार |
| औद्योगिक एवं रासायनिक आपदा(संबद्ध एजेंसियाः उद्योग विभाग,सार्वजनिक निर्माण विभाग,स्थानीय निकाय श्रम विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) | • कर्मचारियों एवं अन्य संबंद्ध लोगो की सुरक्षा के लिए ऑनसाइट व ऑफसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास<br>• औद्योगिक इकाइयों में अग्नि और हेजर्ड सामग्री के प्रबंध के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास | • कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन<br>• जोखिम उद्योगो के आस–पास रहने वाले लोगो में जानकारी का प्रचार–प्रसार<br>• हैजडर्स अपशिष्ट सामग्री के निस्तारण की सुरक्षित व्यवस्था<br>• सुरक्षा हेतु नियमित निरीक्षण एवं मॉक अभ्यास<br>• सुरक्षा ऑडिट<br>• मेडिकल फर्स्ट रिसपोर्न्डस का प्रशिक्षण |
| सड़क दुर्घटनाएं (संबद्ध एजेंसियाः जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग) | • दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में साईनबोर्ड, स्पीड ब्रेकर्स, गार्ड स्टोन्स लगवाना<br>• दुर्घटना संभाव्य क्षेत्रों में पर्याप्त निर्माण कार्य, समतलीकरण, चौडाई कार्य करवाना<br>• सड़क के दोनो ओर जैब्रा क्रासिंग का निर्माण<br>• सड़क पर रिफलेक्टर्स की स्थापना | • राजमार्गो पर सुरक्षा पेट्रोलिंग की स्थापना<br>• चेतावनी बोर्डो के बारें में जागरुकता कार्यक्रम<br>• सड़क सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण एवं पर्याप्त निरीक्षण व्यवस्था |

## जोखिम हस्तान्तरण

सरकार बचाव, राहत, पुनर्वास और पुनर्निमाण कार्यो में दी जाने वाली सहायता आपदा से हुए विशाल नुकसान की क्षतिपूर्ति नही कर सकती है, अतः नये आर्थिक उपायों जैसे आपदा जोखिम वित्त प्रबंध, जोखिम बीमा, माइक्रो–फाइनेन्स और बीमा आदि का प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किये जावे जिससे वैयक्तिक, सामुदायिक एवं कॉरपोरेट सैक्टर के नुकसान की भरपाई की जा सके।

## फसल ऋण

सरकार कृषि बीमा कार्यक्रमों का प्रोत्साहित करेगी जो क्षेत्रानुसार एग्रो–क्लाइमेट के अनुकूल होंगे। किसानों को विभिन्न बीमा उत्पादों की जानकारी प्रदान की जावेगी ताकी वे अपनी उपज और आय–जोखिम के लिए बीमा कवर ले सके।

# अध्यायः 5 विकास कार्यो में डी.आर.आर. का समायोजन

डीजास्टर रिस्क रिडक्शन (डीआरआर–आपदा जोखिम न्यूनीकरण) के विकास कार्यो में समायोजन का मतलब देश या राज्य की नीतियों या प्रक्रियाओं में और आपदा उन्मुखी क्षेत्रों में कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करते समय मीडियम टर्म के संस्थागत स्ट्रक्चर्स में प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों को ध्यान में रखना है–

1. विकास एजेंसी द्वारा विकास योजना या परियोजना की पहल से पूर्व अन्य हितधारकों, डीडीएमए से परामर्श कर डीआरआर के उपाय कर लिये जायें।
2. जिलें में राज्य/जिला प्राधिकार द्वारा चल रहे सभी विकास परियोजनाओं एवं फ्लेगशीप कार्यक्रमों में डीआरआर के तत्व अवश्य शामिल हो और उसके लिए अतिरिक्त बजट चिन्हित हों
3. जिलें के सभी विभाग को डीडीएमए निर्देशित करें कि विकास योजना में डीआरआर की व्यवस्था रखे।
4. जिलें के सभी विभाग डीआरआर के पहलू को अपने कार्य की मुख्य धारा में लाने की पहल करें और इस हेतु कम से कम 10 प्रतिशत राशि योजना के बजट में रखें।
5. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सांसद या विधायक जो योजनाएं स्वीकृत करें उनमें डीआरआर के कारक अवश्य शामिल हों।
6. कमजोर समुदाय को आजीविका के लिए स्थायी सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर योजना निर्माण एवं संपादन
7. सिंचाई नहर, पक्की सड़क और सुरक्षित आश्रय स्थल जैसी विकास संरचनाओं को प्राथमिकता दी जाये। ये संरचनाये आपदा शमन एवं विकास में मदद करती है।
8. स्थानीय रोजगार पैदा करने वाली और स्थानीय रुप से संपन्न होने वाली अधिकांश डीआरआर कम विकास योजनाओं को मनरेगा के तहत मजबूती के साथ किया जाना चाहिए।

**विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समायोजन**

| परियोजनाएं/सेवाऐ | राष्ट्रीय/राज्य | पॉलिसी स्तर | प्रशासनिक/हस्तांतरण प्रक्रिया |
|---|---|---|---|
| हाउसिंग इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) | राष्ट्रीय | • जिलें के अनुसार आपदा समुत्थानशील डिजाइन को प्रोत्साहन<br>• आवासों की क्वालिटी में कोई समझौता किये बिना इको–फ्रेंडली एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध मेटिरियल के प्रयोग को प्रोत्साहन | • ऐसी जमीन का आवंटन जो आपदा उन्मुखी न हो<br>• राष्ट्रीय एवं स्थानीय बिल्डिगलॉज और जमीन आवंटन संबंधी कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करना<br>• आवासों में प्राथमिक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • जलवायु समुत्थानशील आवासों को प्रोत्साहन<br>• पुनर्निमाण एवं पुनर्वास के लिए 'अच्छा बनाओ' और 'सुरक्षित बनाओ' की नीति का अनुपालन<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों पर ध्यान | सुविधाओं जैसे घरेलू पानी एवं सैनिटशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना<br>• आपदा उन्मुखी क्षेत्रों में स्थानीय बिल्डिंगलॉज का अनुपालन<br>• विभिन्न भूकम्प एवं बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए नेशनल बिल्डिंग मानकों पर आधारित आपदा रोधी निर्माण के लिए दिशा निदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्धता<br>• राज–मित्रियों का प्रमाणीकरण<br>• प्रमुख प्रशिक्षकों का डेटाबेस तैयार करना<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता |
| कृषि हरित राजस्थान | राज्य | • फसल बीमा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की ज्यादा भागीदारी<br>• परियोजनाओं की योजना के समय जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता का ध्यान रखना। बायो–फार्मिक , कम पानी वाली फसलें आदि<br>• परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने पर ध्यान, प्रयोगशाला से लेकर खेतों तक के कार्यक्रमों का मजबूतीकरण<br>• अन्न बैंक स्थापित करके खाद्य सुरक्षा<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों पर ध्यान | • फसल बीमा का मजबूतीकरण,मौसम बीमा का छोटे किसानों से संयोजन<br>• कृषि विस्तार का मजबूतीकरण, आकस्मिक फसल योजना<br>• अन्न भण्डारण एवं पशुओं के लिए शेल्टर की व्यवस्था–खाद्यन्न एवं बीजों के लिए बाढ़रोधी भण्डारण की व्यवस्था जिसमें पोस्ट–हारवेस्ट प्रबंधन (भण्डारण, खाद्यान्न को सुखाना, खाद्य प्रसंस्करण ) शामिल हों।<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता |
| टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम(टीपीडीएस | राष्ट्रीय /राज्य | • अन्नपूर्णा एवं अन्तोदय जैसे कार्यक्रमों बुजर्गों पर विशेष ध्यान | • पीडीएस के मजबूतीकरण के लिए ऑनलाइन वितरण व्यवस्था |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ) | | • खाद्य आपूर्ति की पूर्वास्थिति | • लापरवाही की वजह से होने वाले खाद्यान्न नुकसान को कम करने के लिए भण्डारण प्रक्रिया का मजबूतीकरण और आधुनिकीकरण |
| प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आईडब्ल्यू–डीपी, डीडीपी, हरियाली), हरित राजस्थान | राष्ट्रीय /राज्य | • जलसंभर विकास के लिए दिशा निर्देशों में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों का समावेश<br>• परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी | • वितरण व्यवस्था का मजबूतीकरण<br>• ग्राम पंचायत स्तर पर एनआरएम एवं जल संसाधनों के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करने के लिए योजना प्रक्रिया का मजबूतीकरण<br>• समुदाय–आधारित निगरानी तंत्र की सशक्तीकरण |
| रोजगार महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लाइमेंट गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) | | • एमजीएनआरईजीएस में डीआरआर संबंधी कार्यों को वरीयता देने का प्रस्ताव और रोजगार पैदा करने संबंधी दिशा निर्देश<br>• मानसून और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए खाद्यानों की पहले से ही व्यवस्था<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों पर विशेष ध्यान | • स्थानीय निकायों की सहायता के लिए एक तकनीकी सहायता टीम का गठन<br>• कार्य–स्थल सुरक्षा कानून लागू करना<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता |
| स्वास्थ्य एवं बीमा नेशनल रूरल हैल्थ मिशन (एनआरएमएम), जीवीके ईएमआरआई 108 एम्बुलेंस सर्विस, स्टेट एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राजस्थान हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट | राष्ट्रीय /राज्य | • सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल सुरक्षा ऑडिट<br>• सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा के बेहतर हस्तांतरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा<br>• आपदा पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवाओं के लिए पेंशन<br>• विशेष जरूरतों वाले समूहों पर ध्यान | • कारगर बीमारी निगरानी तंत्र<br>• बेहतर कवरेज के लिए एएमएम और 'आशा' कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम<br>• जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत सेवा–हस्तांतरण का मजबूतीकरण<br>• पीएचसी एवं अन्य कार्यक्रमों में सिविल सोसाइटी की भागीदारी का मजबूतीकरण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • विशेष जरूरतों वाले समूहों का समावेश एवं वरीयता |
| सर्व शिक्षा अभियान (जेएनएनआरएम) | राष्ट्रीय | • स्कूल पाठ्यक्रम में आपदा जोखिम,तैयारी और शमन संबंधी शिक्षा सामग्री का समावेश<br>• टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट्स के प्रशिक्षण कोर्स में डीआरआर आपदाओं का समायोजन<br>• अधिकृत गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी | • प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की इमारतों एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर आपदारोधी<br>• सुभेद्य लोगों, जिनमें विकलांग भी शामिल हैं, की विशेष जरूरतों को मान्यता<br>• स्कूली बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों को जीवन–रक्षक कलाओं, जैसे फर्स्टऐड, तलाशी एवं बचाव और तैराकी में प्रशिक्षण<br>• छात्रों के लिए विस्तृत क्षमता–वर्धन प्रोग्राम शुरू किया जायेगा। |
| महिला एवं शिशु विकास इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (आईसीडीएस) , मिडे डे मील (एमडीएम), कलेवा | केन्द्रीय | • आईसीडीएस की सेवाओं की बेहतरी के लिए सीबीओज ओर निजी क्षेत्र की भागीदारी<br>• सुरक्षित बाढ़ एवं भूकंप–रोधी आंगनवाड़ी की इमारतें<br>• शिशु–अनुकूल शौचालय जिनमें पानी और हाथ धोने की अन्य | • समुदायिक निगरानी प्रक्रिया का मजबूतीकरण<br>• एएनएम्स औरएडब्ल्यूब्ब्ल्यूज को प्रशिक्षण<br>• गर्मियों आने से पहले ओआरएस की व्यवस्था<br>• सद्मा परामर्श (आपदोत्तर) |
| पर्यटन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी) | राज्य | • पर्यटन और हैरिटेज स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के बारे में दिशा– निर्देश<br>• पर्यावरण –अनुकूल पर्यटन, देशी पर्यटन | • संरक्षण एवं विकास कार्यों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी<br>• पर्यटकों की उचित पहचान, पंजीकरण एवं सुरक्षा |
| जल एवं सफाई प्रबंध स्वजलधारा, टोटल सेनिटशन कैम्पेन, निर्मल ग्राम | राष्ट्रीय | • वाटर रिचाजिंग, पानी के संयुक्त प्रयोग और भू–जल प्रयोग कानूनों के माध्यम से दीर्घकाालिक जल उपयोग | • घरेलू कूड़े–करकट का वैज्ञानिक प्रबंधन, संचालन एवं रिसाइकलिंग |

# अध्याय :– 6 तैयारी

किसी आपदा के आने से पहले किये गये उपायों को तैयारी कहते है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों, समुदायों विशेषज्ञों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमताओं जिनके माध्यम से किसी संकट के आने का पूर्वानुमान लगाया जा सकें या आपदा आने की स्थिति में उससें प्रभावी तरीके से निपटा जा सके और समुत्थान किया जा सके, ऐसे उपायों को आपदा तैयारी कहते है। आपदा तैयारी से संबंधित क्रियाकलापों में किसी आपदा के आने का पूर्वानुमान और एहतियातन के तौर पर किये गये उपायों शामिल है जिनके आधार पर पूर्व चेतावनी दे सकें। ये उपाय किसी आपदा की स्थिति में उससे कारगर तरीके से निपटने और बचाव कार्यो को प्रभावी तरीके से अंजाम देने संबंधी हमारी क्षमताओं का वर्धन करते है। इसमें समय–समय पर चेतावनी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना और संकट सूचना के दौरान लोगो की निकासी के प्रभावी उपाय शामिल है, जिससे जान और माल का नुकसान कम से कम हो सके।

## वर्तमान पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियां–

यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी प्रकार की आपदाओं के लिए पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालीयां स्थापित की जाएं, समय–समय पर उनमें सुधार एवं उनका आधुनिकीकरण किया जाए। विशेष प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां तकनीकी खामियों की पहचान करेगी और उनके सुधार के लिए निश्चित समय– सीमा में पूरा होने वाले प्रोजेक्टस तैयार करेगी।

## भूकम्प–

भूकम्पीय क्रियाकलापों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी भारतीय मौसम विभाग(आईएमडी) होगा जो भूकम्प आते ही उसके स्त्रोत सूचकांक का पता लगाना व उसकी जानकारियां संबंधित एजेंसियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा।भूकम्प संबंधी सूचना चैनलों और प्रैस को भी दी जायेगी। यह सूचना आईएमडी की वेबसाइट पर भी मौजूद रहेगी। आईएमडी भूकम्प के परिणाम और अधिकेन्द्र की जानकारी भी संबद्ध एजेंसियों को देगा जिससे उन्हे उचित तरीके से रिसपॉन्स देने में सहायता मिलेगी।

## बाढ़, फ्लैश फ्लाड, बांध टूटना, बादल फटना, ओला वृष्टि–

पूर्वानुमान और चेतावनी सूचना के प्रसार की प्रणाली निम्नानुसार है–

- आंकड़ों का संग्रह
- आंकड़ों का पूर्वानुमान केन्द्रों तक संचारण
- आंकड़ों का प्रसंस्करण और पूर्वानुमान का प्रतिपादन
- बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी का प्रसार

केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय मौसम विभाग व राज्य सरकार ने मिलकर रेन गेज और रिवर गेज स्टेशनों की घाटी–अनुसार सघनता बढायेंगे और बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी के घाटी–अनुसार प्रणालियां स्थापित करेंगे। विशेषज्ञों द्वारा बांधों का मानसून पूर्व एवं मानसूनोत्तर निरीक्षण किया जायेगा ।

## सूखा, भारी वर्षा, तूफान, गर्मी एवं शीत लहर–

आईएमडी द्वारा मौसम व अन्य संबंद्ध सेवाओं के लिए पूर्वानुमान जारी किये जाते है जिसमें शामिल है–

- मौसम संबंधी अवलोकन, वर्तमान जानकारी एवं पूर्वानुमान उपलब्ध कराना

- खराब मौसम की स्थिति जैसे–चक्रवात, धूलभरी आंधियां, भारी वर्षा व हिमपात, गर्मी व शीतलहर के बारें में चेतावनी देना
- कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, तेल निकालने व अन्य राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यो के जरुरी मौसम के आंकड़ें उपलब्ध कराना
- सूखे का पूर्वानुमान जारी करना
- फ्लैश फ्लड पूर्वानुमान

## जैविक आपदाएं–

इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम (आईडीएसपी) राज्य आधारित निगरानी कार्यक्रम है जिसके प्रमुख कार्य संभावित आपदाओं के बारें में चेतावनी संकेतो का पता लगाना एवं सही समय पर कारगर रिसपॉन्स देने में सहायता करना है। किसी असामान्य स्वास्थ्य संकट या महामारी की स्थिति में कोई भी 1075 पर संपर्क कर सकता है। यह सेवा निशुल्क है।

## आग, सीबीआरएन, आतंकवाद और दुर्घटनाएं–

| आपदा / जोखिम | एजेंसियां | ईडब्लयूएस | प्रचार प्रकिया | सहभागी |
|---|---|---|---|---|
| आग(स्थल पर,) दावानल, आयुधीय डिपों में आग | अग्निशमन विभाग(स्थानीय प्रशासन) स्थानीय पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेना | आग / धुंआ संसूचक, समुदाय–आधारित सिस्टमस, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग | साइरन, स्वचालित सुरक्षा प्रणाली, मोबाइल तकनीक | शहरी एवं स्थानीय निकाय, वन और गृह विभाग, स्थल पर मौजूद कर्मचारी, ऑफ–साइट समुदाय, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग |
| औद्योगिक, रासायनिक और नाभकीय दुर्घटनाएं | खदान एवं पैट्रोलियम विभाग, ऊर्जा उद्योग विभाग, स्थानीय पुलिस स्टेशन | औद्योगिक इकाइयों द्वारा अलार्म, रासायनिक एवं रेडियोएक्टिव संसूचक, सेंसर्स, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग | साइरन,रेडियों, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, मोबाइल तकनीक | अग्निशमन विभाग, पुलिस विशेषज्ञ, गृह विभाग, स्थल पर मौजूद कर्मचारी, इलैक्ट्रॉनिक एवं ई–प्रिंट मीडिया, ऑफ–साइट समुदाय, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग |
| रेल एवं हवाई दुर्घटनाएं | रेलवे, जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एयर ट्रेफिक कंट्रोल, एएआई, वायुसेना | | रेडियों, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, मोबाइल तकनीक | गृह विभाग, इलैक्ट्रॉनिक एवं ई–प्रिंट मीडिया, समुदाय, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग |
| आतंकवाद | इंटेलिजेंस ब्यूरों, आरएडब्लयू, मिलिटरी इंटेलिजेंस, | | रेडियों, इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, | गृह विभाग, केन्द्रीय व राज्य सुरक्षा बल, सेना, एनएसजी, स्पेशल फोर्सेज |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | एटीएस, गृह मंत्रालय, पीएसआरए एंजेंसियां | | | |

**प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां–**

1. प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की प्रतिक्रिया सूची बनाए रखना
2. एजेंसियों और संगठनों के लिए जिम्मेदारियों का सौंपना
3. जिला आपदा समिति के सदस्यों, अधिकारियों, समुदाय की विशेष प्रशिक्षणसेमिनार और कार्यशाला के माध्यम से क्षमतावर्धन
4. कार्यबल के प्रशिक्षण
5. समुदाय जागरूकता बढ़ाने
6. जिला, उपखंड और सामुदायिक स्तर पर मॉक अभ्यासों का आयोजन
7. जिला और सामुदायिक स्तर की योजनाओं का वार्षिक अद्यतन
8. प्रतिक्रिया रणनीति की समीक्षा और अद्यतन
9. विभिन्न संसाधन का संगठनों और कार्यों से जुड़े लोगो को आवंटन

**आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना–**

नियंत्रण कक्ष एक ऐसा केन्द्र है जहां सूचना और संसाधनों का समन्वय होता है। नियंत्रण कक्ष में निम्न गतिविधियां सम्पादित की जावेगी–

1. यह सुनिश्चित करना कि चेतावनी और संचार प्रणाली कार्य स्थितियों में हैं
2. खतरों, संसाधनों से संबंधित जिला स्तर की जानकारी का संग्रह और संकलन, प्रशिक्षित कार्य बल
3. जिला, उप–विभाजन और सामुदायिक स्तर की मॉक अभ्यासों का आयोजन
4. समुदाय, जिला और राज्य स्तर के विभागों के साथ नेटवर्किंग और समन्वय
5. योजना के तहत तैयारियों और शमन गतिविधियों की स्थिति रिपोर्ट तैयार करना
6. राज्य सरकार को जानकारी प्रदान करना

**स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स(एसडीआरएफ)**

आरएसी के सहयोग से एसडीआरएफ का गठन राज्य में किया जा चुका है। जिलें में वर्तमान में एसडीआरएफ की स्थापना नही हुई है, परन्तु संभाग स्तर पर एसडीआरएफ का गठन किया जा चुका है जिसकी उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। फोर्स को विशेषज्ञ प्रशिक्षण और उपकरणों से सुसज्जित किया गया है जिससे वह आपदा की स्थिति में राज्य की रिसपॉन्स टीम के रुप में काम कर सकें। किसी भी तरह की आपदा में एसडीआरएफ की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी, विशेष रुप से शुरुआती 72 घंटो के दौरान।

**स्थानीय तलाश एवं बचाव दल**

स्थानीय स्तर पर, सेवानिवृत सेना एवं पुलिस कर्मचारियों, होम गार्ड के स्वयंसेवियों को शुरुआती तौर पर तलाश और बचाव कार्यो के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। ये लोग आपदा स्थल पर विशेष दलों के पहुंचन तक काम करेंगे। इसके अलावा, सामुदायिक स्वयंसेवियों का चयन किया जावेगा और उन्हे समुदाय–आधारित आपदा प्रबंधन प्रोग्राम के माध्यम से तलाश एवं बचाव कार्यो में प्रशिक्षित किया जायेगा।

## मेडिकल फर्स्ट रिसपॉन्डर्स (एमएफआर)

डिजास्टर मैडिकल असिस्टेंस टीम (आपदा चिकित्सा सहायता दल) को विभिन्न मेडिकल सुविधाएं जैसे ऑपरेशन थियेटर, पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी, आईसीयू, एक्स–रे, दवाइयां एवं अन्य उपकरण मुहैया कराई जायेंगी। केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संबंलित एमएफआर जिलों से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। आपातकाल/आपदा की स्थिति में, एमएफआर रोगियों की देखभाल करेंगे, और घटना स्थल पर अगर जरुरत पड़ी तो उन्हें लाइफ सपोर्ट मुहैया करायेंगे।

## विद्यालय सुरक्षा योजना

प्रत्येक विद्यालय अपनी–अपनी विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिसमें छात्रों, अध्यापकों और छात्रों के माता–पिताओं की भागीदारी होगी। योजना में निम्न घटको का समावेश होगा–

- विद्यालय परिसर में जोखिमों, सुभेद्यताओं और क्षमताओं की पहचान
- विद्यालय के आस–पास सम्भावित सहयोग–एजेंसियों की पहचान
- क्षमतावर्धन के लिये कार्ययोजना– प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल आदि
- आपात स्थिति में निकासी योजना
- हर तरह की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया एवं इंतजामात– आग, लैब आदि
- डेटा बैंक का निर्माण जिसमें प्रमुख लोगो के नाम व दूरभाष संख्या का समावेश होगा
- प्रमुख जीवन रक्षक सामग्री, उपकरणों दवाइयों आदि का भंडारण

स्कूल की ढांचागत एवं गैर–ढांचागत सुरक्षा एवं छात्रों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त माहौल के विकास का जिम्मा एसएमसी का होगा। आपदाओं की स्थिति में विद्यालय एक सुरक्षित स्थान होने चाहिए।

## अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना–

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना में दोनो चीजे शामिल होगी–अस्पताल की आन्तरिक योजना और आपदा के दौरान हताहतों के प्रबंधन के लिए। इसमें निम्न घटक शामिल होंगे–

- चिकित्सा दलों एवं पैरामेडिकल का विकास एवं प्रशिक्षण
- निश्चित अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- अधिकाधिक रोगियों को बचानें पर विशेष ध्यान एवं उपचार की गुणवता से समझौता नही
- आपदा के दौरान बिस्तरों, एम्बुलेंस, चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और मोबाइल मेडिकल दलों की बढ़ती मांग पूर्ति करनें का प्रावधान, चिकित्सा उपकरणों, जरुरी दवाइयों का संग्रहण, निजी चिकित्सा क्षेत्र का सहयोंग लेना इत्यादि का समावेश
- मॉक ड्रिल्स का आयोजन

## डेटाबेस

सभी विभागों के संसाधनों के आंकड़ों को इकट्ठा करके इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नैटवर्क, इंडिया डिजास्टर नॉलेज नैटवर्क और कॉरपोरेट डिजास्टर रिसोर्स नैटवर्क के डेटाबेस में डालने की जरुरत है। संग्रहित और संकलित करने योग्य डेटाबेस है–

1. सुभेद्य क्षेत्रों, क्षमताओं और संसाधनों के जीआईएस–आधारित स्थानिक मानचित्र
2. जीआईएस–आधारित विकास आंकड़े
3. प्रमुख व्यक्तियों के फोन नम्बर, पता और क्षमताओं का विवरण
4. राहत सामग्री और उनके सप्लायर्स का डेटाबेस
5. अग्निशमन संसाधनों, उनकी उपलब्धता वाले स्थानों और सर्विस प्रोवाइडर्स का डेटाबेस
6. भारी उपकरणों जैसे–ट्रक, डम्पर्स, अर्थमूवर्स, क्रेन्स और ड्रिल मशीनों के मालिको, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडरर्स का डेटाबेस
7. ट्रांसपोर्टसर्श, उपलब्धता स्थानों और सर्विस प्रोवाइडरर्स का डेटाबेस
8. प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और निर्माण कर्मचारियों का डेटाबेस
9. राहत कर्मियों का डेटाबेस– तलाश एवं बचावकर्मी, जल एवं सैनिटेशन इंजीनियर्स, आवास इंजीनियर्स, पब्लिक हैल्थ विशेषज्ञ, कृषि एवं आजीविका विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता
10. एनजीओज, सीबीओज, अन्य स्वयंसेवी संस्थानों का डेटाबेस
11. ऐसी निजी कंपनियों की सूची जो अपने संसाधनों को दूसरे सहभागियों, जिनमें सरकार भी शामिल है, को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देने को तैयार है।
12. आपदा विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षकों और तलाश एवं बचाव, अग्निशमन, निकासी, आपातकालीन रिसपॉन्स, और फर्स्ट एड कर्मियों का डेटाबेस
13. तकनीकी एवं शोध संस्थानों को डेटाबेस
14. चिकित्सा सुविधाओं, मास केजुअल्टी मैनेजमेंट के लिए क्षमताओं एवं अन्य वस्तुओं को डेटाबेस

## विभागीय तैयारियां

## कृषि विभाग–

- जोखिम संवेदनशील जोनों को पहचानें
- अधिकारियों/सहायक कर्मचारी और स्वयंसेवकों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- उपकरण/मशीन आदि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना।
- किसानों द्वारा फसल बीमा को प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना।
- आपातकाल के मामले में मात्रा, प्रकार के बीज/पौधों/दवाइयां/उपकरण और उपकरणों आदि का निर्धारण करें, जो कि जिला/ ब्लॉक/गांव के लिए आवश्यक होगा।
- लोगों/किसानों को सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा उपलब्ध नई योजनाओं, प्रौद्योगिकी और सुविधाओं का लाभ उठाएं।

- संभव भंडारण गोदामों को सूचीबद्ध करना।
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व अनुबंध (बीज/पौधे/दवाएं/खाद/उपकरण/उपकरण)
- कृषि पद्धतियों के प्रकार, भूमि उपयोग पैटर्न, मौसमों के अनुसार फसलों के प्रकार, उत्पादन की मात्रा, खेती की गई खेती की राशि, बीमाकृत फसलों आदि का अनुमान और रखरखाव जारी रखें और उन्हें अद्यतन रखें।
- कीट और बीमारी नियंत्रण की निगरानी करें।
- सामुदायिक स्तर की तैयारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग–

- आपदाओं से जुड़े संभावित रोगों की पहचान करें
- टीम लीडर और सहायक स्टाफ (नाम और आवंटन द्वारा पहचान) के साथ स्थान–वार त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना।
- जिले में अलग–अलग जगहों पर दवाइयों/डिस्नेटाइक्टेक्टर्स/टीकों का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जाना चाहिए
- प्राथमिक चिकित्सा किट/एम्बुलेंस का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार रहें
- अधिकारियों/सहायक कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- कर्मचारियों के लिए आपातकालीन आवास और बाहरी क्षेत्रों के अन्य अधिकारियों के लिए योजना।
- उपकरण / मशीन आदि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना
- मात्रा, प्रकार की दवाइयों, चिकित्सा सहायता, उपकरणों आदि का निर्धारण करना होगा जिनकी आपातकाल के मामले में राहत शिविर आदि सहित प्रतिदिनजिला/ब्लॉक/गांव के लिए आवश्यकता होगी।
- विभिन्न स्थानों पर पोर्टेबल उपकरणों सहित सूची बनाए रखें

## पशुपालन विभाग–

- अधिकारियों / सहायक कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- उपकरण/मशीन आदि को कार्यरत स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना।
- आपातकालीन स्थिति के मामले में मात्रा, चारा/दवाइयां आदि का निर्धारण करना चाहिए जो कि प्रति दिन जिला/ब्लॉक/गांव, राहत शिविर आदि सहित आवश्यक होंगे।
- जानवरों के लिए संभावित आश्रयों (शिविर) को सूचीबद्ध करना।
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्री–कॉन्ट्रैक्ट (फॉडर/दवाइयां/उपकरण)

- पशुधन अद्यतन को बनाए रखें
- जोखिम संवेदनशील जोन पहचानें
- रोग नियंत्रण को मॉनिटर करें
- किसानों को अपने पशुओं का बीमा करने के लिए प्रोत्साहित करें

**पुलिस विभाग–**

- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- अधिकारियों और सहायक स्टाफ के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण।
- योजना के अनुसार मॉक अभ्यास
- उपकरण/मशीनों का उन्नयन और कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना।
- आपातकालीन नियंत्रण कक्ष संचालन
- निकासी के लिए पर्याप्त चेतावनी तंत्र।
- वैकल्पिक मार्गों की पहचान
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- असामाजिक तत्व/समूह की पहचान
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और उसमें गश्त करना
- महत्वपूर्ण इमारतों/राजमार्गों पर गश्त करना
- स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण पर प्रशासन को सहायता
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना

**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग–**

- जोखिम प्रवण जोनों को पहचानें टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- आपदा में आवश्यक मात्रा और प्रकार के प्रकार का निर्धारण (जैसे कि सूखे भोजन, खाने के लिए तैयार, आवश्यक वस्तुएं, एसकेओ, एलपीजी, पीओएल, टॉयलेटरीज, कंबल इत्यादि) और आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित करें।
- भंडारण सुविधाओं, स्थान और क्षमता के अनुसार पहचानें।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व अनुबंध

**सार्वजनिक निर्माण विभाग–**

- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- योजनाओं के अनुसार मॉक अभ्यास

- कमजोर संरचनाओं/कमजोर निर्माणों की पहचान करें जो भूकंप / भूस्खलन के लिए कमजोर हैं।
- सभी सड़कों, पुलों का निरीक्षण करना, जिसमें नींव और पियर्स के पानी का निरीक्षण शामिल है। सभी ठोस और स्टील के काम पर एक पूर्ण जांच होनी चाहिए।
- उपकरण/मशीन आदि, को अपग्रेड और कार्यरत स्थिति में बनाए रखा जाना, टेंट उपकरणों की खरीद
- आपातकालीन ईंधन संग्रहीत, वाहनों सहित वाहनों का निरीक्षण करना और काम कर रहे हालत में बनाए रखना।
- संभव हेलीपैड तैयार करना एवं उनके स्थान की जानकारी देना– राज्य/जिला कंट्रोल रूम में उनके दीर्घकालिक / अक्षांश।
- गैर–विनाशकारी परीक्षण और जीवनरेखा भवनों और महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुर्न कोटिंग के लिए भूकंपी प्रूफिंग (शहरी मामलों के विभाग के साथ) सुनिश्चित करने के लिए।
- भारी उपकरणों, जैसे फ्रंट एंड लोडर, क्षतिग्रस्त होने की संभावना वाले क्षेत्रों में ले जाया जाना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखा जावें।
- सड़कों कीमरम्मत
- सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों की सूची
- महत्वपूर्ण टेलीफोन / संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- भवन निर्माण एवं पुनःसंयोजन पर निर्माणकर्ताओं का प्रशिक्षण (शहरी मामलों के विभाग के साथ)।
- प्रशासन के साथ घनिष्ठ संपर्क रखना।
- आवश्यक उपकरण / दुकानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व अनुबंध की व्यवस्था।
- सामुदायिक स्तर की तैयारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

## विद्युत विभाग–

- अधिकारियों / सहायक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- जोखिम संवेदनशील जोन पहचानें, टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- उपकरण / मशीन आदि, कार्यशील स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए।
- महत्वपूर्ण टेलीफोन/संपर्क विवरण उपलब्ध कराया जाए।
- आपूर्तिकर्ताओं (उपकरणों) के साथ पूर्व अनुबंध
- प्रत्येक उप–स्टेशन पर आपदा प्रबंधन उपकरण किटों की व्यवस्था करें, जिसमें केबल कटर, पुली ब्लॉक, चाकू, कुल्हाड़ियों, क्रॉबर्स, रस्सियों, आरी स्पैनर्स और कू के लिए टेंट शामिल हैं।
- सामुदायिक स्तर की तैयारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

## वन विभाग–

- सार्वजनिक ज्ञान के लिए प्रकाशन करें– वन क्षेत्र का विवरण, वन विभाग के तहत भूमि का उपयोग, कमी की दर और इसके कारण
- काम की स्थिति में आरी (पॉवर और मैनुअल दोनों) को रखें।

- प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेड़ों के विनाश के मामले में पौधों को रोपाई प्रदान करने के लिए नर्सरी को बढ़ावा देने, समुदाय को रोपाई का प्रावधान और वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- आपात स्थितियों के दौरान संरक्षण के लिए पेड़ों और जंगलों की भूमिका के बारे में अधिक जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का क्षरण, आदि जैसे वनों की कटाई के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना।
- बागान, संरक्षण और अन्य वन सुरक्षा, कायाकल्प और बहाली की गतिविधियों में समुदाय, एनजीओ और सीबीओ की भागीदारी बढाना।
- घटनाओं को कम करने और जंगल की आग के प्रभाव को कम करने की योजना

**जनसम्पर्क विभाग–**

- मीडिया प्रसार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना
- विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं और जनता के बारे में और अन्य लोगों के लिए प्रसार करना।
- मीडिया प्रिंट और विजुअल के साथ नियमित रूप से प्रदर्शित करना।
- मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के आपदाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना
- आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, के बारे में संबंधित अन्य लोगों को जानकारी प्रसार करना।
- नवीनतम आपातकालीन स्थिति के बारे में सार्वजनिक जानकारी रखें (प्रभावित क्षेत्र, जान–माल नुकसान आदि)।
- लोगों को विभिन्न आपदा पश्चात् सहायता और रिकवरी कार्यक्रम के बारे में सूचित करना

**अग्निशमन/स्थानीय निकाय विभाग–**

- आग निविदाओं की नियमित जांच और उन्हें पूर्ण कार्यरत स्थिति में रखते हुए
- टीमों का निर्माण और ऑपरेशन के क्षेत्रों का प्रत्यायोजन।
- अग्निशमन, खोज और बचाव में अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- योजनाओं के अनुसार मॉक अभ्यास
- आपातकाल में इस्तेमाल के लिए आवश्यक सामग्री आंकलन किया जाना चाहिए और आरक्षित में रखा जाना चाहिए
- जिले में अन्य आग स्टेशनों के संपर्क में रहें
- जिला प्रशासन के निकट संपर्क में रहें

## समुदाय तैयारियां–

**समुदाय चेतावनी प्रणाली–**

- राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष/ आपदा प्रबंधन विभाग/ मीडिया से सूचना
- आसानी से समझने योग्य शब्दावली के साथ चेतावनी संदेश का विकास करना

- उपखंड अधिकारी/आईसीए/जल संसाधन / पुलिस द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग करने वाले लक्षित समुदाय को आपातकालीन संदेश/चेतावनी संदेश प्रदर्शित करें

**सामुदायिक जागरूकता शिक्षा–** समुदाय के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जैसे–

- आईईसी सामग्री वितरण– वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, सुरक्षा टिप्स पर बैनर, हैंडबिलें मीटिंग्स / कार्यशालाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान और विशेष अवसरों जैसे मेला आदि के दौरान
- समुदाय और परिवारों को भूकंप, चक्रवात और बाढ़ आदि के दौरान क्या करें और क्या ना करें– का पता हों
- एसडीएम, बीडीओ द्वारा समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हर महीने आयोजित किया जावे

**समुदाय सहभागिता–**

- समुदाय से ऐसे लोगो की पहचान करना जो चेतावनी दल, निकासी टीम, खोज और बचाव दल, प्राथमिक चिकित्सा दल और प्रबंधन दल, राहत/आश्रय आदि कार्य कर सकें।

# अध्याय –7 क्षमता–वर्धन

क्षमतावर्धन से एक उपयुक्त संस्थागत फ्रेमवर्क और प्रबंधन प्रणाली तैयार करने और संसाधन आवटंन करने में मदद मिलती है जिससे आपदाओं का मुकाबला करने के लियें बेहतर रिसपॉन्स प्रणाली विकसित की जा सके ।

आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लियें क्षमतावर्धन के लिये किये जाने वाले प्रयास निम्नलिखित है :

1. प्रशिक्षण
2. मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास
3. पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश
4. जन जागृति
5. समुदाय–आधारित आपदा प्रंबधन कार्यक्रम
6. आपदा से संबंधित उपकरणों की सुगमता
7. सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

## प्रशिक्षण

प्रशिक्षण क्षमता वर्धन कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से मुकाबला करने में सक्षम होते है।

## ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

जिला एवं स्थानीय ऑथॉरिटिज, विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कर्मचारीयों, पुलिस कर्मियों , सिविल डिफेंस, होम गार्डस, एसडीआरएफ, स्कूली अध्यापको और एनजीओज को प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी।

## प्रशिक्षण जरूरतों का मुल्यांकन

सक्षम, साधन सम्पन्न एवं जिम्मेदार कर्मचारीयों का विकास किया जावें और उनकी क्षमता का वर्धन किया जावें जिससें वे किसी भी आपदा स्थिति में कार्य कर सकें। प्रत्येक विभाग प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमतावर्धक कार्यक्रमों के लिये समय–सारिणी तैयार करेंगें। इस योजना में पूरे स्टॉफ के लियें आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और रिफ्रेशर ट्रेनिंग का प्रावधान होगा।

## प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटीज–ट्रेनिंग ऑफ टेनर्स)

यह प्रोग्राम तलाश एवं बचाव, फर्स्ट एड, निकासी, अग्निशमन, सुरक्षा और इमरजेंसी रिसपॉन्स जैसे विषयों पर विशेष ध्यान देगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रशिक्षकों को मास्टर टैनर्स के रूप में मान्यता दी जायेगी जो आंचलिक स्तर पर ट्रेनिंग देंगें एवं वर्कशॉप आयोजित करेंगें।

## जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण

मास्टर ट्रेनर्स जिला एवं ब्लाक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षित करेंगें।उनमें एनजीओज, सीबीओज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल क्रेडेट कॉर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, अध्यापक और छात्र शामिल है।

## विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

प्रशिक्षण जरूरत मुल्यांकन के आधार पर, सभी विभाग, जो आपदा प्रबंधन में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करतें है, अपने कुछ अधिकारीयों और सपोर्ट स्टॉफ का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण के लियें भेजतें है। तथा प्रशिक्षण की सालाना सारिणी तैयार करते है। समय समय पर कटेंट और मैथडोलॉजि का रिव्यू करतें है। प्रशिक्षण के प्रमुख विषय निम्नलिखित है।

1. आपदा प्रबंधन पर अधिष्ठापन प्रशिक्षण
2. लाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ के लियें स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग्स
3. इंसिडेंटरिसपोन्स सिस्टम पर प्रशिक्षण
4. आपातकालीन राहत एवं रिसपोन्स के लियें न्यून्तम मानदंड
5. उपकरण एवं रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण

## विशेष प्रशिक्षण

1. शहरी स्थानीय निकायों के लिये प्रशिक्षण
2. पंचायतीराज संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण
3. भूकम्परोधी तकनीक पर आर्किटेक्टस, ,इजिनियर्स को प्रशिक्षण
4. मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट के लिये पैरामैडिक एवं चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण
5. फर्स्ट रिसपोन्डर्स (सिविल डिफैंस, होम गार्डस, एसडीआरएफ, एनएसएस, एनवाईके और कम्युनिटीवेस्ड टास्क फोर्स टीम) को विशेष प्रशिक्षण
6. मीडिया कर्मियों को प्रशिक्षण
7. स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण
8. धार्मिक स्थलों पर प्रशिक्षण

## मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास

प्रशिक्षण के साथ–साथ यह भी महत्वपूर्ण हे कि मॉक ड्रिल्स और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का प्ररिक्षण किया जावें।

सभी विद्यालयों, असपतालों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों स्पोटर्स क्लबों/मैदानों और बडें कॉरपोरेट हाउसेज में आपदा प्रबंधन विषेशज्ञों द्वारा मॉक ड्रिल्स कियें जायेगें जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामिया है। इसका एक उद्देश्य इन संस्थाओं का क्षमतावर्धन भी है जिससे जान–माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इन मॉक ड्रिल्स में पुलिस कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, बचाव दल और विशेष रिसपोन्स दल (बाम्ब डिसपोजलस्क्वैड, एटीएस) भाग लेगें।

कंपनिया एवं औद्योगिक इकाइयां भी अपनी–अपनी ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार करेंगी। अग्निकांड और भूकम्प के लिये साल में कम से कम 2 बार मॉक ड्रिल्स आयोजित करना अनिवार्य है।

मॉक ड्रिल्स की सूची निम्नलिखित है :–

- स्कूल स्तर पर मॉक ड्रिल्स और आपदा प्रबंधन की योजना
- मास केजुअलिटी मैनेजमेंट पर मॉक ड्रिल्स की योजना

- पर्यटक केन्द्रों व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा प्रणाली पर मॉक ड्रिल्स योजना
- धार्मिक मंदिरो, मस्जिदों आदि में सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन के लियें मॉक ड्रिल्स योजना
- सार्वजनिक स्थाना व इमारतो जैस रेलवे स्टेशन, हवाई अडडे, बस अडडे , सिनेमाघरों, मॉल मार्केट, पर्यटन स्थल, स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल, ओडिटोरियम, सभागार,सरकारी कार्यालय आदि में मॉक ड्रिल्स योजना

**पाठ्यक्रम में आपदा प्रबधन का समावेश**

शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड के सहयोग से , यह सुनिश्चित करेंगें कि आपदा सुरक्षा एवं तैयारी विषय माध्यमिक शिक्षा (11 व 12) के पाठ्यक्रम में लागू किया जायें। विश्वविद्यालय एवं रूवायत संस्थायें अपने विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन (जिसमें भूकम्प और बाढ़ प्रबंधन शामिल है) लागू करेगें। यह व्यवस्था गैर–तकनीकी कार्यक्रमों में भी लागू की जायेगी।

**जन जागृति**

किसी भी तरह की आपदा में समुदाय सबसे पहले रिसपोन्ड करते हैं। आपदाओं की जानकारी एवं उनके प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जाये। साथ ही उन्हें आपदा प्रबंधन की संकल्पनाओं के बारे में जानकारी दी जाये। सूचना प्रसारण में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**विभिन्न इंफॉर्मेशन, एजूकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रणालियां एवं उपकरण**

1. स्थानीय भाषाओं में जिगंल्स विकसित करना
2. वीडियों स्पॉटस तैयार करना
3. स्थानीय टेलिविजन एवं रेडियों पर डीडीआर पर पैनल डिसकशन
4. सामरिक स्थानों पर होर्डिग्स लगाना
5. पंचायत भवनों/एडब्ल्यूसीज पर डिसप्ले बोर्ड, बैनर, चिकित्सा आदि लगाना
6. पोस्टर, पुस्तिका, पैम्फलेट, विज्ञप्ति आदि तैयार करना
7. डीडआर पर फोक मीडिया, स्ट्रीट प्ले, कलाजथा करना
8. डीडआर पर छात्र–प्रतियोगितायें आयोजित करवाना

आम जनता तक पहुचनें के लिए जन–जागृति कार्यक्रम जैसे वर्कशॉप, प्रदर्शनी, विशेष, अभियांन, रैली फिल्म शो, आदि आयोजित किये जायेंगें। शारिरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग लोगों, बजुर्गो और महिलाओं को जागरूकता के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहियें।

**कम्युनिटी–बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट (सीबीडीएम) प्रोग्राम**

सामुदायिक स्तर पर दीर्घ– कालीन कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहियें जिससे लोग आपदा जोखिम से बेहतर तरीके से निपट सके।

- कम्युनिटी–बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की नीतियों, योजनाओं और क्रियान्वयन को संस्थागत बनाना।
- सूचना प्रसारण एवं जागृति पैदा करने के लियें लोगों के साथ गहन कार्यक्रम।

## आपदा संबंधित उपकरणों की उपलब्धता

किसी भी आपदा की आपातकालीन हैंडलिंग विशेष मशीनरी और उपकरणों पर निर्भर करती है इसलिए आपदा प्रबधंन के सफल अभियान आधुनिक उपकरणों और आपदा स्थल पर उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।इन उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव के लिये एक विशेष प्रशिक्षण डिजाइन किया जायेगा और इन उपकरणों के संचालकों को उसका प्रशिक्षण दिया जायेंगा। सभी विभाग अपने–अपने प्रस्ताव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग को भेजें जिनके आधार पर इन सामानों और सम्पति को खरीद की व्यवस्था की जा सकें।

## सर्वोत्तम प्रयोगों का प्रलेखन

सभी सहभागियों तक आपदा से संबंधित सूचना के प्रसार के लिये राज्य ने वेबसाइट् और पोर्टल्स शुरू किये है जहां सभी उपयोगी सूचनायें एवं योजनाएं सहभागियों के लियें उपलब्ध करायी गयी है। सभी विभाग की पूर्व घटनाओं के बारे में सूचनायें एवं दस्तावेजो का संग्रहण करेंगें। संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस तरह की घटनाओं के बारें में अखबारों की क्लिपिंग्स, लेख और खबरें इकट्ठी की जायेगी। विभाग सर्वोत्तम प्रयोगों की सफलता की कहानियों का भी प्रलेखन करायेंगें और उनको वेबसाइट, पुस्तिाकओं ओर अन्य प्रकाशनों के माध्यम से दुसरों तक पहुचायेंगे।

# अध्याय– 8 राहत एंव प्रत्याक्रमण

प्रत्याक्रमण (रिसपॉन्स) उपाय वे है जिनके मुख्य उद्देश्यों में जन जीवन की सुरक्षा करना , उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पति को सुरक्षित बचाना और आपदा द्वारा किये गये नुकसान से निपटना शामिल है। प्रत्याक्रमण अभियान सामान्यतः विघटनकारी और कभी–कभी अभिद्यातज स्थितियों में चलाये जाते है। उनका क्रियान्वयन बहुत कठिन होता है। जिसमें कर्मचारियो, उपकरणों और अन्य संसाधनो की जरूरत होती है।

प्रत्याक्रमण को निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है

| | |
|---|---|
| आपदा के दौरान | पहला प्रत्याक्रमण/राहत चरण |
| आपदोत्तर | प्रत्याक्रमण चरण |
| | समुत्थान चरण |

'आपदा के दौरान ' चरण पूर्व वह चरण है जिसमें लोग आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को सबसे ज्यादाझेलते है। इसी चरण के दौरान प्रत्याक्रमण संरचना राज्य से लेकर जिला स्तर तक क्रियान्वित की जाती है। जब भी कोई आपदा आती है तो समुदाय को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती हैं। इससे जानमाल और मानसिक एंव सामाजिक सन्दर्भ के रूप मेंभारी नुकसान होता हैं।

एम सी आई के दौरान किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैः

- चिकित्सकों और सुरक्षा एजेंसियों का एक सयुंक्त दल संसाधनों की जरूरत और घटना स्थल का मुआयना करना
- एक नियंत्रण संरचना का गठन किया जायेगा
- संसाधनों (मानवीय, सप्लाई एंव उपकरण )का संग्रहीकरण किया जायेगा। सुविधा केन्द्रों पर अलार्म प्रणालियों की स्थापना की जायेगी।
- रोगियों, परिवार के सदस्यों एंव मीडिया को ठहराने के लिए कुछ विशेष स्थानों का निर्धारण किया जायेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था, फार्मसी, खून की आपूर्ति और महत्वपूर्ण उपकरणो के रखरखाव के लिये विशेष दल बनाये जायेगें।
- लोगो तक सही सूचना और उचित मदद पहुंचाई जाये जिससेघायल परिवार जनों को पहचानने,ढूंढनेऔर उनकी जरूरतों को पूरा करनेमें मदद मिल सके।
- सभी जिलो में प्रमुखस्वास्थ्य सुविधाओं का पहचान करना
- विभिन्न सार्वजनिक एंव निजी स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा एजेंसियोंएंव अन्य सहभागियों के सहयोग से एमसीएम के लिए क्षमतावर्धन संबंधी प्रयासों में जिला प्रशासनकी मदद करना।
- आपदाओ के लिए पहले से ही एसओपीज तैयार करना
- पर्याप्त संसाधन उपलबध कराना।
- आपातकालीन एंव स्वास्थ्य अधिकारियों की भूमिका एंव दात्यिवों का निर्धारण करना।
- अस्पतालों की तैयारी का समय–समय पर मूल्यांकन। मॉक ड्रिल्स एंव अनुरूपण किये जायेगे।

## रेपिड डैमेज असैसमेंट (आरडीए)

आपदा आने के तुरन्त बाद जान माल के नुकसान और घायलों की संख्या जानने के लिए रेपिड डैमेज असैसमेन्ट की आवश्यकता होती है।राहत कार्या के लिए संसाधन जुटाना, नुकसान के परिणाम की जानकारी लेना, आपदा की प्रचंडता आंकना, पुर्ननिर्माण एवं पुनः सथापना करना।

आरडीए स्थानीय स्तर पर कराया जायेगा जहॉ आपदा घटित हुई है।आरडीए टीम का नेतृत्व स्थानीय दुर्घटना कमांडर करेगा और इसमें पटवारी, उपमण्डलीय अस्पताल का सीएमओ, लोक निर्माण विभाग का जूनियर इंजीनियर और कुछ स्थानीय लोग शामिल होगें। आरडीए टीम नुकसान के आंकलन की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपेंगें।

## रिसपान्स के स्तर

रेपिड असैसमेन्ट से आपदा  का स्तर (एल) घोषित करने में मदद मिलेगी जिसके आधार पर रिसपॉन्स के स्वरूप के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

**एल–0 स्तर** सामान्य समय का घोतक है जिसका इस्तेमाल निगरानी, प्रलेखन, रोकथाम और तैयारी संबंधीक्रियाकलापों के लिए किया जायेगा। इस समयावधि के दौरान तलाश एंव बचाव संबंधी प्रशिक्षण, पूर्वाभास, मूल्यांकन, और संभरण आदि कार्यक्रमचलाये जोयेंगे जिसमें रिसपॉन्स क्षमता में सुधार लाया जा सके।

**एल–1 स्तर (चिन्ता)**उस आपदा का उल्लेख करता है जिसका प्रबंधन जिला स्तर पर किया जा सकता है।

**एल–2 स्तर (विपत्ति)** आपदा स्थितियां वे है जिनमें राज्य के सक्रिय सहयोगकी जरूरत पड़ती है जोआवश्यक संसाधन जुटाने के रूप में दिया जा सकता है।

**एल–3 स्तर (संकटावस्था)** यह एक बडी आपदा की स्थिति है जिसमें राज्य और जिला मशीनरी को पुनः पटरी पर लाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ती है।

## संचार व्यवस्था

आपदा प्रबंधन में कारगार रिसपॉन्स के लिए बेहतर संचार व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि आपदाओं में संचार व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए सौर उर्जा से संचालित संचार व्यवस्था और वीएचएफ एंव सैटेलाइट फोन काइस्तेमाल, किया जाना चाहिए।

## जनता का सहयोग

रिसपॉन्स ऑपरेशन की सफलता के लिए आपदा रिसपॉन्स अधिकारियों और जनता के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है ।

## आपदोत्तर– रिसपॉन्स चरण

रिसपॉन्स और समुत्थान चरण का तात्पर्य '' उनआपातकालीन सेवाओं एंवलोक सहयोग से है जो आपदा के दौरान या ठीक तुरन्त बाद लोगो की जान बचाने, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को कम करने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए मुहैया कराई जाती है।कारगर रिसपॉन्स के लिए आवश्यक वस्तुए निम्न लिखित है।

## इमरजेन्सीसपोर्ट फन्कशन (ईएसएफ)

इसमें विभिन्न सपोर्ट एजेंसियॉ शामिल है, जो सभी तरह की आपदाओं के लिए सामान्य है, मुख्य एजेंसियों का प्रबंधन, प्रस्तावित ईएसएफ्स जरूरी वस्तुओ की पहचान करेंगे, संसाधन जुटाएंगे एंव उन्हे प्रभावित इलाकों तक पहुंचाएगे और जिला प्रशासको की रिसपॉन्स कार्यवाही में मदद करेंगे।

## शिविर प्रबंधन

आपदा की वजह से विस्थापित लोगो के लिए शिविर अस्थाई आवासीय व्यवस्था है।

## जिला प्रशासन शिविर प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे जो निम्नलिखित हैः

- सुरक्षा एंव मान–सम्मान, मान–मर्यादा की रक्षा, सांस्कृतिक मान्यतायें शामिल है।
- पंजीकरण एंव आबादी :–सभी शिविर निवासियो का डेटा बेस तैयार करना, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे प्रवेश और प्रस्थान का पंजीकरण, शिविर प्रबंधन का महत्वपूर्ण सिद्वांन्त है।
- सूचना प्रसार :–वर्तमान स्थिति, स्वास्थ्य, कुल संख्या और अन्य पहलुओं के बारे में जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान को समायोजित किया जायेगा।
- समन्वय एंव प्रबंधन
- संगठन एंव सहभागिता
- शरणस्थल की योजना एंव पर्यावरणीय मामले :–शरणस्थलों की योजना शिविर प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी व्यवस्था संभावित आबादी,बुनियादीसुविधाओं एंव सेवाओं, प्रवेशएंव निकासी द्वारो की व्यवस्था, सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनो एंव पर्यावरण को ध्यान में रखकर करनी चाहिए।इनके अलावा भूजल प्रदूषण और मृदा प्रदुषण भी इतने ही महत्वपूर्ण है।
- बुनियादी सेवाएं  जैसे जल, सैनिटेशन, हाइजीन और प्रबंधन की व्यवस्था शिविर प्रबंधन के प्रमुख अवयव है।
- परिवर्ती शिक्षा :–अगर शिविर के तीन या ज्यादा महीने तक चलने की संभावना हो तो वहॉ के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।  इस काम के लिए स्थानीय अध्यापकों, युवकों और विशिष्ट एजेंसियोंएंव विशेषज्ञो की सेवाएं ली जानी चाहिए।
- स्वास्थ्य सुविधाएं :–शिविर में स्वास्थ्य एंव हाइजीन की उचित देखभाल करना शिविर प्रबंधको की प्रमुख जिम्मेदारी है। जिसमें मौसमी एंव चिरकालिक बीमारियों और पानी एंव वैक्टर से पैदा होने वाली बिमारियों की निगरानी एंव इलाज की जिम्मदारी चिकित्सको के किसी विशेष दल को सौप देनी चाहिए। समय समय पर टीकाकरण एंव विसंक्रमण अभियान चलाये जाने चाहिए।
- विशेष जरूरत वाले समूह :–विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करेजिसमें गर्भवती महिलाएं, चिरकालीन बीमार , शिशु, विकलांग, बुजुर्ग, अनाथ और एचआईवी–एडस से पीडित लोग शामिल है ।

## डैमेज एंडनीड्स असैसमेन्ट

समुत्थान चरण में जिला स्तर पर नुकसान का विस्तृत निर्धारण किया जाना चाहिए। जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा से होने वाले आर्थिक एवं वित्तीय नुकसान का आंकलन करना है। इसमें इमारतों, कृषि और सम्पति के नुकसान का भी आकंलन किया जायेगा। टीम का नेतृत्व डिस्ट्रिक्ट कलक्टर करेगें। इसमें जिला राहत अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के इग्जेक्यूटिव इंजीनियर, प्रभावित जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिले में कार्यरत प्रमुख एनजीओज और अन्य विशेषज्ञ शामिल होगे।

# अध्याय –9 समुत्थान एवं पुनर्निर्माण

समुत्थान एवं पुनर्निर्माणआपदा प्रबंधन का आखरी चरण है यह "BUILD BACK BETTER" के सिद्वांत पर कार्य करता है। यह बेहतर, सुरक्षित निर्माण करने की प्रक्रिया है। समुत्थान एवं पुनर्निर्माण, अधिक सुरक्षित विकासशील व सुनियोजित सुविधाओ को नये सिरे से निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे सामाजिक व आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया में ऐसे प्रयास किये जाते है जिससे जीवकोपार्जन प्रणालियों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सुविधाओ को व्यवहारिक रूप से नया आयाम दिया जा सकें। समुत्थान एवं पुनर्निर्माण की मुख्य योजनायें जो कि प्रभावित समुदाय को दीर्घकालीन पुर्नवास व समुत्थान प्रदान करती है, वे सामान्यतया केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनायें होती है

आवासीय सुविधायेः– इस प्रक्रिया में आपदा ग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी सभी इलाको के घरों की डिजाईन व योजना शामिल हैं। किसी भी प्रकार की आपदा का डेमेज असेसमेंट किया जाता है। डेमेज के कारणो का आंकलन कर पुनर्निर्माण में बुनियादि सिद्वांतो को शामिल किया जाता है।

नये आवास निर्माण के समय सरकारी योजनाओ जैसे की इंद्रा आवास योजना , प्र.मंत्री शहरी आवास योजना आदि से प्रभावित समुदाय को नये सिरे से पुर्नवास दिया जा सकता है।

बुनियादि सुविधायेंः– बुनियादि सेवायें जैसे की जल आपूर्ति , सेनीटेशन, सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट, सीवरेज आदि की स्थायी सुविधाओं का चयन किया जाना चाहिये । इन सुविधाओ के लिये जन समुदाय में जागरूकता पैदा करवानी चाहिये । उदा. के तौर पर जल आपूर्ति के लिये वर्षा के जल को इकट्ठा करना, वॉटर शेड के कार्य, वेस्ट मेनेजमेंट के स्थायी प्लांट व रोजगार के अवसरो को तलाश कर पुर्नवास प्रक्रिया को और भी बल दिया जा सकता है। आधुनिकीकरण से सुविधायें इतनी मजबूत हो कि भविष्य में आपदाओं का प्रकोप सह सके।

क्रिटीकल इन्फ्रास्ट्रचरः– बिजली संचार व परिवहन आपदा के पश्चात पुर्न स्थापन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। इन माध्यमों के क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित जन समुदाय को सेवायें पहुंचाना नामुमकिन सा हो जाता है। बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ ही आपदा के पश्चात नये मास्टर प्लान बनानें, प्राथमिकता युक्त नई सुविधाओं के निर्माण का भी अवसर प्राप्त होता है।

वित्तीय ढांचाः– शीघ्र पुर्नवास के लिये समुत्थान प्रक्रिया को वित्तिय सेवाओं जैसे छोटे व आसान ऋण के विस्तारीकरण पर ध्यान दिया जाता है निजी एवं सार्वजनिक क्षैत्रो की सहभागिता में बीमा एवं पुर्न बीमा को बढावा देना चाहिये जिससे जोखिम में कटोती की जा सके।

मलबा निकासीः– किसी भी प्राकृतिक आपदा के पश्चात मलबा निकासी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपदा घटित मलबो में मिट्टी , कलछट, बनस्पति, घरो का कूड़ा–कड़कट , टुटी इमारतो का मलबा , वाहन , वाईट गुडस जैसे की फ्रीज और विभिन्न प्रकार के जानवर आदि चीजे होती हैं यह मलबा आपदा प्रभावित क्षेत्रो में पहुंचने में सबसे बडी बाधा उत्पन्न करते है। और यदि समय पर यह मलबा साफ नही हो पाये तो संक्रामंक बिमारिया फैलना शुरू हो जाती है अतः आपदा के पहले ही यदि हर प्रकार के वेस्ट का सही मैनेजमेंट होना शुरू हो जाये तो बहुत अधिक समस्याओ का हल पहले ही किया जा सकता है।

जिला प्रशासन :– जिला प्रशासन का दायित्व है कि जन सामान्य को विभिन्न प्रकार की आपदाओं के आने के कारणों की विस्तृत जानकारी दी जाए , साथ ही आपदा शमन के उपायों में जनभागीदारी सुनिश्चित हों। आपदा हेतु रेस्पोंस प्रक्रिया में कमियों में सुधार किया जाना चाहिए। इनमें ऋण, मुआवजा आदि शामिल है।

# अध्याय–10 सूखा–कार्ययोजना

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है। बदलती भौगोलिक परिथितियो से जिले में सूखे/ अकाल की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। जिससे मुख्य समस्या जानवरो के चारे पानी के साथ साथ छोटे काश्तकारो एवं ग्रामीण क्षैत्र में नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। जिनसे व्यवस्थित रूप से मुकाबला करना हमारा दायित्व होता है। जिले में उस दौरान जानवरो के चारे पानी, पेयजल आदि की माकूल व्यवस्था हेतु किस क्षैत्र में चारे की फसल अधिक उगाई जाती है तथा पेयजल के बेहतर स्त्रोत कहां पर मॉजूद है। जिनकी जानकारी पूर्व में होना अतिआवश्यक है।

## सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- ✓ लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को 3 बार सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- ✓ पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- ✓ गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हे। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- ✓ पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- ✓ कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- ✓ घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में ड़ालें।
- ✓ जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- ✓ सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ✓ ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- ✓ नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- ✓ शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- ✓ हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।

- ✓ अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- ✓ फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- ✓ कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- ✓ जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

**जिले में वर्ष 2015–16 में बोयी गई खरीफ की फसलों का रकबा**

| क्र.सं. | तहसील | बोई गई खरीफ की फसल (हेक्टेयर में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सिंचित भूमि में | असिंचित भूमि में | योग |
| 1. | बारां | 2897 | 42412 | 45309 |
| 2. | अन्ता | 2509 | 32755 | 35264 |
| 3. | मांगरोल | 785 | 29695 | 30480 |
| 4. | छबड़ा | 92 | 42982 | 43074 |
| 5. | छीपाबडौद | 140 | 37236 | 37376 |
| 6. | अटरू | 345 | 50051 | 50396 |
| 7. | शाहाबाद | 2112 | 41327 | 43439 |
| 8. | किशनगंज | 9662 | 34878 | 44540 |
| | **योग** | **18542** | **311336** | **329878** |

**मुख्य पशुधन : पंचायत समितिवार**

| पशुधन | बारां | अन्ता | अटरू | छबड़ा | छीपाबड़ौद | किशनगंज | शाहबाद | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गाय | 30775 | 58234 | 38214 | 41798 | 62251 | 66008 | 67087 | 364367 |
| भैस | 24696 | 44620 | 34271 | 32846 | 38386 | 34382 | 22616 | 231814 |
| भेड़ | 1665 | 3266 | 2592 | 352 | 520 | 4940 | 82 | 13417 |
| बकरी | 34222 | 53108 | 42869 | 33103 | 47966 | 32916 | 26205 | 270389 |
| ऊंट | 611 | 52 | 111 | 118 | 9 | 1 | 1 | 903 |
| शूकर | 1421 | 2819 | 1432 | 866 | 378 | 1346 | 1430 | 9692 |
| योग | 93310 | 162099 | 119489 | 109083 | 149510 | 139593 | 117421 | 890585 |

स्त्रोत पशुगणना 2007

## कार्ययोजना

## सूखा पूर्व तैयारी

- ✓ अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- ✓ चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हिकरण
- ✓ अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- ✓ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- ✓ सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- ✓ रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

## सूखे से कैसे निपटना है

- ➢ सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- ➢ राहत कार्यों की शुरूआत
- ➢ कुओं को गहरा करना।
- ➢ उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन
- ➢ निजी कुओं को किराये पर लेना
- ➢ हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- ➢ परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुर्नजीवीकरण
- ➢ आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- ➢ खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- ➢ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था, पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- ➢ पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- ➢ पशुओं एवं आम जनता हेतु उस दौरान चालू जलस्त्रोतो का चिन्हीकरण कर पानी की व्यवस्था करना
- ➢ किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- ➢ प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन

## सरकारी विभागों का दायित्व

### जिला प्रशासन :–

सूखा पूर्व स्थिति

1. सूखा आकस्मिक योजना तैयार करना।
2. आने वाली स्थिति का कारगर और समन्वित तरीके से मुकाबला करने के लिए सभी सम्बद्ध विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश/हिदायतें जारी करना।

आपदा स्थिति के दौरान

1. सभी विभागों, एजेंसियों, एनजीओज और अन्य सहभागियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना।
2. जरूरी संसाधन एवं उपकरण जैसे पानी के टेंकर, खाना एवं चारे ट्रांसपोटेशन के लिए ट्रक, मोबाइल चिकित्सा वाहन, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था करना।
3. लाशों के क्रिया–कर्म की व्यवस्था करना।
4. राहत कार्यो की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना और उनका प्रसार करना।
5. जहां जरूरत हो वहां राहत शिविर लगाना और शुद्ध पेय जल, सेनिटेशन, भोजन, अस्थाई आवास, जरूरी राहत सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
6. राजनेताओं को स्थिति से अवगत कराना और समय–समय पर बुलैटिन जारी करना।
7. मीडिया प्रबंधन।
8. इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर का कुशल संचालन।

## कृषि विभाग

सूखा पूर्व स्थिति : –

- फसल संभाव्यता योजना तैयार करना।
- चारा डिपो की जरूरत का मूल्यांकन।
- चारा आपूर्तिः चारागाहों की पहचान जिनमें वन भूमि भी शामिल है।
- फसल बीमा को प्रोत्साहन।

सूखा स्थिति के दौरान :–

- फसलो की क्षति का मूल्यांकन।
- जरूरत के अनुसार खाद्यान्न डिपो तैयार करना।
- प्रभावित इलाकों तक चारा पहुॅचाना।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सुखोत्तर उपाय :–

- फसल चक्र बदलाव–कम पानी से पैदा होने वाली फसलों जैसे फूल, कास्टर, बाजरा, तिलहनों की खेती को सूखाग्रस्त इलाकों में प्रोत्साहन।
- स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा।
- पानी की कम खपत वाली फसलों को प्रोत्साहन, और दीर्घकालीन सूखा–उन्मुखी क्षेत्रों में सूखा सहनशील बीजों और वैकल्पित आजीविका साधनों को प्रोत्साहन।

## जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

1. आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
2. जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
3. टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
4. हैंडपम्पों की मरम्मत के लिए कार्यक्रम, नये हैंडपम्प और ट्यूब वैल्स लगाना।
5. पानी के परम्परागत स्त्रोतो कुए, बावडी, तालाब आदि का जीर्णोधार।

## पशुपालन विभाग

1. आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईंयों की व्यवस्था करना।
2. जानवरों के डॉक्टर उपलब्ध कराना।
3. पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
4. पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
5. आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाना।

## खाद्य एवं रसद विभाग

1. खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
2. निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।
3. राहत शिविरों में जरूरी खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति। जमाखोरी के खिलाफ एहतियाती कदम उठाना।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर लगाना।
2. लोगों, विशेषरूप से महिलाओं और बच्चों, के पौषणिक स्तर का परीक्षण और जरूरी इलाज।
3. सामुदायिक रसोई में खाद्यान्नो एवं पके हुये खाने का परीक्षण।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग :–

1. ऐसे कामों की सूची तैयार करना जो राहत कार्यक्रमों के तहत किये जा सकते हैं – तालाबों से मिट्टी निकालना, नये तालाब या बावली की खुदाई और सरकारी इंफ्रास्ट्रचर का निर्माण।
2. राहत कार्यो का निरीक्षण एवं सुपरविजन।

## जल संसाधन विभाग :–

1. फसलों के लिए जल की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन और पानी की राशनिंग सुनिश्चित करना।
2. गैर कानूनी पम्पिंग रोकने के लिए सख्त निगरानी।
3. बांध एवं नहरों की मरम्मत एवं देखभाल।
4. पानी वितरण प्रणाली में सीवेज रोकने के लिए नहरों की लाइनिंग।
5. कुओं को गहरा करना।
6. भू–धाराओं/एक्विफर्स की तलाश।

## मीडिया

- समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।
- आपदा में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

# अध्याय–11 भूकम्प–आपदा कार्ययोजना

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन , भ्रंशन , भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हें, उसे उद्‌गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्‌गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

## 5.1 भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

| भूकम्पों की तीव्रता | तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव) | रिक्टर मापक परिणाम |
|---|---|---|
| यान्त्रिक | केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है। | 0 |
| क्षीण | केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव | 3.5 |
| अल्प | आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव | 4.2 |
| साधारण | चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन | 4.3 |
| आद्रबल | सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं। | 4.8 |
| प्रबल | सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है। | 4.9–5.4 |
| अतिप्रबल | दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है। | 5.5–6.1 |
| विनाशात्मक | ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है। | 6.2 |
| विनष्टकारी | मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है। | 6.2–6.9 |
| सर्वनाशी | धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है। | 7.0–7.3 |
| अतिविनाशी | पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है। | 7.4–8.1 |
| प्रलयकारी | सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं। | 8.1 से अधिक |

**क्या करें क्या न करें :**

**भूकम्प पूर्व**

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।

- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्ध अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

## आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वार से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लियें सुरक्षित स्थान है। पत्थर की संरचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस कंट्रोल रूम को टेलीफोन नं0 100 पर अग्निशमन हेतु नगरपालिका , बारां को दूरभाष नं0 230106 एवं एन.टी.पी. सी. अन्ता के फायर स्टेशन नम्बर 07457 246053–54 पर एवं रोगी वाहन हेतु समीपस्थ स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करे।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

## सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओ का दायित्व :

### जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- बेहतर संचार, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- विशेष उपकरण और सामग्री जैसे क्रेन, डोजर्स, जनरेटर, डम्पर आदि की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों के लिए टेन्ट, सेनिटेशन ब्लॉक, जरूरी सामग्री आदि की व्यवस्था करना।
- राहत कार्यो की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भिजवाना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

### नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

### पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।
- बचाव एवं राहत ऑपरेशन के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान निर्धारित करना और निर्विघ्न यातायात की व्यवस्था करना।
- महिला सम्बन्धी समस्या से निपटने के लिए राहत शिविरों में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती।

### सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- गम्भीर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

**पशुपालन विभाग :–**

1. मृत पशुओं का डिस्पोजल करना।
2. फसे हुए पशुओं के बचाव एवं निकासी की व्यवस्था।
3. प्रभावित क्षैत्र के पशुओं में टीकाकरण।
4. स्टॉफ और दवाईयों को तैयारी की स्थिति में रखना।

**नगरपरिषद् एवं नगरपालिकाऐं :–**

अलर्ट एवं चेतावनी चरण

1. सातों दिन 24 घण्टें नियन्त्रण कक्ष चालू रखना।
2. सभी अग्निशमन केन्द्रो को चेतावनी जारी करना।
3. सभी संसाधनों को तैयार अवस्था में रखना।

आपदा के दौरान

1. पानी के टेंकर, ट्रेक्टर, क्रेन्स और अन्य उपकरण जैसे अग्नि सूट, मास्क, कम्बल, जैनरेटर, आदि तैनात करना और पर्याप्त मात्रा में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. तलाश, राहत एवं निकासी कार्यो में सहायता करना।
3. भूकम्प के बाद सभी तरह के अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. खुदाई कार्य के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना, असुरक्षित इमारतों को गिराना, कूड़े–करकट एवं मलबे का प्रबंधन, और मृत लोगों के दाह–संस्कार की व्यवस्था करना।
5. तेल, गैस एवं अन्य खतरनाक पदार्थो के रिसाव से पैदा होने वाली संभावित संकटकालीन स्थितियों पर नियंत्रण रखना।

रिसपॉन्स एवं पुनर्वास चरण

1. जहां जरूरत हो वहां राहत शिविर लगाना और जरूरत के अनुसार शुद्ध पेय जल, भोजन, सेनिटेशन, अस्थाई आवास, बुनियादी राहत सामग्री आदि उपलब्ध कराना।
2. आपदोत्तर रिसपॉन्स और पुनर्वास कार्य में सहायता करना।

**विद्युत विभाग :–**

1. प्रभावित क्षैत्र की विद्युत सप्लाई तुरन्त बन्द करना।
2. पुनर्वास एवं राहत शिविरों में विद्युत का प्रबंध करना।
3. क्षतिग्रस्त लाईनो की मरम्मत करके पुनः चालू करना।

**जल संसाधन विभाग :–**

1. नहरों, बांधों और अन्य जल संसाधनों पर लगातार गश्त की व्यवस्था करना।
2. सिंचाई तालाबों, बांधों आदि के रिसाव या टूटने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. जल संरचनाओं की स्थिति के बारे में समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।

**रसद विभाग :–**

1. सभी गोदामों और पीडीएस दुकानों की स्थिति का निरीक्षण करना।
2. खाने के पैकेट, सूखा भोजन, ईधन, तेल आदि वितरित करना।
3. जमाखोरी के खिलाफ ऐहतियाती कदम उठाना और मार्केट में वस्तुओं की सामान्य कीमतें सुनिश्चित करना।

4. राहत शिविरों में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं, भोजन आदि की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करना।

**पंचायती राज संस्थाएं :–**

1 फर्स्ट रिसपॉन्डर्स के रूप में पीआरआईज बेहतर आपदा रिसपॉन्स और निर्णय के लिए उचित सूचनाओं का संग्रह और व्याख्या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती है।
2 आपदा का कारगर तरीके से मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी, सीबीओज, एसएचजीज,एनजीओज में समन्वय स्थापित करना।
3 खुदाई असुरक्षित इमारतों को गिराने, गारबेज को ठिकाने लगाने और मृत लोगों के दाह संस्कार के लिए लेबर का इंतजाम करना।
4 पंचनामा के आधार पर मुआवजा दिलवाना।
5 जहां भी जरूरत हो राहत शिविर लगाना और उनके लिए शुद्ध पेय जल, भोजन, सेनिटेशन, अस्थाई आवास, राहत सामग्री सुनिश्चित करना।
6 विस्तृत टीकाकरण के लिए लोगों को इकट्ठा करना।
7 घरेलू पशुओं का टीकाकरण।

**मीडिया**

1. समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।
2. दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
3. सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

# अध्याय–12 बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटना, बांध टूटना –आपदा कार्ययोजना

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है–विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

## जिले की मुख्य नदियां

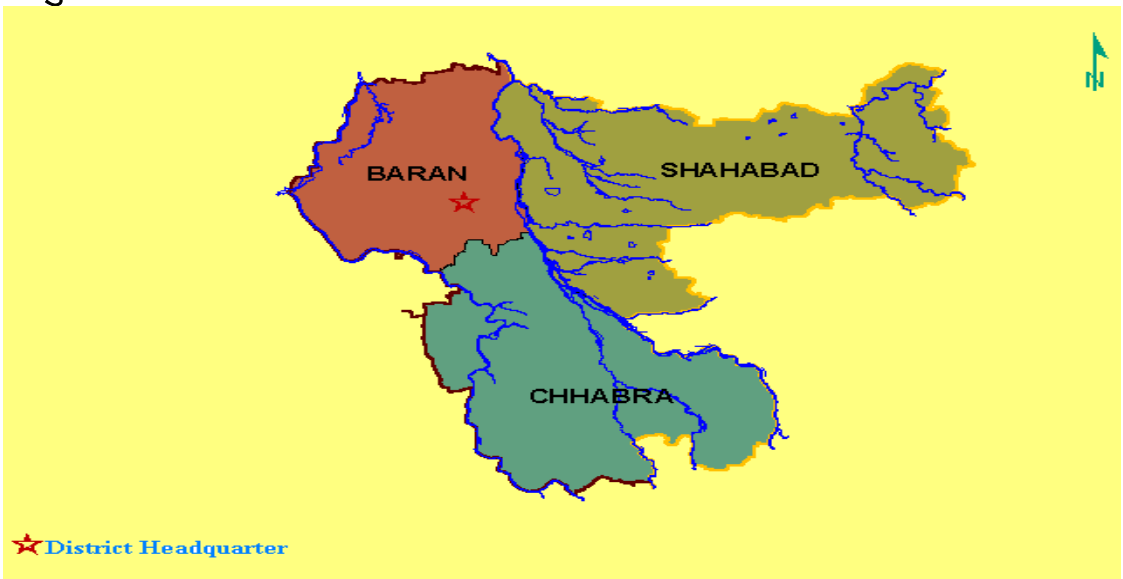

## बारां जिले की प्रमुख नदियां इनकी लम्बाई एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या :–

| क्र.सं. | नाम | लम्बाई मि.मी. में | अनुमानित प्रभावित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | पार्वती नदी | 125 | 2000 |
| 2. | परवन नदी | 120 | 2500 |
| 3. | कून्नू नदी | 33 | 500 |
| 4. | ल्हासी नदी | 60 | 2500 |
| 5. | अंधेरी नदी | 45 | 2500 |
| 6. | घडावली नदी | 26 | 1500 |
| 7. | बिलास नदी | 25 | 500 |
| 8. | बैथली नदी | 25 | 700 |
| 9. | बरनी नदी | 24 | 200 |

## बारां जिले में नदियो मे बाढ़ आने पर प्रभावित होने वाले ग्रामों कीसूची

| तहसील | नदी | प्रभावित होने वाले गांवों की सूची | प्रभावित होने वाली जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| बारां | पारवती | लुहारिया | 250 |
| | परवन | चौकीबोदरा, कोटडीतुलसी | 300 |
| अंता | परवन | मऊ, ढाबला, राजोडिया, नकटी का आसन | 550 लगभग |
| | कालीसिंध | पाटोदा, बालदडा, रायपुरा, नदवाडा | 1100 लगभग |
| मांगरोल | बाणगंगा | मांगरोल कस्बे को बस्ती अबाब चौक, रेगरबस्ती, रहमतनगर, करौमनगर, भगवानपुरा, ग्राम बमोरीकला। | 5000 लगभग |
| | बमोरीखाडी | कस्बा सीसवाली में मदारबस्ती, रेगरान बस्ती, हरिजन बस्ती, बैरवा बस्ती, मस्जिद मोहल्ला | 1000 लगभग |
| किशनगंज | पारवती | किशनपुरा, कुण्डी, लालापुरा, दीगोदपार, मजरा कारताबमोरी, महताबपुरा, दण्ड छत्रपुरा, पीपल्दाकलां, बिसलाई | 2000 लगभग |
| शाहबाद | कूनू नदी | मूंगावली, महारी, हरयानगर, कस्बानोनेरा | 1800 लगभग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | करई नदी | तिलगंवां | 800 लगभग |
| | रेपी नदी | होंडापुरा, चौराखाडी, सांदरी | 1800 लगभग |
| अटरू | अडेरी | रतनपुरा | 700 लगभग |
| | पारवती | रहलाईजागीर, बहादुरगंज, रामबिलास, डाबडिया | 15600 लगभग |
| | परवन | रीछन्दा, कुन्जेड | 4580 लगभग |
| छबड़ा | रेतली नदी | छबड़ा, टोडी, बरई, चावलखेड़ी, बडोदिया खांकरा, देहरी, पचवाडा | 20000 लगभग |
| | अंधेरी नदी | बमोरा, दोहनी, रीझा, खांकरा, पीपल्या, कोलूखेड़ा | 3500 लगभग |
| | केथली नदी | भूलोन, भानपुरा, रूपारेल, राजपुरा, कुलिजरा, फलिया | 3700 लगभग |
| | पारवती नदी | कराडियापार, धोलाड़ा, गूगोर, खोखाई, उचावद, शेखापुर, आलमपुरा, कछावन | 2800 लगभग |
| छीपाबड़ौद | परवन | पीपलखेडा, पथरी, ब्रह्माखेडी, हलेसरा, पटपटी, टाबूड़ा, अपलावदा, पीपल्याघाटा, बोरदा, मालोनी, नीमथूर, अमलवदाआली | 6000 लगभग |
| | ल्हासी | छीपाबड़ौद, मवासा, टांचा, गुलबेड़ी, हरनावदा, कुम्भाखेड़ी, लम्बाखेड़ी, बोरखेडी, ढोलम, रतनपुरा | 12000 लगभग |
| | अंधेरी | फूलबड़ौदा, कोहली, घाधोनिया, गगवानाना, उदपुरिया, बल्लूखेड़ी, मूण्ड़ली, मोहम्मदपुरा | 6000 |
| | | नदखेडी, रूपपुरा, भगवानपुरा, रतनपुरावाला | 3000 |

**निचले क्षेत्र में बसे हुए गाँव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होने वाले क्षैत्र**

| नगर/ ग्राम | प्रभावित बस्तियों गाँवों/अधिवासों की सूची | प्रभावित होने वाली जनसंख्या |
|---|---|---|
| बारां | बारां शहर की राजीव कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, संजय | 28,000 लगभग |

| | | |
|---|---|---|
| | कॉलोनी, खजूरपुरा वार्ड, रावणजी का चौक, जगजीवनराम कॉलोनी, मंडोलावार्ड, प्रमोदभाया की बाडी, शिवाजी नगर, बागबस्ती, गांधी कॉलोनी, बाबजी नगर, कृष्णा कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, श्रमिक कॉलोनी, ओडपुरा, गोपाल कॉलोनी, शिव कॉलोनी, खाती कॉलोनी, धर्मादा चौराहा, प्रतापचौक, दीनदयाल पार्क, धौलाई बस्ती, हरिजन बस्ती, शाहाबाद वार्ड, धाकडपाडा | |
| अंता | अंता शहर की ख्वासपुरा बस्ती, नयापुरा बस्ती, गुलाबबाडी मौहल्ला, गांव रातडिया कडारिया खाल के पास की बस्ती, बालाखेडा, कडारिया खाल के पास की बस्ती | 2500 लगभग |
| अटरू | बडोरा, कवाई, पतल्या, महेशपुरा, गोविन्दपुरा | 10,000 लगभग |
| छीपाबडौद | छीपाबडौद, टांचा, फूलबड़ोदा, मवासा, गुरूखेडी, घाघोनिया, कोहनी, गणेशपुरा, झनझनी, काजल्या, मोहम्मदपुरा, गगचाना, नियाना, उदपुरिया, मूणकी, बल्लूखेडी | 22,000 लगभग |

**बारां शहर वर्षा 1957 से ही बाढ़ आपदा से ग्रस्त रहा है। गत वर्षो में आई बाढ़ का विवरण निम्न है:–**

| वर्ष व दिनांक | एक दिवस में वर्षा | बाढ़ की अवधि |
|---|---|---|
| 1957 (22-7-57) | NA | 11.00AM To 2.00PM (3hrs) |
| 1975 (19-8-75) | 284.75mm | 01.00 AM to 9.00 PM(20hrs) |
| 1976 (5-8-76) | 126.50mm | 2.00 PM to 8.00 PM(3hrs) |
| 1984 (6-9-84) | 165.20mm | NA |
| 1986 (26-7-86) | 184.00mm | NA |
| 1991 (1-7-91) | 152.00mm | 10.30 AM to 4.45 PM(6.20hrs) |
| 1994 (1-7-94) | 242.00mm | 4.30 AM to 2.00 PM(9.30hrs) |
| 2000 (21-7-2000) | 280.00mm | 11.00 PM to (20.7.2000 to) 1.00 PM (21.7.2000) 14hrs |
| 2001 (2-7-2001) | 407.50mm | 11.00 PM (1.7.01) to 4.00 PM (2.7.01) 17hrs |
| 2003( ) | | |

| | | |
|---|---|---|
| 2005(16-09-05) | 157.20 mm | |
| 2007(28.06.07) | 184.4 mm | |
| 2011(23-06-2011) | 250 mm | |
| 2012 (7.7.12) | 136 mm | |
| 2013 (29.7.13) | 340 mm | |
| 2014 (7.08.14) | 198 mm | |
| 2015 (18.08.18) | 195 mm | |
| 2016 (20.08.16) | 204 mm | |
| 2017 (28.07.17) | 128 mm | Chhabra |
| 2018 (13.07.18) | 197 mm | Chhabra |

## 1.4 बाढ़ के मुख्य कारण :

- कई दिनों तक लगातार बारिश होना
- कुछ समय के लिए तेज बारिश होना तथा मिट्टी द्वारा पानी सोखने की क्षमता कम होना
- नदी के अपने औसत स्तर से अधिक ऊपर तेजी से बहना
- बादल फटना
- बांध टूटना
- भूकम्प
- पेड़ो की संख्या कम होना
- विभिन्न कारणों से जल प्रवाह में अवरोध होना

**बाढ़ से बचाव के संरचनात्मक उपाय**

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बांध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

**नियंत्रण कक्ष**

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग, जिला कलक्टर कार्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किया जाता है। जिन पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है।

1. जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर नियंत्रण कक्ष – 07453 237081
2. सिचाई विभाग, बारां –07453 237090
3. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय– 07453 237004
4. तहसील बारां – 07453 237015, अन्ता– 07457 244101, मांगरोल– 07457 225229, अटरू– 07451 240235, छबड़ा– 07452 222028, छीपाबड़ौद– 07454 285424, किशनगंज– 07456 253306, शाहबाद– 07460 262305

   किसी भी स्थान पर आकस्मिक आने वाली बाढ़ से बचाव के अन्तर्गत तत्काल बचाव दलो हेतु आवश्यक सामग्री की संकलित सूचना परिशिष्ट में संलग्न है।

## बाढ़ से बचाव हेतु प्रशासन के उत्तरदायित्व :

### बाढ़ पूर्व तैयारियां :–

- बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की शिनाख्त करना तथा उनके विस्तृत मानचित्र बनाना।
- विगत वर्षो में, दो या तीन बार भीषण रूप से आई बाढ़ का विवरण तैयार किया जाना, जिससे बाढ़ के बाद पुनः सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही का उल्लेख हो।
- जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी का बहाव न होता हो व पानी रूके रहने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानो से पानी निकालने संबंधित योजना बनाई जाना।
- बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करना, जहां अधिक मात्रा में लोगो को ठहराने व पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। साथ ही पर्याप्त मात्रा में अन्न संग्रहण की व्यवस्था करना। इन स्थानों के बारे में जन–जन को पूर्व में सूचित करना।
- जिला मुख्यालय पर कलक्टर की अध्यक्षता में राहत कमेटी बनाना जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता हो।
- चिकित्सा विभाग को बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों से निबटने हेतु दवाईयों व रेस्पोन्स टीम के साथ तैयार रखना।
- बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए जीप, ट्रेक्टर, बैलगाड़ियों का अग्रिम रूप से प्रबंध रखना जो तीन फुट तक के पानी में परिवहन व्यवस्था में काम आ सके।
- बाढ़ से प्रभावित होने वाले चार–पांच गांवो की बचाव व राहत टीम तैयार करना जो आपदा के समय मनुष्यों व जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराने में मदद कर सके।

### बाढ़ के दौरान तैयारियां :–

- निवास क्षेत्र से बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- बाढ़ के पानी के लिए उचित मार्ग बनाना ताकि यह शीघ्र प्रवाहित हो सके।

- जहां भी आवश्यक हो पानी निकालने हेतु फ्लड़ पंप लगाना।
- बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु नहर/निकास के प्रयोग को संभव बनाना।

**बाढ़ के बाद तैयारियां :–**

- जहां भी संभव हो, लोगों व जानवरों को मूल क्षेत्र में पुनः स्थानांतरित करना।
- मकानो की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करना।
- प्रभावित परिवारों को नियंत्रित दरों पर आवश्यक वस्तुएँ और राशन उपलब्ध कराना।
- जल्द से जल्द सड़को/रेलवे लाईन का पुननिर्माण कर परिवहन सेवाएँ परिचालित करना।
- जल्द से जल्द दूरसंचार प्रणाली को प्रारंभ करना।
- हानि मूल्याकंन और दावा मूल्यांकन हेतु विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- प्रशासन द्वारा तैयार मानदण्ड़ो पर प्रभावित लोगो को राहत राशि देने की व्यवस्था करना।

**<u>सरकारी विभागों का दायित्व</u>**

**पुलिस विभाग :**

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना। खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन. सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।
- उपलब्ध नावो की सूची (परिशिष्ट )
- तैराक/गोताखोर की सूची (परिशिष्ट )

**नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.**

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

**चिकित्सा विभाग :**

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।

- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों के निस्तारण हेतु नगर पालिका की मदद लेना।
- चिकित्सालय एवं चिकित्सको की सूची (परिशिष्ट )
- अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

## सिंचाई विभाग

अलर्ट एवं चेतावनी चरण

- मानसून/बरसात के मौसम में बांधों/जलाशयों का रोजाना निरीक्षण/जल स्तर की भी रोजाना जांच पड़ताल जिससे ईओसी एवं स्थानीय लोगों को अलर्ट व चेतावनी जारी की जा सके।
- बांधों या जलाश्यों में पानी जैसे ही खतरे के निशान तक पहुंचे नदी के नीचे इलाकों में लोगों को खाली करने की चेतावनी जारी करना।
- नाव व गोताखोरों की व्यवस्था और सामुदायिक स्वयंसेवियों को तलाश, बचाव एवं निकासी कार्यो का प्रशिक्षण देना।

आपदा चरण

- सिचाई तालाबों या बांधो के टूटने या रिसने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

रिसपॉन्स एवं पुनर्वास चरण

- पानी खाली करने एवं गिरे हुए पेडों व बिजली के खम्बों को हटाने के लिए पम्पसैट, क्रेन, पुली, डोजर्स, अर्थमूवर्स एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों में प्रशासन की सहायता करना।

- जहां भी आवश्यकता हो वाटर बॉडिज की मरम्मत करना।

## सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

## जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- आपदा क्षैत्र में आपदा के दौरान बिजली की सप्लाई तुरन्त बन्द करना।
- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

## दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।
- लापता लोगों एवं उनके परिवारजनों के बारें में सूचना देने के लिए सूचना केन्द्रो की स्थापना करना।
- वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से तुरन्त चेतावनी जारी करना।

## नगर पालिका

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।
- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)
- तलाश बचाव व पानी निकासी कार्यो के लिए नाव गौताखोर और स्वयंसेवी उपलब्ध कराना।

- खुदाई असुरक्षित इमारतों को गिराने कूडा करकट को ठिकाने लगाने और मृत लोगों और पशुओं के डिस्पोजल के लिए श्रमिकों की व्यवस्था।
- तेल गैस एवं अन्य खतरनाक मटेरियल के रिसाव से होने वाली सम्भावित दुर्घनाओं को रोकने के उपाय करना।

## जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।
- जरूरत के अनुसार पानी के टेंकर, मोबाइल वाटर ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट और प्लास्टिक की टंकियों की व्यवस्था करना।
- क्षतिग्रस्त जल संसाधनों जैसे ट्यूब वैल आदि की मरम्मत करना।

## जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा। पेट्रोल पम्प की सूची परिशिष्ट – पर संलग्न है।

## विद्युत विभाग

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

## पशुपालन विभाग

- मृत पशुओं का डिस्पोजल करना।
- फसे हुए पशुओं के बचाव एवं निकासी की व्यवस्था।
- प्रभावित क्षैत्र के पशुओं में टीकाकरण।
- स्टॉफ और दवाईयों को तैयारी की स्थिति में रखना।

## पंचायती राज विभाग

- सभी कर्मचारियों को अलर्ट करना और सभी संसाधनों को तैयार अवस्था में रखना।
- नियत्रंण कक्ष 24 घण्टें सातो दिन चालू रखना।
- ग्रामीण क्षैत्र से उपयोगी सूचनाऐं एकत्र कर उच्च स्तर तक पहुॅचाना।
- आपदा का बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, एस.एच.जी. एवं एनजीओं से सहायता प्राप्त करना।

- पानी निकालने, उखड़ें हुए वृक्षों एवं बिजली के खम्बों को हटाने, असुरक्षित इमारतों को तोड़नें, मृत लोगों का दाह संस्कार करने, मृत जानवारों को ठिकाने लगाने के लिए पम्पसैट, जैनरेटर, क्रेन, डोजर्स, अर्थमूवर्स पुली, डम्पर, श्रमिकों आदि की व्यवस्था करना।
- जहां भी जरूरत हों वहां राहत शिविर लगाना और आवश्यकतानुसार शुद्ध पेयजल भोजन, सेनिटेशन, अस्थाई आवास और बुनियादी राहत सामग्री का प्रबंध करना।
- जरूरत पडे तो लोगों को विस्तृत टीकाकरण के लिए संगठित करना।
- घरेलू जानवरों का विस्तृत टीकाकरण।
- पंचनामा के आधार पर पीडित लोगों को मुआवजा दिलवाना।

**मीडिया**

- समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।
- आपदा में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

## जनसाधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियांः–

### बाढ़ आने से पहले :

यदि कई घण्टों तक तेज बारिश हो रही हो अथवा कई दिनों से धीरे–धीरे बारिश हो रही हो तो बाढ़ आने की सम्भावना से सतर्क हो जायें।

- संकट कालीन सूचनाओं के लिए रेड़ियो व टेलीविजन को निरंतर घ्यानपूर्वक सुनें।
- ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्टेशन, लाउड़स्पीकर अथवा अन्य माध्यम से आपको सबसे सही सलाह प्रदान करता है, उसे ध्यान पूर्वक सुने व उनका अनुसरण करें।
- बाढ़ के लक्षणों के प्रति सर्तक रहें। चेतावनी का मतलब होता है कि बाढ़ आपके क्षेत्र में आ सकती है अथवा आना आरम्भ हो गयी है।
- सबसे महत्वपूर्ण आपका बचाव है। बाढ़ की सम्भावना होने पर तुरन्त अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जायें।
- पलायन करते समय अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाने की व्यवस्था करें।
- सुरक्षित स्थान न मिलने पर जानवरों को खोल दें ताकि वे स्वयं सुरक्षित स्थान ढूंढ़ सकें।
- बाढ़ आने से पहले गाड़ी चलाना अधिक सुरक्षित व आसान होता है इसलिए कोशिश करें कि आप शीघ्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल जाये।
- बाहर निकलने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचना सम्भव न हो तो अपने घर में प्राथमिक चिकित्सा का सामान तथा अन्य खाद्य समाग्री व पेयजल पर्याप्त मात्रा में ऊंचे व सुरक्षित व स्थान पर रख लें।
- अपने घर की नालियों को साफ रखें।

**बाढ़ के समय :**

- अपने घर के सभी विद्युत उपकरणों व मुख्य स्विच को बंद कर दें।
- तुरन्त ऊंचे स्थान पर चले जाएं। यदि आप घर के अन्दर, कमरे में हैं, जहां पानी भरना शुरू हो गया हो तो तुरन्त छत पर चले जाएं।

- जहरीले जन्तुओं के प्रति सतर्क रहे।
- सुरक्षित जल व खाद्य समग्री का ही प्रयोग करें।
- यदि आप बाहर हैं तो बाढ़ के पानी से दूर किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाएं।
- यदि आप बहते हुए पानी में आ जाएं जहां पानी आपके घुटने से ऊपर हो तो तुरन्त रूक जाएं तथा दूसरे रास्ते की तरफ बढें।
- अधिकतर दुर्घटनाएं बाढ़ के पानी में तैरने व खेलने से होती है, उनसे बचें।
- यदि आप गाड़ी चला रहें हो तो बाढ़ वाले क्षेत्र की तरफ न जाएं।
- यदि गाड़ी चलाते समय आप पानी का स्तर बढ़ता हुआ देखें तो तुरन्त अपना रास्ता बदल लें व बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें।
- तेज बारिश के दौरान पुल, बांध व नदियों से दूर रहें।

**बाढ़ के बाद :**

- बाढ़ के दूषित पानी से कई बीमारियां फैल जाती हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए तुरन्त नजदीक के अस्पताल अथवा क्लिनिक में जायें।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र से दूर चले जायें, क्योकि आपकी उपस्थिति अन्य राहत कार्यो में व्यवधान डाल सकती है तथा दूषित पानी व संक्रमित रोग आप पर असर डाल सकते हैं।
- अपने क्षेत्र की खबरों को रेडियो, टेजीविजन व लाउडस्पीकर के माध्यम से निरंतर सुनते रहें व निर्देश मिलने पर ही अपने घर में पुनः प्रवेश करें।
- बाढ़ प्रभावित इमारतों से दूर रहें क्योकि बाढ़ के पानी से कई–कई बार इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है व उनके ढ़ह जाने का खतरा बढ़ जाता है।
- इमारत में प्रवेश करते समय पूर्ण सावधानी रखें।
- टॉर्च अथवा लालटेन से इमारत की दीवारों, खिडकियों, फर्श व सीढ़ियों का निरीक्षण करें तथा पूर्ण सन्तुष्टि होने पर ही आगे बढ़े।
- इमारत के अन्दर बीड़ी अथवा सिगरेट न पीयें।
- खाद्य पदार्थो को ढक कर रखें व पानी को विसंक्रमित करके ही पीयें।
- अपने आस–पास के बच्चों, बुजुर्गो व अन्य असहाय लोगो को सहायता उपलब्ध कराने में मदद करें।
- सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- राहत कार्यो में प्रशासन व सामाजिक कार्यकर्ताओ की मदद करें।

# अध्याय–13 प्रमुख दुर्घटनाएं(रेल, सडक)

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 तहसील क्षैत्र अन्ता, बारां, किशनगंज व शाहबाद से गुजरता है। जिस पर आये दिन सड़क दुर्घटनाये देखने को मिल जाती है। सर्वप्रथम तो हमे ऐसे प्रयास करने चाहिये कि हम दुर्घटनाओ को कैसे कम कर सकते है ध फिर भी ! जो दुर्घटना जिले में घटती है, तो प्रभावित व्यक्ति/व्यक्तियो के समूह को हम कैसे तत्काल राहत पहुचा सकते है।

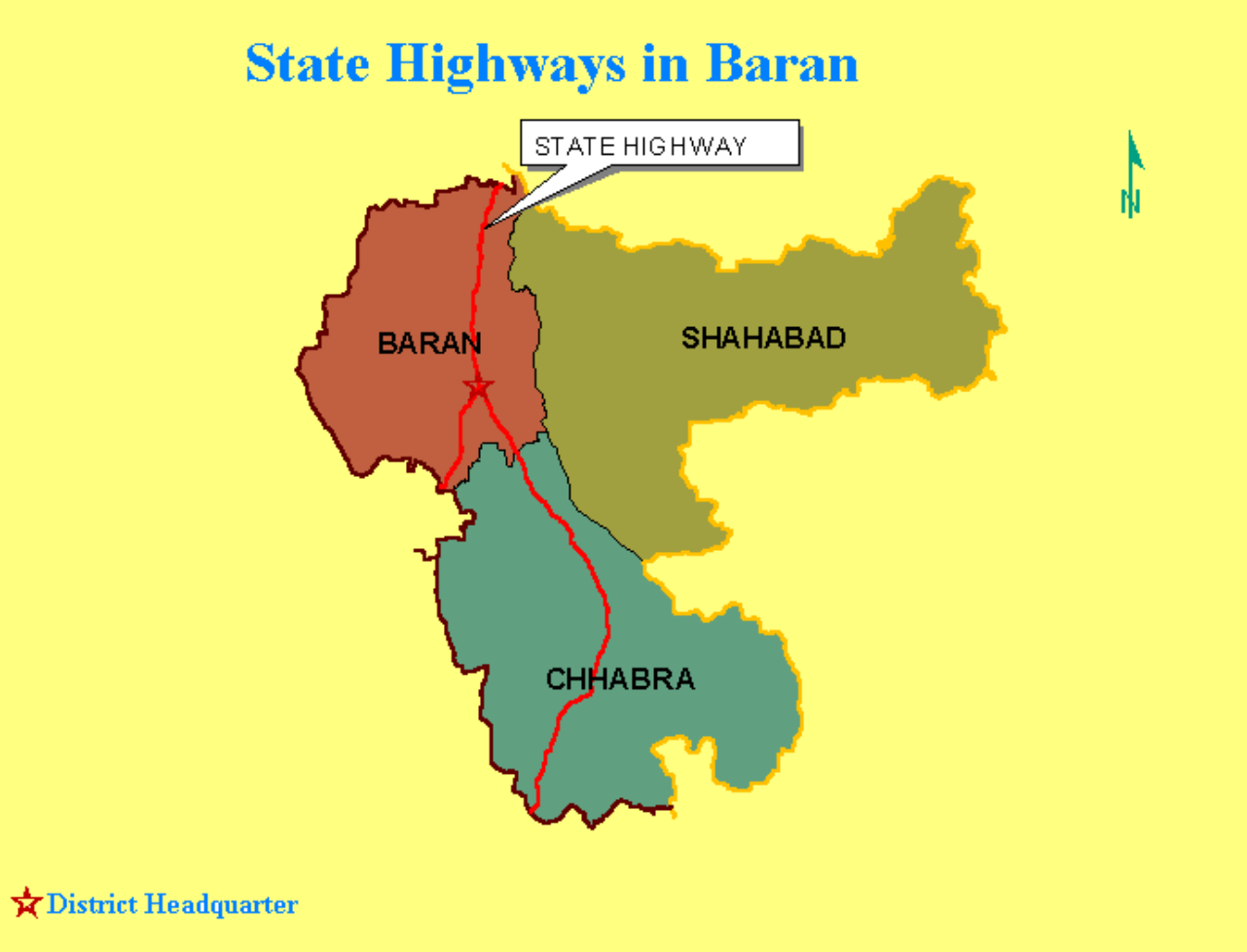


**सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :**

- तेज गति से गाड़ी चलाना
- नशे मे वाहन चलाना
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़क
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड
- वाहन में आई आकस्मिक खराबी

जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्गो पर कुछ प्वाइन्ट ऐसे है, जहा अधिकांश सड़क दुर्घटनाये घटती है। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

| सड़क मार्ग | दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र |
|---|---|
| कोटा–बारां राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27 | अन्ता से पलायथा के मध्य<br>बमूल्याकलां से बटावदी के मध्य |
| मांगरोल इटावा राजमार्ग पर | मांगरोल इटावा रोड पर मालबमोरी के पास |

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर | शाहाबाद घाटी<br>शाहाबाद से देवरी के मध्य कुनू नदी |
| राजमार्ग बारां से मोठपुर वाया कवाई | अर्डान्द एवं आमली व छजावा के मध्य |
| अटरू से खानपुर मार्ग पर | गणेशमंदिर अटरू से दडा के मध्य एवं गउघाट पुलिया |
| छीपाबड़ौद से इकलेरा राजमार्ग पर | सारथल की घाटी |

**दुर्घटना घटित होने पर हम क्या कर सकते है :**

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उपजिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें । यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी , ग्रामसेवक , अध्यापक , ए.एन.एम. , सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें । प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। घबराइये नही घायल की मदद करना मानवीय दायित्व है। ***(दूरभाष नम्बर हेतु कृपया परिशिष्ट देखे)***

**दुर्घटना बाद प्राथमिक उपचार :**

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये। किसी भी व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि यदि उसके समक्ष कोई दुर्घटना घटित हुई है अथवा अज्ञात वाहन से कोई घायल सड़क पर पडा है तो वह 108 एम्बुलेंस पर कॉल करे । पुलिस नियंत्रण कक्ष बारां के दूरभाष नम्बर 100 पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां का नियत्रंण कक्ष का दूरभाष नम्बर 07453– 230451 एवं जिला ईमरजेंसी सेन्टर कलेक्ट्रेट बारां के दूरभाष संख्या 237081 है। आपने देखा कि :–

**अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –**

- आवाज देकर , गाल पर थपकी देकर , कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

**(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)**

## सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।
- यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्टी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

## यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं, ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

## सरकारी विभागों का दायित्व :

### जिला प्रशासन

- प्रभावित यात्रियों के लिए इमरजेंसी टेंट की व्यवस्था करना और धर्मशाला, स्कूल आदि में रोके गये लोगों के लिए पेयजल, दवाइयां, भोजन एवं अन्य जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराना।
- सम्बद्ध विभागों और सहभागियों के साथ समन्वय स्थापित करना तथा दिशानिर्देश देना।

### चिकित्सा विभाग

- घटनास्थल पर इमरजेंसी मोबाइल स्थापित करना जिससे घायलो का तुरन्त इलाज हो सके।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

### पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

### नगर परिषद्/नगर पालिका

- फायर टेंडर्स, बचाव उपकरण, सीढ़ी, वाटर टेंकर्स, ट्रेक्टर, क्रेन, गैस कटर, फायर शूट, मास्क, कम्बल, रस्सियां, जैनेरेटर और श्रमिक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।
- क्षतिग्रस्त ट्रेन, बस, ट्रक, आदि से लोगों को बचाकर निकालना।
- सभी तरह के अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराना।

### सड़क परिवहन विभाग

- यात्रियों के बचाव के लिए समुचित प्रबंध एवं उन्हें घटना स्थल से उनके गन्तव्य स्थान तक पहुॅचाने की व्यवस्था ।
- बचाव एवं राहत सामग्री लाने के लिए ट्रक एवं बसों की समुचित व्यवस्था।

### सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।
- घटना स्थल की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्यो के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान निर्धारित करना।

### स्वयंसेवी संगठन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

### दूरसंचार विभाग

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना।

### विद्युत विभाग

- घटना स्थल पर बिजली की सप्लाई बन्द करना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

### रसद विभाग

- प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार खाने के पेकेट, सूखा राशन, ईंधन, तेल आदि वितरित करना।

### मीडिया

- समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।

- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

**मालवीय मानव सेवा समिति जोधपुर के तत्वाधान मे श्री दाउलाल मालवीय द्वारा बाढ/जल मे डुबने से बचाने के उपाऐ का संक्षिप्त विवरण :**

आज के इस कलयुगी और भौतिकवादी संसार मे जहां लोग हाथ पकड़ कर एक दूसरे को डूबाने मे लगे हुऐ हैं,वही दुसरी तरफ जोधपूर के मालवीय बन्धु लगातार तीन पीढियों से एवं दाउदयाल स्वंय पिछले 45 वर्षो से डूबतो को बचाने ओर डूबकर मरजाने की स्थिति मे उनके शवों को जलाषयों से निकालने का पूण्य भरा कार्य करते आ रहें हैं, जैसे कि :–

- कबूतरो का कुए मे बैठना इस बात का सबूत होता है कि कुआं जहरीली गैसो से मुक्त है ओर वहां जीवन सम्भव है ।
- पानी मे डुबे व्यक्ति का ब्रेन डेमेज थोडी देर बाद होता है ,इसलिए थोडी देर उलटा करने से मरीज का रक्त संचार मस्तिष्क की तरफ जाएगा फिर सिर मे तालू पर धीरे धीरे झटके देने से बेहोषी व ताने आना बंद हो जाएगी बाद मे उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है,कि पानी के हादसो मे डुबने वाले के फेफडों ओर श्वास नली मे संक्रमण बहुत जल्दी होता हैं,ऐसे मे एक सेकेण्ड के लापरवाही भी उस की जान ले सक्ती हैं ।
- बाढ के समय मे उफनते बहाव में बस, कार इत्यादि बह जाती है,ऐसे में ट्यूब, रस्सी के सहारे यात्रियों को बाहर निकाला जा सकता है।
- पानी मे डूबने का मुख्य कारण तैराकी का अभाव हैं। पिकनिक स्पोटों पर घूमने–फिरने जाने वालों के पांव फिसलने की वजह से गहरे पानी मे डुब जाना,मानसिक तनाव,क्रोध से आत्महत्या,आर्थिक स्थिति का गडबडाना ,घरेलू हिंसा,भौतिकतावादी की अन्धी दौड,परीक्षा परिणामों का आषातीत ना आना,गलत षिक्षा प्रणाली,बेराजगारी इत्यादि है ।
- झोपडे अन्दर से बन्द है और 9 फूट गहरे पानी मे झोपडे डूबे हुए हैं,सलाह मशविरा करके मौके पर नाव मे जाकर कुल्हाडियों की सहायता से झोपझो के उपरी हिस्सा को दो तरफ से काट डाला। बाद मे बिलाई को फंसाकर रस्सियों को लगभग 500 फुट दुर किनारे पर खडे लोगो को पकडवाने के बाद जोरो से खिचवाया तो झोपडे उपर से अलग हो गए ओर सडी गली पांच लाषे एक साथ बाहर आ गई । इसी प्रकार बंद मकानो के छतो की पटिटयो पर चढकर बडी ही सावधानी पूर्वक तरिके से ताडी जिसमे से 9 शव एक साथ बाहर निकाले।
- पानी मे डुब रहे व्यक्ति को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसे कपडों के सहारे बचाना। उदाहरण के तोर पर पेन्ट, बुशर्ट, साफा साडी इत्यादि तुरन्त डुबते के सामने फैकी जाएं जिसका एक सिरा बचाने वाले के हाथ मे हो । ऐसा कृत्य जितना जल्दी हो सके करना चाहिए ताकि डूबते को तिनके का सहारा मिल सके, गौरतलब ये है कि जिन्हें तैरना नही आता वे 8–10 फुट किनारे पर ही डुबता है ओर बचाने मे आसानी होती है। डूबे व्यक्ति को बाहर निकालने के बाद उसे किनारे पर लाकर उलटा करके सिर नीच,पैर उपर,मुहॅ मे हाथ डालकर उल्टी करवानी चाहिए। जरूरत लगे तो कृत्रिम रूप से सांस भी देना चाहिए उसकी कमर मे धीरे धीरे मारते रहना चाहिए ताकि मरीज की धड़कन शुरू हो सके ।
- छोटे बच्चों को डुबने से बचाने के लिए घरों में मौजूद पानी की टंकियों को ढक कर,उन पर ताले लगाकर रखना चाहिए। जिससे छोटे छोटे बच्चे डूबकर मरने से बच सके ।
- सलाह है कि ऐसे मौसम मे अपनी गाडियों मे ट्यूब ,रस्सियां ओर संभव हो तो हाथ पैर से हवा भरने वाला पम्प भी रखे।

# अध्याय–14 अग्नि दुर्घटनाएं कार्ययोजना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है । प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। जिले में पेट्रोल पंप, कारखानों, गोदामों, भूमिगत गैस पाइप लाइन, खेत खलिहान, दुकान, सिनेमाघर आदि में कभी भी आग लग सकती है। अतः आग की रोकथाम हेतु आग लगने के प्रकार के अनुसार ही बचाव कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

## 4.1 आग लगने के मुख्य कारणः–

### (1) शहरो में :–

- शहरों में रसोई घर में गैस जलाकर इधर उधर चले जाने से या गैस का पाईप लीक होते रहने से आग लग सकती है।
- कभी–कभी पाइप पुराना होने के कारण लीक करने लगता है तथा जैसे ही गैस जलाने के लिए माचिस जलाई जाती है या बिजली का बटन ऑन किया जाता है तो आग लग सकती है।
- कच्चे घरों में पुराने तरीके के चूल्हों पर भोजन पकाने के लिए लकड़ी या कोयले की अंगीठी जलाई जाती है, वह भी असावधानी बरतने के कारण आग को बुलावा देती है।
- यंत्रो के अधिक गर्म हो जाने अथवा चिंगारियॉ छोडने के कारण।
- आजकल शादियों में पंडाल बनाये जाते हैं। वहीं पर भोजन पकाया जाता है, जिसमें गैस की या लकड़ी की भट्टिया जलाई जाती हैं जिससे आग लगने की सम्भावना बनी रहती है। डबवाली अग्निकांड इसका एक उदाहरण है। साथ ही बिजली का शार्ट सर्किट भी इन पंडालो में आग लगने का कारण हो सकता है।
- व्यावसायिक और रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती है क्योकि वहां पर लकड़ी, कपडे, रायायनिक पदार्थ, विद्युत उपकरण, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि थोड़ी सी असावधानी के कारण आग लगने का कारण बन सकते है।
- बिजली फिटिंग में लापरवाही के कारण।
- उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल को अलग करने के लिए दीवार का न होना।
- कपड़े, प्लास्टिक, लकड़ी एवं कागज के उद्योगों में असावधानी के कारण।
- पैकिंग सामग्री के असावधानी पूर्वक प्रयोग के कारण।
- ज्वलनशील पदार्थो के अधिक मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित होने से भी आग लग सकती है। बहुमंजिली इमारतों में यह आग भयावह रूप धारण कर लेती है।

- शहरों में भी कई खाली प्लाटों में झाड़–झंकाड़ उगे रहते हैं जहां लापरवाही से बीड़ी फेंक देने से उनमें आग लग सकती है, जो आसपास के मकानों के लिए खतरनाक हो सकती है।
- वर्षा ऋतु में कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग सकती है।
- कपास की मंडियो में कपास के ढेरों में असावधानीवश आग लग सकती है।
- पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों एवं छविगृहों में भी थोडी सी असावधानी आग लगने का कारण हो सकती है। जिससे जान माल की अपार हानि हो सकती है।
- औद्योगिक इकाईयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनो का भंडारण अथवा असावधानीपूर्ण प्रयोग भी भयंकर आग का कारण हो सकते हैं।
- कई स्थानों पर कई परिवार बिजली के तारों से सीधे ही तार लगाकर बिजली ले लेते हैं। कभी–कभी यह भी आग लगने का कारण हो सकता है।
- आजकल गृहणियॉ नायलोन आदि के कपडे पहनकर रसोईघर में काम करती हैं जिससे थोडी सी भी लापरवाही से इन कपड़ों मे आग लगने की संभावना रहती है। कई गृहणियों की इस प्रकार की असावधानी के कारण मौत भी हो चुकी है।
- बच्चों द्वारा आतिशबाजी करने एवं माचिस आदि से खेलने के कारण।

## (2) गांवो व जंगल मे :–

- ग्राम्य क्षेत्रों में कच्चे मकान व फूस की झोपड़ियों में बीडी एवं सिगरेट पीकर एवं माचिस आदि जलाकर इधर–उधर फेंक देने से आग लगने की संभावना अधिक रहती है।
- बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी यह संभावना रहती है।
- शुष्क प्रदेश होने के कारण पहाड़ों एवं जंगलों में पेडों के आपसी रगड़ से आग लगने की संभावना रहती है एवं जंगलों में आग शीघ्रता से फैल जाती है।
- कई लोग बिस्तरों में लेटकर बीड़ी व सिगरेट पीते रहते हैं। यह आग को निमंत्रण देने का एक साधन है।
- राख में बिना बुझी आग आदि इधर–उधर फेंकने से, जलती हुई चिमनी आदि के बिना ढ़के होने से और कचरे आदि बचे हुए पदार्थो को असावधानीपूर्वक जलाने से भी आग लगने की संभावना रहती है।
- आतिशबाजी करने से, सूखी घास में आग लगा देने और एक घर से दूसरे घर में असावधानीपूर्वक आग ले जाने से भी आग लग सकती है
- अधिकांश गावों में अभी भी मिट्टी के दीपक या चिमनी अथवा लालटेन जलाकर रोशनी की जाती है जिसकी वजह से थोडी भी हवा चलने पर या थोड़ी भी लापरवाही के कारण कच्चे व फूस के घरो में आग लगने की संभावना रहती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के द्वारा खेतों में आग लगाकर छोड देने से, फसल पक जाने के बाद खलिहानों में बीड़ी सिगरेट माचिस आदि का लापरवाही से प्रयोग करने से और फसलों की कटाई के उपरान्त सूखे डंढलों को लापरवाही से जला देने के कारण भी हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर सकती है।

## आग से बचाव सम्बन्धी सावधानियॉ :–

### प्रशिक्षण एवं जनजागृति

- नगर निगम, नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतें समय–समय पर लोगों को आग से बचाव सम्बन्धी सावधानियॉ बरतने व आग लगने पर की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी प्रशिक्षण दें। इस सम्बन्ध में महिलाओं एवं बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- स्कूलों में विद्यार्थियों को, फैक्ट्रीयों में मालिको व मजदूरों को और किसानों आदि सभी वर्गों को आग से बचाव व आग रोकने सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
- आग लगने के संभावित स्थलों की पहचान करना।
- बचाव सम्बन्धी पोस्टर छपवाना, प्रदर्शनियां लगवाना, समाचार पत्रों आदि विभिन्न तरीकों से जनजागृति करना भी आवश्यक है।

### बिजली से :–

- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा प्रमाणित तार, सामान व यंत्रों का उपयोग करें।
- किसी भी प्रकार की वेल्डिंग एवं गैस कटिंग करते समय ध्यान रहे कि उसमें जलने वाला पदार्थ न भरा हो।
- भवन में अतिरिक्त कनेक्शन करने से पूर्व बिजली के सभी बटन बन्द किये जावें।
- बिजली के उपकरणों में आग लगने पर पानी का प्रयोग न करें।
- हीटर को ज्वलनशील पदार्थो एवं पर्दों आदि से लगभग तीन फीट दूर रखें। घर से बाहर जाते समय हीटर व अन्य स्विच बंद कर के जायें।
- बिजली के उपकरणों को नमी से दूर रखें। बाथरूम एवं रसोई में बिजली के उपकरणें का विशेष ध्यान रखें।
- गीले हाथों से बिजली के किसी भी उपकरण को न छुएं। उपकरण की मरम्मत करते समय प्लग निकाल दें। बरसात में बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें।
- बिना प्रयोग के सॉकेट पर प्लास्टिक कैप लगाकर रखें ताकि बच्चे न छेडें।
- घर में आई हुई पावर लाइन के नीचे कोई शेड या निर्माण न करें।

### रसोई घरों में :–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलची को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलची आई. एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलची में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्ड़र को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड़ अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लीकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

**शहरों में :–**

- प्रत्येक कॉलोनी में सार्वजनिक स्थान पर बोरिंग किया हुआ होना चाहिए, ताकि आग लगने पर फायर ब्रिगेड वहां से पानी ले सके।
- प्रत्येक भवन में आग बुझाने के यंत्रों जैसे वाटर स्प्रिंकलर, हाइड्रेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
- आग के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए।
- आग दुर्घटना सम्बन्धित बीमा करवाया जाना आवष्यक है। गांवो में फसल, अनाज रखने के स्थान, पशु व मकानों का अग्नि बीमा करवाना चाहिए।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमा घरों, फैक्ट्रियों आदि में समस–समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग तथा संयुक्त अभ्यास करवाते रहना चाहिए।
- शहरों में खाली प्लॉट के आसपास कचरा आदि न डालें। साथ ही इन प्लॉटो में झाड़ झंखाड़ आदि उग आने पर समय–समय पर उनकी सफाई करवाते रहना चाहिए।
- औद्योगिक इकाईयों एवं बहुमंजिला इमारतों के लिए आग सुरक्षा योजना बनाना उचित होगा।
- भवनों के नक्शे, निर्माण एवं रखरखाव सम्बन्धित नियम बनाना एवं उनको कार्यरूप में परिणित करना आवश्यक है।

**गांवो में :–**

- बच्चों को आग से दूर रखें। चूल्हे को कभी खुला न रखे। बीडी, सिगरेट आदि के टुकडो को पूर्ण रूप से बुझा कर ही फेंके।
- खलिहानों में, मंडियों में जहॉ अनाज, कपास आदि का ढेर हो वहॉ जलती हुई बीडी या सिगरेट न फेंकें व लालटेन आदि जलावें तो सावधानी रखें। समय–समय पर टार्च का प्रयोग किया जा सकता है।
- मंडियो एवं खलिहानों में सुरक्षा हेतु निगरानी करने के लिए चौकीदार या मजदूर रखना उचित होगा।
- खलिहानों, कच्चे घरों व फूस की झोपडियों के पास आतिशबाजी न करें। खलिहानों में चाय नाश्ता, आदि न बनावें।
- गांवो में अग्निशमन समितियों का गठन किया जाना चाहिए। उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए व आग बुझाने के तरीकों का संयुक्त रूप से अभ्यास करवाना चाहिए।
- गांवो के बीच जहां चौपाल हो वहां पर आग बुझाने के यंत्र, साइरन, फावडे, कुदाल, कापा, हुक, बाल्टी, टार्च, आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पर फायर ब्रिगेड के फोन नम्बर भी लिखे होने चाहिए।
- **बारां में विशेष रूप से रबी फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे अपशिष्ट को किसानों द्वारा जला दिया जाता है, जिसे न्योलाई कहा जाता है । इसके कारण आस–पास के खेत या खलिहान में आग पकड़ जाती है और कभी–कभी विकराल रूप धारण कर लेती है ।**

**जंगल की आग में :–**

- वन विभाग को स्थानीय ग्रामीणों एवं महिलाओं का सहयोग लेना चाहिए। सुरक्षा प्रहरियों के रूप में स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाना उचित होगा।
- आग लगने के स्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए।

- अग्निशमनदस्तों को हमेशा तैयार रहने सम्बन्धित प्रबंध किया जाना चाहिए। स्थानीय फोरेस्ट गार्ड, ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान को इस प्रकार का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।
- वन उत्पाद संग्रहण करने वाले एवं जलाऊ लकड़ी लाने वाले व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये जाऐं। अधिकृत व्यक्तियों को ही यह कार्य करने की आज्ञा दी जानी चाहिए।
- आसपास के व्यक्तियों को आग लगने के कारणों एवं बचाव के विषय में सावधान किया जाना चाहिए।
- अग्निरेखा का सुनिश्चियन, गर्मी के पूर्व सफाई करना एवं पाक्षिक रूप से निरीक्षण की व्यवस्था।
- राज्य प्रशासन (फोरेस्ट विभाग) द्वारा अग्निशमन योजना बनायी जानी चाहिए।

## हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर से बचाव की ट्रेनिंग देना।
- फायर सर्विस से एन.ओ.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रियों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हो यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।
- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें ।

## आग बुझाने के काम मे आने वाले संसाधनो का विवरण :–

सूखी घास मे लगी आगतीव्रता से आगे बढती है अतः उसे शीघ्र बुझाने एवं तीव्रता कम करने की आवश्यकता होतीहै, जिससे वनस्पति, जैविक एवं मानवीय नुकसान से बचा जा सके। इस विपदा से निपटनेके लिए रिजर्व पुलिस लाइन बारॉ में निम्नांकित संसाधन उपलब्ध है–

| क्र.सं. | नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | फायर प्रूफ जैकेट | 28 |
| 2. | फायर प्रूफ दस्ताने | 28 |
| 3. | ड्रेगन लाइट | 4 |
| 4 | टार्च –3सेल | 4 |
| 5. | फस्टेड बॉक्स | 5 |
| 6 | फावडा | 25 |
| 7 | तगारी | 62 |

**आग लगने पर कार्यवाही**

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूम तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

जिले मे दो महत्वपूर्ण पावर प्लाण्ट एन.टी.पी.सी. अन्ता एवं छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी स्थित है। जिनमें भी आग लगने की संभावनाओ से इन्कार नही किया जा सकता । अतः इन प्लाण्ट को आपदा से बचाने में स्वयं के द्वारा अपनी कार्ययोजना तैयार की हुई है। फिर भी प्रशासन को सूचित करना एवं सहायता हेतु अवगत करवाया जाना आवश्यक है। परन्तु जिले में पावर प्लाण्ट को गैस आपूर्ति करने हेतु बिछायी गई भूमिगत लाइनो की जानकारी भी प्रशासन को होनी चाहिये ताकि ऐसी परिस्थितियों में आपदा प्रबन्ध सुनिश्चित किया जा सके। जिले में भूमिगत गैस लाइन का विवरण निम्न प्रकार है।

**स्थानीय कार्यवाही :–**

**आग लगने पर ईमरजेंसी ऑपरेसन सेंटर जिला कलेक्ट्रेट बारां– 237081, पुलिस कंट्रोल रूम, बारां – 100 तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, थाना, नगरपालिका से सम्पर्क करे।**

**फायर ब्रिगेड स्टेशन बारां के दूरभाष नम्बर 07453 230106, एवं एन.टी.पी.सी. अन्ता के फायर स्टेशन दूरभाष नम्बर 07457 246053, 246054 पर भी सूचना दे सकते है।**

- आग ने यदि भीषण रूप धारण न किया हो तो तुरन्त घर में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयत्न करें।
- घर में उपलब्ध रेत व धूल की भरी बाल्टी का प्रयोग भी आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही घर में उपलब्ध पानी का भी तुरन्त उपयोग करें।
- शरीर के कपडों में आग लगने पर तुरन्त अपने आपको कम्बल में लपेटकर लोट लगाना चाहिए। पास वाले व्यक्ति, आग लगने वाले वाले व्यक्ति को तुरन्त कम्बल में लपेटकर लिटा दें।
- आग लगने के स्थान पर आस–पास के व्यक्तियों, एन.जी.ओ., स्काउट, अग्निशमन समितियों आदि को भी इधर उधर से पानी लाकर बुझाने का प्रबंध करना चाहिए।
- यदि पेट्रोल, तेल अथवा बिजली से आग फैले तो आग बुझाने के लिए पानी स्थान पर रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग करें।
- जले हुए व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर तुरन्त अस्पताल ले जाना चाहिए। जाते समय रास्ते से ही अस्पताल में पूर्व सूचना दे देनी चाहिए।

## 4.5 सरकारी विभागों का दायित्व :

**जिला प्रशासन :–**

- सभी विभागो, एजेंसियों और सहभागियों को अलर्ट/चेतावनी जारी करना।
- स्थिति का जायजा लेने और जान–माल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसलो आदि को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने लिए एक कमैटी का गठन करना।
- पूरी घटना का विवेचन करना तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
- मुआवजा देने की व्यवस्था करना।
- राहत एवं रिसपॉन्स कार्यो की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना।
- मीडिया प्रबंधन करना।

**अग्निशमन केन्द्र के कार्य :–**

- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रस्थान।
- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव।
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- स्वंयसेवी संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता।
- रेत के ढेरो, मृत लोगों, मृत पशुओं, कूड़े–करकट आदि के डिस्पोजल की व्यवस्था करना।

- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियों, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

## पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- पीडित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाना।
- मेगा फोन के माध्यम से अलर्ट एवं चेतावनी जारी करना।
- राहत शिविरों की सुरक्षा जिम्मेदारी।

## विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग :–**

- प्रशासन को उपकरण एवं संसाधान उपलब्ध कराना जैसे सीड़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, एलएण्डरी, रस्सियां, पुलि, डोजर्स श्रमिक आदि जिससे टूटे हुए वृक्षों, बिजली के खम्बों, हॉर्डिग्स, टेलिफोन लाइंस आदि को हटाया जा सके।
- दुर्घनाग्रस्त इलाकों की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्यो के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान निर्धारित करना।
- वैकल्पिक रूट तैयार करना।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता।
- जहॉ बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है वहॉ जनरेटर सेट की व्यवस्था करना तथा पानी के टेंकर का इंतजाम करना।

## मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना।
- आपातकालीन बर्न वार्ड और ट्रोमा सेन्टर स्थापित करना।
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना।
- एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, रक्त, दवाइयॉ, स्ट्रैचर, एक्स–रे मशीन और घायलों को फर्स्ट एड देना।

## गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

## नगरपालिका

- राहत शिविर (रेन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थ्यकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

## खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वंय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

## कृषि विभाग

- कृषि विभाग का दायित्व है कि किसानों में न्योलाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों में जागरुकता पैदा करें तथा इस परम्परा को समाप्त करने का प्रयास करें ।

## दूरसंचार विभाग

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना।

## मीडिया

- समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।
- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

## पंचायती राज विभाग

- मेगा फोन, केबल टीवी, रेडियों आदि के माध्यम से चेतावनी जारी करना।
- सभी सम्बधित विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के साथ समन्वय।
- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियों, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

# अध्याय–15 खदानों में दुर्घटनाएं–आपदा कार्ययोजना

संभावित परिदृश्य :–

(क) भूमिगत खदान में विस्फोट जिसमें भारी संख्या में श्रमिक फंस जायें।

(ख) खदान क्षेत्र में भू–स्खलन होने पर तुरंत बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पुनर्वास कार्य में जुटे विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्ययोजनाएं है :

**जिला प्रशासन :–**

- आपदा का मुकाबला करने के लिए सभी विभागों, अधिकारियों और एजेंसियों के कार्यो में समन्वय सुनिश्चित करना।
- विशेष उपकरणों और वस्तुओं जैसे क्रेन, डोजर्स, जैनेरेटर सैट, डमपर आदि की व्यवस्था करना।
- राहत सामग्री की व्यवस्था करना।
- जान–माल के नुकसान का मूलयांकन करना।
- नियमानुसार वित्तीय सहायता देना।
- समय–समय पर बुलैटिन जारी करना।
- मीडिया प्रबंधन।

**खदान विभाग :–**

- दुर्घटना स्थल पर एलएण्डटी, जेसीबी, गैस कटर, लिफ्ट्स, सुरंग के लिए उपकरण, डमपर, ट्रैक्टर आदि उपलबध कराना।
- आपदा स्थल पर तलाश एवं बचाव कार्यो के लिए अनुभवी श्रमिकों की व्यवस्था करना।
- सभी श्रमिकों का बीमा करवाना।
- स्थानीय संचार व्यवस्था।

**पुलिस :–**

- सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालना।
- भीड को नियंत्रित करना और बचाव एवं राहत कार्यो व उचित ट्राफिक व्यवस्था के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान नियत करना।
- अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।
- बेहतर संचार नेटवर्क की व्यवस्था करना।
- ऐम्बुलेंस (108) तैनात करना एवं उनकी निगरानी करना।

**अग्निशमन विभाग एवं नगर निमग :–**

- बचाव एवं तलाश कार्यो में सहयोग करना।
- सभी तरह के उपकरण उपलबध करना – फायर टेंडर्स, खुदाई मशीन, सीड़िया युक्त वाहन, पम्पसैट, जेसीबी, क्रेन डमपर, रस्सियां, गोताखोर, ऑक्सीजन बीए सैट आदि।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–**

- पर्याप्त मात्रा में ऐम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, स्ट्रेचर, विशेषज्ञ, दवाइयां, फर्स्ट एड, पैरामैडिक्स आदि की व्यवस्था करना।
- घायलों को फर्स्ट एड देना।
- अस्पतालों में बैड एवं रक्त की व्यवस्था करना और दुर्घटना स्थल के पास ऑक्सीजन, ऑर्थोपेडिक एवं एक्स–रे मशीनों, पोस्टमॉटम की व्यवस्था करना।
- सामान्य स्थिति होने तक दवाइयों की सप्लाई और आपातकालीन सेवाएं जारी रखना।

**इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर :–**

- बचाव कार्यो का समन्वयन करना।
- शीघ्र कार्यवाही के लिए सम्बद्व विभागों को दिशानिर्देश जारी करना।
- आपदा प्रबंधन एवं राहत कमिश्नर को जानकारी देना।
- स्थिति के बारी में नियमित रूप से मीडिया को जानकारी देना।

**परिवहन विभाग :–**

- प्रशासन की जरूरत के अनुसार वाहनों एवं ट्रांसपोर्ट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना।

**बीमा कंपनियां :–**

- यह सुनिश्चित करना की सभी श्रमिकों को बीमा की रकम जल्द से जल्द मिले।

**दूर संचार विभाग :–**

- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

**लोक निर्माण विभाग :–**

- जेसीबी, क्रेन, एलएंडटी एवं अन्य बचाव उपकरणों की व्यवस्था करना।

**पीएचईडी :–**

- जैनरेटर सैट, पम्प सैट, डिवाटरिंग आदि की व्यवस्था करना।

**सिंचाई विभाग :–**

- गोताखोरों, पम्पसैट आदि की व्यवस्था करना।

# अध्याय–16 आंधी तूफान–आकाशीय बिजलीः आपदा कार्य योजना

अचानक धूलभरी आंधी/तूफान आ जाना जिसमें जान–माल का नुकसान, घरों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचे और धूल, कूड़ा–करकट फैल जाये जिससे वातावरण संदूषित हो जाय।

वर्षा ऋतु तथा पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा (मावट) के दौरान प्रायः मेघगर्जन तथा आकाशीय बिजली तड़कने/गिरने की घटनाएं घटित होती है । परन्तु बिजली गिरने का खतरा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली बेमौसम बरसात के दौरान अधिक होता है ।

## बिजली क्या है–

वर्षा के दौरान मेध गर्जन व बिजली चमकने की घटनाएँ घटती है। बादलों के ऋण आवेशित क्षेत्रों (Bottom Of Cloud) तथा पृथ्वी (पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं) के धन आवेशित क्षेत्रों के बीच/मध्य विद्युत ऊर्जा बनने व विसर्जित होने के परिणाम स्वरूप बिजली चमकती है।

## बिजली कितनी खतरनाक :–

जब बिजली चमकती है तो 30000 से 300000 लाख एम्पियर तथा 15 मिलियन से 125 मिलियन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। बिजली का वोल्ट (झटका) सूर्य के धरातल से 5 गुना गर्म होता है और इसकी किरणें सभी दिशाओं में विकीर्णित होती है । अतः यह बहुत खतरनाक होती है । किसी व्यक्ति पर आकाशीय बिजली पड़ने पर हृदयाघात, श्वसन तंत्र क्षतिग्रस्त होना, मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होना,हड्डियों का टूटना,मस्तिष्क आघात, सदमा तथा तंत्रिका तंत्र का क्षतिग्रस्त होना आदि घटित हो सकता है ।

## आकाशीय बिजली का कैसे पता लगायेंः–

खराब मौसम के दौरान यदि बिजली चमकने के 30 सैकण्ड बाद या उससे कम समय में गर्जना सुनाई दे तो इसका तात्पर्य है कि तूफान निकट है, तुरन्त शरण लें ।

**बचाव के उपायः–**

- वर्षा के दौरान यदि आप छत के ऊपर है तो किसी वस्तु को अपने हाथ में न पकडें ।
- यदि खुले क्षेत्र में हैं तो दोनो पैरों को मिलाकर एडी व पंजों के बल बैठ जाए, अपने सिर को दोनों हाथों से पकडते हुए सिर घुटनो के बीच रखें।
- इस प्रकार बैठें कि पैरों के अतिरिक्त शरीर का कोई अंग पृथ्वी के सपंर्क में न हो।
- वर्षा के दौरान पृथ्वी पर कभी भी लेटें नहीं इससे हार्ट अटैक तथा अदरूनी क्षति हो सकती है
- भीड में न घुसें, एक दूसरे से कम से कम 15 फीट दूर रहें ।
- यदि बाहर हैं,तो सुरक्षित भवन के अन्दर शरण लेवें ।
- यदि आप यात्रा कर रहें हैं तो कार (जिसकी छत मजबूत हों ) में ही शरण लें , सारे दरवाजे बन्द कर दे किसी धातु निर्मित वस्तु को नही छुएं ।
- यदि आप अंदर हैं तो खिड़की दरवाजों से दूर रहें, विद्युत उपकरणों को बंद कर दें तथा उनसे दूर रहें।
- कानों को ढ़ककर रखें, ऑख बन्द रखें क्योंकि बिजली कड़कने के दौरान क्षति पहुंच सकती है
- प्लास्टिक या किसी विद्युत कुचालक पदार्थ से निर्मित वस्तु पर खड़े होना चाहिए।
- वर्षा के दौरान मोबाईल का उपयोग न करें, यह बिजली को आकर्षित कर सकता है । अतः मोबाईल स्विच ऑफ कर दें ।

**पीड़ित को सहायता/प्राथमिक उपचार देनाः–**

1. यदि कोई व्यक्ति आकाशीय बिजलीसे घायल हो जाये तो सबसे पहले उसे घटना स्थल से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं।
2. चिकित्सकीय सहायता हेतु नजदीकी हॉस्पीटल पहुंचाएं अथवा आपातकालीन सेवा हेतु 108 पर कॉल करें ।
3. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना हो तो घायल को प्राथमिक उपचार दें।
4. सबसे पहले घायल की श्वास व धड़कन की जॉच करें । यदि श्वास नहीं चल रही हो तो कृत्रिम श्वास देवें ।

**धूल भरे तूफान एव आकाशीय बिजली से निपटने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यो में संलग्न विभागों एजेंसियों और सहभागियों के लिए कार्य योजनाएं निम्न लिखित है :–**

**जिला प्रशासन :–**

- सभी विभागो, एजेंसियों और सहभागियों को अलर्ट/चेतावनी जारी करना।
- स्थिति का जायजा लेने और जान–माल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, फसलो आदि को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने लिए एक कमैटी का गठन करना।
- पूरी घटना का विवेचन करना तथा उसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना।
- मुआवजा देने की व्यवस्था करना।
- राहत एवं रिसपॉन्स कार्यो की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना।
- मीडिया प्रबंधन करना।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग :–**

- प्रशासन को उपकरण एवं संसाधान उपलब्ध कराना जैसे सीड़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, एलएण्डरी, रस्सियां, पुलि, डोजर्स श्रमिक आदि जिससे टूटे हुए वृक्षों, बिजली के खम्बों, हॉर्डिग्स, टेलिफोन लाइंस आदि को हटाया जा सके।
- दुर्घनाग्रस्त इलाकों की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्यो के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान निर्धारित करना।
- वैकल्पिक रूट तैयार करना।

**पुलिस**

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था।
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना।
- पीडित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाना।
- मेगा फोन के माध्यम से अलर्ट एवं चेतावनी जारी करना।
- अफवाहों को फेलने से रोकने के लिए उचित उपाय करना।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**

- प्राथमिक उपचार।
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना।
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना।
- एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, रक्त, दवाइयॉ, स्ट्रैचर, एक्स–रे मशीन और घायलों को फर्स्ट एड देना।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति।
- जहॉ बिजली की सप्लाई बन्द हो गई है वहॉ जनरेटर सेट की व्यवस्था करना तथा पानी के टेंकर का इंतजाम करना।
- जल आपूर्ति के साधनों जैसे ट्यूब वेल, हैंड पम्प आदि को पुनः चालू करना।

**विद्युत**

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना।
- क्षतिग्रस्त लाईनो को पुनः चालु करवाना।

**गैर राजकीय संगठन**

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना।
- राहत शिविर लगाना।
- सहायता सामग्री का वितरण।

**पंचायती राज विभाग**

- मेगा फोन, केबल टीवी, रेडियों आदि के माध्यम से चेतावनी जारी करना।
- सभी सम्बंधित विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के साथ समन्वय।
- उखड़े हुए पेड़ों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियों, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

**दूरसंचार विभाग**

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना।

**पशुपालन विभाग :–**

- पीड़ित पशुओं का इलाज।
- मृत जानवरों के डिस्पोजल की व्यवस्था करना।

**नगर पालिका/नगर निगम :–**

- मेगाफोन, केबल टीवी, रेडियों के माध्यम से अलर्ट एवं चेतावनी जारी करना।
- पीडित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- उचित निर्णय लेने के लिए नुकसान का मूल्यांकन करना।
- उखडे हुए पेडों, होडिंग्स, बिजली के खम्बों, टेलिफोन लाइन्स को हटाने के लिए क्रेन, जेसीबी, रस्सियां, पुली, डोजर्स, एलएंडटी, ट्रैक्टर एवं श्रमिकों की व्यवस्था करना।

**मीडिया**

- समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।
- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

# अध्याय –17 आतंकवाद/बम विस्फोट– आपदा कार्ययोजना

आज के युग में दुनियाभर में आतंकवाद चरम सीमा पर है। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है " बम विस्फोट "। इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान–माल को हानि पहुंचाना है। ये विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाकों में किये जाते हैं, जहां अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। बम विस्फोट की घटनाएं प्रायः घटित होती रहती हैं।

किसी सार्वजनिक स्थान जैसे बस अड्डा, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, टैक्सी स्टैण्ड, होटल, मॉल, पर्यअन स्थल, धार्मिक स्थान, महत्वपूर्ण संयंत्र आदि में बम विस्फोट जिसमें कई लोगों की मौत, अफरा–तफरी, अग्नि दुर्घटना, सम्पत्ति को नुकसान हो जाए। ऐसी स्थिति में जिसे संभालना स्थानीय प्रशासन की क्षमता से बाहर हों।

**बम के प्रकार :–**

बम को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है :–

1. **विस्फोट पदार्थ :** जैसे RDX, C3/C4, PEKप्लास्टिक, आदि।
2. **डेटोनेटर :** इलेक्ट्रिक या नॉन इलेक्ट्रिक होता है और ऊर्जा देयक से जुड़ा हुआ होता है जैसे बैटरी, सेल या डायनमों।
3. **स्वीच :** जैसे खींचने वाला, दबाव से काम करने वाला या विच्छेद होकर काम करने वाला। ये रासायनिक, यांत्रिक या देर से समयबद्व (time delayed) हो सकते हैं।

**सामुदायिक स्थानों, भवनों व कार्यस्थलों की बम विस्फोट से सुरक्षा के उपाय :**

1. परिसर में आने जाने वाली गाड़ियों का रिकार्ड रखें एवं ड्राईवर का नाम, अन्दर आने का समय, बाहर जाने का समय आदि नोट करें तथा अगर हो सके तो टोकन जारी किया जावे।
2. सुरक्षा–कर्मियों द्वारा परिसर के अन्दर आने जाने वाली सभी तरह की गाड़ियो की जॉच–पड़ताल की जानी अत्यन्त आवश्यक है, जैसे उनका बोनट, डिक्की एवं अन्दर के हिस्से को टटोला जाना चाहिये।
3. कार्यालयों की गाड़ियों के ड्राईवारों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये कि वे अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने से पहले जॉच करें। इसी क्रम में कार्यालय की गाड़ियों की पार्किग सुरक्षित एवं अधिकृत स्थान पर करने की हिदायत दी जाए।

4. ऐसी चीजें जो पहले परिसर में नहीं देखी गई हो,जैसे ब्रीफकेस, बैग व बिजली का तार आदि को देखकर अनदेखा न करें।
5. ऐसी जगह जहॉ पर आना–जाना कम हो उस जगह का खास खयाल रखते हुए निरीक्षण करें।
6. स्टॉफ के लोगों की गतिविधियों एवं उनके चाल–चलन पर नजर रखें एवं निरीक्षण करें।
7. ऐसे कर्मचारी ( स्टॉफ ) जो कि असंतुष्ट हो, उनपर खास तौर से नजर रखें।
8. ऑफिस समय के बाद व छुट्टी के दिन किसी को भी परिसर में घुसने की इजाजत न दें।
9. स्टॉफ व आगन्तुक के लिए वाहन पार्किंग स्थल अलग–अलग जगह पर निश्चित करें और ऐसी जगह बनायें जो मुख्य भवन से दूरी पर हो। किसी भी वाहन को मुख्य भवन या कार्यस्थल के नजदीक न खड़ा करने दिया जावे।
10. आने व जाने के लिए एक ही मुख्यद्वार की व्यवस्था हो।
11. एक इमरजेन्सी द्वार की व्यवस्था हो जिसकी जानकारी पूरे स्टॉफ को हो।
12. आम व्यक्तियों को परिसर के सीमित इलाकों में ही आवाजाही की इजाजत होनी चाहिये।
13. कर्मचारियों (स्टॉफ) के लिए पहचान पत्र होना जरूरी है।
14. अगर भण्ड़ार उसी परिसर में हो तो वहॉ आवाजाही पर पूरी तरह नियंत्रण करते रहना चाहिये।
15. सफाई कर्मचारियों को स्टॉफ की उपस्थिति में ही सफाई करने को कहें।
16. सभी महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर हर टेलीफोन के पास रखें।

## बम की सूचना मिलने पर सुरक्षा से सम्बंधित किये जाने वाले कार्य :

### जन–साधारण एवं प्रशासन हेतु :

1. जब बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शान्ति बनाये रखना चाहिये।
2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें। सूचना मिलते ही तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन को दूरभाष नम्बर 100 पर सूचित करें।
3. अच्छा वक्ता बनकर कार्य करें ताकि सूचना देने वाले से ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके।
4. हर सूचना व धमकी को सही मानकर सूचना देने वाले से निम्न तरह की जानकारी हासिल करने की कोशिश करें
   (क) सही स्थल जहॉ बम रखा है
   (ख) विस्फोटक के फटने का सही समय
   (ग) विस्फोटक के चलाने का तरीका
   (घ) विस्फोटक की पहचान
   (ड़) विस्फोटक का पदार्थ
   (च) विस्फोटक लगाने का उद्देश्य
   (छ) विस्फोटककर्ता संगठन का नाम
5. अगर सूचना देने वाले के नाम का पता चल जाये तो निम्नलिखित रिकॉर्ड तैयार करें :
   (क) सूचना देने की तारीख व समय
   (ख) भाषा जिसमें बोल रहा है
   (ग) आदमी, औरत या बच्चा है, की जानकारी
   (घ) भाषा बोलने का ढ़ग, जैसे खड़ी, रूक–रूक कर, आदि।
   (ड़) बोलने का तौर–तरीका, जैसे गुस्से, शांत, खुशी, धीरे, तेज या घबराहट आदि
   (च) टेलीफोन पर पीछे से अगर कोई आवाज आ रही हो तो ध्यान से सुनें।

6. अगर सूचना देने वाले ने बम के रखे होने के स्थान के बारे में नहीं बताया हो तो निम्नलिखित स्थानों पर खोज की कार्यवाही करें :
   (क) ईंट या लकड़ी का बुरादा
   (ख) हटा हुआ कारपेट या जमीन पर बिछावना
   (ग) तेल से सना हुआ या चिकनाहट वाला कागज
   (घ) ऐसा स्थान जहां पर नया प्लास्टर किया हुआ दिखे
   (ड़) ऐसे टेबल जिनकी दराज आधे खुले हों
   (च) बाथरूम, सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा एवं भण्ड़ार स्थल
   (छ) सभा स्थल, कैन्टीन, ऑडिटोरियम, फाल्स रूफींग आदि

7. कभी भी यह नहीं सोचें कि सिर्फ एक ही बम हो सकता है। यह सब, निरीक्षण के लिए पुलिस पर छोड़े जिसे वे सूंघकर कुत्तों द्वारा करती है।
8. अपने उच्चधिकारियों, पुलिस स्टेशन, पुलिस कन्ट्रोल रूम (फोन न0 100), एम्बूलेन्स(फोन न0 102), व आपदा नियंत्रण कक्ष (फोन न0 237081), को अविलम्ब सूचित करें।
9. अगर कोई बड़ी मशीनरी परिसर में चल रही हो तो बन्द कर दें, जैसे ए.सी., जैनरेटर आदि।
10. बम ढूंढने का कार्य, स्थिति को नजर में रखते हुए पुलिस पर छोड़े व जिज्ञासावश स्टॉफ को इस कार्य में रूचि नहीं लेने दें, इससे नुकसान की अपेक्षा बढ़ जाती है।
11. किसी भी सूरत में ऐसी अपरिचित वस्तु, बम/विस्फोटक(यदि दिखाई देती हो) या सन्देहात्मक वस्तु को न छुएं, न उठाये, न खोले, न ही उसे पानी में डालें, क्योकि इन सभी तरीको से अलग–अलग बनाये हुए यंत्रों में विस्फोट हो सकता है।
12. परिसर छोडते समय कर्मचारियों को अपना निजी सामान साथ ले लेना चाहिए ताकि पुलिस अथवा सर्वे टीम को अपरिचित सामान को पहचानने में मदद मिल सके और कम वस्तुओं का निरीक्षण करना पड़े।
13. अगर विस्फोटक का स्थान पता हो तो परिसर खाली करते समय विस्फोटक के नजदीक से न गुजरें,न ही उसके आसपास रेड़ियो सेट, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करें।
14. कभी भी संदेहात्मक वस्तु या बम पर सीधी फ्लैश, लाइट या टॉर्च की रोशनी नहीं डालें, इससे प्रकाश इनिसियटर द्वारा विस्फोटक फट सकता है।
15. सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होने की हिदायत दें, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके।
16. जब कर्मचारी अपना परिसर छोड़ दें, तो सुनिश्चित करें कि बिजली के तमाम स्विच बन्द हो।
17. मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध हों तो उन्हे विस्फोटक के चारो तरफ लगा देवें ताकि विस्फोटक से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।
18. जब मिट्टी के भरे बोरे उपलब्ध न हों तो मैटरेस, गद्दे, दरियां, कारपेट इत्यादि को विस्फोटक के चारों तरफ लगा दें।
19. परिसर छोड़ते समय यह यकीन करें कि तमाम खिड़कियॉ, आलमारियॉ, दरवाजे, खुले हुए हो ताकि बम फटने की स्थिति में कम से कम नुकसान हो।
20. असहाय/अपाहिज व्यक्ति को मदद देकर परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुॅचाये।
21. जब तक संदेहात्मक वस्तु या बम परिसर या भवन से हटा न लिया जावे लोगों को वापिस परिसर में न आने दें।

## अगर बम फट गया हो तो जन–साधारण व प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

1. जहॉ बम विस्फोट हुआ है वहां से चारो तरफ दूरी बनाये रखें।
2. घटना स्थल पर किसी प्रशिक्षित एवं योग्य अधिकारी को घटना अधिकारी नियुक्त करें।
3. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायें।
4. उन्हें अस्पताल पहुचाने की व्यवस्था करे।
5. एक बम विस्पोट के तुरन्त बाद उसके आसपास दूसरा बम विस्फोट हो सकता है, इसलिये सक्रिय रहें।
6. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को दें।
7. पुलिस प्रशासन की स्वीकृति के बिना विस्फोट स्थल पर न जायें।
8. मलवा हटाने की व्यवस्था करें।
9. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगो की मदद से कार्यवाही करें।
10. आग पर नियंत्रण रखे व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।
11. बचाव दलों को घटना स्थल के बारे में सही जानकारी दें, जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र हो सके।
12. बचाव दलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही कर प्रगति रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें।
13. सूचना केन्द्र पर हताहतों की सम्पूर्ण सूचना एकत्रित करें।

### बचाव व राहत दल :

#### बिना फटे बमों का पता लगाना व सुरक्षोपाय

हवाई हमला होने पर सभी बम फटते नही है। इसका कारण बमों को खराब तरीके से बनाया जाना, खराब फ्यूज लगाये जाने या देर से फ्यूज लगाये जाने के कारण (टाईम बम) हो सकता है। इसलिए सभी अविस्फोटित बम टाईम बम समझे जाने चाहिये। इससे लोगो में आंतक की भावना उत्पन्न होना व अव्यवस्था होना काफी स्वाभाविक है।

#### अविस्फोटित बमों की पुष्टि करना

1. इसके पडे होने के स्पष्ट संकेत हों ।
2. बमों को अविस्फोटित न होने के संकेत हों ।

#### बम के अविस्फोटित होने के संकेत

1. खड्डे बनाना
2. बम अविस्फोटित होने के स्थान के निकट स्टील के दॉतेदार टुकडे पडे होना।
3. आसपास के मकानों के दरवाजे व खिडकियों का टूट जाना या दीवारों में दरारें पड जाना।
4. विस्फोट होने के स्थान के चारों तरफ जले हुए विस्फोटक की दुर्गध फैलना व जमीन का काला होना।
5. रात को कौंध व दिन में धुऑ दिखाई देना।
6. भूमिगत इमारतें व सेवायें क्षतिग्रस्त होना

**सुरक्षा उपाय :**

1. अविस्फोटित बम पडे होने का पता लगने पर उस क्षेत्र का घेराव करें व भारी मशीनरी तथा यातायात को रोक दें।
2. अविस्फोटित बम के आसपास के क्षेत्र को खाली करें।
3. बचाव कार्य– बचाव खाईयॉ, बचाव दीवारें व एबटमेंट्स आदि बनाकर ।

| बम का वजन | क्षेत्र को खाली करने का घेराव | | खिड़कियॉ खुली रखने का घेरा |
|---|---|---|---|
| | पूर्णत | अंशत | |
| 50 से 250 किग्रा | 50 मीटर | 150 मीटर | 150 मीटर |
| 250 से 500 किग्रा | 100 मीटर | 300 मीटर | 300 मीटर |
| 500 से 2000 किग्रा | 300 मीटर | 600 मीटर | 800 मीटर |

**आतंकी घटनाओं के स्थिति में बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पूनर्वास कार्यो में संलग्न विभागों एजेंसियों एवं सहभागियों के लिए कार्य योजनाए निम्नलिखित है :–**

**जिला प्रशासन :–**

- परिसर को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दें। कम से कम 100 मीटर की दूरी पर लोगों को भेजा जावे। खाली करवाने की कार्यवाही बिना घबराहट, तरतीबवार तरीके व अतिशीघ्र की जानी चाहिये।
- परिसर खाली करते समय एलीवेटर्स, लिफ्ट व कन्वेयर्स को काम में न लें। इससे क्षति में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है।
- निरीक्षण के दौरान किसी भी आवाज का खास ध्यान रखा जावे क्योकि ज्यादातर विस्फोटक समय सारणी के साथ लगाये जाते हैं।
- कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना।
- किसी भी हवाई हमले के तत्काल बाद लाउड स्पीकर अथवा रेडियो द्वारा बेघर व्यक्तियों को सही दिशा–निर्देश दें।
- लोगों में आतंक की भावना को कम करना।
- आवश्यक सेवाओं की बहाली करवाना जैसे– पानी, बिजली, सीवरेज, टेलीफोन, गैस इत्यादि।
- क्षति का पता लगाना व इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम तक पहुॅचाना।
- राहत दलों के पहुॅचने तक तत्काल ऐसी कार्यवाही करना, जिससे लोगों को और अधिक नुकसान न हो।
- आपातकालीन भोजन, कपड़ों और आश्रय स्थलों की व्यवस्था करना।
- सम्पत्ति का बचाव करना।
- अविस्फोटित बमों को निशक्रिय करना।
- मलबे में दबे हताहतों को सावधानी से मलबा हटाकर निकलवाने की व्यवस्था करें।
- मृतकों को उनके रिश्तेदारों व परिवार वालों के हवाले करना अन्यथा नगर निगम के सहयोग से उनका अन्तिम क्रियाकर्म करवाने की व्यवस्था करना।

- खतरनाक झूलते मकानों को गिराने या सहारा लगवाने की व्यवस्था करना।
- घायल जानवरों को प्राथमिक उपचार प्रदान करवाएँ।
- मरे हुए जानवरों को हटाकर दूर फिकवायें।
- आग में फंसे लोगों को बचायें।
- फायर बिग्रेड के आने तक, स्थानीय लोगों की मदद लेकर आग पर नियंत्रण करें।
- आहत व्यक्ति के आस–पास से मलबा हटाते समय बहुत सावधानी बरतें।
- आहत को गिरने वाले मलबे या धूल से बचाने के लिए लौहे की चद्दरो, तिरपाल आदि का उपयोग कीजिये।
- आहत व्यक्ति के मुंह पर और नाक में से धूल, रेत वगैरह निकाल दीजिए, ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो।
- मीडिया प्रबंधन करना।
- मुआवजा देने के लिए जान–माल के नुकसान का मूल्यांकन करना।

**एटीएस, पुलिस :–**

- कंट्रोलरूम 24 घंटे व सातों दिन चालू रखना।
- सुरक्षा कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी संभालना।
- स्थिति को समझने के लिए तत्काल मूल्यांकन करना।
- भीड को नियंत्रित करना और बचाव व राहत कार्यो एवं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान नियत करना।
- स्थिति से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ता, और बुलेट–प्रूफ उपकरण तैनात करना।
- खतरे से निपटने के लिए तुरंत रिसपॉन्स टीम तैनात करना।
- लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- आवश्यकतानुसार सीआरपीएफ, रेपिड एक्शन फोर्स, एनएसजी, मिलिटरी की सहायता लेना।
- बचाव कार्यो के लिए लोगों की व्यवस्था करना।
- अफवाहों को फेलने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।
- मीडिया के माध्यम से जनता को स्थिति से अवगत कराना।
- कारगर संचार नेटवर्क की व्यवस्था।
- कम्युनिटी लाइजिन ग्रुप्स के माध्यम से रक्तदाताओं की व्यवस्था करना।
- ऐम्बुलेंस (108) तैनात करना।
- आतंकियों को पकडने के लिए टीमों का गठन करना।
- सभी सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण संयंत्रों के लिए अलर्ट जारी करना जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थान, आदि।
- जनता की जानकारी के लिए आतंकवादियों के स्कैच जारी करना।
- सभी संभावित स्थानों जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल आदि पर तलाशी अभियान चलाना।
- पूरे एरिया में तलाशी अभियान चलाना।
- अपराधियों/आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जगह–जगह पर छापा मारना।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–**

- ऐम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, स्ट्रेचर फर्स्ट एड, बैड्स, रक्त, दवाइंया आदि की व्यवस्था करना।
- घायलों को फर्स्ट एड देना।

- घायलों को अस्पताल पहुंचाना।
- अस्पतालों में अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था करना और रेलवे, निजी एवं सेना के अस्पतालों की सेवाएं लेना।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग :–**

- प्रशासन को उपकरण एवं संसाधान उपलब्ध कराना जैसे सीड़ियां, क्रेन, ट्रैक्टर, जेसीबी, एलएण्डटी, रस्सियां, पुलि, डोजर्स श्रमिक आदि जिससे टूटे हुए वृक्षों, बिजली के खम्बों, हॉर्डिग्स, टेलिफोन लाइंस आदि को हटाया जा सके।
- दुर्घनाग्रस्त इलाकों की बैरिकेटिंग करना और बचाव कार्यो के लिए प्रवेश एवं निकास स्थान निर्धारित करना।
- वैकल्पिक रूट तैयार करना।

**दूरसंचार विभाग**

- बेहतर संचार नेटवर्क जारी रखना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनःचालू करना।

**विद्युत**

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल।
- तलाश एवं बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाइट की व्यवस्था करना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

**पीआरओं :–**

- अफवाहों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही है।

**मीडिया**

- समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।
- दुर्घटना में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

**सिविल डिफेंस :–**

- बचाव कार्यो में पुलिस एवं प्रशासन की सहायता करना।
- लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- ऐम्बुलेंस, फर्स्ट एड, फायर टेंडर, अग्नि शमन कर्मचारियों की तैनाती करना।

**होमगार्ड :–**

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करना।
- लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।

# अध्याय –18 नाभिकीय दुर्घटनाएं–आपदा कार्ययोजना

- नाभिकीय ईधन चक्र, न्यूक्लियर रिएक्टर सहित, में घटित होने वाली दुर्घटना या रेडियोएक्टिव संयंत्र में दुर्घटना जिससे भारी तादात में रेडियोएक्टिव लीक होकर पर्यावरण में आ जाती है।
- नाभिकीय ईधन चक्र संयंत्र, जहॉ लगातार न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलता रहता है, में घटित होने वाली दुर्घटना जिसे न्यूट्रोन और गामा रेडिएशन फट जाते है।
- रेडियोएक्टिव मैटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के समय होने वाली दुर्घटना।
- आतंकवादियों द्वारा रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस में रेडियोएक्टिव पदार्थो के प्रयोग से पर्यावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थो का फेलाव।
- परमाणु बम विस्फोट से पैदा होने वाली आपदा (जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में हुई थी) या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प (फूकोशिमा प्लांट, जापान) जिससे भारी तादात में जान–माल का नुकसान हो।

  नाभिकीय या रेडियोलॉजिकल आपदा का मुकाबला करने के लिए चलाये जाने वाले बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यो में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्ययोजनाएं है :–

**जिला प्रशासन :–**

**<u>आपदा पूर्व चरण</u>**

- कोई डर या आतंक पैदा किये बिना जनता को नाभिकीय आपदा से निपटने के लिए तैयार करना।
- आपदा के तीनों चरणों (पूर्व, दौरान, एवं बाद में) के लिए सभी सरकारी संसाधनों का समन्वयन।
- जन जागृति फेलाने के लिए एनजीओज और स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रशिक्षित करना।
- डोसीमीटर, एनबीएस शूट, रेडिएशन का पता लगाने वाले उपकरण आदि की खरीददारी सुनिश्चित करना और पर्याप्त मात्रा में अंशांकन।

**<u>आपदा चरण</u>**

- सभी जिलों और बाहरी एजेंसियों जैसे एनजीओज और सहभागियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो, केबल टीवी और अन्य प्रभावी माध्यमो के द्वारा दुर्घटना के बारे में घोषणा करना।
- मानव एवं पशुधन की सुरक्षा के लिए 'करो' और 'मत करो' के बारे में लोगों को जागरूक करना।
- भूमिगत स्थानों की पहचान करना जो पीपीएल एवं मैटेरियल से संदूषित नही हो।
- राज्य/केन्द्रीय राहत स्त्रोतों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- नाभिकीय आपदा के शमन के बारे में सभी एजेंसियों को निर्देश देना।
- आपदा से निपटने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों एवं ॲटॉमिक एनर्जी विभाग को सर्वे करने के लिए आमंत्रित करना।
- प्रभावित क्षेत्र में लोगों पर रेडिएशन के असर का पता लगाने में रेडियोलॉजिकल अधिकारियों की सहायता करना।

- समय–समय पर बुलैटिन जारी करना।
- पडौसी जिलों के साथ समन्वय स्थापित करना।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–**

- न्यूक्लियर पीड़ितों को निकालकर अस्पताल पहुंचाना।
- न्यूक्लियर पीडितों के इलाज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना।
- पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दल एवं पैरामैडिक्स तैनात करना और आयोडिन, प्रोटैक्टिव क्लोथिंग उपकरण वितरित करना।
- उचित मात्रा में शैल्टर और विसंदूषित सेंटरों की स्थापना सुनिश्चित करना।
- अप्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त चिकित्सा दलों की व्यवस्था करना।
- पानी और मलबे का सुरक्षित डिस्पोजल।
- विसंदूषित पीने के पानी की रखवाली के लिए मैनपावर की व्यवस्था हेतु पीएचईडी, नगर निगम और पुलिस से तालमेल करना। संदूषित वेस्ट के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए आधुनिक भस्मकों की व्यवस्था करना।
- रैड क्रांस जैसी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।
- स्थिति सामान्य होने तक दवाईयों और आपातसेवाओं की सप्लाई जारी रखना।

**पुलिस विभाग :–**

- सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी।
- न्यूक्लियर ब्लास्ट एरिया की घेराबंदी करना।
- प्रभावित क्षेत्र से आने वाले लोगों एवं जानवरों के प्रवेश पर पाबंदी।
- राहत शिविरों और उनके लिए राहत सामग्री जैसे भोजन, पानी, दवाईयां लाने वालों की सुरक्षा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि लोगों में आतंक न फेलने पाये।
- कानून एवं व्यवस्था के लिए आने वाली फोर्सेज के लिए स्वागत कक्षों की स्थापना।
- तुरंत रिसपॉन्स दलों की तैनाती।
- सुमेद्य समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों बुजुर्गो और विकलांगों की सुरक्षा।
- बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन।
- निकासी कार्यो के समय प्रौटेक्टिव क्लोनिंग और उपकरण इस्तेमाल करना।
- अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना।
- बेहतर संचार नेटवर्क की व्यवस्था।

**लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग :–**

- जिले में सुरक्षित जल की विस्तृत जानकारी लेना।
- विसंदूषित भूजल की पम्पिंग करके सुरक्षित भण्डारण एवं ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करना।
- लोगों और पशुओं की पानी की जरूरतों का मूल्यांकन करना।

- राहत शिविरों और अस्पतालों के लिए भू–जल के टेंकरों की व्यवस्था करना।
- सुमेद्य जल संसाधनो की सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ समन्वय जिससे लोगों को संदूषण से रोका जा सकें।

**रसद विभाग :–**

- डिब्बा बंद भोजन सामग्री उपलब्ध करना।
- विसंदूषित सामग्री के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज/भूमिगत गोदामों की पहचान।
- ऐसे गोदामों की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था करना जिससे भीड लूटपाट न कर सके।
- पर्याप्त मात्रा में ईधन, तेल और लुब्रीकेंट का स्टॉक सुनिश्चित करना।
- अप्रभावित क्षेत्रों से अतिरिक्त सामग्री लाने की व्यवस्था करना।

**पशुपालन विभाग :–**

- मृत जानवरों का सुरक्षित डिस्पोजल।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित क्षेत्र से जानवर विसंदूषित इलाकों में न जा पायें।
- मांसाहारी पक्षियों और जानवरों के माध्यम से संदूषण रोकने के लिए मृत जानवरों का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि दूध और अन्य उत्पाद संदूषित न हो पाए।

**नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग :–**

- लोगों के एकत्रित होने वाले सीानों पर स्वागत कक्ष स्थापित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधनो का समन्वयन।
- लेगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।
- लाउडस्पीकर, मेगाफोन, टीवी, केबल टीवी आदि के माध्यम से घोषणा करना।
- कारगर रिसपॉन्स के लिए सभी संबद्व विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

**परिवहन विभाग :–**

- प्रशासन की मांग के अनुसार वैकल्पिक वाहनों और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना।

**दूरसंचार विभाग :–**

- संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त लाइनें चालू करना।

**जल संसाधन विभाग :–**

- संदूषित जल स्त्रोतों का पता लगाना और सुनिश्चित करना कि कोई उनका इस्तेमाल न करे।
- जल संसाधनों को संदूषित होने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करना।

# अध्याय –19 ताप लहर (लू)–आपदा कार्ययोजना

कम बरसात और लम्बे समय तक 48$^0$सी से उपर तापमान ताप लहर पैदा कर देता है जिससे लोगों की जानें चली जाती है। फसलों को क्षति पहुंचती है, पानी की कमी हो जाती है, बीमारियां फैलने लगती है और तमाम स्वास्थ्य समस्याए पैदा हो जाती है।

ताप लहर का मुकाबला करने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स और पूनर्वास ऑपरेशन में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्य योजनाएं है :–

**जिला प्रशासन :–**

- जरूरी दिशानिर्देश जारी करना तथा सभी विभागों के बीच कारगर एवं समन्वित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की व्यवस्था करना।

**पंचायत राज/नगर पालिका :–**

- सभी अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आशा सहयोगिनी, आंगनबाडी सेविका को निर्देश देना कि वे प्रशासन को समय–समय पर जानकारी दें जिससे लोगो की शिकायत दूर करने के उपाय किये जा सकें।
- स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के बारे में जनता को जानकारी देना।
- हाइजीन और सेनिटेशन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

**पीआरओं :–**

- लोगों को स्वास्थ्य, सेनिटेशन एवं हाइजीन के बारे मे जागरूक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, रेडियो, टीवी कार्यक्रमों को जारी/प्रकाशित करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो के बारे में मीडिया के लिए बुलेटिन जारी करना।
- अफवाहों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना कि मीडिया को दी गई सूचनाएं एकदम सही है।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–**

- ऐम्बुलेंस, दवाइयों, मोबाइल, चिकित्सा दलों, जीवन–रक्षक औषधियों की व्यवस्था करना।
- अस्पतालों में तापलहर से बुरी तरह पीडित रोगियों को अलग वार्ड में रखना। इसी तरह फ्लू, वायू एवं जल से पैदा होने वाली संदूषित बीमारियों के रोगियों को अलग वार्ड में रखना।
- जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बैड्स का इंतजाम करना।
- महामारी फेलने से रोकना।
- स्वास्थ्य एवं रोग विज्ञान संबंधि निगरानी करवाना।
- प्रभावित लोगों के पोषण स्तर की जांच करवाना और उचित इलाज करना।

**आयुर्वेद :–**

- चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना।

**पशुपालन विभाग :–**

- पीडित पशुओं का इलाज करना।
- पशुओं की बीमारियों पर नियंत्रण करना।

**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :–**

- पर्याप्त मात्रा में वाटर टेंकर, ब्लीचिंग पाउडर, नये हैन्डपंप लगाना, वर्तमान हैंडपम्प की मरम्मत करना, सेनिटेशन ब्लाक आदि की व्यवस्था करना।
- हाइजीन और सेनिटेशन के बारे में जागरूकता फैलाना।

**पुलिस :–**

- प्रभावी संचार नेटवर्क मुहैया कराना।
- ऐम्बुलेंस (108) की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

**एनसीसी, एनवाइके और स्काउट्स :–**

- स्वयंसेवी उपलबध कराना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की मदद करना।

**विद्युत विभाग :–**

- बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।

**रसद विभाग :–**

- बर्फ की आपूर्ति और जैनरेटर्स की व्यवस्था करना।

**दूरसंचार विभाग :–**

- उपयुक्त संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।

# अध्याय – 20 शीतलहर/पाला–आपदा कार्ययोजना

प्रदेश में अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु होती है, परन्तु दिसम्बर माह से फरवरी के प्रथम सप्ताह के दौरान शीतलहर व पाले की संभावना अधिक रहती है । इस समय दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान $22.0^0$ से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान $5.8^0$ से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु तक भी चला जाता है। शीतलहर व पाले का दुष्प्रभाव लोगों व पशुओं पर तो पड़ता ही है, रबी की फसलें भी क्षतिग्रस्त होती हैं । बुजुर्गों, बच्चों तथा बेसहारा व बेघर लोगों पर शीतलहर का सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ता है ।

## जनसाधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियांः–

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।
- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सावधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। लेकिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वांस से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हें।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।
- किसान मौसम पर नजर रखें और जब पाले की संभावना हो तब शाम के समय अपने खेत पर धुंऑ कर दें । जिस तरफ से हवा बह रही है ,उस तरफ धुंऑ करें ताकि फसल पर शीतलहर व पाले का प्रभाव कम पड़े ।

## जिला प्रशासन की जिम्मेदारीः–

- जरूरतमंद व बेघर व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं, उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते है, उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।
- सभी विभागों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करना और उनके बीच में प्रभावी एवं समन्वित रिसपॉन्स सुनिश्चित करना।
- मूल्यांकन के आधार पर मुआवजा देने का प्रबंध करना।

**पीआरआई :–**

- सभी अधिकारियों जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चौकीदार, आंगनबाडी सेविका आदि का निर्देश जारी करना कि वे मौजूदा हालात के बारे में जानकारी प्रशासन के भेजें जिससे लोगों की शिकायतें दूर करने के उपाय किये जा सकें।
- सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी जनता तक पहुंचाना।
- हाईजीन एवं सेनिटेशन संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना।

**कृषि विभाग :–**

- गिरदावरी के आधार पर फसल नुकसान के मूल्यांकन का प्रावधान।
- फसल बीमा को प्रोत्साहन देना।
- फसलों में हुए नुकसान का सही–सही आकलन करना।
- उन्नत बीज, कीटनाशक और बीमा सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- हौसला आफजाई करना।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–**

- ऐम्बुलेंस, दवाईयों, मोबाइल चिकित्सा दलों, जीवन रक्षक औषधियों, कम्बलों, गर्म कपडों की व्यवस्था करना।
- शीतलहर से पीड़ित रोगियों को अस्पताल में अलग वार्ड में रखने की व्यवस्था करना।
- जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बैड्स की व्यवस्था करना।
- महामारी फैलने से रोकना।
- स्वास्थ्य एवं रोगविज्ञान संबंधी निरीक्षण।
- पीड़ितों के पोषण स्तर की जांच करना और उचित कार्यवाही करना।

**आयुर्वेद :–**

- चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना और सहयोग देना।

**पशुपालन विभाग :–**

- पीड़ित पशुओं का इलाज।
- पशुओं की बीमारियों पर नियत्रंण।

**नगर निगम :–**

- अस्थाई आवासों (रैन बसेरा) की व्यवस्था।
- शीतलहर से मरने वाले भिखरियों और अनाथों का दाह–संस्कार करना।

**पुलिस :–**

- प्रभावी संचार नेटवर्क की व्यवस्था करना।
- घायल लोगों के लिए ऐम्बुलेंस (108) की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

**एनसीसी, एनवाईके एवं स्काउट्स :–**

- स्वयंसेवी उपलबध कराना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की सहायता करना।

**रसद विभाग :–**

- कोयला, ईधन, लकड़ी, एलपीजी, आदि की व्यवस्था करना।

**दूरसंचार विभाग :–**

- उपयुक्त संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना।

# अध्याय –21 ओलावृष्टि–आपदा कार्ययोजना

- अचानक और अनपेक्षित ओलावृष्टि से लोगों एवं पशुओं की जाने चली जाती है, फसलों और सम्पत्ति को भारी नुकसान होता है।
- ओलावृष्टि से निपटने के लिए तुरंत बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास के कार्यो में संलग्न विभागों एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्ययोजनाए है :–

**जिला प्रशासन :–**

- स्थिति का जायजा लेने और जान–माल को हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी का गठन करना।
- फर्स्ट रिसपॉन्डर के रूप में घटना/स्थिति कर पूरी जानकारी प्राप्त करना और इसकी विस्तृत रिर्पोट उच्च अधिकारियों को भेजना जिससे उचित निर्णय लिया जा सकें।
- पंचनामा के आधार पर मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था करना।
- समस्या के शीघ्र समाधान हेतु सभी सम्बद्व विभागों, एजेंसियों एवं अन्य सहभागियों के बीच में बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करना।
- राहत एवं रिसपॉन्स कार्यो की दैनिक रिपोर्ट तैयार करना और उसका प्रसार करना।
- मीडिया प्रबंधन।
- प्रभावित किसानों के लिए ग्रामीण बैंको, कॉआपरेटिव बैंकों या राष्ट्रीय बैंको से छोटे–छोटे ऋण की व्यवस्था करवाना।

**कृषि विभाग :–**

- गिरदावरी के आधार पर फसल नुकसान के मूल्यांकन का प्रावधान।
- फसल बीमा को प्रोत्साहन देना।
- फसलों में हुए नुकसान का सही–सही आकलन करना।
- उन्नत बीज, कीटनाशक और बीमा सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- हौसला आफजाई करना।

**पुलिस :–**

- प्रभावी संचार नेटवर्क की सुविधा मुहैया कराना।
- घायलों के लिए एम्बुलेंस (108) की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना।

**पशुपालन विभाग :–**

- पीड़ित पशुओं का इलाज करना, मृत पशुओं का डिस्पोजल करना एवं पशु बीमा की व्यवस्था करना।
- लोगों को पशु टीकाकरण के लिए जागरूक करना और जरूरत पड़ने पर टीका शिविर लगाना।

- पशु बीमारियों पर नियंत्रण करना।

**दूरसंचार विभाग :–**

- क्षतिग्रस्त लाइनों और नेटवर्क को पुनः चालू करना।

**बिजली बोर्ड :–**

- ओलावृष्टि वाले इलाके की बिजली सप्लाई तुरंत बंद करना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

**रसद विभाग :–**

- गोदामों एवं पीडीएस दुकानों की स्थिति का जायजा लेना।
- प्रशासन के निदेशानुसार सूखे राशन, ईधन तेल, लुब्रीकेंट आदि का वितरण करना।
- जमाखोरी के खिलाफ ऐहतियातन उपाय करना और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सामान्य कीमतें सुनिश्चित करना।

**एफसीआई :–**

- खाद्यान्नों का स्टॉक रखना।
- प्रशासन के निर्देशानुसार तुरंत खाद्यान्नों का ट्रांसपोर्टेशन/वितरण करना।

**मीडिया :–**

- समय–समय पर बुलैटिन जारी करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों की जानकारी जनता को देना।

# अध्याय–22 रासायनिक आपदा – कार्ययोजना

## संभावित परिदृश्य

(क) किसी रासायनिक फैक्टरी में उत्पादन, रख–रखाव या डिस्पोजल के समय होने वाला रासायनिक विस्फोट।

(ख) किसी खतरनाक वेस्ट उत्पादक इकाई में कारगर सुरक्षा प्रबंध की कमी या किसी आदमी की गलती से हुई रासायनिक दुर्घटना या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प या बाढ़ की वजह से घटित हुई रासायनिक दुर्घटना।

(ग) किसी खतरनाक रासायनिक पदार्थ के सड़क मार्ग, रेल मार्ग या पाइप के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के कारण होने वाली रासायनिक दुर्घटना।

रासायनिक आपदा से निपटने के लिए बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यों में संलग्न विभागों, एजेसियों और सहभागियों के लिए निम्नलिखित कार्य योजनाए हैं :

### जिला प्रशासन :–

- आपदा नियंत्रण की जिम्मेदारी और लोगों को अधिकारिक सूचना एवं निर्देश देना।
- दुर्घटना के बारे में लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो, केबल टीवी, मीडिया आदि के माध्यम से घोषणा करना।
- औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद सभी संसाधनों को समन्वित करना।
- बाहर से आने वाले अतिरिक्त संसाधनों का समन्वय करना।
- हवा की दिशा के आधार पर वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना।
- सुनिश्चित करना कि अस्पताल, खाद्य स्टॉक, पानी पर्याप्त मात्रा में है और सुरक्षित है।
- जनता को 'करो' एवं 'मत करो' की जानकारी देना।
- मीडिया प्रबंधन।
- खतरनाक रसायनों के स्टॉक, मात्रा और हैंडलिंग की तुरंत जानकारी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
- जान–माल के नुकसान का मूल्याकंन।
- नियमानुसार वित्तीय सहायता।
- समय–समय पर बुलैटिन जारी करना।

### उद्योग विभाग

- किसी तरह का डर या आंतक पैदा किये बिना लोगों को रासायनिक आपदा के लिए तैयार करना।
- लोगों और जानवरों को हताहत होने से रोकना।
- प्रमुख संस्थानों और इमारतों में होने वाली क्षति को कम करना।

- यह सुनिश्चित करना कि इस तरह की आपदा से निपटने के लिए जरूरी संसाधन तैयार अवस्था में है।
- वर्तमान जोखिमों का मूल्यांकन करना।
- खतरनाक वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कानूनों और नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
- आग, विस्फोट जहरीली गैस का रिसाव आदि का जैसे ही पता चले तुरंत अलार्म बजाना।
- घटनास्थल के बारे में कंट्रोल रूम और ईओसी का तुरंत सूचित करना।
- कंट्रोल रूम 24 घंटे व सातों दिन चालू रखना।
- बचाव कार्यों के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन करना।
- घटना–स्थल पर खतरनाक पदार्थों के स्टॉक का मूल्यांकन करना।
- मेगाफोन, लाउडस्पीकर, सायरन आदि के माध्यम से स्टाफ को अलर्ट करना।
- फैक्टरी परिसर में कार्यरत लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुचाना।
- आपदा के दौरान एचएजैड/एमएटी का प्रावधान।
- जरूरत के अनुसार फर्स्ट रिसपॉन्डर्स जैसे अग्निशमन विभाग, पुलिस और विशेषज्ञ दलों की सहायता करना।

## नगर परिषद /नगरपालिका

- प्रत्येक औद्योगिक परिसर में पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों एवं नियंत्रण उपायों की उपलब्धता।
- इंडस्ट्रियल क्लस्टर में आपसी सहयोग की व्यवस्था।
- लोगों के इकट्ठा होने वाले स्थानों पर स्वागत कक्षों की व्यवस्था।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधनों का समन्वयन।
- सभी अग्निशमन इकाइयों को संगठित करना।
- रासायनिक आपदाओं में विशेष अग्निशमन एजेंट्स और उपकरणों का प्रयोग।
- तलाश, निकासी एवं बचाव कार्यों में सहयोग।
- लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- फायर टेंडर, बचाव उपकरण, सीढ़ियां, वाटर, टेंकर, ट्रैक्टर, क्रेन, गैस कटर, फायर सूट, मास्क, कम्बल, रस्सियां, जैनरेटर सैट, श्रमिकों आदि को घटनास्थल पर तैनात करना।
- सभी तरह के अग्निशमन उपकरण एवं वाहन उपलब्ध कराना।

## पुलिस

- दुर्घटना स्थल की कमांड संभालना और सुरक्षा एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखना।
- बचाव कार्यों की सुगमता के लिए प्रवेश एवं निकासी स्थान नियत करना और ट्रैफिक प्रंबध न करना।
- लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी उपाय करना।
- कारगर संचार नेटवर्क की व्यवस्था।
- एम्बुलेंस (108) की तैनाती और निगरानी।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस, मोबाईल चिकित्सा दल, स्ट्रैचर, विशेषज्ञ, दवाइयां, फर्स्ट एड किट पैरामैडिक्स आदि की व्यवस्था।
- एसेम्बली पॉइन्ट्स पर मोबाईल फर्स्ट एड पोस्ट्स की व्यवस्था।
- एंटीडोट, जीवनरक्षक औषधियों और तकनीकों की व्यवस्था।
- मृत लोगों और जानवरों के डिस्पोजल की व्यवस्था।
- स्थिति सामान्य होने तक दवाइयों और आपात सेवाओं की व्यवस्था।

## परिवहन विभाग

- प्रशासन की जरूरत के अनुसार वाहनों और ट्रांसपोर्ट की वैकल्पिक व्यवस्था।

## दूरसंचार विभाग

- संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।
- क्षतिग्रस्त लाइनों को पुनः चालू करना।

# अध्याय :– 23 बायोलॉजिकल (महामारी) आपदा–कार्ययोजना

**महामारी :–**

किसी समुदाय में किसी रोग के सामान्य से अधिक संख्या में रोगी पाये जाने को महामारी कहते हैं। यह आवश्यक है कि महामारी होने से पहले होने की संभावना, रोग के प्रभाव, रोग फैलने के कारणों व नियंत्रित करने वाले प्रभावी उपायों का पता लगाया जाए। किसी प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ सूखा आदि के बाद महामारी फैलने की संभावना अधिक होती है। महामारी होने की गति अक्सर तेज होती है ।

**संभावित परिदृश्य :–**

- हैजा और अतिसार का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बडे पैमाने पर फैलना, विशेषरूप से बच्चों में (0–5 वर्ष की उम्र) और जिसे संभालना स्थानीय प्रशासन की क्षमता से बाहर हो जाय।
- संधिपाद महामारी (डेंगू, जापानी मस्तिष्क ज्वर), प्लैग, आर्टिफिशियल रैस्पाइरेटरि इंफैक्शन आदि का बडे पैमाने पर फेलना जिसको संभालना स्थानीय प्रशासन के बूते से बाहर हो।
- एच1एच1, एन्थैक्स, एसएआरएस जैसी महामारियों का बड़े पैमाने पर फेलना जिन्हें संभालना स्थानीय प्रशासन की क्षमता से बाहर हों।
- आंतकवादियों द्वारा बायोलॉजिकल एजेंट जैसे ब्रसेलोसिस, क्यूफीवर, वायरल, हैमोरेजिक फीवर, वायरल एनसैफैली टाइट्स का ईस्तेमाल किया जाना जिससे बायोलॉजिकल युद्व की स्थिति पैदा हो जाए।
- बर्डफ्लम, ब्ल्यूटंग, एवियन इन्फ्यूएन्जा आदि बीमारियों का बडे पैमाने पर फेलना जिससे बड़ी तादात में पशुओं की जानें चली जाएं।

बायोलॉजिकल आपदा से निपटने के लिए तुरंत बचाव, राहत, रिसपॉन्स एवं पुनर्वास कार्यो में संलग्न विभागों, एजेंसियों और सहभागियों के लिए निम्न लिखित कार्य योजनाएं है।

**जिला प्रशासन :–**

- आपातस्थिति के उपर नियंत्रण और जनता को अधिकारिक सूचनाएं एवं निर्देश देना।
- लाउडस्पीकर, टीवी, रेडियो, केबल टीवी, मीडिया आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करना।
- बाहर से आने वाले संसाधनों का समन्वयन।
- 'करो' एवं 'मत करो' के बारे में जनता को जानकारी देना।
- मीडिया प्रबंधन।
- जान–माल के नुकसान का मूल्यांकन।
- नियमानुसार वित्तीय सहायता देना।

**नगर निगम :–**

- प्रमुख स्थानों पर सूचना केन्द्र स्थापित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के संसाधनों का समन्वयन करना।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–**

- मौजूदा निगरानी व्यवस्था का मजबूतीकरण।
- एम्बुलेंस, मोबाइल चिकित्सा दलों, दवाईयों, पैरामैडिक्स आदि की व्यवस्था।
- क्विक रिसपॉन्स मैडिकल टीम्स (क्यूआरएमटीज) तैनात करना।
- सभी रोगविज्ञान संबंध प्रयोगशालाओं को तैयार अवस्था में रहने के लिए अलर्ट जारी करना।
- परीक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर मोबाइल जांच केन्द्रों की सीापना।

- पीड़ित लोगों का संगरोधन करना।
- प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास दल भेजना, सभी स्थानीय रोगविज्ञान प्रयोगशालाओं को अलर्ट करना, ज्यादा जोखिम वाले मामलों में टीकाकरण की व्यवस्था, रोगियों को पैन्सिलिन देना और त्वचा रोगियों की देखभाल करना।
- निजी सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था।
- पीड़ित लोगों का तुरंत इलाज।
- विशेष दवाइयों और जीवनरक्षक औषधियों की आपूर्ति।
- रैड क्रॉस जैसी संस्थाओं के साथ समन्वय एवं सहयोग।
- स्थिति सामान्य होने ते दवाइयों की सप्लाई और आपात सेवाएं जारी रखना।
- सुरक्षित पीनी के पानी, की सप्लाई, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और हाइजीन एवं सेनिटेशन के लिए पीएचईडी के साथ समन्वय स्थापित करना।
- संदूषित जल संग्रह सीानों की निगरानी करना जहां मच्छर पैदा होने की संभावना हो और मलेरिया, डेंगू आदि की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिडकाव करवाना।
- पैरामैडिक्स और स्वास्थ्य स्वयंसेवियों के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मजबूतीकरण जिससे उनकी महामारियों की निगरानी और उनपर नियंत्रण की क्षमता बढ़ सके।
- जांच आदि का समय बचाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर परीक्षण लैब स्थापित करना।

**पुलिस विभाग :–**

- दुर्घटना स्थल की निगरानी, सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी।
- अफवाहों को रोकने के लिए उचित उपाय करना।
- प्रभावी संचार नेटवर्क की व्यवस्था।
- एम्बुलेंस (108) की तैनाती एवं निगरानी।
- प्रवेश स्थानों पर अस्थाई चैक–पोस्ट की व्यवस्था।

**आयुर्वेद :–**

- चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय एवं उसकी सहायता।

**पशु पालन विभाग :–**

- मौजूदा निगरानी प्रणाली का मजबूतीकरण।
- वैटेरिनरी अधिकारियों और बीमारी निगरानी दलों की तैनाती।
- लोगों और पशुओं को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना।
- पीड़ित जानवरों एवं पक्षियों का संगरोधन।
- जानवरों का टीकाकरण।
- एफसीआई से सामान्य कीमतों पर खाद्यान्न की आपूर्ति।
- स्थानीय एनजीओज, सीबीओज, एसएचजीज आदि के साथ समन्वय स्थापित करना।
- मृत जानवरों और पक्षियों का सुरक्षित डिस्पोजल।
- प्रभावित जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाहनों की व्यवस्था।
- जानवरों का टीकाकरण और शिविरों के लिए जगह की पहचान।
- जानवरों पर टैग लगाना।
- पशु बीमा को प्रोत्साहन।

**पीएचईडी :–**

- सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, जल की गुणवत्ता की निगरानी और उन्नत सेनिटेशन।
- सभी ग्राम पंचायतों को घरों में बांटने के लिए जल को शुद्व करने वाली गोलियां, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन की सप्लाई करना।
- स्वास्थ्य एवं सेनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आईईसी द्वारा जारी नोटिस, पोस्टर, पेन्टिंग्स, मीडिया आदि का प्रयोग।

**परिवहन विभाग :–**

- प्रशासन की मांग के अनुसार वाहनों और ट्रांसपोर्ट की वैकल्पिक व्यवस्था।
- नाकाबंदी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि पर मेडिकल चैक–अप की व्यवस्था के लिए पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।

**दूरसंचार विभाग :–**

- संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना।
- लाइनों का पुनः चालू करना।

**महामारी होने के कारण :–**

- स्वच्छता का अभाव, गरीबी व अधिक भीड़, स्वच्छ पानी व भोजन की कमी।
- रहने के स्थान के आसपास का वातावरण व परिस्थितियॉ, जिससे जीवाणु वाहकों को बल मिलता है।
- न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के रोग प्रभावित क्षेत्रों में आने से।
- पोषण के स्तर में गिरावट से।
- पानी व खाद्य पदार्थो के दूषित होन से।
- खाद्य पदार्थ जनित महामारी
- आन्त्रशोथ
- कीटणुनाशक दवाओं तथा खेती में आने वाले रसायनों के अधिक उपयोग के कारण दूषित हुए खाद्य पदार्थों का सेवन।
- कुपोषण
- अपूर्ण चिकित्सीय व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएॅ

**जन–साधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियॉ :–**

- प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दूषित वस्तुओं के सेवन से बचें।
- दस्ताने, गाउन व मास्क का प्रयोग कर बचाव किया जा सकता है।
- हाथों को धोना, दूषित पदार्थों व समान का सुरक्षित निवर्तन आदि सावधानियॉ आवश्यक रूप से रखें।
- व्यक्ति के मल व अन्य स्त्रावों से सीधे संपर्क से बचें।
- रोगी के सीधे संपर्क व स्रावों से बचें ।

- भीड़ भरे स्थान पर जाने से बचना ।
- घर में कीडे–मकोड़ों को मारने हेतु पेस्टिसाइड्स व जीवाणुओं का उपयोग ।
- जीवाणु वाहकों जैसे–मच्छर,मक्खी,कीट,जुएँ तथा चूहों पर नियंत्रण ।
- बाढ़ के दौरान व बाद में पानी को उबाल कर पीना ।

**खतरा कम करने हेतु प्रशासनिक कार्य :–**

- आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता निश्चित करना।
- सभी आवश्यक संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना करना।
- आपातकालीन ऑपरेशन हेतु स्टॉफ को प्रशिक्षण देना।
- जन–साधारण को प्रशिक्षित करना।
- मूल सूचना के आदान–प्रदान की योजना व सुविधा ।
- आवश्यक टीकाकरण ।

# अध्याय 24 योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण

आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है। पहली योजना का प्रारुप तैयार हो चुका है और इसमें आगे सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता रहेगी। आपात स्थिति का मुकाबला सरकार के सबसे निचले स्तर पर तात्कालिक रुप से किया जाना चाहिए जिसें स्थानीय रिसपॉन्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन योजना में सभी क्षैतिज एवं अनुलम्ब प्रबंधनन योजनाओं का सार शामिल है। क्षेतिज योजनओं में वे योजनाएं शामिल है जो लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे–गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य पेयजल एवं सेनिटेशन, शहरी विकास, निर्माण और ग्रामीण विकास द्वारा तैयार की जाती है। इसमें अग्निशमन सेवा और नगरीय निकाय भी शामिल है। निम्नांकित घटकों के आधार पर आपदा प्रबंधन योजना की निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाना चाहिए–

1. क्रियाशील क्षेत्रों एवं स्थानों में मूलतः परिवर्तन होना
2. वास्तविक आपदाओं से प्राप्त महत्वपूर्ण आदान
3. प्रशिक्षणों से प्राप्त ज्ञान
4. मॉक अभ्यासों से प्राप्त महत्वपूर्ण आदान
5. दुर्घटनाओं/दुर्घटना से बचाव से प्राप्त ज्ञान
6. बारां जिलें की आपदा रुपरेखा में परिवर्तन
7. महत्वपूर्ण आपदाओं की पहचान करने या उनका शमन करनें के लिए नयी तकनीकों का विकास/आविष्कार
8. नियामक आवश्यकताओं में परिवर्तन होना
9. जीआईएस के आधार पर डेटाबेस में परिवर्तन
10. बारां जिलें के जनसांख्यिकीय आंकडों/स्थानों में परिवर्तन होना

निम्नलिखित घटकों में भी वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए–

1. जिलें की उपकरणों की सूची
2. मानव संसाधन की सूची, संपर्क नम्बरों सहित
3. मेडिकल स्टॉक
4. बहु–आपदा जोखिम से प्रभावित गांवों की सूची
5. उपयोग की जानी तकनीक
6. सीखे गये ज्ञान के समन्वय

# अध्याय 25 समन्वयन और क्रियान्वयन

सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबंधन एवं शमन के उद्वेश्यों की प्राप्ति के लिये एक मजबूत आधार का काम करेगा।

## विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय

किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं द्वारा रिसपॉन्स किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते है। इनके अलावा अन्य एजेंसियां भी शामिल होती है। विभिन्न आपात सेवाएं हमेशा तैयार अवस्था में रहती है। जिससे तुरंत रिसपोन्ड कर सके और स्थानीय प्रशासन एवं अन्य सेवाओं को शीघ्रतिशीघ्र अलर्ट कर सके।

हालांकि विभिन्न आपात सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशमन और अस्पताल अनिवार्य हैं, लेकिन आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिऐ कुछ लोग उपयोगी सेवाओं एवं स्थानीय संस्थाए जैसे रेलवे, हवाई सेवा आदि का सहयोग भी जरूरी है। जिनके अलग–अलग दायित्व है अगर बचाव एवं समुत्थान कार्यो को बेहतर अंजाम देना है तो इन सभी विभागों और एंजेसियों को मिलकर बेहतर तालमेल के साथ काम करना जरूरी है।

## अनुलम्ब एवं क्षैतिज संबंध स्थापित करना

आपदा प्रबंधन में सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय उनको दियें गये कार्यो के क्रियान्वयन के लियें एक आवश्यक जिम्मेदारी है। विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य सहभागियों के बीच समन्वय से सहक्रिया पैदा होती है जो बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।

## वार्षिक रिपोर्ट

एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होगें।

- आपदा प्रबंधन के लिऐ डीएमएंडआर के उद्वेश्य और विजन का विवरण
- भौतिक एंव वित्तीय दृष्टि से सालाना लक्ष्य एवं उपलब्धियां
- पूर्व वर्ष में क्रियान्वित कार्यक्रम
- अगले वर्ष के लिए योजना
- अन्य जरूरी सूचना,यदि कोई हो तो

## आपदा प्रबंधन योजना का संस्थापन

सभी विभाग अपना–अपना एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगें जो आपदा प्रबंधन में अपने–अपने विभागों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के लिये जिम्मेदार होगें। ये मनोनीत अधिकारी अपने–अपने विभागों के लियें एसओपीज तैयार करेंगें।

## सरकारी विभागें और अन्य सहभागिययों की क्रांसकटिंग क्रियाकलाप

आपदाएं विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जिससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। सरकार के सभी प्रमुख विभाग और सेवा मुहैया कराने वाले विभाग जिला एवं पंचायत स्तर पर तमाम विकास परियोजनाएं चलाते है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में समायोजित करने से आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

# अध्याय 26 उपसंहार

आपदाओं को रोकने या आपदा की स्थिति में उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करने के लिऐ आपदा प्रबंधन योजना एक संस्थागत प्रक्रिया उपलब्ध कराती है। नोडल विभागों से उम्मीद की जाती है कि वे आपदा की स्थिति या संभावना के मद्देनजर अपनी–अपनी एसओपीज के अनुसार स्वयं कार्यवाही शुरू करें। आपदा की स्थिति में, तुरंत बचाव एवं राहत अभियांन अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि बेहतर तैयारी एवं शमन उपायों से आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

# परिशिष्ट – 1 महत्वपूर्ण अधिकारियों के दूरभाष नं. की सूची

## 1. प्रशासन :

| क्र0 सं0 | पदनाम | नाम अधिकारी | दूरभाष नम्बर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय | निवास |
| 1 | जिला कलक्टर, बारां | श्री इन्द्र सिंह राव | 237001,237005 | 237131 |
| | | | 9414002721 | 9530319112 |
| 2 | मुख्य कार्यकारी अधि. जिला परिषद बारॉ | श्री बृजमोहन बैरवा | 237223 | 237240 |
| | | | 9413151222 | 9530301400 |
| 3 | अति. जिला कलक्टर बारॉ | श्री सुदर्शन सिंह तोमर | 07453–237003 | 237030 |
| | | | 9530319113 | 9828410620 |
| 4 | अति.कलक्टर शाहबाद | श्री हीरालाल वर्मा | 07460–262302 | 262308 |
| | | | 9414331587 | |
| 5 | अति. मुख्य कार्य.अधि<br>जिला परिषद बारां | श्री | 237114 | 237133 |
| | | | 9530301444 | |
| 6 | भूमि आवप्ती अधिकारी, बारां | श्री | | |
| 7 | उप जिला कलक्टर बारॉ | श्री हीरालाल मीणा | 237006 | 237128 |
| | | | 8890056000 | 9414669024 |
| 8 | उप जिला कलक्टर छबडा | श्री नन्दकिशोर राजोरा | 7452– 222022 | 222133 |
| | | | | 9414565612 |
| 9 | उप जिला कलक्टर शाहबाद | श्री कैलाशचन्द गुर्जर | 07460–262327 | 262326 |
| | | | | 9468586014 |
| 10 | उप जिला कलक्टर किशनगंज | श्री चन्दन दूबे | 07456–253304 | 253608 |
| | | | 9950573300 | 9530319239 |
| 11 | उप जिला कलक्टर मॉगरोल | श्री आशिष कुमार | 07457 223700 | 223305 |
| | | | 9672234560 | |
| 12 | उप जिला कलक्टर अटरू | श्री कृष्णगोपाल जोजन<br>9460246775 | 07451 240864 | 240865 |
| | | | 7023118555 | 9530319351 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | उप जिला कलक्टर अन्ता | श्री जनक सिंह | 07457–244800<br>9414049581 | 244400 |
| 14 | उपजिला कलक्टर छीपाबडौद | श्री रामावतार मीणा | 07454–285600<br>9414348100 | 9530319267<br>7014341819 |
| 15 | तहसीलदार बारॉ | श्री सुरेन्द्र प्रकाश शर्मा | 237015 | 9414596596 |
| 16 | नायब तहसीलदार बारॉ<br>ना0 तहसीलदार बारां उ.जि.क. | श्री सुनील कुमार जंगम | ———— | ———— |
| 17 | तहसीलदार अन्ता | श्री नवनन्द सिंह | 07457 244101 | 244237 |
| | | | 9413383777 | 9530319288 |
| 18 | नायब तहसीलदार अन्ता | श्री हरीप्रकाश गुप्ता | | 9460077874 |
| 19 | तहसीलदार मॉगरोल | श्री गजानन्द जांगिड | 07457 223229 | 9414000257 |
| | | | 9530319219 | 7742960047 |
| 20 | नायब तहसील. मॉगरोल | श्री | 9530319330 | |
| 21 | नायब तहसीलदार, सीसवाली | श्री | | |
| 22 | तहसीलदार किशनगंज | श्री जगमोहन शर्मा | 07456–253306 | 9530319240<br>9460942255 |
| 24 | नायब तहसीलदार किशनगंज | श्री रिक्त | | 9530319320 |
| 25 | नायब तहसीलदार, नाहरगढ | श्री रिक्त | | |
| 26 | तहसीलदार शाहबाद | श्री हरीप्रकाश गुप्ता (चार्ज) | | 9460077874 |
| 27 | नायब तहसील. शाहबाद | श्री केशरी सिंह | | |
| 28 | तहसीलदार अटरू | श्री सियाराम जी मीणा | 07451–240235 | 9461654414 |
| 29 | नायब तहसीलदार अटरू | श्री शम्भूदयाल | | |
| 30 | नायब तहसीलदार, कवाई | रिक्त | | |
| 31 | तहसीलदार छबडा | श्री पन्नालाल रैगर (चार्ज) | 07452 222028<br>7742037463 | 9530319146 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | नायब तहसीलदार छबडा | श्री रिक्त | 9530319316 | 9413337266 |
| 33 | तहसीलदार छीपाबडोद | श्री पन्नालाल रैगर | 07454 285424 | 286074 |
| | | | 7742037463 | 9530319268 |
| 34 | नायब तहसील. छीपाबडौद | श्री रिक्त | 9530319375 | 9571571581 |
| 35 | नायब तहसीलदार हरनावदा शाहजी | श्री | | |
| 36 | नायब तहसीलदार केलवाडा | श्री फूलचन्द कश्यप | 07460 260289 | 9414662864 |
| | | | 9530319168 | |
| 37 | उप पंजीयक बारॉ | श्री सुरेन्द्र प्रकाश शर्मा (चार्ज) | 237177 | 9414596596 |
| 38 | तहसीलदार भू अभि. बारां | श्री नन्दकिशोर मीणा | | 9571622466 |
| | | **विकास अधिकारी** | | |
| 41 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बारॉ | श्री हरीशचन्द मीना | 230108 | 7597063920<br>9530301326 |
| 42 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अन्ता | श्री मजहर इमाम | 07457 244222 | 9462554511 |
| | | | | 9530301327 |
| 43 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगंज | श्री दिवाकर मीणा<br>8003820500 | 07456 253314<br>211426 | 9636360460<br>9530301330 |
| 44 | विकास अधिकारी शाहबाद | श्री हेमराज (चार्ज) | 07460 262311 | 9636047794 |
| | | | 262535 | 9530301331 |
| 45 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अटरू | श्री शेलेश रंजन | 07451 240223 | |
| | | | 9414252396 | 9530301328 |
| 46 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छबडा | श्री राहुल बैरवा | 07452 222018 | 9530301431 |
| | | | 223134 | 8769623386 |
| 47 | विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छीपाबडोद | श्री संजय गोयल | 07454–286054 | 9530301336 |
| | | | 286103 | 9414330243 |
| 48 | स्वच्छ परियोजना शाहाबाद | श्री बी.एस. परिमार | 9414226350 | |

## 2.पुलिस विभाग

| क्र.स. | नाम अधिकारी / कार्यालय | एस.टी.डी. कोड | टेलीफोन नम्बर | | फेक्स नम्बर | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यालय | निवास | | |
| 1. | श्री बिपिन कुमार पाड्ये<br>महानिरीक्षक पुलिस कोटा | 0744 | 2350800 | 2350801 | 2320984<br>2320772 | 9828877888 |
| 2. | श्री किशोरीलाल मीणा<br>जिला पुलिस अधीक्षक बारां | 07453 | 237002 | 237017 | 237004 | 7357107888<br>8290888801 |
| 3. | श्री दीपक भार्गव<br>जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर | 0744 | 2350700 | 2350701 | 2350799 | 9829069767 |
| 4. | श्री राजन दुष्यन्त,<br>जिला पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण | 0744 | 2350601 | 2350602 | 2350888 | 9414000039<br>9530444244 |
| 5. | श्री ओमप्रकाश .द्यद्य<br>जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी | 0747 | 2442111 | 2442999 | | 9414086888 |
| 6. | श्री आनन्द शर्मा<br>जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड | 07432 | 230410 | 230411 | | 9784599529<br>8764861300 |
| 7. | श्री विजय स्वर्णकार<br>अति0 पुलिस अधीक्षक बारां | 07453 | 237004 | 237025 | — | 9166652529<br>9001999062<br>9530444500 |
| 8. | श्रीमति अमरिता दुहान,<br>अति0पुलिस अधी0 रेन्ज कार्यालय कोटा | 0744 | 2350900 | — | — | 9414078766 |
| | **(पुलिस उपाधीक्षक) वृत्ताधिकारी जिला बारां** | | | | | |
| 9. | श्री सुरेन्द्र कुमार दानोदिया<br>वृत्ताधिकारी वृत बारां | 07453 | 237007 | 237127 | 8764528515 | 9414000101<br>9530444933 |
| 10. | श्री जिग्नेद्र जैन<br>वृत्ताधिकारी वृत अन्ता | 07457 | 213179 | 245133 | 8764528516 | 9462766399<br>9530444786 |
| 11. | श्री गोविन्द सिंह<br>वृत्ताधिकारी वृत छबडा | 07452 | 222014 | 222323 | 8764528518 | 9887538313<br>9530444938 |
| 12. | श्री शब्बीर अहमद<br>वृत्ताधिकारी वृत अटरू | 07451 | 240322 | 240023 | 8764528519 | 9414317981<br>9530444937 |
| 13. | श्री राजाराम मीणा<br>वृत्ताधिकारी वृत शाहबाद | 07460 | 262304 | 262314 | 8764528517 | 9414488161<br>9530444940 |
| 14. | श्री सोजीलाल (RPS)<br>उप अधी0 एस.टी./एस.सी. सैल बारां | 07453 | 237204 | 237203 | — | 9799161122<br>9530444942 |
| | **थानाधिकारी** | | | | | |
| 15. | श्री बद्रीलाल मीणा, सउनि | 07453 | 237198 | | | 9413652805 |
| 16. | श्री राजेन्द्र मीणा, पुलिस निरीक्षक,<br>थानाधिकारी थाना, कोतवाली बारां | 07453 | 230008 | | 8764528401 | 9414141484<br>9530444375 |
| 17. | श्री रामभरोषी मीणा, पुलिस निरीक्षक,<br>थानाधिकारी बारां सदर | 07453 | 237100 | — | 8764528402 | 9414888329<br>9530444435 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | श्रीमती यशोराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी महिला थाना, बारां | 07453 | 230002 | | 8764528514 | 9887185968<br>9530444488 |
| 19. | श्री रूप सिंह, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, अन्ता | 07457 | 244233 | — | 8764528404 | 9571272412<br>9530444540 |
| 20. | श्री आशिष भार्गव, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी मांगरोल | 07457 | 223223 | — | 8764528403 | 9414000466<br>9530444503 |
| 21. | श्री नरपतदान, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, सीसवाली | 07457 | 235526 | — | 8764528405 | 9783213080<br>9530444579 |
| 22. | श्री रामानन्द यादव, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, अटरू | 07451 | 240222 | — | 8764528506<br>9413669754 | 8949322070<br>9530444902 |
| 23. | श्री राम सिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, मोठपुर (अटरू) | 07451 | 242016 | — | 8764528508<br>9413004750 | 7568051066<br>9530444859 |
| 24. | श्री रामहेतार पार्थ, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, कवाई (अटरू) | 07451 | 245311 | — | 8764528507 | 9799013748<br>9530444880 |
| 25. | श्री ताराचन्द, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना छबड़ा | 07452 | 222020 | — | 8764528406 | 9929847555<br>9530444602 |
| 26. | श्री प्रेमचन्द, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, बापचा (छबडा) | 07452 | 215518 | — | 8764528505 | 9784264706<br>9530444710 |
| 27. | श्री विजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, छीपाबडौद | 07454 | 285446 | — | 8764528502 | 9610679494<br>9530444640 |
| 28. | श्री धनराज हाडा, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, हरनावदाशाहजी | 07454 | 296600 | — | 8764528503 | 9460006783<br>9530444677 |
| 29. | श्री परमानन्द, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, सारथल (छीपाबडौद) | 07454 | 296600 | — | 8764528504 | 9887516959<br>9530444680 |
| 30. | श्री विजय बहादुर सिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, शाहाबाद | 07460 | 262315 | — | 8764528512 | 9460193602<br>9530444740 |
| 31. | श्री नारायण राम, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, कस्बाथाना (शाहबाद) | 07460 | 268203 | — | 8764528513 | 9461023345<br>9530444809 |
| 32. | श्री रतन सिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, केलवाडा ( ाहबाद) | 07460 | 260130 | — | 8764528511 | 9413351877<br>9530444800 |
| 33. | श्री मनोज सोनी, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, किशनगंज | 07456 | 253305 | — | 8764528501 | 9414000144<br>9530444487 |
| 34. | श्री दलपत सिंह उप निरीक्षक, थानाधिकारी, नाहरगढ़ (किशनगंज) | 07456 | 255303 | — | 8764528510 | 9413004763<br>9530444837 |
| 35. | श्री नन्द सिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी, भंवरगढ (किशनगंज) | 07456 | 254418 | — | 8764528509 | 7976813273<br>9530444760 |
| | | | | | | |
| 36. | श्रीलक्ष्मीचन्द, पुलिस निरी0, प्रभारी मानव तस्करी यूनिट, बारां | 07453 | 237198 | — | | 9414308306 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | श्री रामखिलाडी, पुलिस निरीक्षक, अपराध सहायक, बारां | | | | | 9414207899 |
| 38. | श्रीमती प्रिया व्यास, उप निरीक्षक, रीडर अपराध शाखा, बारां | | | | | 9587454613 |
| 39. | श्री सूर्यनारायण, उप निरीक्षक, प्रभारी जिला विशेष शाखा, बारां | 07453 | 237088 | — | 9680647445 | 9413233076 |
| 40. | श्री रामवल्लभ मीणा, पुलिस निरीक्षक संचित निरीक्षक पुलिस लाईन बारां | 07453 | 237050 | | 9530444355 | 9828250772 |
| 41. | श्री नेक मोहम्मद, उप निरीक्षक, लाईन ऑफिसर पुलिस लाईन, बारां | 07453 | 237050 | — | 9929398552 | 9530444352 |
| 42. | श्री राजेन्द्र कुमार हवलदार मेजर पुलिस लाईन बारां | 07453 | 237050 | — | — | 9530444354<br>8107908516 |
| 43. | श्री मदन हैड कानि0 613 (एम0टी0ओ0) पुलिस लाईन, बारां | 07453 | 237050 | — | 9929369799 | 9530444353 |
| 44. | श्री रामेश्वर प्रसाद, उप निरीक्षक, प्रभारी पुलिस कन्ट्रोल रूम व अभय कमाण्ड सेन्टर, बारां | 07453 | 230383 | — | 8764851214 | 9829608554<br>(9530444328<br>9530444329) |
| 45. | श्री गोकुल प्रसाद उप निरीक्षक, प्रभारी वी0एच0एफ0, बारां | 07453 | 230008 | 244707 (CUG) | 244708 (CUG) | 9413151292<br>9414650648 |
| 46. | श्री महावीर प्रसाद मीणा पु0नि0 वायरलैस बारां | 07453 | 232167<br>236466 | — | — | 9214861012<br>9530444362 |
| 47. | सुश्री आशारानी, उप निरीक्षक, प्रभारी यातायात शाखा, बारां | 07453 | 230383 | — | 8764851210 | 8104199747<br>8764851210 |
| **चौकी प्रभारी (पुलिस थाना कोतवाली, बारां)** | | | | | | |
| 48. | श्री ओमप्रकाश, उप निरीक्षक, प्रभारी चौकी हाउसिंग बोर्ड, बारां | 07453 | 230008 | — | — | 9530444400 |
| 49. | श्री प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक, प्रभारी टाउन चौकी, बारां | 07453 | 230008 | | | 9413829313<br>9530444391 |
| 50. | श्री घनश्याम योगी हैड कानि0 261 प्रभारी चौकी भीमगंज वार्ड | 07453 | 230008 | — | — | 9414557568<br>9530444421 |
| 51. | श्री सत्यनारायण, सहा0 उप निरीक्षक, प्रभारी चौकी अस्पताल, बारां | 07453 | 230008 | — | — | 9530444395 |
| **चौकी प्रभारी (पुलिस थाना सदर, बारां)** | | | | | | |
| 52. | श्री देवकिशन नागर, सहा0 उप निरी0 प्रभारी चौकी कोयला (बारां) | 07453 | 237100 | — | 9530444455 | 8696433614 |
| 53. | श्री बृजप्रकाश, उप निरीक्षक, प्रभारी चौकी धोलाकुआं (बारां) | 07453 | 237100 | — | 9530444534 | 9460193648 |
| **चौकी प्रभारी (थाना अन्ता)** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | श्री छोटूलाल, हैड कानि0 174,<br>प्रभारी चौकी टाउन थाना, अन्ता | 07457 | 244233 | | | 9530444554 |
| 55. | श्री महेश कुमार, हैड कानि0 553,<br>चौकी सोरसन थाना, अन्ता | | | | | 9001227253 |
| | **चौकी प्रभारी ( थाना मांगरोल)** | | | | | |
| 56. | श्री हरिप्रसाद, हैड कानि0 779,<br>प्रभारी चौकी बालून्दा | 07457 | 244233 | | | 9530444529 |
| 57. | श्री प्रदीप सिंह, हैड कानि0 622<br>प्रभारी चौकी बम्बोरी कलां | 07457 | 223223 | — | — | 9460940775<br>9530444511 |
| 58. | श्री प्रदीप सिंह, कानि0 469<br>प्रभारी चौकी टाउन सीसवाली | 07457 | 223223 | — | — | 9530444591<br>9983049212 |
| | **चौकी प्रभारी (थाना अटरू)** | | | | | |
| 59. | श्री वीरेन्द्र कुमार, हैड कानि0 62,<br>प्रभारी चौकी कुन्जेड़ | 07451 | 240222 | — | — | 9982617358<br>9530444870 |
| 60. | श्री मोहनचन्द, सहा0 उप निरीक्षक<br>चौकी बडौरा, थाना मोठपुर | | | | | 9549588783<br>9530444861 |
| 61. | श्री पप्पूलाल, हैड कानि0 701<br>प्रभारी चौकी दिलोद | 07451 | 245311 | — | — | 7728976701<br>9530444899 |
| | **चौकी प्रभारी (थाना छबडा)** | | | | | |
| 62. | श्री रमेश, हैड कानि0 155<br>प्रभारी चौकी टाउन (छबडा) | 07452 | 222020 | — | — | 9950272861<br>9530444635 |
| 63. | श्री जगदीश बाबू, उप निरीक्षक,<br>प्रभारी चौकी चांचौडा | 07452 | 222020 | | | 9530444612 |
| | **चौकी प्रभारी (थाना छीपाबडौद)** | | | | | |
| 64. | श्री अशोक, हैड कानि0 780<br>प्रभारी चौकी, बिलण्डी | | | | | 9649564433 |
| 65. | श्री कृष्ण मुरारी, हैड कानि0 32<br>प्रभारी चौकी बम्बोरी घाटा | 07454 | 285446 | — | — | 7976239088<br>9530444647 |
| 66. | श्री राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक<br>प्रभारी चौकी पाली | 07452 | 215518 | — | — | 9772990563<br>9530444728 |
| 67. | श्री लालचन्द, हैड कानि0 335, प्रभारी<br>चौकी महादेवघाट (थाना बापचा) | | | | | 9530444718 |
| 68. | श्री मुसद्दीलाल हैड कानि0 789<br>प्रभारी चौकी कड़ैयाहाट | 07452 | 215518 | — | — | 9414764703<br>9530444715 |
| 69. | श्री रघुवीर सिंह, हैड कानि0 01,<br>प्रभारी चौकी कोटडापहाड सिंह (थाना हरनावदाशाहजी) | 07454 | 296600 | — | — | 8949891763 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **चौकी प्रभारी (थाना किशनगंज)** | | | | | | |
| 70. | श्री राधाकिशन, सहायक उप निरीक्षक,<br>प्रभारी चौकी रामगढ़ थाना किशनगंज | 07456 | 253305 | — | — | 8239019090<br>9530444464 |
| 71. | श्री जाकिर हुसैन, सहा0 उप निरीक्षक<br>प्रभारी चौकी जलवाड़ा (नाहरगढ़) | 07456 | 255303 | — | 9413109039 | 9079637399<br>9530444839 |
| **चौकी प्रभारी (थाना शाहबाद)** | | | | | | |
| 72. | श्री भवंर सिंह, सहायक उप निरीक्षक<br>प्रभारी चौकी देवरी (थाना कस्बाथाना) | 07460 | 268203 | — | — | 9530444832 |
| 73. | श्री विजेन्द्र सिंह, हैड कानि0 180,<br>प्रभारी चौकी सांधरी (थाना कस्बाथाना) | 07460 | 268203 | — | — | 7742651016<br>9530444811 |
| 74. | श्री भान सिंह, हैड कानि0 575,<br>प्रभारी चौकी आगर, (थाना कस्बाथाना) | | | | | 9530444820 |
| 75. | श्री मोहम्मद इब्राहिम, सहा0 उप निरी0<br>चौकी समरानियां (थाना केलवाडा) | 07460 | 260130 | — | — | 8890103685<br>9530444804 |
| 76. | श्री चौथमल, सहा0 उप निरीक्षक,<br>चौकी सीताबाडी (थाना केलवाडा) | | | | | 9530444780 |
| 77. | श्री बाबूलाल, हैड कानि0 547, प्रभारी<br>चौकी खण्डेला (थाना केलवाडा) | 07460 | 260130 | — | — | 9829504625<br>9530444761 |
| 78. | श्री रामनिवास, उ0नि0<br>प्रभारी बिजली थाना बारां | 07453 | 237096 | — | — | 9413391168 |
| 79. | श्री सुरेशचन्द ,<br>हैड कानि0 761 विभागीय जांच सैल | — | — | — | — | 9983112564 |
| 80. | श्री ललित शर्मा<br>हैड कानि. आरर्मोर | | | — | — | 9530444358 |
| 81. | श्री भवंरलाल पी0सी0<br>आर0ए0सी0 बारां | — | — | — | — | 9530444991 |
| | लालचंद हैड कानि0 मेजर आर0ए0सी0<br>'सी' कम्पनी बारां | | | | | 8005522688 |
| 82. | श्री बाबूसिंह चौहान, उ0नि0<br>प्रभारी सीआईडी जोन बारां | 07453 | 237051 | — | — | 9462098989 |
| 83. | श्री रामावतार प्रजापत<br>प्रभारी एफ0एस0एल0 यूनिट बारां | — | — | — | — | 9462815151 |
| 84. | श्री गोविन्द सिंह सिसोदिया<br>डीप्टी कमाण्डेट होमगार्ड बारां | 07453 | 237037 | — | — | 9414399452 |
| 85. | प्रभारी श्री गणेशराम हैड कानि0<br>होमगार्ड कार्यालय बारां | 07453 | 237037 | — | — | 9929340215 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. | श्री राजेन्द्र गोगावत,<br>अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक<br>एसीबी कार्यालय बारां | 07453 | 231001 | — | — | 9414236639 |
| 87. | श्री सत्यनारायण चौधरी, हैड कानि0<br>पुलिस चौकी, जीआरपी बारां | — | — | — | — | 9414478956<br>9530422445 |
| 88. | श्री बिरजू लाकड़ा, पु0नि0<br>प्रभारी इन्टैलीजेन्स ब्यूरो बारां | 07453 | 235693 | — | — | 7297922622 |
| 89. | श्री राजेन्द्र कुमार, डिप्टी सुपरिन्टेंडेट<br>जिला कारागार बारां | 07453 | 230771 | | | 9414102070 |
| 90. | श्री जोधराज सिंह हैड कानि0<br>उप जेल अटरू | 07451 | 212051 | | | 9829586008 |
| 91. | श्री गंगाप्रसाद शर्मा, उ0नि0<br>उप जेल छबडा | 07452 | 223037 | | | 9772782863 |

## 3 अन्य राजकीय विभाग

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उप वन सरक्षक | श्री महेशचन्द गुप्ता | 230244,230410 | 9414346258 |
| 2 | मुख्य प्र.रा.रा.पथ परि. निगम | हेमन्त शर्मा | 230014 | 9549653307 |
| 3 | समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र | श्री महेन्द्र सिसोदिया (चार्ज) | 232291 | 9460122545 |
| 4 | मैनेजर स्टेट वेयरहाउस | श्री रविन्द्र | 237029 | 7073452113 |
| 5 | जिला परिवहन अधि. | श्री दिनेश सागर | 230105 | 9460288777 |
| **मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता –** | | | | |
| 1 | अधीक्षण अभियन्ता सार्व0 निर्माण विभाग | श्री एस0 के0 काबरा | 231528 | 9549999573 |
| 2 | अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग बारां | श्री मूलचन्द शर्मा (इन्जचार्ज) | 237090 | 9269657420 |
| 3 | आवासन मण्डल | श्री | 230456 | |
| 4 | मुख्य अभियन्ता सुपर थर्मल छबडा | श्री कालीचरण अग्रवाल | 07452–225002<br>07452–222823 | 9414019731 |
| 5 | अधीक्षण अभियन्ता सुपर थर्मल छबडा | श्री प्रमोद अग्रवाल | | 9413385656 |

| चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पशुपालन विभाग | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य चिकित्सा एंव स्वा.अधि. | डॉ0 संपतराज नागर | 230451,274583 | 8432111933 |
| 2 | प्रमुख चिकित्साधिकारी राज0 चिकि0 बारॉ | डॉ0 बिहारीलाल | 230322,231467 | 9799924758 |
| 3 | जिला प्रजनन एंव शिशु स्वास्थ्य अधिकारी | डॉ0 सीताराम वर्मा | 232604 | 9929068434 |
| 4 | उप निदेशक पशुधन एंव डेयरी विकास बारॉ | डॉ0 हरिबल्लभ मीणा<br>श्री पृथ्वीराज सुमन | 230974<br>9414330422 | 8949754106<br>9413354288 |
| **नगरपरिषद/पालिका** | | | | |
| 1 | आयुक्त नगर परिषद बारॉ | श्री मनोज मीना | 230106 | 9549149873 |
| 2 | अधिशासी अधिकारी न.पा. अन्ता | श्री मनीष गौड | 07457–244254 | 9782845926 |
| 3 | अधिशासी अधिकारी न.पा. छबडा | श्री | 07452–222025 | |
| 4 | अधिशासी अधिकारी न.पा. मॉगरोल | श्री धर्म कुमार मीणा | 07457–223203 | 8875457555 |
| **एन.टी.पी.सी. अन्ता** | | | | |
| 1 | महाप्रबन्धक | श्री डी. नन्दी | 07457–246000 | 9650992751 |
| | | | 07457–246036 | |
| 2 | मुख्य कार्मिक प्रबन्धक (एच. आर.) | श्री दिग्विजय प्रसाद | 07457–246014 | 9462746014 |
| 3 | फायर स्टेशन | श्री एम. के. सारस्तव | 07457–246053 | 9413859934 |
| 4 | असिस्टेन्ट कमांडर<br>सीआईएसएफ | श्री एन.एस. मिश्रा | 07457–24605124<br>6052 | |
| 5 | रेस्टहाउस N.T.P.C. | श्री डी. के. | 07457–246047 | 9462746014 |

# परिशिष्ट नं. 2. चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाएं

| क्र.सं | अस्पताल का नाम | फोन नं. | डाक्टर की संख्या | अस्पताल में उपलब्ध संसाधन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | एम्बुलेंस | स्ट्रेचर | एक्सरे | ईसीजी |
| **बारां** | | | | | | | |
| 1 | राजकीय चिकित्सालय बारां | 07453–230322 | 55 | 1 | 20 | 3 | 3 |
| 2 | पी.एच.सी., बामला | 07457–282236 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | पी.एच.सी., कोयला | 07453–281214 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | पी.एच.सी., सुन्दलक | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | पी.एच.सी., फतेहपुर | 07453–274522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | पी.एच.सी., माथना | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | पी.एच.सी., सीमली | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | पी.एच.सी., बराना | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | पी.एच.सी., बटावदा | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **अन्ता** | | | | | | | |
| 1 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र, अन्ता | 07457–232247 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र, पलायथा | 07457–271774 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र, बडवा | 07457–261211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र, बडगांव | 07457–271790 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र,मिर्जापुर | 07457–213155 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र, बमूलियाकलां | 07457–271849 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | राज.सामु.स्वा.केन्द्र, पचेलकलां | 07457–263102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | प्रा.स्वा.केन्द्र, बालदडा | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | प्रा.स्वा.केन्द्र, मालबमोरी | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | प्रा.स्वा.केन्द्र, बमूलियामाताजी | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | प्रा.स्वा.केन्द्र, खजुरनाकलां | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **मांगरोल** | | | | | | | |
| 1 | रा.सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, मांगरोल | 07457–225340 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | राजकीय चिकित्सालय, सीसवाली | 07457–271771 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | राजकीय चिकित्सालय, बोहत | 07457–271775 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | राजकीय चिकित्सालय, बमोरीकला | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | राजकीय चिकित्सालय, रायथल | 07457–271814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **छबड़ा** | | | | | | | |
| 1 | राजकीय चिकित्सालय, छबड़ा | 07452–222875 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, जैपला | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | राज.प्रा.स्वा.केन्द्र, कोटडी | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, पाली | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, कोलुखेडा | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, मोतीपुरा चौकी | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, मोतीपुरा | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, घीगाराडी | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | राज.प्रा.स्वा. केन्द्र, फलिया | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **छीपाबड़ौद** | | | | | | | |
| 1 | राज. सामुदायिक स्वा. केन्द्र छीपाबडौद | 07454–285399 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | उच्चीकृत स्वा. केन्द्र, हरनावदाशाहजी | 07454–287345 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | उच्चीकृत स्वा. केन्द्र, सेतकोलू | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारथल | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अटरू** | | | | | | | |
| 1 | राज.सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, अटरू | 07451–240215 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | प्रा.स्वा.केन्द्र, कवाई | 07451–276636 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | प्रा.स्वा.केन्द्र, मोठपुर | 07451–231072 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | प्रा.स्वा.केन्द्र, कुन्जेड | 07451–242170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | प्रा.स्वा.केन्द्र, चरडाना | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | प्रा.स्वा.केन्द्र, मूण्डलाबिसौती | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | प्रा.स्वा.केन्द्र, आटोन | 07451–212034 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | प्रा.स्वा.केन्द्र, सकतपुर | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | प्रा.स्वा.केन्द्र, कटावर | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | प्रा.स्वा.केन्द्र, बडौरा | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **किशनगंज** | | | | | | | |
| 1 | सामुदायिक स्वा.केन्द्र, किशनगंज | 07456–253380 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | प्रा.स्वा.केन्द्र, भंवरगढ़ | 07456–211859 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | प्रा.स्वा.केन्द्र, नाहरगढ़ | 07456–211860 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | प्रा.स्वा.केन्द्र, रेलावन | 07456–211460 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | प्रा.स्वा.केन्द्र, जलवाड़ा | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | प्रा.स्वा.केन्द्र, परानिया | 07456–252149 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | प्रा.स्वा.केन्द्र, बजरंगगढ़ | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | प्रा.स्वा.केन्द्र, रामगढ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | प्रा.स्वा.केन्द्र, खण्डेला | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **शाहाबाद** | | | | | | | |
| 1 | सामु.स्वा.केन्द्र, शाहाबाद | 07460–262490 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | प्रा.स्वा.केन्द्र, कस्बाथाना | 07460–268326 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | प्रा.स्वा.केन्द्र, समरानियां | 07460–213761 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | सामु.स्वा.केन्द्र, केलवाड़ा | 07460–260127 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | प्रा.स्वा.केन्द्र, देवरी | 07460–267824 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | प्रा.स्वा.केन्द्र, राजपुर | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| जिला चिकित्सालय, बारां चिकित्सा के लिये उपयोगी सामानो की सूची | | |
|---|---|---|
| **क.सं.** | **विभाग का नाम** | **चालू उपकरणो की संख्या** |
| **A.** | **एक्सरे विभाग** | |
| 1 | एक्सरे मशीन (आई.जी.ई. 100 एम.ए.) | 3 |
| 2 | सोनोग्राफी मशीन (एल.एण्ड टी.) | 2 |
| 3 | अन्य उपकरण प्रिन्टर | 0 |
| 4 | ई.सी.जी. बी.पी.एल. | 3 |
| 5 | अन्य उपकरण बेबी इक्यूबेटर | 0 |
| 6 | बेट्री सेट | |
| **B.** | **गहन चिकित्सा ईकाई** | |
| 1 | काडिक मोनीटर वीद डिफोबोलेटर | 4 |
| 2 | कार्डियक मोनीटर | 5 |
| **C.** | **रक्तकोप एवं पेथौलेबोरेटरी** | |
| 1 | रक्तकोप रेफ्रीजेटर (रेमी) | 2 |
| 2 | घरेलू रेफ्रीजेटर (गोदरेज) | 7 |
| 3 | होट एयर ओवन (टेल्को, रेमी) | 1 |
| 4 | इनफ्रेयूटर (टेल्को, रेमी) | 1 |
| 5 | वटरबाथ (ऐल्फा) | 1 |
| 6 | माइक्रोस्कोप मोनोक्यूलर (राजस्कोप) | 0 |
| 7 | माइक्रोस्कोपबाइनोक्यूलर (राजस्कोप) | 6 |
| 8 | एयर कंडीशनर (ब्लूय स्टार) | 3 |
| 9 | सेन्ट्रीफयूज मशीन (रेमी) | 3 |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | एलीसा रीडरलेफसिस्टम एनलाईजर | 2 |
| 11 | कैलोरीमीटर | 1 |
| 12 | स्पेक्ट्रोफोटो मीटर | 0 |
| 13 | सेमी–आटोएनेलाइजर | 0 |
| 14 | डिस्टीलेशन अप्रेंटस | 0 |
| 15 | फलेमफोटो मीटर | 0 |
| 16 | आटोक्लेव मीटर | 0 |
| **D.** | **नेत्र विभाग** | |
| 1 | लेमियोमीटर | 0 |
| 2 | इन्ठायरेक्ट ऑफथलमोस्कोप | 1 |
| 3 | आफथलमोस्कोप | 1 |
| 4 | वायोमेट्री ए सीन | 1 |
| 5 | लेस बाक्स | 4 |
| 6 | विजन बॉक्स | 2 |
| 7 | कलर ब्लाउज बुक | 3 |
| 8 | अन्य उपकरण | 0 |
| **E.** | **फिजियोथैरेपी विभाग** | |
| 1 | शार्टबेब डायथरमो | 0 |
| 2 | अल्टासाउण्ड मशीन | 2 |
| 3 | व्यायाम सम्बन्धी समस्त | 0 |
| **F.** | **सामान्य ऑपरेशन थियेटर** | |
| 1 | वालयल्स अप्रेटस | 1 |
| 2 | बल्स आक्सीमीटर 2 | 1 |
| 3 | काटरी | 2 |
| 4 | आटो क्लेव हारीजेन्टल | 1 |
| 5 | ऑटो क्लेव वरर्टीकल | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | अन्य अम्बू बेंग | 0 |
| **G.** | **ई.एन.टी.** | |
| 1. | आयोडोमीटर | 0 |
| **H.** | **सामान्य उपकरण** | |
| 1 | सक्शन मशीन | 7 |
| 2 | ऑक्सीजन सिलेण्डर | 90 |
| 3 | नाइट्रस ऑक्साइड सिलेण्डर | 15 |
| 4 | सर्जिकल ड्रम | 56 |
| 5 | रक्तचाप ड्रम | 14 |
| 6 | अन्य इन्केवेटर | 0 |
| 7 | टंकण यंत्र अंग्रेजी | 1 |
| 8 | टंकण यं. हिन्दी | 1 |
| 9 | डून्लीकेटर | 1 |
| 10 | स्टील रेग | 5 |
| 11 | साईड रेग | 3 |
| 12 | पेट्रोमेक्स | 0 |
| 13 | तिजोरी (जूनेजा) | 1 |
| 14 | जनरेटर | 5 |

## परिशिष्ट –3 चिकित्सकों की सूची

| क्र. सं | अस्पताल का नाम | प्रभारी डॉ0 का नाम | तहसील | मोबाइल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी | डॉ0 सम्पतराज नागर | बारां | 8432111933 |
| | | | | |
| 2 | राजकीय चिकित्सालय बारां | डॉ. बिहारी लाल मीणा | | 230322, 9799924758 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामला | डॉ0 नरेश नागर | | 9530218972 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतेहपुर | डॉ0 गरिमा गोयल | | 9783710182 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुन्दलक | डा0 नन्द किशोर मीणा | | 9784612890 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कोयला | डॉ0 मधु गुप्ता | | 9214019113 |
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माथना | डॉ0 रघुराज सिंह यादव | | 9672310058 |
| 8 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमली | डॉ0 प्रवीण गौतम | | 9414917682 |
| 9 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बराना | डॉ0 मधु सेन | | 8769969804 |
| 10 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बटावदा | डॉ0 राम कुमार | | 9587801242 |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अन्ता | डॉ0 विजेन्द्र नाथ तिवारी | अन्ता | 9414189604 |
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जापुर | डॉ0 मनीष खण्डेलवाल | | 9462869483 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–बड़गांव | डॉ0 नीरज नागर | | 9785338025 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–पलायथा | डॉ0 दयानंद राठौर | | 9414393827 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडवा | डॉ0 आरिफ अहमद | | 9252061401 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमूलियाकलां | डॉ0 नीरज सक्सेना | | 9672790305 |
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचेलकलां | डॉ0 जितेन्द्र नागर | | 7597431993 |
| 8 | पाथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–बालदड़ा | डॉ0 नरेन्द्र मीणा | | 9568630534 |
| 9 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालबमोरी | डॉ0 विजय सिंह कुशवाह | | 7728839893 |
| 10 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमूलियामाताजी | डॉ0 दर्गा शंकर | | 9602720882 |
| 11 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजूरनाकलां | डॉ0 इफ्तिखारूददीन अंसारी | | 9929254453 |
| | | | | |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल | डॉ0 उमेश विजय | मांगरोल | 8890044584 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीसवाली– | डॉ0 जयकिशन मीणा | | 9001837148 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–बोहत | डॉ0 जाफीर अहमद | | 9784136003 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमोरीकलां | डॉ0 शकील अहमद | | 8058194728 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायथल | डॉ0 मुरलीधर मालव | | 9950685432 |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छबड़ा 100 बेड | डॉ0 श्रीलाल मीणा | छबड़ा | 9928368784 |
| 2 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–जैपला | डॉ0 केशव नागर | | 9887185355 |
| 3 | पाथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–पाली | डॉ0 प्रद्युम्न मालव | | 9602331055 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटडी | डॉ0 राम बुदेश मीणा | | 9587733248 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलूखेडा | डॉ0 कमलेश | | 9667812362 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुराचौकी | डॉ0 शिखा भार्गव | | 9929118970 |
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोतीपुरा | डॉ0 दिनेश मालव | | 9929308873 |
| 8 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धींगाराड़ी | | | |
| 9 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फलिया | डॉ0 देशराज मीणा | | 9660173504 |
| | | | | |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छीपाबडौद | डॉ0 हेमन्त नागर | छीपाबड़ौद | 9610699585 |
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरनावदाशाहजी | डॉ0 मनोहर लाल नागर | | 9251449908 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सारथल | डॉ0 रूप नारायण नागर | | 9784283187 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेतकोलू | डॉ0 हरि सिंह मीणा | | 9928951772 |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अटरू (50 बेड) | डॉ0 जय प्रकाश यादव | अटरू | 9414650307 |
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कवाई– 30 बेड | डॉ0 देवकी नन्दन | | 9413734184 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मूण्डलाबिसौती | डॉ0 अश्विनी नागर | | 7728902616 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–मोठपुर | डॉ0 भगवान सिंह | | 9461705347 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–आटोन | डॉ0 प्रदीप नागर | | 7727082453 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–कुंजेड | डॉ0 जफीर अहमद | | 9784136003 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरडाना | डॉ0 मुकेश नागर | | 9929712476 |
| 8 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सकतपुर | डॉ0 शकीर हुसैन | | 8502063280 |
| 9 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटावर | डॉ0 नरेन्द्र मीणा | | 7568630534 |
| 10 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडोरा | डॉ0 कुलदीप शर्मा | | 9982471857 |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगंज– | डॉ0 सतीश अग्रवाल | **किशनगंज** | 9829892427 |
| 2 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरगढ | डॉ0 कपिल सोनी | | 7597415285 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परानिया | डॉ0 चिराग मलिक | | 9166265202 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाहरगढ | डॉ0 शाहआलम | | 9571597431 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जलवाडा | डॉ0 सत्येन्द्र मीणा | | 9166265502 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलावन | डॉ0 हरिओम बैरवा | | 9462832452 |
| 7 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बजरंग–गढ | डॉ0 हितेन्द्र राजवत | | 8104196877 |
| 8 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ़ | डॉ0 देवेन्द्र मीणा | | 9784073958 |
| 9 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डेला | | | |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहबाद– | डॉ रविप्रकाश नागर | **शाहाबाद** | 9252204510 |
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा– 50 बेड | डॉ0 राजेश राजावत | | 9983421118 |
| 3 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्बाथाना | डॉ0 नरेश मीणा | | 9571613163 |
| 4 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी | डॉ0 अरूण सिंह | | 7665020019 |
| 5 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समरानिया | डॉ0 आलोक शर्मा | | 9636756129 |
| 6 | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर | | | |

# कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय बाराँ

| क्र.सं. | नाम | पद | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. बिहारीलाल मीणा | पीएमओ | 9799924758 |
| 2 | डॉ. वीरेश बेरीवाल | उपनियंत्रक | 9982034834 |
| 3 | डॉ. शरद परूथी | प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसिन) | 9414331484 |
| 4 | डॉ. पंकज परूथी | प्रमुख विशेषज्ञ (अस्थि रोग) | 9413115852 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | डॉ. लीलाधर कासट | प्रमुख मुख्य चिकि.अधि. | 9414190763 |
| 6 | डॉ. मधूसुदन तिवारी | प्रमुख मुख्य चिकि.अधि. | 9829695481 |
| 7 | डॉ. बृजेश गोयल | प्रमुख मुख्य चिकि.अधि. | 9414286949 |
| 8 | डॉ. पार्थ पाण्डेय | प्रमुख विशेषज्ञ | 9829093533 |
| 9 | डॉ. जगदीश यादव | प्रमुख विशेषज्ञ | 9413115756 |
| 10 | डॉ. भोलाराम दिलावर | वरि.विशे. (चर्म रोग) | 9829530353 |
| 11 | डॉ. सत्येन्द्र गोयल | वरि.विशे. (आर्थो.) | 9414186615 |
| 12 | डॉ. हंसराज सुमन | वरि.विशे. (मेडि.) | 9414331489 |
| 13 | डॉ. गिर्राज प्रसाद मीणा | वरि.विशे. (शिशु) | 9460113528 |
| 14 | डॉ. मणि गोयल | वरि.विशे. (शिशु) | 9413944050 |
| 15 | डॉ. मालती मीणा | वरि.विशे. (गायनी) | 9460111628 |
| 16 | डॉ. संतोष डडवारिया | वरि.विशे.(गायनी) | 9414331576 |
| 17 | डॉ. पुनीत परूथी | वरि.विशे. (शिशु) | 9413116599 |
| 18 | डॉ. धनराज कोली | वरि.विशे. (निश्चे.) | 9414552978 |
| 19 | डॉ. श्रीकृष्ण मालव | वरि.विशे. (नेत्र) | 9414233296 |
| 20 | डॉ. प्रविन्द्रा मीणा | वरि.विशे. (गायनी) | 9660022499 |
| 21 | डॉ. सुमित परूथी | उपनिदेशक | 9351480785 |
| 22 | डॉ. वीनू कतियाल | उपनिदेशक | 9887082000 |
| 23 | डॉ. स्नेहलता श्रृंगी | उपनिदेशक | 9829047925 |
| 24 | डॉ. मुश्ताक अहमद | उपनिदेशक | 9414257522 |
| 25 | डॉ. हेमन्त डडवारिया | उपनिदेशक | 9413990892 |
| 26 | डॉ. देवीशंकर नागर | कनि.विशे. (सर्जरी) | 9928489199 |
| 27 | डॉ. अनुराग खीचीं | कनि.विशे. (न्यूरो साईकेट्रिक) | 9928623671 |
| 28 | डॉ. संतोष मेहता | कनि.विशे. | 9672626202 |
| 29 | डॉ. ओ.पी. मालव | कनि.विशे. | 9602515172 |
| 30 | डॉ. दयाराम | कनि.विशे. | 9602314875 |
| 31 | डॉ. हेमराज नागर | कनि.विशे. | 9950525757 |
| 32 | डॉ. हर्षा रानी वर्मा | कनि.विशे. | 9414833255 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | डॉ. नीलम जेन | कनि.विशे. | 9461575790 |
| 34 | डॉ. महेन्द्र नागर | कनि.विशे. | 9001518020 |
| 35 | डॉ. महेन्द्र यादव | वरि.चिकि.अधि. | 8764306319 |
| 36 | डॉ. हरिकृष्ण मीणा | वरि.चिकि.अधि. | 9460596161 |
| 37 | डॉ. सुमन मीणा | वरि.चिकि.अधि. | 9587690149 |
| 38 | डॉ. दिनेश मीणा | वरि.चिकि.अधि. | 9414186665 |
| 39 | डॉ. वन्दना यादव | वरि.चिकि.अधि. | 9460566471 |
| 40 | डॉ. रघुवीर सिंह कुशवाह | वरि.चिकि.अधि. | 8440911401 |
| 41 | डॉ. हरिओम मीणा | चिकि.अधि. | 9887192000 |
| 42 | डॉ. वर्षा बागडी | चिकि.अधि. (दन्त) | 9680389939 |
| 43 | डॉ. पवन मीणा | चिकि.अधि. (ईएनटी) | 9414992130 |
| 44 | डॉ. देवकीनन्दन शर्मा | चिकि.अधि. | 9413734184 |
| 45 | डॉ. रिंकेश मीणा | चिकि.अधि. | 7568470825 |
| 46 | डॉ. मुकेश कुमार भूपेश | चिकि.अधि. | 9821722618 |
| 47 | डॉ. रविप्रकाश मीणा | चिकि.अधि. | 9461183044 |
| 48 | डॉ. मनमोहन मालव | चिकि.अधि. | 9461183044 |
| 49 | डॉ. अकबर अली | चिकि.अधि. | 9983061443 |
| 50 | डॉ. जितेन्द्र कुमार फुलवारी | चिकि.अधि. | 9602047392 |
| 51 | डॉ. चेतन सुवालका | चिकि.अधि. | 9521863715 |
| 52 | डॉ. धनराज मीणा | चिकि.अधि. | 8003718308 |
| 53 | डॉ. रामस्वरूप मालव | चिकि.अधि. | 9414317198 |
| 54 | डॉ. मुकेश कुमार नागर | चिकि.अधि. | 9602645205 |
| 55 | डॉ. लक्ष्मी गोयल | चिकि.अधि. | 9829211747 |

## परिशिष्ट– 4 आश्रय स्थलों की सूची

| क्र.सं. | आश्रय स्थल का नाम |
|---|---|
| | बारां |
| 1 | सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय छात्र कोटा रोड |
| 2 | डाक बंगला (सार्व.नि.वि.) चारमूर्ति चौराहा |
| 3 | नगरपालिका धर्मशाला, स्टेशन रोड |
| 4 | कृषि उपज मंडी समिति |
| 5 | सिंचाई कॉलोनी रेस्ट हाउस, कोटा रोड |
| 6 | समाज कल्याण छात्रावास, सब्जीमण्डी |
| 7 | सहरिया छात्र छात्रावास, आमापुरा |
| 8 | सहरिया छात्रा छात्रावास, पुरानी सिविल लाईन्स |
| 9 | बालिका छात्रावास, नगरपालिका कॉलोनी |
| 10 | राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेलखेडी रोड |
| 11 | राजकीय कन्या महाविद्यालय, हॉस्पिटल रोड |
| 12 | राजकीय बालिका सीनियर विद्यालय स्टेशन रोड |
| 13 | संस्था धर्मादा धर्मशाला हॉस्पिटल रोड |
| | **अंता** |
| 1 | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ |
| 2 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय गढ |
| 3 | राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय |
| 4 | राजकीय सीनियर बालिका विद्यालय |
| 5 | पुराना नगरपालिका भवन |
| 6 | कृषि उपज मण्डी |
| 7 | कृषि विज्ञान केन्द्र |
| | **मांगरोल** |
| 1 | राजकीय सीनियर हायर सेकण्डरी विद्यालय |

| | |
|---|---|
| 2 | राजकीय सीनियर बालिक विद्यालय |
| 3 | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय |
| 4 | हिन्दू धर्मशाला |
| | छबडा |
| 1 | राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय |
| 2 | राजकीय सीनियर कन्या विद्यालय |
| 3 | नगरपालिका गांधी भवन |
| 4 | किला स्थल |
| 5 | कृषि उपज मण्डी समिति |
| | छीपाबडौद |
| 1 | राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय |
| 2 | कृषि उपज मण्डी समिति |
| 3 | राईवालों की धर्मशाला |
| | **अटरू** |
| 1 | राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय |
| 2 | राजकीय आवासीय विद्यालय, छबड़ा रोड |
| 3 | नवोदय विद्यालय |
| 4 | कृषि उपज मण्डी समिति |
| 5 | अग्रवाल धर्मशाला समिति |
| 6 | व्यपारी धर्मशाला |
| | **किशनगंज** |
| 1 | सीनियर माध्यमिक विद्यालय बारां रोड |
| 2 | समाज कल्याण छात्रावास |
| 3 | भारत माता कॉलेज |
| 4 | राजकीय बालिका सैकण्डरी विद्यालय |
| | **शाहाबाद** |
| 1 | सहरिया छात्रा छात्रावास |

| | |
|---|---|
| 2 | आवासीय विद्यालय, हनोतिया |
| 3 | राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय |
| 4 | अग्रवाल धर्मशाला सीताबाडी, कैलवाडा |
| 5 | सहरिया कन्या छात्रावास, कैलवाडा |
| 6 | वनवासी छात्रावास, कैलवाडा |
| 7 | राजकीय सीनियर विद्यालय , कैलवाडा |

# परिशिष्ट– 5 पशुओं को रखने के लिए गौ शालाओं की सूची

| तहसील | गौ शाला का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| बारां | श्रीकृष्ण गौ शाला | जालेडा (बारां) |
| | | बड़ा बालाजी (बारां) |
| मांगरोल | | सीसवाली |
| अंता | | |
| छबड़ा | | |
| छीपाबडौद | श्री बालाजी गौ शाला<br>श्री श्रीकृष्ण गौ शला | छीपाबडौद<br>हरनावदाशाहजी |
| अटरू | | |
| किशनंगज | श्री माधव गोविन्द गौ शाला | बांसथूनी |

# परिशिष्ट– 6 बांधों/तालाबों की सूची

| क्र. सं. | तहसील | बांध/तालाब का नाम | भराव क्षमता (मि. घन फीट) | सिंचित क्षेत्र (हे.) |
|---|---|---|---|---|
| **मध्यम सिंचाई परियोजना** | | | | |
| 1 | अटरू | पार्वती पिकअप वियर | बहाव | 12550.0 |
| 1 | किशनगंज | गोपालपुरा | 1153.00 | 5458.0 |
| 2 | | उम्मेदसागर | 657.00 | 2968.0 |
| 3 | | बिलास | 944.00 | 5863.0 |
| 1 | बारां | परवन जलोत्थान योजना | बहाव | |
| 1 | छबड़ा | हिंगलोट | 571.00 | थर्मल |
| 2 | | बैथली | 1116.00 | 4026.0 |
| 3 | | परवन पिकअप वियर(शेरगढ) | बहाव | 7464.0 |
| **लघु सिंचाई परियोजनाएं** | | | | |
| बारां | | | | |
| | दौलतपुरा | | 38.14 | 192.0 |
| | बटावदा | | 51.70 | 209.0 |
| अंता | | | | |
| | सोरखण्ड | | 45.16 | 243.0 |
| | अटरू | | | |
| | मोठपुर | | 8.90 | 40.0 |
| | बुधसागर | | 31.10 | 132.0 |
| किशनगंज | | | | |
| | बादीपुरा | | 25.57 | 105.0 |
| | भंवरगढ़ | | 50.00 | 213.0 |
| | छतरपुरा | | 219.00 | 1012.0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | इकलेरा सागर | | 354.00 | 1858.0 |
| | कालीसोत | | 263.79 | 875.0 |
| | नाहरगढ़ | | 53.19 | 319.0 |
| | फल्दी | | 15.00 | 51.0 |
| | अहमदी | | 145.00 | |
| छीपाबडौद | | | | |
| | पचकुई | | 22.18 | 103.0 |
| | फालिया | | 64.00 | 343.0 |
| | ल्हासी बांध | | 1000.00 | |
| | उतावली | | 169.00 | 710.0 |
| शाहबाद | | | | |
| | बगदेव | | 49.00 | 258.0 |
| | हथवारी | | 27.00 | 109.0 |
| | खटका | | 115.00 | 620.0 |
| | केलवाडा | | 12.65 | 121.0 |
| | महोदरी | | 88.00 | 421.0 |
| | रामपुरा | | 53.25 | 158.0 |
| | रातई | | 344.84 | 1576.0 |
| | सहरोल तलहटी | | 47.00 | 101.0 |
| | सैमली फाटक | | 3.59 | 124.0 |
| | सिरसीपुरा | | 52.53 | 182.0 |

# परिशिष्ट– 7 पेट्रोल पम्पों की सूची

| क्र. सं. | तहसील | फर्म का नाम व पता | दूरभाष नं. | मोबाईल न0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बारां | मै. सूरजभान एण्ड ब्रदर्स बारांIOC | 230766 | 9414190766 |
| 2 | | मै. बी.सी. जैन एण्ड सन्स बारां IOC | | |
| 3 | | मैं बालाजी फिलिंग स्टेशन, मांगरोल रोड़ बारांHPC | 9414186748 | 9414938234 |
| 4 | | भारत फिलिंग स्टेशन शिवपुरी रोड़, बारांIOC | | 9414179400 |
| 5 | | मै. अरविन्द सर्विस स्टेशन बारांHPC | 237070 | 9413355620 |
| 6 | | मै. सेठी फिलिंग स्टेशन बारां BPC | | |
| 7 | | राज फिलिंग स्टेशन कोटा रोड़ बारां BPC | 237049 | |
| 8 | | मैं महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन अटरू रोड़ मण्डोला HPC | 8426945444 | 9460523112 |
| 9 | | राज एण्ड कम्पनी कलमण्डा HPC | | |
| 10 | | मै. रिलायन्स पैट्रो. मार्केटिंग नियाना | | |
| 11 | | मै. यादव इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमि. बारां IOC | | 9414278190 |
| 12 | | मैसर्स भारत फिलिंग स्टेशन यूनिट 2 मांगारोल रोड बारां IOC | | |
| 13 | | मैसर्स कनक फिलिंग स्टेशन बमूलियाIOC | | 9414154413 |
| 14 | | मैसर्स एल.एन. फिलिंग स्टेशन कलमण्डाIOC | | |
| 15 | | मैसर्स एडॉक पवित्र इण्डियन ऑयल, मांरोल रोड़ IOC | | |
| 16 | | मैसर्स रिद्वि सिद्वि फिलिंग स्टेशन फूंसरा BPC | | 9571432267 |
| 1 | अन्ता | मै. क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि. अन्ताIOC | | |
| 2 | | मैं विद्या सर्विस स्टेशन बरखेडा अंताIOC | | 9828687770 |
| 3 | | मैं अम्बिका फिलिंग स्टेशन अंता HPC | | 9414191001 |
| 4 | | मै. ठिकरिया फिलिंग स्टेशन अन्ता BPC | | 9414257454 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | मै. आर.डी. फ्यूल स्टेशन बमोरी HPC | | 9001833403 |
| 6 | | मैसर्स रूक्मणी नागर फिलिंग स्टेशन रातडिया तहसील अन्ताBPC | | |
| 7 | | मैसर्स अन्न्पूर्णा सर्विस स्टेशन बमूलिया, अन्ता HPC | | |
| 8 | | मैसर्स सांईनाथ फिलिंग स्टेशन बड़वा BPC | | |
| 1 | मांगरोल | मै. व्यास पेट्रोलियम मांगरोलIOC | | |
| 2 | | मैं अरूण फिलिंग स्टेशन, मांगरोलHPC | | 9414190553 |
| 3 | | मैं श्री कल्याण सिंह फिलिंग स्टेशन बमोरी कलां तह0 मांगरोल HPC | | |
| 4 | | दिगवाल फिलिंग स्टेशन सीसवाली रोड़ मांगरोल BPC | | |
| 5 | | मै. सीसवाली इण्डियन ऑयल फिलिंग स्टेशनIOC | | |
| 6 | | मेसर्स विजय फ्यूल स्टेशन बमोरी कलां BPC | | 9414184233 |
| 7 | | मैसर्स प्रियंका फिलिंग स्टेशन बोहतIOC | | 9462678257 |
| 8 | | मैसर्स अगवान फिलिंग स्टेशन मागरोल BPC | 7568370728 | 9414938350 |
| 1 | अटरू | मै. हाड़ौती सर्विस स्टेशन अटरूIOC | | |
| 2 | | गऊघाट फिलिंग स्टेशन HPC | | |
| 3 | | मै. श्रीनाथ फिलिंग स्टेशन कवाई सालपुराHPC | | |
| 4 | | मै. कवाई फिलिंग स्टेशन तह. अटरूBPC | | |
| 5 | | मेसर्स रायल फिलिंग स्टेशन गऊघाट रोड़ BPC | 07451212300 | |
| 6 | | श्री कान्हा फिलिंग स्टेशन अटरूHPC | | |
| 7 | | मेसर्स अरूषा फिलिंग स्टेशन छजावा IOC | | |
| 8 | | मै. गणेश फिलिंग स्टेशन निमोदा HPC | | |
| 9 | | मै. नवदुर्गा फिलिंग स्टेशन कवाई, IOC | | 9214012180 |
| 10 | | मैसर्स गोपाल फिलिंग स्टेशन मोठपुर BPC | | |
| 11 | | मैसर्स सिद्वि विनायक फिलिंग स्टेशन निमोदा IOC | | |
| 1 | छबड़ा | मै. मास्टर सर्विस स्टेशन छबड़ा HPC | | 9829314137 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | मैं गूगोर फिंलिंग स्टेशन छबडाIOC | | |
| 3 | | मै. राजस्थली पेट्रोलियम सेन्टर छबड़ाIOC | | |
| 4 | | मै. वासु फिलिंग स्टेशन गूगोर रोड़ छबड़ाBPC | | |
| 5 | | मै. प्रकाश फिलिंग स्टेशन धरनावदा रोड़ छबड़ाHPC | | |
| 6 | | मै. रिलाईन्स पैट्रो. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड | | |
| 7 | | मै. विचक्सन फिलिंग स्टेशन बापचाHPC | | |
| 8 | | मै. सरदारजी एण्ड संस छबड़ाBPC | | |
| 9 | | मै. साक्षी फिलिंग स्टेशन भूलोन | | |
| 10 | | मैसर्स श्री श्याम फिलिंग स्टेशन नीमथूर IOC | | |
| 1 | छीपाबड़ौद | मैं स्वराज सर्विस स्टेशन, हरनावदा शाहजीIOC | | 9928011721 |
| 2 | | गुरूकृपा फिंलिग स्टेशन छीपाबडौदIOC | | 99280257619928025762 |
| 3 | | मैं नमन फिंलिग स्टेशन छीपाबडौदHPC | | |
| 4 | | मै. गोविन्द फिलिंग स्टेशन छीपाबडौदIOC | | |
| 5 | | मै. सांवरिया फिलिंग स्टेशन HPC | | 9928025751 |
| 6 | | मैसर्स गोयल फ्यूल पाईंट दीगोद खालसाBPC | | |
| 1 | किशनगंज | मैं. राम गोपाल राधा किशन यूनिट 2 नाहरगढ़IOC | | |
| 2 | | मै. स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी फिलिंग स्टेशन, भंवरगढ़BPC | | |
| 3 | | मै.कपिल फिलिंग स्टेशन किशनगंजHPC | | |
| 4 | | मैसर्स आर्शीवाद फिलिंग स्टेशन नाहरगढ़BPC | | |
| 5 | | मै. सिद्वि विनायक फिलिंग स्टेशन रामगढ़ IOC | | |
| 6 | | मैं. भारत फिलिंग स्टेशनBPC | | |
| 7 | | मै. श्री गणेश फिंलिंग स्टेशन छीनोदIOC | | |
| 8 | | मेसर्स अर्थव फिलिंगस्टेशन जलवाड़ा BPC | | |
| 9 | | मैसर्स श्रीराम फिलिंग स्टेशन नाहरगढ़IOC | | 9462901831<br>9001936701 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | मै. रिद्विमा फिलिंग स्टेशन नाहरगढ़ HPC | | |
| 1 | शाहबाद | मै. बालाजी फिलिंग स्टेशन गदरेटा(समरानियां) HPC | | 9983846399<br>9571960936 |
| 2 | | मै. सीताबाड़ी सर्विस स्टेशन केलवाडाHPC | 07460.<br>260290 | |
| 3 | | जय अम्बे इन्टर प्राइजेज, ग्राम गदरेटा BPC | | 9571960936<br>8239747724 |
| 4 | | मैं ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस पेट्रोल डीजल पम्प देवरीBPC | | |
| 5 | | मै. दी बारन कॉआपरेटिव सोसायिटी लिमि. बारां ब्रान्च केलवाड़ा IOC | | |
| 6 | | मैसर्स बाबा फिलिंग स्टेशन देवरी HPC | | 9983400307 |
| 7 | | मैसर्स रेवजा फिलिंग स्टेशन सनवाड़ा IOC | | |
| 8 | | मैसर्स परमप्रेम फिलिंग स्टेशन केलवाड़ाBPC | | |
| 9 | | मैसर्स कमला फिलिंग स्टेशन देवरीIOC | | 9602414899 |
| 10 | | मैसर्स किसान हाईवे सर्विस स्टेशन खुशियारा IOC | | |
| 11 | | मैसर्स जानकी फिलिंग स्टेशन देवरीIOC | | |

# परिशिष्ट– 8 गैस एजेन्सी व गोदामों की सूची

| क्र. सं. | तहसील | एजेन्सी का नाम व पता | दूरभाष नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | बारां | मैं बारां गैस सर्विस | 9414257144 |
| 2 | बारां | कोयला इण्डेन ग्रामीण वितरक, कोयला | 8560060514 |
| 3 | बारां | मैसर्स पोरवाल इण्डेन बारां | 9414330401 |
| 4 | बारां | मैसर्स राज एच.पी. गैस एजेन्सी बारां | 9414172000 |
| 5 | बारां | मैसर्स लक्ष्य एच.पी. गैस एजेन्सी बारां | 8058575757 |
| 6 | अन्ता | मैं अन्ता गैस सर्विस | 9414190681 |
| 7 | अन्ता | लक्ष्मी गैस ऐजेन्सी बड़गांव | 9928889094 |
| 8 | मांगरोल | मैं धाकड़ एच.पी.गैस सेंटर | 9413354500 |
| 9 | अटरू | शिवम् एच.पी.गैस सर्विस कवाई | 9829878882 |
| 10 | अटरू | हिल व्यू एच.पी. गैस ऐजेन्सी अन्ताना | 9929092999 |
| 11 | छबड़ा | मैं निधि एच.पी.गैस सेंटर | 9414191176 |
| 12 | छीपाबड़ौद | मैं प्रिंस एच.पी.गैस सेंटर | 9414358407 |
| 13 | छीपाबड़ौद | सारथल इण्डेन ग्रामीण वितरक, सारथल | 9784169888<br>9950250982 |
| 14 | किशनगंज | जे.एस गैस ऐजेन्सी, किशनगंज | 9950929992 |
| 15 | किशनगंज | भंवरगढ़ इण्डेन ग्रामीण वितरक, भंवरगढ़ | 9928517451 |
| 16 | किशनगंज | नाहरगढ़ इण्डेन ग्रामीण वितरक, नाहरगढ़ | 9929998682 |
| 17 | शाहबाद | देवरी इण्डेन ग्रामीण वितरक, देवरी | 9982492206 |
| 18 | शाहबाद | समरानियां इण्डेन ग्रामीण वितरक, समरानियां | 9549497777 |

# परिशिष्ट– 9 गैस वेल्डर एवं कटर्स

| क्र.सं. | सम्पर्क व्यक्ति का नाम | पता | फोन नं. |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री किशनचंद पांचाल | अंबेडकर सर्किल, शाहबादरोड़ | |
| 2. | श्री नूर मोह. पुत्र सुलेमान | तालाब पाडा, बारां | 235798 |

# परिशिष्ट– 10 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 132 एवं 33 केवी जीएसएस विवरण

| S.No | Location | Listed Cap. | P&T TELEPHONE NO. OF 33/11 KV S/S |
|---|---|---|---|
| 1 | 765 KV GSS Batawada | 4500 | 9414061391, 9414071349, 9414031079 |
| 2 | 220 KV GSS Baran | 200 | 9413382701, 9413382724 |
| 3 | 220 KV GSS Kawai | 200 | 9414094452, 9413382096 |
| 4 | 132 KV GSS Baran | 103.15 | 9413382711 |
| 5 | 132 KV GSS Anta | 37.5 | 9413393740 |
| 6 | 132 KV GSS Mangrol | 20/25 | 9413393700 |
| 7 | 132 KV GSS Kishanganj | 20/25 | 9413393897 |
| 8 | 132 KV GSS Kelwara | 70 | 9413393745 |
| 9 | 132 KV GSS Atru | 40 | 9414094458 |
| 10 | 132 KV GSS Kawai | 50 | 9413382705 |
| 11 | 132 KV GSS Chhipabarod | 50 | 9413382099 |
| 12 | 132 KV GSS Chhabra | 25 | 9413399737 |
| 13 | 132 KV GSS Mamoni | 20/25 | Not available (New Construction) |
| 14 | 33/11 KV GSS Niyana | 11.3 | 9413391141 |
| 15 | 33/11 KV GSS Babpji Nagar | 13.15 | 9414033292 |
| 16 | 33/11 KV GSS'Charmurti Baran | 5 | 9414026785, 9413348017 |
| 17 | 33/11 KV GSS Hospital Baran | 6.3 | 9413391141 |
| 18 | 33/11 KV GSS Bamala | 8.15 | 9414029087 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | 33/11 KV GSS Ratawad | 5 | 9414029087 |
| 20 | 33/11 KV GSS Mandola | 8.15 | 9413391025 |
| 21 | 33/11 KV GSS Samspur | 6.30 | 9414029083 |
| 22 | 33/11 KV GSS Vijaypur | 5 | 9414029083 |
| 23 | 33/11 KV GSS Koyala | 5 | 9414029083 |
| 24 | 33/11 KV GSS Bamuliya | 3.15 | 9414046329 |
| 25 | 33/11 KV GSS Dholakunwa | 3.15 | 9414029087 |
| 26 | 33/11 KV GSS Majhrawata | 3.15 | 9413391025 |
| 27 | 33/11 KV GSS Patheda | 3.15 | 9413391025 |
| 28 | 33/11 KV GSS Shyampura | 3.15 | 9414046329 |
| 29 | 33/11 KV GSS Kalmanda | 3.15 | 9414029087 |
| 30 | 33/11 KV GSS Anta | 11.3 | 9413391142 |
| 31 | 33/11 KV GSS Badwa | 6.3 | 9414029268 |
| 32 | 33/11 KV GSS Jaynagar | 3.15 | 9413391026 |
| 33 | 33/11 KV GSS Bundi | 6.3 | 9413391026 |
| 34 | 33/11 KV GSS Khajurana Kalan | 3.15 | 9413391026 |
| 35 | 33/11 KV GSS Hapahedi | 3.15 | 9413391026 |
| 36 | 33/11 KV GSS Pachal Kala | 3.15 | 9414029268 |
| 37 | 33/11 KV GSS Balakheda | 3.15 | 9414029268 |
| 38 | 33/11 KV GSS Palaytha | 3.15 | 9413391142 |
| 39 | 33/11 KV GSS Badgaon | 3.15 | 9414029268 |
| 40 | 33/11 KV GSS Dabarikakaji | 3.15 | 9413391026 |
| 41 | 33/11 KV GSS Sorsan | 3.15 | 9414029268 |
| 42 | 33/11 KV GSS Mangrol | 6.30 | 9413391029 |
| 43 | 33/11 KV GSS Bohat | 3.15 | 9414029092 |
| 44 | 33/11 KV GSS Mundla | 3.15 | 9414029092 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | 33/11 KV GSS Ishverpura | 3.15 | 9414029092 |
| 46 | 33/11 KV GSS Bamori Kalan | 3.15 | 9414029092 |
| 47 | 33/11 KV GSS Siswali | 6.3 | 9414033157 |
| 48 | 33/11 KV GSS Raithal | 3.15 | 9414033157 |
| 49 | 33/11 KV GSS Shahpura | 3.15 | 9414033157 |
| 50 | 33/11 KV GSS Kishanganj | 8.15 | 9414041969 |
| 51 | 33/11 KV GSS Bhawargarh | 6.3 | 9413391028 |
| 52 | 33/11 KV GSS Jalwada | 6.3 | 9414041969 |
| 53 | 33/11 KV GSS Relawan | 3.15 | 9414019215 |
| 54 | 33/11 KV GSS Ramgarh | 6.3 | 9414019215 |
| 55 | 33/11 KV GSS BajrangGarh | 3.15 | 9414041969 |
| 56 | 33/11 KV GSS Nahargarh | 6.3 | 9414041972 |
| 57 | 33/11 KV GSS Pachlawara | 6.3 | 9414041972 |
| 58 | 33/11 KV GSS Khandla | 5 | 9413391028 |
| 59 | 33/11 KV GSS Sadafal | 3.15 | 9414041969 |
| 60 | 33/11 KV GSS Gordhanpura | 3.15 | 9413391028 |
| 61 | 33/11 KV GSS Paraniya | 3.15 | 9413391028 |
| 62 | 33/11 KV GSS Brijnagar | 3.15 | 9414019215 |
| 63 | 33/11 KV GSS Kelwara | 10 | 9413391031 |
| 64 | 33/11 KV GSS Khandasahrol | 6.3 | 9413391143 |
| 65 | 33/11 KV GSS Semalifatak | 8.15 | 9413391143 |
| 66 | 33/11 KV GSS Shahbad | 6.3 | 9413391143 |
| 67 | 33/11 KV GSS Devari | 3.15 | 9414045491 |
| 68 | 33/11 KV GSS Rataikhurd | 6.3 | 9413391143 |
| 69 | 33/11 KV GSS Samraniya | 11.15 | 9413391143 |
| 70 | 33/11 KV GSS Sirsod khurd | 3.15 | 9413391031 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71 | 33/11 KV GSS Ajornada | 5 | 9413391031 |
| 72 | 33/11 KV GSS Kasbathana | 3.15 | 9414045491 |
| 73 | 33/11 KV GSS Pipalkhedi | 5 | 9413391031 |
| 74 | 33/11 KV GSS Atru | 11.3 | 9413391269 |
| 75 | 33/11 KV GSS Mermatalab | 3.15 | 9414029096 |
| 76 | 33/11 KV GSS Ardan | 10 | 9414015361 |
| 77 | 33/11 KV GSS Sahrod | 5 | 9414015361 |
| 78 | 33/11 KV GSS Maytha | 8.15 | 9414015361 |
| 79 | 33/11 KV GSS Sakatpur | 3.15 | 9414029096 |
| 80 | 33/11 KV GSS Barla | 6.3 | 9414029096 |
| 81 | 33/11 KV GSS Antana | 6.3 | 9560885019 |
| 82 | 33/11 KV GSS Badora | 6.3 | 9413391032 |
| 83 | 33/11 KV GSS Kawai | 8.15 | 9413391144 |
| 84 | 33/11 KV GSS Mothpur | 8.15 | 9413391032 |
| 85 | 33/11 KV GSS Kawarpura | 3.15 | 9413391144 |
| 86 | 33/11 KV GSS Chhabra | 13.15 | 9413391035 |
| 87 | 33/11 KV GSS Faliya | 3.15 | 7725955608 |
| 88 | 33/11 KV GSS kadiyachor | 3.15 | 7725955608 |
| 89 | 33/11 KV GSS Sevankhedi | 5 | 7725955608 |
| 90 | 33/11 KV GSS kadiyanohar | 6.3 | 9413391035 |
| 91 | 33/11 KV GSS Pali | 3.15 | 7725955608 |
| 92 | 33/11 KV GSS Mundla | 5 | 9413391035 |
| 93 | 33/11 KV GSS Kotri | 6.3 | 9413391035 |
| 94 | 33/11 KV GSS Gehukhedi | 3.15 | 9413391035 |
| 95 | 33/11 KV GSS Kelkheri | 3.15 | 9413391035 |
| 96 | 33/11 KV GSS Chhipabarod | 10 | 9413391034 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 97 | 33/11 KV GSS Gordhanpura | 6.3 | 9413391033 |
| 98 | 33/11 KV GSS Bambori ghata | 6.3 | 9413391034 |
| 99 | 33/11 KV GSS Mokhampura | 3.15 | 9413391033 |
| 100 | 33/11 KV GSS Aznawar | 3.15 | 9413391033 |
| 101 | 33/11 KV GSS Gulkhedi | 6.3 | 9413391033 |
| 102 | 33/11 KV GSS Dholam | 3.15 | 9413391033 |
| 103 | 33/11 KV GSS H.shahji | 3.15 | 9414029110 |
| 104 | 33/11 KV GSS Jhanjhani | 3.15 | 9414029110 |
| 105 | 33/11 KV GSS Sarthal | 8.15 | 9413390189 |
| 106 | 33/11 KV GSS Bilendi | 3.15 | 9413390189 |
| 107 | 33/11 KV GSS Guradi | 3.15 | 9414029110 |

# परिशिष्ट– 11 टैन्ट हाउसों की सूची

| क्र.सं. | नाम टैन्ट हाउस व पता | दूरभाष नं. | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यालय | निवास |
| 1 | गालव टैन्ट हाउस, प्रताप चौक, बारां | 231358 | |
| 2 | गणेश टैन्ट हाउस, बारां | 231396 | |
| 3 | विशाल टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड़ बारां | 234613 | 232264 |
| 4 | राठौड़ टैन्ट हाउस, तेल फैक्ट्री, बारां | 232590 | |
| 5 | विष्णु टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड़ बारां | | 231309 |
| 6 | ज्योति टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड़ बारां | 232055 | |
| 7 | पायल टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड़, बारां | 234290 | 232236 |
| 8 | प्रिया टैन्ट हाउस, तेलफैक्ट्री, बारां | 233083 | |
| 9 | कपिल टैन्ट हाउस, तेलफैक्ट्री, बारां | 233188 | |
| 10 | सिंघल टैन्ट हाउस, तेलफैक्ट्री, बारां | 234345 | |
| 11 | नागर टैन्ट हाउस, तेलफैक्ट्री, बारां | 234969 | |
| 12 | विजय टैन्ट हाउस, तेलफैक्ट्री, बारां | 230670 | 235870 |
| 13 | नागर टैन्ट हाउस शाहाबाद रोड़, बारां | | 234228 |
| 14 | श्रीराम टैन्ट हाउस प्रताप चौक, बारां | 232120 | |
| 15 | क्रिसेन्ट टैन्ट हाउस, प्रताप चौक, बारां | | 232816 |
| 16 | श्रीकृष्ण टैन्ट हाउस, मांगरोल रोड़, बारां | | 232611 |
| 17 | बारां बर्तन हाउस बारह भाई की मस्जिद के पास, बारां | | 232816 |
| 18 | शैलेष टैन्ट हाउस, मांगरोल रोड, बारां | 234706 | 232611 |
| 19 | नरेन्द्र टैन्ट हाउस, मांगरोल रोड बारां | 233167 | |
| 20 | प्रजापति टैन्ट हाउस, मांगरोल रोड बारां | | 234101 |
| 21 | दीप्ति टैन्ट हाउस, गाडी अड्डा, बारां | | 233160 |
| 22 | अग्रसेन टैन्ट हाउस गाडी अड्डा बारां | | 231522 |
| 23 | पाटोदी टैन्ट हाउस, अस्पताल रोड बारां | 232817 | 234981 |
| 24 | सूर्या टैन्ट हाउस, सूरजभान पेट्रोल पम्प के पास बारां | 232679 | 232681 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | श्री टैन्ट हाउस गुरूद्वारा कोटा रोड, बारां | 232455 | |
| | अन्ता | | |
| 1 | रहमान टैन्ट हाउस | 244537 | |
| 2 | ओम टैन्ट हाउस | | |
| 3 | कृतिका टैन्ट हाउस | | |
| 4 | हाडौती टैन्ट हाउस | | |
| 5 | पारेता टैन्ट हाउस | | |
| 6 | जय अम्बे टैन्ट हाउस | | |
| 7 | सागर | | |
| 8 | टैन्ट हाउस | | |
| 9 | मालव टैन्ट हाउस | | |
| 10 | राधे टैन्ट हाउस | | |
| | मांगरोल | | |
| 1 | जगदीश टैन्ट हाउस | | |
| 2 | नन्दलाल मील टैन्ट हाउस | | |
| 3 | शिव टैन्ट हाउस | | |
| 4 | रतन टैन्ट हाउस | | |
| 5 | फारूख टैन्ट हाउस | | |
| 6 | सूरज टैन्ट हाउस | | |
| 7 | रामकिशन सुमन टैन्ट हाउस, बोहत | | |
| 8 | ओम सुमन टैन्ट हाउस, बोहत | | |
| | छबड़ा | | |
| 1 | श्रीराम टैन्ट हाउस | | |
| 2 | मालव टैन्ट हाउस | | |
| 3 | बोम्बे टैन्ट हाउस | | |
| 4 | मन्सूरी टैन्ट हाउस | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| छीपाबडौद | | | |
| 1 | मंसूरी टैन्ट हाउस | | |
| 2 | काकानी टैन्ट हाउस | | |
| 3 | पंजाब टैन्ट हाउस | | |
| 4 | सक्का टैन्ट हाउस | | |
| 5 | गोविन्द टैन्ट हाउस | | |
| 6 | अमन टैन्ट हाउस | | |
| 7 | चौऋसिया टैन्ट हाउस | | |
| **अटरू** | | | |
| 1 | संजय टैन्ट हाउस | 220350 | |
| 2 | सन्तोष टैन्ट हाउस | | |
| 3 | नागर टैन्ट हाउस | | |
| 4 | मनोरमा टैन्ट हाउस | | |
| 5 | गौतम टैन्ट हाउस | | |
| 6 | रवि टैन्ट हाउस | | |
| 7 | प्रकाश टैन्ट हाउस | | |
| 8 | चौऋसिया टैन्ट हाउस | | |
| 9 | श्याम टैन्ट हाउस | | |
| **किशनगंज** | | | |
| 1 | चौरसिया टैन्ट हाउस | | |
| 2 | नागर टैन्ट हाउस | | |
| 3 | खींची टैन्ट हाउस | | |
| 4 | रवि टैन्ट हाउस | | |
| 5 | गोयल टैन्ट हाउस | | |
| 6 | गोपाल टैन्ट हाउस | | |
| 7 | खींची टैन्ट हाउस | | |
| 8 | राठौड टैन्ट हाउस | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | नागर टैन्ट हाउस | | |
| **शाहाबाद** | | | |
| 1 | हाशमी टैन्ट हाउस | | |
| 2 | त्यागी टैन्ट हाउस | | |
| 3 | शर्मा टैन्ट हाउस | | |
| 4 | बंसल टैन्ट हाउस | | |
| 5 | गोयल टैन्ट हाउस | | |
| 6 | भाटिया टैन्ट हाउस | | |
| 7 | गर्ग टैन्ट हाउस | | |

# परिशिष्ट– 12 स्वयं सेवी संस्थायें एवं गण मान्य नागरिकों की सूची

| संस्था का नाम | नाम अध्यक्ष / सचिव | दूरभाष(का0) | दूरभाष (नि0) | मोबाइल |
|---|---|---|---|---|
| रोटरी क्लब, बारां | अ. श्री भंवरलाल<br>स. श्री विकास जैन | 230836 | 230982<br>234410 | 9414186536<br>9414257099 |
| लायंस क्लब, बारां | अ.श्री अशोक सेठी<br>स.श्री हेमराज गोयल | | 230154 | 9414191154<br>9414190948 |
| लायंस क्लब साउथ | अ.श्री कुंज बिहारी नागर<br>स. श्री बंशीधर अग्रवाल | 230948<br>230678 | 231048<br>231523 | 9414190948<br>9414190578 |
| महावीर इन्टरनेशल | श्री कैलाश जैन | 233038 | 232438 | 9414191158 |
| बारॉ जिला विकास मंच | अ. श्री कुश मिश्रा<br>स. श्री अविनाश गुप्ता | 230409 / 230309<br>231771 | 230509<br>230840 | 9414190840 |
| आसेफा प्रोजेक्ट | श्री प्रकाश चौधरी | 230449, 230022 | 230111, 232484 | |
| संस्था धर्मादा, बारां | श्री | | | |
| भारत विकास परिषद | श्री विष्णु सिंघल | | | 9351595009 |
| मानव सेवा समिति, बारां | श्री यशवन्त मराठा | 231047 | 232928 | |
| व्यापार संघ 'क'वर्ग | श्री श्याम लश्करी | 231158 | 231558 | 9414257066 |
| व्यापार संघ (पक्का आडतिया) | श्री डी.एन. बंसल | | 230300 | 9414191034 |
| अध्यक्ष राष्ट्रीय चेतना संस्था | अ.श्री आर.सी.सूद<br>स.श्री दिनेश यादव | 235469 | | 9414440247 |
| संकल्प संस्था मामोनी | श्री मोती लाल | 07460–261201 | 261262 | 9829519571<br>9413351225 |
| सीकोईडीकोन | श्री रविन्द्र सिंह | 07460–262379 | | 9413651442 |
| सेवा भारती | श्री कमलेश गोयल | 230675 | 230675 | 9414190440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ओस संस्था | श्री संदीप<br>श्री अनिल जैन | | 235913 | 9414190440<br>9414330202 |
| स्वच्छ परियोजना केलवाडा | श्री घनेन्द्र आवरा | | 0744–244 0118 | 9414460600 |
| स्वच्छ परियोजना शाहबाद | श्री बी.एस. परमार | 07460 262531 | | 9414226350 |
| अध्यक्ष व्यापार महासंघ | श्री डी.एन विजय | | 230581 | 9414190851 |
| संगठक आदिम जाति सेवक संघ शाहबाद | श्री बदन सिंह | 07460 262336 | 262371 | |
| अध्यक्ष धर्मादा संस्था बारॉ | श्री राधेश्याम गर्ग | | | 9414257083 |
| | श्री राजेन्द्र पोरवाल कन्वीनर | | | 9414190446 |
| जिला समन्वयक जन कला साहित्य मंच बारॉ | श्री श्याम बिहारी नामदेव | | 234778 | |
| अक्षयपात्र फाउण्डेशन | श्री राजीव लोचन | | | |
| बारॉ जिला विकास समिति/रेडक्रॉस सोसाइटी | श्री राधेश्याम अग्रवाल | 231172 | 230287 | |
| गायत्री प्रज्ञापीठ (सब्जीमण्डी) बारॉ | | 230475, 231589 | ज्योतिपूंज 234883 | |
| परियोजना अधिकारी बायफ (UNDP)किशनगंज | श्री एच.बी.पांचाल | 253389 | | 9414359234<br>9214200409 |
| | श्री पी0जी0 सोलंकी | | | 9414569453 |
| कर्मण्य संस्था | श्री अरूणपोरवाल | | | 9414257154 |
| भारती शिक्षण मण्डल | श्रीराधेश्यामशास्त्री | | 232455 | |
| सांई बाबा लोक कला संस्थान | श्री धर्मेन्द्र निर्विकार | | | 9414187799 |
| अध्यक्ष मातृ शक्ति संध्या दीप संस्थान बारॉ | डॉ0 सावित्री शर्मा | | 230821 | |
| तांत्याटोपे शैक्षणिक | श्री कमल शर्मा | 254562 | 254552 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| समिति भंवरगढ | | | | |
| ग्रामीण विकास ट्रस्ट बारॉ | श्री राजावत | | | 9414539379 |
| अध्यक्ष रोटरी क्लब ग्रेटर बारॉ | अ.श्री मनोज गर्ग<br>स. श्री अतुल टोंग्या | | 230135 | 9414190888<br>9414191235 |
| डिस्ट्रिक लेवल कॉर्डिनेटर अरावली बारॉ | श्री छत्रपाल सिंह राठौर | | | 9414543117 |
| यूनाइटेड नेशन वालेण्टियर, बारॉ | रंजना | | | 9414008513<br>9826278012 |
| अध्यक्ष खाद्य पदार्थ एंव खुदरा किराना व्यापार संघ | महेन्द्र गोयल | 230132 | 232395 | 9414209831 |
| इनरव्हील क्लब बारॉ | श्रीमती ललिता टोंग्या | | | 9214200455 |
| कार्डिनेटर स्पीक मेके बारॉ | श्री हरिमोहन बंसल | 230891 | | 9414186661 |
| भारतीय शिक्षा शोध एवं निर्देशन संस्थानकिशनगंज | श्री सुखपाल | | | 9414852962 |
| काउन्सिल फोर सोशियलडवलेपमेन्ट किशनगंज | | | | 9414662856 |
| निदेशक रूडसेट | श्री पी.एस.गोखरू | 231721 | | 9413019787 |

# परिशिष्ट– 13 दानदाता की सूची

प्राकृतिक आपदा एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में पिडित व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध करने भोजन पानी टेन्ट इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु निम्नाकित दानदाताओं का सहयोग लिया जा सकता है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र.सं. | दानदाता का नाम | ग्राम का नाम | दूरभाष नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री पीयूष विजय | मांगरोल | 9414184233 |
| 2 | श्री रमजान सैठ | मांगरोल | 9829945941 |
| 3 | श्री प्रेम शंकर गालव | मांगरोल | 9460682115 |
| 4 | श्री शिशुपाल मीणा | मउ | 9929712680 |
| 5 | श्री हेमराज खण्डेलवाल | मांगरोल | 9772440581 |
| 6 | श्री रामगोपाल बैरवा | माल बम्बोरी | 8058156619 |
| 7 | श्री नरेश जैन | सीसवाली | 9413007109 |
| 8 | श्री सत्यनारायण चौधरी | ईश्वरपुरा | 9414191266 |
| 9 | श्री हनीफ सैठ | मांगरोल | 9414191290 |
| 10 | श्री रामशंकर वैष्णव | सीसवाली | 9414488154 |

# परिशिष्ट– 14 हलवाईयों की सूची

| क्र.सं. | नाम व पता | फोन नं. | |
|---|---|---|---|
| 1 | फूलचंद जी हलवाई तेलफेक्ट्री झालावाड़ रोड़ बरां | | 231332 |
| 2 | रामेश्वर मंगल हलवाई, सर्राफा बाजार बारां | | 231793 |
| 3 | ठठेरा मिष्ठान भंडार चौमुखा बाजार बारां | 231093 | 232954 |
| 4 | रामप्रसाद हीरालाल हलवाई संस्था धर्मादा चौराहा बारां | | |
| 5 | मूलचंद जी हलवाई संस्था धर्मादा चौराहा बारां | 234418 | |
| 6 | झालवाडी नमकीन भंडार कंकाली कुई के सामने पीलीकोटी बांरा | 231186 | |
| 7 | झालावाडी सेव भंडार संस्था धर्मादा चौराहा बारां | 231697 | 232696 |
| 8 | कमल जैन श्रीजी चौक बारां (केटर्स) | 230838 | |
| 9 | मारवाडी स्वीटस प्रताप चौक बारां प्रो. प्रमोदकुमार पुत्र पीरूलाल हलवाई | | |
| 10 | बरखा स्वीट्स भंडार प्रताप चौक बारां | | |
| 11 | जोधपुर मिष्ठान भंडार प्रताप चौक बारां | 235574 | |
| 12 | जोधपुर मिष्ठान भंडार अस्पताल रोड बारां | 234878 | |

# परिशिष्ट–15 नेहरू युवा केन्द्र सक्रिय युवा मण्डल की सूची–बारां

| क.स. | अध्यक्ष / सचिव | मोबाइल |
|---|---|---|
| 1 | अध्यक्ष श्री जयप्रकाश पुत्र श्री मोहन लाल<br>सचिव श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश ग्राम छेलाबेल पों. अर्डान्द तह.अटरू | 9660704493 |
| 2 | अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मीणा<br>सचिव श्री जयपाल मीणा ग्राम जिराद पों सहरोदतह.अटरू | 9772175806 |
| 3 | अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार नागर<br>सचिव श्री महेन्द्र गुर्जर ग्राम कटावर तह.अटरू | 9784926972 |
| 4 | अध्यक्ष श्री बद्रीलाल घाकड<br>ग्राम व पोस्ट बिछालस तह.अटरू | 9829532577 |
| 5 | अध्यक्ष श्री जयसिंह राजावत<br>सचिव श्री अन्तिम वर्मा ग्राम गायत्री नगर अटरू | 9251838482 |
| 6 | अध्यक्ष श्री मांगीलाल<br>सचिव श्री शिवराज नागर ग्राम आमापुरा बारां | 9950920018 |
| 7 | अध्यक्ष श्री हुकुम सिह<br>सचिव श्री अनिता नागर ग्राम दिलोद पों0 तुलसा तह.बारां | 9829209458 |
| 8 | अध्यक्ष श्रीज्ञान चन्द<br>सचिव श्री शोभा कुमारी ग्राम पों0 बराना तह बारां | 9928533938 |
| 9 | अध्यक्ष श्रीकमलेश मेहता<br>सचिव श्री शिवानन्द ग्राम नियाना पों0माथना तहबारा | 9982512392<br>9929303328 |
| 10 | अध्यक्ष श्रीविनोद शर्मा<br>सचिव श्री हरिमोहन ग्राम पों0 बटावदा तह बारा | 9950420104 |
| 11 | अध्यक्ष श्री राधेश्याम<br>सचिव श्री जगदीश मीणा ग्राम पिपल्दा पों0 मेलखेडी तहबारा | 07453–290634 |
| 12 | अध्यक्ष श्री हरिओम<br>सचिव श्री बृजश मीणा ग्राम पों0 तह बारां | 9929418034 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | अध्यक्ष श्रीराजेन्द्र प्रसाद<br>सचिव श्री निहाल सिंह<br>ग्राम पों0 तह शाहबाद | 9610640930 |
| 14 | अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार<br>सचिव श्री कालीचरण ग्राम पों0ढिकवानी तहशाह0 | 9983117748 |
| 15 | अध्यक्ष श्रीरामकुमार<br>सचिव श्री बृजमोहन मेहता ग्राम पों0समरानिया तहशाह0 | 9828244990 |
| 16 | अध्यक्ष श्रीफुलचन्द किराड<br>सचिव श्री राजेन्द्र ग्राम पों0 सिरसोद तह शाह0 | 99282499001 |
| 17 | अध्यक्ष श्री दिलीप भार्गव<br>सचिव श्री मंगलेश ग्राम पों0 तह केलवाडा | 9929937084 |
| 18 | अध्यक्ष श्री मनोहर भार्गव<br>सचिव श्री करोड़ीमल ग्राम पों0 समरानिया तह शाह0 | 9783120031 |
| 19 | अध्यक्ष श्री भगवान सिंह<br>सचिव श्री धनश्याम ग्राम मामोनी पों0 तह शाहबाद | 9983750997 |
| 20 | अध्यक्ष श्री मनोजकांत<br>सचिव श्री बदरूीन ग्राम पों0 तहकस्बाथानाशाह0 | 9983112523 |
| 21 | अध्यक्ष श्रीअरूणकुमार<br>सचिव श्री राकेश ग्राम पों0 कस्बाथाना तहशाह0 | 9410621510 |
| 22 | अध्यक्ष श्रीखेमराज<br>सचिव श्री रतनसहरिया ग्राम शाहपुरा पों0 मुडियर तहशाह0 | 9783097941 |
| 23 | अध्यक्ष श्रीप्रमोद कुमार<br>सचिव श्री गिरिराज ग्राम पों0 मुण्डियर तहशाह0 | 9783149724 |
| 24 | अध्यक्ष श्री सत्यनारायण<br>सचिव श्रीमेघराज ग्राम अमरोद पों0 कस्बाथाना तह | 9982420424 |
| 25 | अध्यक्ष श्रीराजेन्द्रमेहता<br>सचिव श्री कंचनलाल ग्राम कोलोनी पों0 मुण्डियर तहशाह0 | 9783009793 |

| | | |
|---|---|---|
| 26 | अध्यक्ष श्री प्रेमनारायण<br>सचिव श्रीराधेश्याम मीणा ग्राम उमरथाना पों0 तहछबडा | 9783517770 |
| 27 | अध्यक्ष श्री रामकरण मीणा<br>सचिव श्री रामस्वरूप ग्राम कमलपुरा पों0भुलोन तहछबडा | 9784900977 |
| 28 | अध्यक्ष श्री रामकल्याण<br>सचिव श्री भीमराज ग्राम बिदाराडा पों0 तहछबडा | 9950807097 |
| 29 | अध्यक्ष श्री बालमुकुन्द बैरवा<br>सचिव श्री रामरतन ग्राम पों0 पंचपाडा तहछबडा | 9950801097 |
| 30 | अध्यक्ष श्री रामेश्वर<br>सचिव श्री शिवचरणग्राम बीलखेडा पों0 तहछबडा | 9001699401 |
| 31 | अध्यक्ष श्री विरेन्द्रनागर<br>सचिव श्री रजनीश ग्राम दिलोद पों0 तह | 8094117474 |
| 32 | अध्यक्ष श्रीलेखराज<br>सचिव श्री हंसराज ग्राम खेडा पों0 तहछबडा | 998497450 |
| 33 | अध्यक्ष श्री महेन्द्र सेन<br>सचिव श्री चेतन ग्राम खोपर पों0 तहछबडा | 9784269229 |
| 34 | अध्यक्ष श्री रामबाबू<br>सचिव श्री भंवरलाल ग्राम भीलवाडा पों0 तहछबडा | 9929223147 |
| 35 | अध्यक्ष श्रीसतीश शर्मा<br>सचिव श्री बृजमोहन ग्राम भूलोन पों0 तह | 9799254486 |
| 36 | अध्यक्ष श्रीरामदयाल<br>सचिव श्रीदोलत नागर ग्राम मूण्डला पों0 तहछबडा | 9799532264 |
| 37 | अध्यक्ष श्रीबद्रीनारायण<br>सचिव श्री जगदीश ग्राम बहारी पों0 तह.छबडा | 9950431284 |
| 38 | अध्यक्ष श्रीरमेशचन्द<br>सचिव श्री महेशशर्मा ग्राम भोरा पों0खोपर तह.छबडा | 9829597802 |
| 39 | अध्यक्ष श्रीसतीश शर्मा | 9929368051 |

| | | |
|---|---|---|
| | सचिव श्री प्रदीप शर्मा ग्राम आंचोली पों0 तहछबडा | |
| 40 | अध्यक्ष श्रीअवधेश मीणा<br>सचिव श्री हरिओम ग्राम गोविन्दपुरा पों0 तह.अन्ता | 9252791147 |
| 41 | अध्यक्ष श्रीराधेश्याममीणा<br>सचिव श्री मुकुटबिहारी ग्राम छत्रपुरा पों0 तह.अन्ता | 9001485529 |
| 42 | अध्यक्ष श्री महेश पोटर<br>सचिव श्री चन्द्रप्रकाश ग्राम बिजोरा पों0 तहं अन्ता | 9571126050 |
| 43 | अध्यक्ष श्रीमति हेमकंवर<br>सचिव श्री शम्भूदयाल ग्राम पों0 सीसवाली तह0 अन्ता जिला बारां | 9928138482 |
| 44 | अध्यक्ष श्री पुष्पचन्द मीणा<br>सचिव श्री सुरेश ग्राम खजुरना पों0 तह0 अन्ता जिला बारां | 9929224987 |
| 45 | अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार<br>सचिव श्री मुरलीधर ग्राम बुन्दी पों0 तह0 अन्ता जिला बारां | 900131155854 |
| 46 | अध्यक्ष श्रीहुकुमचन्द माली<br>सचिव श्री जूगलकिशोर ग्राम मोतीपुरा पों0 तह0 अन्ता,बारां | 9001564335 |

# परिशिष्ट – 16 रक्तदाताओं की सूची

| क्र. स. | नाम रक्तदाता | ब्लड ग्रुप | दूरभाष नम्बर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजेन्द्र अरोड़ा पुत्र साहिब राम हॉस्पिटल रोड बारां | A+ | 9413116474 |
| 2 | श्री प्रमील राय द्विवेदी पुत्र नन्द किशोर | A+ | 9414286925 |
| 3 | रिन्कू हाडा | A+ | 9928173111 |
| 4 | शेख बहादूर पुत्र मो. बशीर | A+ | 9460235786 |
| 5 | योगेश कटारिया पुत्र सेवनदास | A+ | 9413006900 |
| 6 | बाबूलाल पोटर | A+ | 9799907540 |
| 7 | सूर्य प्रकाश | A+ | 9784285547 |
| 8 | नरेन्द्र | A+ | 9667082260 |
| 9 | गायत्री सोनी पत्नि रोजन्द्र सोनी | A+ | |
| 10 | दिप्ती पुत्री त्रिलोकचन्द | A+ | |
| 11 | चन्दन पुत्र पुरूषोत्तम | A+ | 9672720235 |
| 12 | कमलेश पुत्र धन्नालाल | A+ | 9414252322 |
| 13 | श्याम सिंह पुत्र तेजसिंह | A+ | 9950937010 |
| 14 | अकिल पुत्र मो. हुसैन | A+ | 9461149785 |
| 15 | सुनील पुत्र देवकी नन्दन | A+ | 8104562787 |
| 16 | नरेंद्र पुत्र रामकुमार | A+ | 7783217961 |
| 17 | रहीम पुत्र गुल मो.तालाब पाडा बारां | A+ | 7568133814 |
| 18 | संजय शर्मा पुत्र नेमीचन्द शर्मा नगर पालिका कोलोनी बारां | A+ | |
| 19 | कपिल जैन पुत्र धीरेन्द्र कुमार | A+ | 9413185979 |
| 20 | नविद असफाक रजा | A+ | 9799037744 |
| 21 | प्रेम प्रजापति पुत्र ब्रजमोहन | A+ | |
| 22 | दिलीप पुत्र हरि किशन यादव | A+ | 9660033468 |
| 23 | नवनीत गौत्तम पुत्र सत्यनारायण बारां | A+ | 9413185235 |
| 24 | अशोक नागर पुत्र हजारीलाल हीकड बारां | A+ | 9950208205 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | सुरेश पुत्र मदनलाल | A+ | 8890814380 |
| 26 | श्री मदनलाल बैरवा | B+ | |
| 27 | श्रीमती नीलम माथुर | B+ | 9214366658 |
| 28 | श्रीमती उर्मिला जैन भाया | B+ | 9672211444 |
| 29 | जया पिपलानी पुत्री महेन्द्र पिपलानी | B+ | 9309344473 |
| 30 | कैलाश | B+ | 9784411447 |
| 31 | मनोज पुत्र भैरूलाल तेल फैक्ट्री बारां | B+ | |
| 32 | मनीष पुत्र रमाकान्त | B+ | 9928045356 |
| 33 | युनिस पुत्र सुल्तान | B+ | 9602358529 |
| 34 | मुकेश पुत्र रामकल्याण | B+ | 9214848214 |
| 35 | प्रिया पुत्री सुभाष | B+ | 9982463502 |
| 36 | नन्दकिशोर पुत्र सूरजमल | B+ | 9929277370 |
| 37 | मनोज पुत्र आनन्द | B+ | 9462009899 |
| 38 | महावीर पुत्र चर्तुभुज | B+ | 9928033210 |
| 39 | मुकुट पुत्र रामनारायण | B+ | 9001073135 |
| 40 | दुर्गाशंकर पुत्र नन्दकिशोर | B+ | 9799483412 |
| 41 | प्रमील राज पुत्र नन्दकिशोर | B+ | 9414286925 |
| 42 | रवि पुत्र सुरेश चन्द | B+ | 9667798977 |
| 43 | दिनेश पुत्र गोस्वामी बारां | B+ | 8107269958 |
| 44 | राहुल चर्तुवेदी | B+ | 9982952569 |
| 45 | नदीम  पुत्र अ. सलाम | B+ | 9413500286 |
| 46 | बद्री पुरी गोस्वामी | B+ | |
| 47 | अजय गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता | B+ | 941430085 |
| 48 | मुकेश गुप्ता पुत्र प्रभूदयाल | B+ | 9001448805 |
| 49 | योगेश गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता | B+ | |
| 50 | संजय पुत्र घांसीलाल कृष्णा टाकिज के पास बारां | B+ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 51 | ललीत कुमार पुत्र गोपाल प्रजापति नाहरगंढ़ | B+ | 9950292770 |
| 52 | दिनेश नागर पुत्र चम्पालाल नागर | B+ | 9887666851 |
| 53 | राककेश गर्ग पुत्र रमेश चन्द गर्ग चौमुखा बाजार बारां | B+ | 9414331230 |
| 54 | संजीव सोन पुत्र घासी सोन | B+ | 9602100707 |
| 55 | अशोक पुत्र घासीलाल ममुका किशनगंज | B+ | 9571599932 |
| 56 | जावेद खान पुत्र अ. सइदखान | B+ | 8955707969 |
| 57 | रोहित वैष्णव पुत्र घनश्याम वैष्णव रायथल मांगरोल | B+ | 9680029142 |
| 58 | श्री पदम पिपलानी | O+ | 9460940309 |
| 59 | श्री रामकल्याण बैरवा | O+ | |
| 60 | श्री बृजेश माथूर | O+ | 9214366658 |
| 61 | फरीद भाई | O+ | |
| 62 | नरेश गोयल पुत्र मोहनलाल | O+ | 9414190940 |
| 63 | लक्ष्मण पुत्र लक्ष्मीचन्द | O+ | 9667843897 |
| 64 | गोरव पुत्र रमेश मंगल | O+ | 9828044769 |
| 65 | प्रमोद पुत्र रामबाबू | O+ | 9667668582 |
| 66 | अमीत पुत्र रामरतन | O+ | 9950861529 |
| 67 | कुशाल पुत्र रामनारायण सहरोद अटरू | O+ | 9587391115 |
| 68 | रिन्कू पुत्र मजीद | O+ | 9667955528 |
| 69 | इरशाद पुत्र इरफान | O+ | 8100371987 |
| 70 | दुश्यन्त नामदेव पुत्र अशोक नामदेव | O+ | 9929584123 |
| 71 | निलेश अग्रवाल | O+ | 9414331588 |
| 72 | हितेश बत्रा पुत्र अशोक बत्रा | O+ | 9414252505 |
| 73 | योगेश कुमार पुत्र गोरधनदास कुमार | O+ | 9828044523 |
| 74 | शकिर पुत्र मो. इदरिश | O+ | |
| 75 | बन्टी पुत्र मोतीलाल | O+ | 9413006900 |
| 76 | अनिल कुमार शर्मा | O+ | 9414331164 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | आदित्य अग्रवाल | O+ | 9699587762 |
| 78 | गोविन्द | O+ | 9929046314 |
| 79 | दीपक शर्मा | O+ | 9414309239 |
| 80 | मनीष अदलक्खा | O+ | 9251410062 |
| 81 | रामस्वरूप मित्तल | O+ | |
| 82 | विशाल कपूर | O+ | 9950554437 |
| 83 | कौशल नागर | O+ | 9587891115 |
| 84 | मो. मुमताज पुत्र मो. हुसैन श्योपुरियो की मस्जिद के पास बारां | O+ | 9660786052 |
| 85 | विनोद अग्रवाल साई सेवा समिति बारां | O+ | 9461611500 |
| 86 | चंचल शर्मा साई सेवा समिति बारां | O+ | 9351575344 |
| 87 | सुरेन्द्र जागिड़ बल्ड़ बैक | O+ | 9461862482 |
| 88 | सतीश मेघवाल तेल फैक्ट्री बारां | O+ | 9784821954 |
| 89 | जितेन्द्र खत्री | O+ | 9252363049 |
| 90 | बृजेश सोनी पुत्र जगदीश सोनी | O+ | 9784283306 |
| 91 | पीयूष बाकलीवाल पुत्र रमेश बाकलीवाल | O+ | 9602471472 |
| 92 | रश्मी सोनी पत्नि त्रिलोकचन्द | AB+ | 9799692143 |
| 93 | पवन रामेश्वर | AB+ | 9252040962 |
| 94 | भूपेन्द्र पुत्र श्रीलाल | AB+ | 9928075604 |
| 95 | राजवीर पुत्र चौथसिंह | AB+ | 9462965641 |
| 96 | आमीर  पुत्र उस्मान खान कुलदीप भंवर सिंह | AB+ | 8107273050 |
| 97 | अरविन्द पुत्र बद्री प्रसाद | AB+ | 9413354450 |
| 98 | महेश पुत्र प्रभूदयाल शिवाजी कालोनी बारां | AB+ | 8107440667 |
| 99 | जयेश सक्सैना पुत्र प्रभा शंकर सक्सैना | AB+ | 9414252476 |
| 100 | निर्मल माथोड़िया | AB+ | 9414191103 |
| 101 | जितेन्द्र पुत्र कृष्णदत्त  शर्मा | AB+ | 9887782896 |
| 102 | ओम सुमन पुत्र रमेश चन्द सुमन | AB+ | 9610251727 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103 | राजेन्द्र शर्मा | AB+ | 9667671115 |
| 104 | सम्पत शर्मा | AB+ | 9929385262 |
| 105 | पंकज कश्यप | AB+ | 9694500525 |
| 106 | टी एस राजावत | AB+ | 9413734019 |
| 107 | रामस्वरूप | AB+ | 9414278177 |
| 108 | धनराज गोचर | AB+ | 9414190554 |
| 109 | पुष्पेन्द्र सिंह | AB+ | 9414607541 |
| 110 | गणेश पुत्र बाबूलाल नरवाल | AB+ | 9829533174 |
| 111 | केशव सिंह पुत्र हरि सिंह | AB+ | 9887613808 |
| 112 | हरिश भाटी एस पी आफिस बारां | AB+ | 9414331263 |
| 113 | पुष्पेन्द्र सिंह भाटी एस पी आफिस बारां | AB+ | 8107271921 |

## परिशिष्ट –17 जिले मे उपलब्ध तैराक / गोताखोर आदि की सूची

| मालवीय मानव सेवा समितिद्वारा आपदा प्रबन्धन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिको की सूची | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. स. | कार्मिकों के नाम | पद | बैल्ट नम्बर | मोबाइल नम्बर |
| 1 | राजेन्द्र कुमार | है0 का0 | 516 | 9929318421 |
| 2 | रामजीलाल | | 147 | 9667305523 |
| 3 | सतपाल पारीक | | 760 | 9414257214 |
| 4 | नकुल | का0नि0 | 81 | 9166845230 |
| 5 | रामहेत | का0नि0 | 77 | 8003372830 |
| 6 | महावीर | का0नि0 | 1049 | 8003118750 |
| 7 | ज्ञानेद्र | का0नि0 | 390 | 9414434867 |
| 8 | रामनिवास | का0नि0 | 295 | 8104411355 |
| 9 | दयाराम | का0नि0 | 887 | 9929584407 |
| 10 | अफसर खान | का0नि0 | 736 | 9602107003 |
| 11 | हेमन्त सिंह | का0नि0 | 502 | 9785328337 |
| 12 | खालिद पठान | का0नि0 | 17 | 9799041584 |
| 13 | बृजमोहन | का0नि0 | 312 | |
| 14 | धनराज | का0नि0 | 425 | 9887010019 |
| 15 | रामस्वरूप | का0नि0 | 966 | 8769323389 |
| 16 | कालूलाल | का0नि0 | 235 | 9636923507 |
| 17 | राहुल सिंह | का0नि0 | 721 | 9001660573 |
| 18 | मनोज कुमार | का0नि0 | 1050 | 8107428326 |
| 19 | भूपालसिंह | का0नि0 | 938 | 9875298183 |
| 20 | सुरेश कुमार | का0नि0 | 910 | 9667629077 |
| 21 | उदयसिंह | का0नि0 | 1024 | 9799920955 |
| 22 | सुश्री सुनिता | महिला कानि0 | 1016 | 9636216890 |
| 23 | सुश्री धनकंवर | महिला कानि0 | 180 | 8104852347 |
| 24 | सुश्री गिरजा | महिला कानि0 | 415 | 9001586232 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | महिपाल | का0नि0 | 104 | 9928514911 |
| 26 | राजकुमार | का0नि0 | 07 | 9414765172 |
| 27 | हरवीर सिंह | का0नि0 | 92 | 9636905603 |
| 28 | फूलचन्द्र | का0नि0 | 508 | 9784712906 |
| 29 | पुष्पेन्द्र | का0नि0 | 706 | 9829786017 |
| 30 | कल्याण प्रसाद | का0नि0 | 918 | 8696533718 |

| क्र.सं. | तहसील | नाम तैराक/पता | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | मांगरोल | श्री कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र माली | 9001558709 |
| 2 | | श्री राजु केवट पुत्र जयमाल केवट | 9928901278 |
| 3 | | श्री राजेन्द्र सुमन पुत्र रमेशचन्द्र सुमन | 9929591438 |
| 4 | | श्री नरेश पुत्र बाबूलाल सुमन | 9887769858 |
| 5 | मांगरोल | श्री लोकेश पुत्र बाबूलाल चन्देल निवासी बोहत | 9782019363 |
| 6 | | श्री कमल कुमार पुत्र धन्नालाल धोबी निवासी बोहत | 8058155094 |
| 7 | | श्री हरिओंम पुत्र बृजमोहन ब्राहमण निवासी बोहत | 9783609218 |
| 8 | | श्री चन्द्रमोहन पुत्र मोतीलाल मालव निवासी बोहत | 8094813275 |
| 9 | | श्री दीनदयाल पुत्र गिर्राज जाति ब्राहमण निवासी बोहत | 9694547034 |
| 10 | | श्री ईमरान पठान पुत्र इकबाल पठान वार्ड न. 20 | 7737478893 |
| 11 | | रिन्कु पठान पुत्र रहमान पठान वार्ड नं. 19 | 9799455781 |
| 12 | | शानू पठान पुत्र शहजाद पठान वार्ड नं. 19 | 9694424317 |
| 13 | | इरफान मन्सूरी पुत्र रफीक भाई वार्ड नं. 11 | 8058336909 |
| 14 | | इरशाद मोहम्मद पुत्र ईस्माइल वार्ड नं. 11 | 8963810152 |

| क्र. सं. | नाम कार्मिक | पद / बेल्ट नं. / मों.नं. | क्र. सं. | नाम कार्मिक | पद / बेल्ट नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री भीमराज / थाना सदर बारां | का.नि. 38<br>9414662684 | 8 | श्री सुरेन्द्र / पुलिस लाईन बारां | का0नि0 167<br>9928755727 |
| 2. | श्री रामनिवास / थाना सदर बारां | का.नि. 295<br>9468786559 | 9 | श्री अरविन्द सिंह / पुलिस लाईन बारां | का0नि0 308<br>8890021611 |
| 3. | श्री श्रवणराम / थाना सदर बारां | का.नि. 1129<br>9983741075 | 10 | श्री उदय सिंह / पुलिस लाईन बारां | का.नि. 1024<br>9799920955 |
| 4 | श्री जगदीश / थाना सदर बारां | का.नि. 781<br>9950276911 | 11 | श्री महावीर / थाना कोतवाली बारां | का.नि. 1205<br>7737729102 |
| 5 | श्री राजेन्द्र कुमार / पुलिस लाईन बारां | का.नि. 650<br>9413990597 | 12 | श्री सुखविन्द्र / थाना हरनावदा | का.नि. 667<br>9587081237 |
| 6 | श्री मुलचन्द / पुलिस लाईन बारां | हेड का.नि. 650–9413990597 | 13 | श्री आशीष / पुलिस लाईन बारां | का.नि. 279<br>9950661496 |
| 7 | श्री पुष्पेन्द्र सिंह / एस.पी. आफिस बारां | हेड का.नि. 125–8107271921 | | | |

## परिशिष्ट – 18 जिला बारां मे आपदा प्रबन्धन हेतु उपलब्ध संसाधनों की विभागवार सूची

| पुलिस विभाग जिला बारां | | | |
|---|---|---|---|
| क्र.सं. | नाम संसाधन | उपलब्धता | विवरण |
| 1 | लाईफ जेकेट | 15 नग | |
| 2 | लाईफ वॉय | 15 नग | |
| 3 | फावडा | 20 नग | |
| 4 | तगारी | 20 नग | |
| 5 | ड्रेगन लाईट | 5 नग | |
| 6 | रस्सा जुट | 8 नग | |
| 7 | रस्सी नाईलोन मय लम्बाई | 40 फिट, | 1 नग |
| 8 | रस्सा नाईलोन मय लम्बाई | 40 फिट, | 1 नग |
| 9 | गेती लोहा | 15 नग | |
| 10 | वाटर बोटल | 78 नग | |
| 11 | रेन कोट | 38 नग | |
| 12 | बेलचा | 6 नग | |
| 13 | पेट्रोमेक्स | 5 नग | |
| 14 | सब्बल | 2 नग | |
| 15 | कुल्हाडी | 5 नग | |
| 16 | टयूब | 2 नग | |
| 17 | पोटेबल जनरेटर | 4 नग | |
| 18 | फेस माक्स | 3 नग | |
| 19 | स्ट्रेचर | 2 नग | |
| 20 | मेगा फोन | 2 नग | |
| 21 | हवा फरने का पम्प | 2 नग | |

| छबडा थर्मल जिला बारां | | | |
|---|---|---|---|
| क्र. सं. | उपकरण का नाम | संख्या | ऑपरेटर यदि हो तो नाम व मोबाईल नं. |
| 1 | गैस कटर | 20 | |
| 2 | बोल्ट कटर | 2 | |
| 3 | इलेक्ट्रिक ड्रिल | 4 | |
| 4 | चिपिंग हेमर | 4 | |
| 5 | कटर–हाइड्रोलिक | 1 | |
| 6 | ग्राइन्डर | 10 | |
| 7 | जेक (5 टन लिफ्ट) | 15 | |
| 8 | स्लेज हेमर | 6 | |
| 9 | हेवी एक्स | 3 | |
| 10 | चेन टेकल | 4 | |
| 11 | रबर ग्लोवस् | 5 | |
| 12 | स्लोटेड स्क्रूड्राइवर | 6 | |
| 13 | ब्लेन्केट | 2 | |
| 14 | लिफ्टिंग टेकल (3 टन) | 4 | |
| 15 | सोवेल | 6 | |
| 16 | स्पाडे | 20 | |
| 17 | क्रोबार | 5 | |
| 18 | हेलमेट | 30 | |
| 19 | बास्केट | 11 | |
| 20 | हेक्सॉ | 1 | |
| 21 | पम्प (डीवाटरिंग) | 5 | |
| 22 | हेन्ड टूल सेट | 5 | |
| 23 | बी ए सेट | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | रोप | 10 | |
| 25 | होज फिटिंग | 70 | |
| 26 | सर्च लाईट | 2 | |
| 27 | इलेक्ट्रिक टॉर्च | 5 | |
| 28 | ट्रक | 1 | |
| 29 | बुलडोजर चेन माउन्टेड | 3 | |
| 30 | क्लोथिग – केमिकल प्रोटेक्टिव | 2 | |
| 31 | ब्रीथिंग एपरेट्स (सेल्फ कन्टेनड) | 4 | |
| 32 | फायर एक्सटिन्गासर | | |
| | (अ)ए बी सी टाइप | 450 nos | |
| | (ब)Co2टाइप | 350nos | |
| | (स)फोम टाइप | 180nos | |
| | (द)DCPटाइप | 450nos | |
| 33 | फायर टेन्डर | 1 | |
| 34 | फोम टेन्डर | 1 | |
| 35 | फायर फायटिंग फोम | 5000 Ltr. | |
| 36 | ड्राई केमिकल पाउडर | 2000 Kg. | |
| 37 | स्ट्रेचर (नोर्मल) | 2 | |
| 38 | फर्स्ट एड किट | 5 | |
| 39 | पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेन्डर | 3 | |
| 40 | वाटर टेन्क | 2 | |
| 41 | PHमीटर | 1 | |
| 42 | PHटेस्टर | 1 | |
| 43 | ट्रेक्टर | 1 | |
| 44 | मीडियम एम्बुलेन्स वेन | 1 | |
| 45 | थर्मल प्लांट फायर फायटिंग टीम | 36 | |

| अडानी पॉवर प्लांट (कवाई) जिला | | | |
|---|---|---|---|
| **S.No.** | **Name of Equipment** | **Numbers** | **Operator if any with Mo. No.** |
| 1 | Multipurpose fire tender(4500 Liter) | 2 | 8094016163 |
| 2 | Water Browser(14000 Liter) | 1 | 8094016163 |
| 3 | Fixed water monitor | 20 | 8094016163 |
| 4 | Portable water monitor | 2 | 8094016163 |
| 5 | ABC type fire extinguishers | 200 | 8094016163 |
| 6 | Foam type fire extinguishers | 90 | 8094016163 |
| 7 | CO2 type fire extinguishers | 60 | 8094016163 |
| 8 | SCBA set | 10 | 8094016163 |
| 9 | Fire suit | 4 | 8094016163 |
| 10 | Fire hydrant pumps | 4 | 8094016163 |
| 11 | Fire hydrant point | 271 | 8094016163 |
| 12 | Fire water spray system | 145 | 8094016163 |

| जल संसाधन खण्ड(प्रथम) जिला बारां | | | |
|---|---|---|---|
| क्र. सं. | उपकरण का नाम | संख्या | ऑपरेटर यदि हो तो नाम व मोबाईल नं. |
| 1 | Flat bottam aluminum boats 50H.P.OBM-25 | 1 Nos(for 12 persons) | |
| 2 | Inflatable boats with 30H.P. OBM-15 | 1 Nos(for 6 persons) | |
| 3 | Lift jachet-10 | 20 Nos | |
| 4 | गेती | 10 Nos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | फावडा | 10 Nos | |
| 6 | सब्बल | 10 Nos | |
| 7 | तगारी | 20 Nos | |
| 8 | टयूब | 2 Nos | |
| 9 | ट्रक हॉफ बॉडी | 1 Nos | |
| 10 | मड पम्प 26 एचपी | 1 | |
| 11 | मड पम्प 12 एचपी | 2 | |
| 12 | मड पम्प 6 एचपी | 2 | |

| नगर पालिकाओं मे आपदा प्रबन्धन योजना हेतु उपलब्ध संसाधनों की सूची | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | उपकरण का नाम | संख्या | ऑपरेटर का नाम | मों.नं. |
| **नगर पालिका मांगरोल** | | | | |
| 1 | जेसीबी | 1 | श्री रामचरण चौपडा | 9929493345 |
| 2 | जनरेटर | 1 | श्री शंकरलाल सुमन | 9929052745 |
| 3 | ट्रेक्टर मय ट्रोली | 2 | श्री राजुलाल गोचर | 9928275868 |
| 4 | फायर बिग्रेड | 1 | श्री आरीफ हुसेन | 9950437522 |
| 5 | रस्सी | 4 | | |
| 6 | पेट्रोमेक्स ट्रॉर्च | 8 | | |
| 7 | रेत कट्टे | 100 | | |
| 8 | तिरपाल | 2(30*15) | | |
| 9 | टयूब | 5 | | |
| 10 | गेती | 10 | | |
| 11 | फावडा | 10 | | |
| 12 | तगारी | 10 | | |
| 13 | कस्सी | 10 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | पंजे | 10 | | |
| 15 | सब्बल | 3 | | |
| **नगर पालिका छबडा** | | | | |
| 1 | जेसीबी मशीन | 1 | | |
| 2 | फायर गाडी | 1 | श्री रवि यादव | 8890880373 |
| 3 | ट्रेक्टर ट्रोली | 2 | श्री जीमल अहमद | 9001567225 |
| 4 | ओटो टिप्पर | 6 | | |
| 5 | बोलेरो गाडी | 1 | श्री सूरजमल | 9928247185 |
| **नगर परिषद बारां** | | | | |
| 1 | जेसीबी मशीन | 2 नग | | |
| 2 | ट्रेक्टर मय ट्रॉली | 2 नग | | |
| 3 | डम्पर | 1 नग | | |
| 4 | लाईफ जैकिट | 10 नग | | |
| 5 | ट्यूब | 10 नग | | |
| 6 | वाटर पम्प | 1 नग | श्री बृजेश शर्मा | 9460174400 |
| 7 | रस्सा व रस्सी | 2 बंडल | | |
| 8 | गेती | 10 नग | | |
| 9 | फावड़ा | 10 नग | | |
| 10 | सब्बल | 3 नग | | |
| 11 | कुल्हाड़ी | 3 नग | | |
| 12 | टॉर्च | 3 नग | | |

| सार्वजनिक निर्माण विभाग | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | विवरण | सा.नि.वि. खण्ड बारां | सा.नि.वि. खण्ड छबडा | सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद | सा.नि.वि. खण्ड मांगरोल | योग |
| 1 | रस्सी | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 2 | ट्रॉर्च | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | रेत कट्टे | 400 | 400 | 200 | 500 | 1500 |
| 4 | जेसीबी | 2 | — | 2 | 1 | 5 |
| 5 | डम्पर | 2 | — | 2 | — | 4 |
| 6 | रेन कोट | — | — | 3 | — | 3 |
| 7 | तगारी | 5 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 8 | गेती | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | फावडा | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |

| क्र. सं. | तालाब का नाम | भरे कट्टे | खाली कट्टे | तगारी | गेंती | फावडे | सब्बल | हथोडे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां के अन्तर्गत | | | | | | | | |
| 1 | स्टोर बारां | 0 | 5000 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| 2 | खण्ड कार्यालय परिसर | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | मण्डी समिति परिसर | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | सिविल लाईन हनुमान मन्दिर के पास | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | परवन जलोथान | 200 | 100 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | पार्वती पिकअप वियर | 500 | 200 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां के अन्तर्गत तालाब | | | | | | | | |
| 1 | गोपालपुरा | 500 | 1000 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | बिलास | 500 | 1000 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | उम्मेदसागर | 500 | 500 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | इकलेरा सागर | 300 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | महोदरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | कालीसोत | 250 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | छत्रपुरा | 250 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | नाहरगढ | 250 | 250 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | रताई | 500 | 1000 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | बेदरा | 200 | 100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | सेमली फाटक | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | खीरिया | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | अहमदी | 500 | 300 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | नारायणखेडा | 500 | 1000 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | खटका | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| जल संसाधन खण्ड छबडा के अन्तर्गत तालाब | | | | | | | | |
| 1 | ल्हासी | 2000 | 1000 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| 2 | बैथली | 1000 | 1000 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| 3 | परवन पिकअप वियर | 200 | 200 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | फालिया | 200 | 200 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 5 | उतावली | 200 | 200 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| 6 | हिंगलोट | 500 | 1000 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 |

# परिशिष्ट –19

## एस.डी.आर.एफ.जयपुर एवं कोटा सम्पर्क विवरण –

जयपुर :–

श्री सुरेश कुमार जैन प्रभारी
(9413602306)
0141–2759903
0141–2758422

कोटा :–

1.श्री धनश्याम शर्मा, क्वार्टर मास्टर (नोडल अधिकारी ) 9413317822 / 7424840001
2.टेलिफोन नम्बर (कार्यालय ) 0744–2350771 / 2350775
3. ई–मेल (कार्यालय) (1) **2ndrackota@gmail.com**
(2) **comdt.2ndbn.rac.kota@rajpolice.gov.in**

4.श्री सत्यनारायण प्लाटून कमाण्डर
(प्रभारी विशेष बाढ बचाव दस्ता ) 9530445040 / 9928884733

5.श्री बाबूलाल हैडकानि. 83 7726960826

6.श्री जीवेश कुमार कानि. 238 9024127090

7.एस.डी.आर.एफ. कन्ट्रोल रूम 0744–2328034

# परिशिष्ट –20

## जल संसाधन विभाग
## कन्टेजेन्सी प्लान –2019
## बाढ़ नियंत्रण जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां

जिला बारां मे जल संसाधन विभाग का कार्यक्षैत्र तहसील बारां, अटरू, छबडा, छीपाबडौद, शाहबाद, किशनगंज, अन्ता एवं मांगरोल हैं, जिले मे जल संसाधन वृत बारां कार्यालय के अधीक्षण अभियन्ता **श्री मूलचन्द शर्मा (सम्पर्क सूत्र मो0 9269657420 कार्या0 07453–237090) है।** इनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र तहसील बारां, मॉगरोल एवं अन्ता के फ्लड कन्ट्रोल **नोडल अधिकारी श्री सत्येन्द्र पारीक अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां (सम्पर्क सूत्र मो0 9414656712 कार्या0 07453–237148)** एवं कार्य क्षेत्र तहसील छबडा, छीपाबडौद, अटरू के फ्लड कन्ट्रोल **नोडल अधिकारी श्री सुनील गुप्ता अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबडा (सम्पर्क सूत्र मो0 9414376618 कार्या0 07452–215336 नि0 07452–215337)** है, तथा तहसील शाहबाद एवं किशनगंज के फ्लड कन्ट्रोल **नोडल अधिकारी श्री मनोज कुमार गोयल अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड (तृतीय) बारां (सम्पर्क सूत्र मो0 9460745028 कार्यालय 07453–237209) है।**

जल संसाधन विभाग के नियन्त्रण मे कुल 23 बॉध/पिक–अप–वियर /परवन जलोत्थान योजना हैं, जिनकी सूची संलग्न है, एवं पंचायत समितियों को स्थानान्तरित तालाबो/ बॉधो की सूची संलग्न हैं। विभाग के पास सभी जल संसाधनो पर (तालाबो / बॉधो / नहरो ) पर सहायक अभियन्ताओं का नियन्त्रण हैं। इनमें से 20 बॉधो एवं एक परवन जलोत्थान में वर्शा का सतही जल संग्रहित किया जाता हैं, तथा एक पिक–अप–वियर पार्वती नदी पर है, एवं एक पिक–अप–वियर परवन नदी पर है, जो एक डाइवर्जन सिस्टम है। समस्त जल संसाधनो की देखरेख का कार्य संबधित कनिष्ठ अभियन्ताओं अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायक अभियन्ता की निगरानी में किया जाता हैं। इनकी सहायता के लिए बॉध पर कार्यप्रभारी कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। जो निरन्तर बॉध की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्व हैं। प्रत्येक तालाब पर सुरक्षात्मक सभी उपाय जो बाढ एवं अतिवृश्टि के साथ बॉध की सुरक्षा के लिए आव यक हैं, करने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। इन समस्त बॉधो की सूचना एवं सहायक अभियन्ता का नाम व मुख्यालय, कनिश्ठ अभियन्ता का नाम व मुख्यालय आदि **संलग्न सारणी** में अकिंत हैं।

इन समस्त बॉधों एवं नदियों की गेज आदि उपखण्ड कार्यालय से बाढ नियन्त्रण कक्ष बारां में रोजाना प्राप्त करने की व्यवस्था हेतु जल संसाधन विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां के नियन्त्रण में बाढ नियत्रण कक्ष का गठन किया गया हैं। जिसका कार्यालय दिनांक 15.06.2019 से अग्रिम आदेश तक तीन पारीयों में 24 घण्टे चलेगा। बाढ़ नियत्रंण कक्ष के प्रभारी

अधिकारी श्री हेमराज गर्ग सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड बारां एवं इनकी सहायता के लिए सहायक प्रभारी श्री अवधेश मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड बाराँ को नियुक्त किया गया हैं। इनकी सहायता के लिए तीनो पारियों में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जो दैनिक वर्षा एवं तालाबो एवं गेज की सूचना एकत्रित करेगे तथा जल संसाधन विभाग के उच्चाधिकारियों एवं जिला प्रशासन को देगें। बॉधों का गेज नदियों का डिस्चार्ज आदि रोजाना बाढ नियत्रण कक्ष को प्राप्त होने की व्यवस्था कर दी गई है। यदि सूचना भेजने में कठीनाई आती हैं तो व्यक्तिगत माध्यम से मोबाइल एवं एस0टी0डी0/ पी0सी0ओ0 से सूचना भेजने हेतु निर्देशित किया गया हैं। समस्त सहायक अभियन्तागण किसी भी खतरे की स्थिति के निराकरण हेतु वाहन व आवश्यक सामान डम्पर, ट्रेक्टर, तगारीया, फावडे, गैती, सीमेन्ट के खाली कटटे, टार्च, पेट्रोमेक्स, छाते, लालटेन आदि समुचित मात्रा में रखेगें। (संलग्न सूची के अनुसार) सभी संबधित अधिकारियों /कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना मुख्यालय व कार्य क्षेत्र बिना पूर्व में लिखित स्वीकृति प्राप्त किए नहीं छोडेगे, जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जावें। सभी संबधित अधिकारियों /कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्षा एवं बाढ की सूचना दैनिक प्रातः 8.00 बजे बाढ नियन्त्रण कक्ष को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक सहायक अभियन्ता को निर्दे ित कर दिया हैं कि अपने अधिनस्थ सभी बॉधो की सुरक्षत्मक उपाय अपनाने में कोई ढिलाई नहीं बरतेगे। बाढ / जल प्लावन / अत्यधिक वर्शा सबंधी सूचना बाढ नियन्त्रण कक्ष बारां को तत्काल सूचित करेगे । इस कार्यालय का फोन नम्बर 07453–237148 हैं एवं इसके खराब होने की स्थिति में दूसरा फोन नम्बर 07453–237090 हैं, जो अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत बारां के कार्यालय में हैं।

बारां भाहर में बाढ की स्थिति पर श्री हेमराज गर्ग सहायक अभियन्ता तथा श्री अवधे ा कुमार मीणा क0अभि0 उपखण्ड बारां निगरानी रखेगे, तथा बाढ बचाब के लिए एक ट्रक व एक ट्रेक्टर खण्डीय कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनि चत करेगे, तथा मुख्यालय बारां स्टोर पर आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु आव यक उपकरण / सामग्री तैयार रखेगे । एवं जिलें में स्थित बांध / तालाबों / नहरों की निगरानी रखने एवं समय पर बांढ की सूचना/ तालाबों की गेज / आपदा प्रबन्धन तथा निगरानी हेतु निम्न प्रकार प्रकोश्ठों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते है।

| क्र. सं. | बाढ प्रकोष्ठ का नाम | प्रभारी अधिकारी का नाम मय पद | नियन्त्रण कार्य क्षेत्र | नियन्त्रण अधिकारी का |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जल संसाधन विभाग बाढ नियन्त्रण कक्ष बारां | श्री हेमराज गर्ग सहा0 अभि0 जल संसाधन उपखण्ड बारां | जिलें में स्थित सभी बाधों/नहरों/ बाढ आपात की सूचनाओं के संधारण एवं नियमित रूप से कार्यरत पारियो के संचालन की व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगे। साथ ही बारां | 8233644138 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | शंहर मे बाढ की स्थिति पर निगरानी रखेगे। | |
| 2 | जल संसाधन बाढ नियन्त्रण कक्ष भंवरगढ | श्री गणेश कुमार जागीड सहायक अभियन्ता जल संसाधन उप0 भंवरगढ | तहसील किशनगंज की समस्त सूचना नियन्त्रण कक्ष बारां को भेजेगे। | 9413991098 |
| 3 | जल संसाधन बाढ नियन्त्रण कक्ष शाहबाद | श्री विरेन्द्र सिंह तोमर<br>सहा0 अभि0 जल संसाधन उप0 शाहबाद | तहसील शाहबाद की समस्त सूचना नियन्त्रण कक्ष बारां को भेजेगे। | 8769910192 |
| 4 | उपखण्ड, अन्ता एवं मॉगरोल | श्री पी.सी. मीणा सहा0अभि0 जल संसाधन उपखण्ड, मॉगरोल | तहसील अन्ता/मांगरोल की निगरानी रखेगे। | 8619634533 |
| 5 | परवन पम्प हाउस तुलसां | श्री हेमराज गर्ग, सहायक अभियन्ता परवन लिफ्ट उपखण्ड बारां | परवन लिफ्ट एवं तहसील अन्ता क्षेत्र सूचना नियन्त्रण कक्ष बारां को भजेगे। | 8619026510 |
| 6 | जल संसाधन बॉध अटरु | श्री मोहनलाल शर्मा, सहा0अभि0 जल संसाधन उपखण्ड, अटरु | तहसील अटरु की निगरानी रखेगे। | 9413002916 |
| 7 | बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बांध स्थल ल्हासी | श्री चन्द्रभान सहायक अभियन्ता हिंगलोट उपखण्ड छबडा | बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बांध स्थल ल्हासी की निगरानी रखेगे | 9928138470 |
| 8 | बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बांध स्थल बैथली | श्री चन्द्रभान सहायक अभियन्ता बांध उपखण्ड द्वितीय छबडा। | बाढ़ नियन्त्रण कक्ष बांध स्थल बैथली की निगरानी रखेगे | 9928138470 |

# वायरलेस स्टेशन की स्थिति

| क्र. स. | वायरलेस स्टेशन का नाम | स्थान जहॉ पर वायरलेस स्टेशन स्थापित करना हैं | काल साइन |
|---|---|---|---|
| 1 | फल्ड कन्ट्रोल रूम (जल संसाधन बारां) | जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बांरा का कार्यालय भवन | फ्ल्ड कन्ट्रोल |
| 2 | फल्ड कन्ट्रोल रूम (जल संसाधन छबडां) | जल संसाधन खण्ड छबडा का कार्यालय भवन | फ्ल्ड कन्ट्रोल |
| 3 | बिलास डेम | बॉध स्थल | भॅवरगढ |
| 4 | जल संसाधन कालोनी भॅवरगढ | जल संसाधन कॉलोनी भॅवरगढ | भॅवरगढ |
| 5 | बेथली बॉध | डेम साईट कॉलोनी बेथली डेम | बैथली |
| 6 | गरडा (उम्मेद सागर बॉध) | कनिष्ट अभियन्ता कार्यालय गरडा | गरडा |
| 7 | गोपालपुरा (बॉध) | डेम साईट | गोपालपुरा |

उक्त सभी स्टेशनो पर स्थापित वायरलेस सेट पिछले 5 वर्षो से ऑपरेटिव अवस्था मे नही होने की वजह से मोबाइल के माध्यम से ही मोनिटरिंग की जा रही है।

# वर्षा की सघनता

| क0 सं0 | संघनता | समय | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 00.1 mm. to 02.4 mm | 24 घण्टे | बहुत हल्की वर्षा |
| 2 | 02.5 mm to 07.5mm | 24 घण्टे | हल्की वर्षा |
| 3 | 07.6 mm to 34.9mm | 24 घण्टे | सामान्य वर्षा |
| 4 | 35mm to 64.9mm | 24 घण्टे | सामान्य से अधिक वर्षा |
| 5 | 65mm to 124.9mm | 24 घण्टे | भारी वर्षा |
| 6 | 125 mm. से ज्यादा | 24 घण्टे | बहुत भारी वर्षा |

# वर्षाकाल मे तालावो पर रखी जाने वाली सामग्री का विवरण

| क्र. स. | तालाब का नाम | भरे कटटे | खाली कटटे | तगारी | गेती | फावडे | सब्बल | हथौडे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां के अन्तर्गत | | | | | | | | |
| 1 | स्टोर बारां | - | 10000 | 40 | 10 | 15 | 10 | |
| 2 | खण्ड कार्यालय परिसर | 1500 | | | | | | |
| 3 | मण्डी समिति परिसर बारां | 500 | | | | | | |
| 4 | सिविल लाईन हनुमान मन्दिर के पास | 500 | | | | | | |
| 5 | परवन जलोत्थान | 200 | 100 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | पार्वती पिक–अप–वियर | 1500 | 200 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| | **Total** | **4200** | **10300** | **60** | **20** | **25** | **12** | **2** |
| जल संसाधन खण्ड तृतीय बारां के अन्तर्गत तालाब | | | | | | | | |
| 1 | गोपालपुरा | 500 | 1000 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | बिलास | 500 | 1000 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | उम्मेद सागर | 500 | 500 | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | इकलेरा सागर | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | महोदरी | 250 | 500 | | | | | |
| 6 | कालीसोत | 250 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | छत्रपुरा | 250 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | नाहरगढ | 500 | 500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | रताई | 500 | 1000 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | खटका | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | बेदरा | 250 | 250 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | सेमली फाटक | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | खिरिया | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | अहमदी | 500 | 500 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | नारायणखेडा | 500 | 1000 | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| | **Total** | **6250** | **9250** | **255** | **63** | **63** | **20** | **18** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जल संसाधन खण्ड छबडा के अन्तर्गत तालाब | | | | | | | | |
| जल संसाधन बॉध उपखण्ड छबडा | | | | | | | | |
| 1 | बैथली | 500 | 1000 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| 2 | फालिया | 500 | 1000 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| 3 | उतावली बॉध | 200 | 500 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| 4 | हिंगलोट | 300 | 500 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| 5 | बाढ नि0 कक्ष छबडा | | 6000 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| 6 | शेरगढ पिक–अप–वियर | 500 | 1000 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| 7 | ल्हासी बॉध | 5000 | 5000 | 30 | 15 | 20 | 10 | 5 |
| | **Total** | **7000** | **15000** | **210** | **105** | **140** | **70** | **35** |
| | **G-Total** | **17450** | **34550** | **525** | **188** | **228** | **102** | **55** |

नोट :– खण्ड (प्रथम) बारां मे आपात स्थिति मे मॉग पर सामग्री की आपूर्ति प्रभारी अधिकारी बाढ नियन्त्रण बारां श्री हेमराज गर्ग सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड बारां करेगे, **खण्ड छबडा** मे सहा0अभि0 जल संसाधन उपखण्ड हिंगलोट श्री चन्द्रभान करेगे, एवं खण्ड तृतीय बारां मे सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड भॅवरगढ श्री गणेश कुमार जागीड करेगे ।

**अधिशाषी अभियन्ता**

**जल संसाधन खण्ड (प्रथम) बारां**

# आपात स्थिति से निपटने हेतु जल संसाधन खण्ड प्रथम बारां मुख्यालय पर उपलब्ध उपकरणो का विवरण

| क्र. सं. | उपकरण का नाम | उपलब्ध संख्या | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | Flat bottam aluminum boats 50 H.P. O.B.M.-25 | 1 No. (For 12 Person) | Not Functional |
| 2 | Inflatable boats with 30 H.P. O.B.M.-15 | 1 No. (For 6 Person) | Not Functional |
| 3 | Life Jachet-10 | 10 Nos. | |
| 4 | गेती | 10 Nos. | |
| 5 | फावडा | 10 Nos. | |
| 6 | सब्बल | 5 Nos. | |
| 7 | तगारी | 10 Nos. | |
| 8 | टयूब | 1 No | |
| 9 | मड पम्प 26 एच0पी0 | 1 No. | |
| 10 | मड पम्प 12 एच0पी0 | 2 Nos. | |
| 11 | मड पम्प 6 एच0पी0 | 2 Nos. | |

आपात स्थिति मे आवश्यकतानुसार सामग्री / उपकरण बाढ नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री हेमराज गर्ग सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड बारां एवं श्री अवधेश कुमार मीणा कन्ष्ठि अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड बारां से सम्पर्क कर प्राप्त करेगे ।

# जल संसाधन वृत, बारां मे तालाबो / बॉधवार संबंधित अधिकारीयो की सम्पर्क सूची

| क्र.स. | नाम तालाब | सहा0 अभि0 | मोबाइल नं0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पार्वती पिक–अप–वियर | श्री हेमराज गर्ग, सहायक अभियन्ता | 8233644138 |
| 2 | परवन लिफ्ट | श्री हेमराज गर्ग, सहायक अभियन्ता | 8233644138 |
| 3 | गोपालपुरा | श्री बृजेश बैरवा सहायक अभियन्ता | 8952908679 |
| 4 | उम्मेद सागर | | |
| 5 | इकलेरा सागर | | |
| 6 | बिलास डेम | श्री गणेश कुमार जागीड सहायक अभियन्ता | 9413991098 |
| 7 | कालीसोत | | |
| 8 | छत्रपुरा | | |
| 9 | महोदरी | | |
| 10 | नाहरगढ | | |
| 11 | अहमदी | | |
| 12 | नारायणखेडा | श्री दिनेश कुमार मीणा, सहायक अभियन्ता | 7597280553 |
| 13 | रताई | | |
| 14 | खटका | श्री विरेन्द्र सिंह तोमर, सहायक अभियन्ता | 8769910192 |
| 15 | बैदरा | | |
| 16 | सेमली फाटक | | |
| 17 | खिरिया | | |
| 18 | बैथली डेम | श्री चन्द्रभान, सहायक अभियन्ता | 9928138470 |
| 19 | हिंगलोट | | |
| 20 | उतावली | | |
| 21 | फालिया | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | ल्हासी | | |
| 23 | परवन पिक–अप–वियर (शेरगढ) | श्री मोहनलाल शर्मा सहा0 अभि0 | 9413002916 |
| | | | |
| **नोट :–** | नवनिर्मित ल्हासी बॉध एवं अहमदी बॉध पर दिन–रात निगरानी रखने एवं बॉध के केचमेन्ट क्षेत्र मे होने वाली वर्षा तथा बॉध मे पानी की आवक की सूचना एक–ऐक घण्टे के अन्तराल मे देने हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता अपने स्तर पर अधिकारी / कर्मचारी नियुक्त करेगे । | | |

## बारां जिले की प्रमुख नदियां इनकी लम्बाई एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या

| क्र.सं. | नाम | लम्बाई कि.मी. में | अनुमानित प्रभावित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | पार्वती नदी | 125 | 2000 |
| 2 | परवन नदी | 120 | 2500 |
| 3 | कुन्नू नदी | 33 | 500 |
| 4 | ल्हासी नदी | 60 | 2500 |
| 5 | अंधेरी नदी | 45 | 2500 |
| 6 | घडावली नदी | 26 | 1500 |
| 7 | बिलास नदी | 25 | 500 |
| 8 | बैथली नदी | 25 | 700 |
| 9 | बरनी नदी | 24 | 200 |

## प्रमुख नदियों के H.F.L.

| क्र.सं. | नदी का नाम | गेज साईट | H.F.L. (मीटर में) | Latitude | Longitude | Contacts No. of Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पार्वती नदी | पार्वती पिक–अप–वियर किशनपुरा (अटरु) साईट | 312.62 | 24°54'00'' | 76°04'00'' | तुलसीराम, बैलदार 7728951881 |
| 2 | परवन नदी | परवन पिक–अप–वियर शेरगढ साईट | 294.00 | 24°42'50'' | 76°33'13'' | सरपंच कवाई 9829432777 सालपुरा 9950069239 |
| 3 | रेतली नदी | हिंगलोट बांध स्थल | 361.50 | 24°33'33'' | 76°56'00'' | गोविन्द 9166731228 रामदयाल |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 9799512654 |
| 4 | ल्हासी नदी | ल्हासी बांध स्थल | 346.52 | 24°24'56'' | 76°41'36'' | त्रिलोक 9057576551 रामबिलास 9929690107 |

## Information of Vulnerable Point

| S. No. | Lat (DMS) | Long (DMS) | Vulnerable Point | HFL (m) | Near by Villages | Contacts No. of Local | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 27023'28.59" | 73025'57.42" | D/s side of Ratai Dam | | Samraniya | Sarpanch-8003767538 Gajanand-9982146914 | Low laying Area in D/s of the Dam |

## बारां जिले में नदियों में बाढ़ आने पर प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

| तहसील | नदी | प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची | प्रभावित होने वाली जनसंख्या |
|---|---|---|---|
| बारां | पार्वती | लूहारिया | 250 |
| | परवन | चौकी बोरदा, कोटडी तुलसां | 300 |
| अन्ता | परवन | मऊ, ढाबला, राजोडिया, नकटी का आसन | 550 लगभग |
| | कालीसिंध | पाटोदा, बालदडा, रायपुरा, नदवाडा | 1100 लगभग |
| मांगरोल | बाणगंगा | मांगरोल कस्बे को बस्ती अबाब चौंक, रेगर बस्ती, रहमत नगर, करोम नगर, भगवानपुरा, ग्राम बमोरीकलां | 5000 लगभग |
| | बमोरीखाडी | कस्बा सीसवाली में मदार बस्ती, रेगरान बस्ती, हरिजन बस्ती, बैरवा बस्ती, मस्जिद मौहल्ला | 1000 लगभग |
| किशनगंज | पार्वती | किशनपुरा, कूण्डी, लालापुरा, दीगोदपार, मजरा कारताबमोरी, महताबपुरा, दण्ड छत्रपुरा, पीपल्दाकलां, बिसलाई | 2000 लगभग |
| शाहबाद | कुन्नू नदी | मूंगावली, महारी, हरयानगर, कस्बानोनेरा | 1800 लगभग |
| | करई नदी | तिलगवां | 800 लगभग |
| | रेपी नदी | होंडापुरा, चोराखाडी, सांदरी | 1800 लगभग |
| अटरू | अडेरी | रतनपुरा | 700 लगभग |
| | पार्वती | रहलाई जागीर, बहादुरगंज, रामबिलास, डाबरिया | 15600 लगभग |
| | परवन | रीछन्दा, कुन्जैड | 4580 लगभग |
| छबड़ा | रेतली नदी | छबड़ा, टोडी, बरई, चावलखेडी, बडोदिया खांखरा, देहरी, पचवाडा | 20000 लगभग |
| | अंधेरी नदी | बमोरा, दोहनी, रींझा, खांकरा, पीपल्या, कोलूखेडा | 3500 लगभग |
| | केथली नदी | भूलोन, भानपुरा, रूपारेल, राजपुरा, कुलिजरा, फलिया | 3700 लगभग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पार्वती नदी | कराडियापार, धोलाडा, गूगोर, खोखाई, उचावद, शोखापुर, आलमपुरा, कछावन | 2800 लगभग |
| छीपाबड़ौद | परवन | पीपलखेडा, पथरी, ब्रह्माखेडी, हलेसरा, पटपडी, टाबूडा, अपलावदा, पीपल्याघाटा, बोरदा, मालोनी, नीमथूर, अमलवदाआली | 6000 लगभग |
| | ल्हासी | छीपाबड़ौद, मवासा, टांचा, गुलबेडी, हरनावदा, कुम्भाखेडी, लम्बाखेडी, बोरखेडी, ढोलम, रतनपुरा | 12000 लगभग |
| | अंधेरी | फूलबडौदा, कोहली, घाधोनिया, गगवानाना, उदपुरिया, बल्लूखेडी, मूण्डली, मोहम्मदपुरा | 6000 |
| | | नदखेडी, रूपपुरा, भगवानपुरा, रतनपुरावाला | 3000 |

## निचले क्षेत्र में बसे हुए गांव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होने वाले क्षेत्र

| नगर/ग्राम | प्रभावित बस्तियों गांवों/अधिवासों की सूची | प्रभावित होने वाली जनसंख्या |
|---|---|---|
| बारां | बारां शहर की राजीव कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, खजूरपुरा वार्ड, रावणजी का चौंक, जगजीवनराम कॉलोनी, मण्डोला वार्ड, प्रमोद भाया की बाडी, शिवाजी नगर, बाग बस्ती, गांधी कॉलोनी, बाबजी नगर, कृष्णा कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, श्रमिक कॉलोनी, ओडपुरा, गोपाल कॉलोनी, शिव कॉलोनी, खाती कॉलोनी, धर्मादा चौराहा, प्रताप चौंक, दीनदयाल पार्क, धोलाई बस्ती, हरिजन बस्ती, शाहबाद वार्ड, धाकड पाडा | 28,000 लगभग |
| अन्ता | अन्ता शहर की ख्वांसपुरा बस्ती, नयापुरा बस्ती, गुलाबबाडी मौहल्ला, गांव रातडिया कडारिया खाल के पास की बस्ती, बालाखेडा, कडारिया खाल के पास की बस्ती | 2500 लगभग |
| अटरू | बडोरा, कवाई, पतल्या, महेशपुरा, गोविन्दपुरा | 10,000 लगभग |
| छीपाबड़ौद | छीपाबड़ौद, टांचा, फूलबड़ोदा, मवासा, गुरूखेडी, घाघोनिया, कोहनी, गणेशपुरा, झनझनी, काजल्या, मोहम्मदपुरा, गगचाना, नियाना, उदपुरिया, मूण्डकी, बल्लूखेडी | 22,000 लगभग |

## जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जाने वाले बाढ़ से बचाव के संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गार निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
5. नदी के बांध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

## नियंत्रण कक्ष

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलेस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुडा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहा है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ से निपटने हेतु 15 जून से 15 सितम्बर तक बाढ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग, जिला कलक्टर कार्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर स्थापित किया जाता है। जिन पर चौबीसों घण्टे बाढ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जाता है।

जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर नियंत्रण कक्ष – 07453 237081

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटों की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड, पत्थर और मिट्टी से भरे थेलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बंद करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

## बाढ़ के दौरान तैयारियां

- निवास क्षेत्र से बाढ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।
- बाढ़ के पानी के लिए उचित मार्ग बनाना ताकि यह शीघ्र प्रवाहित हो सके।
- जहां भी आवश्यक हो पानी निकालने हेतु फ्लड पम्प लगाना।
- बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु नहर/निकास के प्रयोग को संभव बनाना।